राजस्थान में स्थित स्वयंसेवी संगठन तथा उनके शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रभाव का अध्ययन

VOLUNTARY ORGANISATIONS IN RAJASTHAN AND THE IMPACT OF THEIR EDUCATIONAL PROGRAMMES

मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर की
पीएच.डी. उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध-प्रबन्ध

शिक्षा संकाय

शोधकर्ता :

डी. पी. सिंह

शोध निर्देशक

डॉ. ए. पी. शर्मा

पूर्व - प्रोफेसर (शिक्षा)

विद्याभवन गो. से. उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, उदयपुर

विद्याभवन गोविन्दराम सेकसरिया उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, उदयपुर
मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय,
उदयपुर - 313001 (राजस्थान)
1996

राजस्थान में स्थित स्वयंसेवी संगठन तथा उनके शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रभाव का अध्ययन

VOLUNTARY ORGANISATIONS IN RAJASTHAN AND THE IMPACT OF THEIR EDUCATIONAL PROGRAMMES

मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर की

पीएच.डी. उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध-प्रबन्ध

शिक्षा संकाय

शोधकर्ता :

डी. पी. सिंह

शोध निर्देशक

डॉ. ए. बी. शर्मा

पूर्व - प्रोफेसर (शिक्षा)

विद्याभवन जी. से. उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, उदयपुर

विद्याभवन गोविन्दराम सेकसरिया उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, उदयपुर

मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय,

उदयपुर - 313001 (राजस्थान)

1996

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री डी.पी. सिंह, व्याख्याता (शिक्षा) ग्रामोत्थान विद्यापीठ, शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, संगरिया ने शिक्षा संकाय में पीएच.डी. उपाधि हेतु शोध कार्य **"राजस्थान में स्थित स्वंयसेवी संगठन तथा उनके शिक्षागत् कार्यक्रमों के प्रभाव का अध्ययन"** मेरे मार्गदर्शन में पूर्ण किया है। इस प्रतिवेदन में प्रस्तुत यह इनका मौलिक एवं प्रामाणिक शोधकार्य है।

श्री डी.पी. सिंह ने विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी आवश्यकताएं पूर्ण करली है।

डा.ए.पी. शर्मा

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पीएच.डी. उपाधि हेतु प्रस्तुत शोधकार्य जिसका शीर्षक ''राजस्थान में स्थित स्वंयसेवी संगठन तथा उनके शिक्षागत् कार्यक्रमों के प्रभाव का अध्ययन'' है, जो डॉ. ए.पी.शर्मा के निर्देशन में पूर्ण किया गया है मह मेरा स्वयं का मौलिक शोधकार्य है।

डी.पी. सिंह
व्याख्याता (शिक्षा)
ग्रामोत्थान विद्यापीठ,
शिक्षक-शिक्षा महाविद्यालय,
संगरिया (राजस्थान)

आमुख एवं आभार

प्रकृति का प्रमुख सिद्धान्त है – विविधता प्रदान करना। वह प्रत्येक प्राणी को दूसरे प्राणी से स्वभाव में, व्यवहार में, विचार करने में, बनावट में भिन्नता प्रदान करती है। यहां तक कि एक ही वृक्ष की समस्त टहनियाँ एवं पत्ते भी एक समान नहीं होते है। प्रकृति की इस विविधता वाली स्थिति में प्रत्येक प्राणी अपने अनुरूप उपयुक्त एवं लाभकारी स्थिति की तलाश करता है। यह विविधता प्रकृति के अनगिनत आयामों को स्पष्ट करती है, जिनके लिए यह सत्य है कि प्रत्येक अकेला प्राणी प्रत्येक आयाम को समझ लेने तथा अपने अनुरूप ढाल लेने में सक्षम नहीं हो पाता है, इस हेतु उसे आपस में एक-दूसरे के सहयोग की आवश्यकता रहती है।

यहाँ ध्यातव्य है कि प्रत्येक प्राणी के पास प्रकृति-प्रदत्त इतनी शक्ति अवश्य होती है कि वह अपना जीवनोपार्जन कर दूसरों के हित रक्षण हेतु शक्ति बचा सके और उसका सदुपयोग परहित में करें। मनुष्य की यह पर-हित-रक्षणवृत्ति आदिकाल से ही रही है। वह विकास के साथ-साथ अधिक लोकतांत्रिक बनता गया और परहित के प्रत्येक आयाम यथा-शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य रक्षा, भौतिक समृद्धि आदि में इस बची हुई शक्ति का उपयोग करता रहा है।

भारतीय परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक युग के साथ इस तरह के अनेक उदाहरण जुड़े हुए हैं यथा – युग पुरुष श्री रामचन्द्रजी को शिक्षा प्रदान करने वाला गुरु वाल्मिकी ने बिना धन लाभ के शिक्षा का प्रसार किया हैं।

प्रगति के साथ-साथ व्यक्ति की सभी आवश्यकताओं में भी तीव्र गति से विकास होने का प्रभाव 'स्वेच्छा से सहयोग' करने के आयाम पर भी दृष्टिगोचर होता है। यह आदिकालिन व्यवस्था 'व्यक्तिगत सहयोग' से 'सामूहिक सहयोग' के भाव की ओर मुखरित हुई है तथा इसका 'संगठनात्मक स्वरूप उभर कर प्रस्तुत हुआ है।

स्वतन्त्र भारत की संवैधानिक व्यवस्थाओं एवं मानव कल्याण की योजनाओं को भी लागू करने में ये स्वैच्छिक सेवा के संगठन अपना महत्वपूर्ण योगदान देने लगे है।

दिन-प्रतिदिन इन संगठनों की बढ़ती हुई संख्या एवं महत्ता हमारा अवधान स्वत् ही अपनी ओर आकर्षित कर लेती है।

ये संगठन राजस्थान राज्य के दक्षिणी-पश्चिमी भाग में फैली अरावली पर्वतमालाओं में बसे जनजाति समाज का उत्थान करने के लिए भी अनेक योजनाएं चला रहे है। इस क्षेत्र में बसा हुआ जनजाति समाज भौगोलिक कठिनाईयों, अपने रीति-रिवाजों, मान्यताओं, रुढ़ियों की क्लिष्टताओं के कारण 'कैप्सुलीकृत' जनजाति अभ्यारण्य बन गया तथा बन्द-समाज की भांति प्रस्तुत होकर शेष विश्व के प्रगति स्तर से पीछे रह गया है।

इस क्षेत्र से लम्बे समय के प्रत्यक्ष अनुभव ने ही मुझे उत्प्रेरित किया कि यहाँ विकास कार्यों में संलग्न स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका तथा प्रभाव के स्तर की जानकारी प्रस्तुत की जाएं ताकि इनकी महत्ता एवं कमियां स्पष्ट हो सके। इसी उद्देश्य से यह कार्य पीएच.डी. की उपाधि के निमित्त पूर्ण करने का साहस किया है।

कार्य की सफलता, मानव की संवेदनशीलता द्वारा तलाश किए गए मार्ग की उचित जानकारी पर तो निर्भर करती ही है, जिन्हें शोधकार्य में विधि, प्रविधि आदि के नाम से जानते है किन्तु इससे भी महत्वपूर्ण यह योग्य मार्गदर्शक की संवेदनशील सतही चिन्तनशीलता तथा उनकी अभिव्यक्ति की प्रभावशीलता पर निर्भर करती है। यहाँ आचार्य ओशो का यह उद्धरण प्रस्तुत करना उपयुक्त ही है कि -

"तुम अच्छे शिष्य बन जाओं, तुम्हें अच्छा गुरु स्वत् ही मिल जाएगा।"[1]

यह मेरा सौभाग्य रहा है कि योग्य शिष्य बनने के मेरे प्रयास की परिणति के रुप में जीवन की अनमोल दौलत एक योग्य गुरु का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है। व्यक्ति को जानने तथा उसे उचित मार्ग प्रदान करने की अद्भूत क्षमता से ओत-प्रोत, विद्यार्थी को आगे बढ़ने के लिए मसीहा की तरह प्रस्तुत होने वाले, भाषा की सौम्यता एवं शालीनता के धनी, देश-विदेश की विविध थातियों से ग्रहण किये गये विशाल ज्ञान-भण्डार के स्वामी, प्रातः स्मरणीय गुरुवर डॉ. ए.पी. शर्मा, जिन्होनें मुझे ज्ञान ही नही जीवन जीने

---

1. बुद्ध धर्म के सबसे बड़े वैज्ञानिक से उद्धरित -

की कला एवं राह दोनों ही प्रदान की है, के आर्शीवाद से ही मैं यह कार्य पूर्ण करने में सफल हुआ हूँ। ऐसे गुरु का आर्शीवाद मुझे जन्म-जन्मान्तर मिले, मेरी ईश्वर में यही प्रार्थना है।

पूजनीया आण्टी श्रीमती विमला शर्मा से प्राप्त मातृत्व प्रेम एवं अपनत्व का भी मैं ऋणी हूँ जिनके सानिध्य में मुझे कभी भी परायापन महसूस नही हुआ है।

मृदुल व्यवहार, अगाध ज्ञान भण्डार से ओत-प्रोत प्रो. एन.के. अम्बष्ट, विभागाध्यक्ष, विशेष शिक्षा, एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली के प्रति भी आभारी हूँ, जिन्होंने इस शोधकार्य की गुणवता बढ़ाने के लिए समय-समय पर अपने अमूल्य सुझाव प्रेषित किये तथा मेरा उत्साहवर्धन किया है।

गुरु आशीर्वाद से संवर रहा यह व्यक्तित्व इस शोधकार्य की पूर्णता में डॉ. आर.आर. सिंह, प्राचार्य, ग्रामोत्थान विद्यापीठ शिक्षक-शिक्षा महाविद्यालय, संगरिया के प्रति भी हृदय से कृतज्ञ है; जिनकी शोध के क्षेत्र में गहन पैठ, आदर्शवादी जीवन एवं विचार शैली, विशाल हृदयता, कर्मठता, नवाचारों की और उन्मुख दृष्टिकोण का लाभ मुझे प्राप्त हुआ है तथा जिन्होंनें शोधकार्य को समय से पूर्ण करने के लिए महाविद्यालय के कार्यों की अतिव्यस्तता में भी मुझे समय प्रदान किया है।

डॉ. (श्रीमती) हेमलता तलेसरा, प्रोफेसर एवं आदरणीया दीदी श्रीमती नलिनी पंचोली पुस्तकालयाधिक्षिका, विद्याभवन उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, उदयपुर, श्री आर. वी. त्यागी, व्याख्याता, ग्रामोत्थान विद्यापीठ सीनियर सैकण्डरी स्कूल, संगरिया का भी हृदय से आभारी है जिनसे मुझे निरन्तर प्रेरणा, अमूल्य सुझाव एवं असीम स्नेहाशीष प्राप्त होता रहा है।

डॉ. एम.एल. नागदा, प्राचार्य, मरुधर कन्या महाविद्यालय, रानी (पाली) के भ्रातृत्व भाव, स्नेहिल व्यवहार तथा शिक्षा के उत्तरोन्नयन के प्रति उनकी उन्मुखता का भी मैं आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे इस क्षेत्र में शोध करने का सुझाव प्रदान किया तथा अध्ययन व्यूह रचना की जानकारी प्रदान की।

शोध प्रतिवेदन में प्रस्तुत मानचित्र कार्य को अन्तिम प्रारुप प्रदान करने के लिए प्रो. डी.सी. सारण, भूगोल विभाग, स्वामी केशवानन्द स्नातकोत्तर महाविद्यालय संगरिया एवं सदस्य, संयुक्त राष्ट्र युवा संघ के प्रति भी ऋणी हूँ जिन्होंने अपनी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद भी यह कार्य पूर्ण किया है।

अपने अजीज मित्र डॉ. अनिल पालीवाल, प्राध्यापक, विद्याभवन उच्च शिक्षा संस्थान - उदयपुर; श्री खुशनारायण चौहान, संस्कृत शिक्षा विभाग - उदयपुर; श्री लियाकत हुसैन शेख, शिक्षा विभाग - उदयपुर का भी आभारी हूँ जिन्होंने इस शोध कार्य के लिए अमूल्य सुझाव प्रेषित किये तथा गुणवत्ता को उत्कृष्ट बनाया है।

आभार व्यक्त करने की इस श्रृंखला में भाई श्री रणजीत जी बिजारणियां, सेवा मन्दिर, उदयपुर, श्रीमती सुनीता बिजारणियां शिक्षा विभाग, उदयपुर; श्री राम कुमार सिंह, शिक्षा विभाग, चुरु; श्री उमेश दूत व श्री बनवारी दूधवाल (दोनों) राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर; मीत दिल्लो, रणजीत कौर, दिव्या जैन, अमृतांशु तैलंग, राजुलाल मीना, प्रवीण गुरटिया, सतीश गुम्बर, वेदप्रकाश, आनन्द मायासुत, प्रवीण गोयल, प्रेम प्रकाश मिश्रा, अवतार सिंह (सभी) शिक्षक-शिक्षा महाविद्यालय संगरिया; श्रीमती चन्द्रा आमेटा, श्री जयदयाल जी, श्री गोविन्द औदिच्य जवाहर विद्यापीठ शिक्षक महाविद्यालय, कानोड़, सुश्री भावना सिंघई, उदयपुर, श्री छोटेलाल वैष्णव, एस.आई.ई.आर.टी., उदयपुर; श्री बी.एल. डूडी, पुस्तकालयाध्यक्ष, तोदी महाविद्यालय, लक्ष्मणगढ़, सुभाष ढाका व रामनिवास भास्कर (दोनों) कोलसिया; श्री बी.एस. कटेवा, श्री विनोद चौधरी व श्री संदीप शर्मा तथा शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय- संगरिया के समस्त स्टॉफ सदस्यों का भी हृदय से आभारी हूँ जिनका प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहयोग मुझे प्राप्त हुआ है।

नेताजी सुभाषचन्द्र बोस द्वारा सुगठित आजाद हिन्द फौज के सैनानी तथा नेताजी के निकट सहयोगी रहे मेरे पिता चौधरी बेगाराम जी दूत एवं माँ रामादेवी के जीवनादर्श का भी मैं विशेष तौर से ऋणी हूँ जिनके त्याग, तप एवं उच्च आदर्शों से ही मुझे आज यह मंजिल प्राप्त हुई है। इसका पूर्ण श्रेय मैं परिवार के सदस्यों को ही प्रदान करता हूँ जिन्होंने मुझे घर की जिम्मेदारियों से मुक्त रखकर इस हेतु समय, विचार एवं धन प्रदान किया है।

मैं मुंशी प्रेमचन्द के मौलिक उपन्यास 'गोदान' के प्रति भी ऋणी हूँ जिसके अध्ययनोपरान्त ही ग्रामीण परिवेश के दुःख-दर्द को महसूस करने की संवेदनशीलता का चिरोदय मुझमें हुआ तथा उनकी सेवा करने की उत्कंठ इच्छा हृदय में जाग्रत हुई है।

शोधकार्य की पूर्णता में विभिन्न राजकीय विभागों, पुस्तकालयों, स्वयंसेवी संगठनों के कार्यकर्ताओं तथा दत प्रदान करने वाले ग्रामीण जनों, राजनेताओं, अध्यापकों, का भी मैं आभारी हूँ, जिनसे प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रुप से मुझे सहयोग प्राप्त हुआ।

टंकण कार्य को समय से सौष्ठव स्वरुप प्रदान करने के लिए श्री यशवंत पोरवाल एवं श्री मनोज पूर्बिया, लक्की जिरोक्स, उदयपुर का भी आभारी हूँ।

अन्त में किन्तु सबसे अधिक महत्वपूर्ण उन तमाम शिक्षा-विदों, विचारकों तथा विद्जनों का भी आभार ज्ञापित करना मैं अपना कर्तव्य समझ रहा हूँ जिन्होंने शोध एवं प्रगति के वर्तमान स्तर को प्रस्तुत किया तथा मानव कल्याण की यह भावना प्रस्तुत की है।

डी.पी. सिंह

शोधकर्ता

अनुक्रमणिका

I

क्रम सख्या	विषय वस्तु	पृ. संख्या
1.0	**प्रथम परिच्छेद-अध्ययन आकल्प**	
1.1	प्रस्तावना	1.
1.2	समस्या कथन	5.
1.3	शोध उद्देश्य	5.
1.4	शोध प्राकल्पनाएं	6.
1.5	शोध-परिसीमन	7.
	(अ) क्षेत्र संबंधी	
	(ब) न्यादर्श संबंधी	
1.6	शोध-औचित्य	8.
	(अ) राष्ट्र के विकास की दृष्टि से	
	(ब) स्वयंसेवी संगठनों की दृष्टि से	
	(स) लाभार्थी पक्ष की दृष्टि से	
	(द) स्वयंसेवी संगठन के कार्यकर्त्ताओं की दृष्टि से	
	(य) शिक्षा -प्रसार की दृष्टि से	
1.7	पारिभाषिकीकरण	10.
1.8	शोध-विधि	18.
1.9	शोध-प्रविधि	18.
1.10	शोध-उपकरण	18.
1.11	न्यादर्श	19.
1.12	शोध-प्रतिवेदन रुपरेखा	20.
1.13	समय नियोजन	22.
1.14	उपसंहार	23.
1.15	सन्दर्भ साहित्य	23.

2.0 द्वितीय परिच्छेद-संबंधित साहित्य का अध्ययन

2.1 प्रस्तावना 24.

2.2 संबंधित साहित्य के अध्ययन की उपयोगिता 24.

2.3 प्रस्तुत शोध कार्य में अध्ययन किया गया संबंधित साहित्य 25.

(अ) विदेश में किये गये शोध अध्ययन 25.

(ब) भारत में किये गये शोध अध्ययन 31.

2.4 उपसंहार 42.

2.5 सन्दर्भ साहित्य 43.

3.0 तृतीय परिच्छेद-दक्षिणी राजस्थान में स्थित स्वयंसेवी संगठन (ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य)

3.1 प्रस्तावना 45.

बांसवाडा जिले में स्थित स्वयंसेवी संगठन 47.

- असेफा-गढ़ी 49.

- सामाजिक विकास एवं जागृति संस्थान - घाटोल 52.

चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित स्वयंसेवी संगठन 55.

- नवाचार संस्थान - कपासन 57.

- प्रयास संस्थान - देवगढ़ (देवलिया) 61.

डूंगरपुर जिले में स्थित स्वयंसेवी संगठन 64.

- पीडो - माड़ा 66.

- वागड़ जनजागृति संस्थान-डूंगरपुर 70.

उदयपुर जिले में स्थित स्वयंसेवी संगठन 73.

- भावना संस्थान-ईसवाल 75.

- सहयोग संस्थान-कूण 78.

- सेवा मंदिर-उदयपुर 81.

- उबेश्वर विकास मण्डल - उदयपुर 90.

- विकास संस्थान - कोल्यारी 87.

3.2 सन्दर्भ साहित्य 94.

4.0 चतुर्थ परिच्छेद-विधि, प्रविधि, उपकरण एवं न्यादर्श

4.1 प्रस्तावना 96.

4.2.1 शोध विधि 96.

4.2.2 प्रस्तुत अध्ययन में चयनित शोध विधि 97.

4.2.3 सर्वेक्षण विधि के चयन के कारण 97.

4.3 **शोध उपकरण** 98.

4.3.1 मानकीकृत उपकरण 99.

4.3.2 स्वनिर्मित उपकरण 99.

4.3.2.1 स्वनिर्मित उपकरण निर्माण के चरण 100.

4.3.2.2 स्वनिर्मित उपकरणों को चयनित करने का कारण 100.

4.4 प्रस्तुत अध्ययन के प्रयुक्त उपकरण 101.

4.4.1 शैक्षिक कार्यक्रम मापनी 101.

4.4.1.1 कार्यक्रम प्रभाव मापनी के निर्माण के चरण 102.

(i) प्राथमिक सर्वेक्षण

(ii) क्षेत्र निर्धारण

(iii) कारक निर्धारण

(iv) मापनी का प्राथमिक प्रारुप तैयार करना

(v) विशेषज्ञों की राय

(vi) उपकरण प्रशासन (प्राथमिक)

(vii) अंकन कुंजी तैयार करना

(viii) पद-विश्लेषण

(ix) विश्वसनीयता

(x) वैधता

4.2.2 कार्य स्थिति जांच प्रश्नावली 113.

4.4.2.1 निर्माण के चरण - 113.

(i) प्राथमिक सर्वेक्षण

(ii) क्षेत्र-निर्धारण

(iii) कारक-निर्धारण

(iv) प्रश्नावली का प्राथमिक प्रारुप तैयार करना

(v) विशेषज्ञों की राय

(vi) कारक विश्लेषण

(vii) अंकन कुंजी तैयार करना

4.4.3 कार्यक्रम जांच प्रश्नावली - 120.

4.4.3.1 निर्माण के चरण - 121.

(i) प्राथमिक सर्वेक्षण

(ii) क्षेत्र-निर्धारण

(iii) कारक निर्धारण

(iv) प्रश्नावली का प्राथमिक प्रारुप तैयार करना

(v) विशेषज्ञों की राय

(vi) कारक विश्लेषण

(vii) अंकन कुंजी तैयार करना

4.4.4 साक्षात्कार अनुसूची 126.

4.4.4.1 साक्षात्कार अनुसूची के प्रकार 126.

4.4.4.2 उपादेयता 127.

4.4.4.3 साक्षात्कार अनुसूची का प्रशासन 128.

4.4.5 क्षेत्र निरीक्षण प्रपत्र 128.

4.4.5.1 क्षेत्र-भ्रमण

4.4.5.2 लाभार्थी पक्ष एवं स्वयंसेवी कार्यकर्त्ताओं से विचार विमर्श

4.4.5.3 विषय-क्षेत्र विशेषज्ञों से विचार विमर्श

4.4.5.4 प्रपत्र का अन्तिम प्रारुप तैयार करना

4.4.5.5 प्रपत्र का प्रस्तुत अध्ययन में प्रशासन

4.5	न्यादर्श	131.
4.5.1	न्यादर्श का आकार	132.
4.5.2	प्रस्तुत अध्ययन में न्यादर्श चयन की विधि	133.
4.5.3	प्रस्तुत अध्ययन में चयनित न्यादर्श	133.
4.6	उपसंहार	137.
4.7	सन्दर्भ सूची	137.
5.0	पंचम परिच्छेद-दत्त विश्लेषण एवं निष्कर्षन	
5.1	प्रस्तावना	138.
5.2	शोध प्राकल्पनाएं	138.
5.3	दत्त विश्लेषण	139.
5.3.1	शैक्षिक कार्यक्रम प्रभाव मापनी से प्राप्त दत्त	140.
(i)	क्षेत्रवार विश्लेषण	
अ.	शैक्षिक चेतना	140.
ब.	सामाजिक चेतना	142
स.	सांस्कृतिक चेतना	144.
द.	भौतिक चेतना	147.
य.	स्वास्थ्य के प्रति चेतना	149.
(ii)	चेतना के विविध क्षेत्रों में सहसंबंध	151.
1.	शैक्षिक एवं सामाजिक चेतना के मध्य सहसंबंध	153.
2.	शैक्षिक एवं सांस्कृतिक चेतना के मध्य सहसंबंध	154.
3.	शैक्षिक एवं भौतिक चेतना के मध्य सहसंबंध	155.
4.	शैक्षिक एवं स्वास्थ्य के प्रति चेतना के मध्य सहसंबंध	156.
5.	सामाजिक एवं सांस्कृतिक चेतना के मध्य सहसंबंध	157.
6.	सामाजिक एवं भौतिक चेतना के मध्य सहसंबंध	158.
7.	सामाजिक एवं स्वास्थ्य के प्रति चेतना के मध्य सहसंबंध	159.

8.	सांस्कृतिक एवं भौतिक चेतना के मध्य सहसंबंध	160.
9.	सांस्कृतिक एवं स्वास्थ्य के प्रति चेतना के मध्य सहसंबंध	161.
10.	भौतिक एवं स्वास्थ्य के प्रति चेतना के मध्य सहसंबंध	162.
5.3.2	कार्य स्थिति जांच प्रश्नावली में प्राप्त दत्त	165.
1.	वेतन संबंधी स्थिति	165.
2.	प्रायोजना निर्माण	167.
3.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	170.
4.	आदेश प्रक्रिया	172.
5.	लाभार्थी पक्ष का चयन	175.
6.	सामग्री की पूर्ति की स्थिति	177.
7.	कार्य प्रगति रिपोर्ट	180.
8.	उच्च अधिकारियों द्वारा कार्य जांच करने की स्थिति	182.
9.	प्रायोजना के उद्देश्यों की पूर्ति	185.
10.	कठिनाईयां	187.
11.	सुझाव	190.
5.3.3	कार्यक्रम जांच प्रश्नावली से प्राप्त दत्त	193.
1.	सरकार द्वारा स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से कार्यक्रम लागू करवाने का कारण।	194.
2.	राजकीय वित एजेन्सीज से धन प्राप्त करने में संस्था प्रधान को आने वाली कठिनाईयां।	196.
3.	कार्य प्रायोजना लागू करने के लिए अपेक्षित लाभार्थी क्षेत्र के चयन किये जाने का मुख्य आधार	197.
4.	लाभार्थी पक्ष के चयन का आधार	199.
5.	कार्य प्रायोजना की लाभार्थी पक्ष की आवश्यकता के अनुरूप उपयुक्त होने की जांच का आधार	200.
6.	शिक्षा संबंधी प्रायोजनाओं पर कार्य करने का कारण	201

7. संस्था संचालन के वर्तमान पद पर संस्था प्रधान की पदस्थिति 202

8. संस्था प्रधान के संस्था के संस्था से बाहर जाने पर संस्था का पदभार संभालने की व्यवस्था 204

9. संस्था प्रधान की अनुपस्थिति में कार्यकारी अधिकारी के अधिकार 205

10. प्रायोजना कार्य के दौरान संस्था प्रधान द्वारा क्षेत्र-भ्रमण करने का उद्देश्य 206

11. कार्य-प्रायोजना के उद्देश्यों की पूर्ति निर्धारित समय में नहीं होने पर की जाने वाली व्यवस्था 208

12. कार्य-प्रायेाजना समाप्ति पर अनुगामी-कार्यक्रम लागू करने के लिए की गयी व्यवस्था 209

13. कार्य समाप्ति पर आवंटित शेष धनराशि का पुरस्कार उपयोग 211

14. समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान के कारण संस्था को पुरष्कार प्राप्त होने की स्थिति 212

15. कार्य प्रायोजनाओं हेतु धनापूर्ति के स्रोत 213

16. समाज सेवा क्षेत्र, जिन्हें संस्था-प्रधान अधिक पसन्द करते हैं। 215

5.4 उपसंहार 216

5.5 सन्दर्भ साहित्य 216

6.0 षष्ठम परिच्छेद - शोध सारांश एवं भावी शोध संभावनाएं

6.1 प्रस्तावना 217

6.2 समस्या कथन 217

6.3 शोध उद्देश्य 217

6.4 शोध प्राकल्पनाऐं

6.5 न्यादर्श

6.6 शोध विधि

6.7 प्रविधि

6.8 उपकरण

6.9 शोध निष्कर्ष

6.10 कठिनाईयों को दूर करने के लिए प्रमुख सुझाव

6.11 भावी शोध संभावनाएं

6.12 उपसंहार

7.0 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची (BIBLIOGRAPHY) 232.

8.0 परिशिष्ट

8.1 शैक्षिक कार्यक्रम प्रभाव मापनी 245.

8.2 कार्य-स्थिति जांच प्रश्नावली 278.

8.3 कार्यक्रम जांच प्रश्नावली 284.

8.4 साक्षात्कार अनुसूची 290.

8.5 क्षेत्र निरीक्षण प्रपत्र 291.

8.6 समाज सेवा क्षेत्र निर्धारण 296

8.7 शैक्षिक कार्यक्रम प्रभाव मापनी – वैधता प्रविधि 297

8.8 प्रोडक्ट मुवमेन्ट सूत्र 301.

8.9 विषय-विशेषज्ञ सूची 302.

8.10 महत्वपूर्ण संस्थान जहां अध्ययन सुविधा उपलब्ध हुई 303.

तालिका सूची

क.सं.	तालिका	पृष्ठ संख्या
1.1	न्यादर्श से संबंधित	20.
1.2	समय-नियोजन से संबंधित	22.
4.1	चेतना के प्रभाव क्षेत्र संबंधी	109.
4.2	उपकरणों के (प्राथमिक) प्रशासन का क्षेत्र	110.
4.3	अंकन-कुंजी	111.
4.4	कार्यविधि जांच प्रश्नावली संस्थिति संबंधी	119.
4.5	कार्यक्रम जांच प्रश्नावली संस्थिति संबंधी	124.
4.6	कार्य-क्रम - जांच प्रश्नावली अंकन-कुंजी संबंधी	125.
4.7	अध्ययन हेतु चयनित स्वयंसेवी संगठन	134.
4.8	अध्ययन हेतु चयनित कुल न्यादर्श	137.
5.1	शैक्षिक चेतना संबंधी	140.
5.2	सामाजिक चेतना संबंधी	142.
5.3	सांस्कृतिक चेतना संबंधी	144.
5.4	भौतिक चेतना संबंधी	147.
5.5	स्वास्थ्य के प्रति चेतना संबंधी	149.
5.6	सहसंबंध स्तर	152.
5.7	शैक्षिक एवं सामाजिक चेतना के मध्य सहसंबंध	153.
5.8	शैक्षिक एवं सांस्कृतिक चेतना के मध्य सहसंबंध	154.
5.9	शैक्षिक एवं भौतिक चेतना के मध्य सहसंबंध	155.
5.10	शैक्षिक एवं स्वास्थ्य के प्रति चेतना के मध्य सहसंबंध	156.
5.11	सामाजिक एवं सांस्कृतिक चेतना के मध्य सहसंबंध	157.
5.12	सामाजिक एवं भौतिक चेतना के मध्य सहसंबंध	158.
5.13	सामाजिक एवं स्वास्थ्य के प्रति चेतना के मध्य सहसंबंध	159.

5.14 सांस्कृतिक एवं भौतिक चेतना के मध्य सहसंबंध 160.
5.15 सांस्कृतिक एवं स्वास्थ्य के प्रति चेतना के मध्य सहसंबंध 161.
5.16 भौतिक एवं स्वास्थ्य के प्रति चेतना के मध्य सहसंबंध 162.
5.17 वेतन संबंधी स्थिति 165.
5.18 वेतन भुगतान की निश्चितता संबंधी 166.
5.19 प्रायोजना निर्माण 167.
5.20 प्रायोजना निर्माण की स्थिति 168.
5.21 प्रशिक्षण कार्यक्रम की स्थिति 170.
5.22 प्रशिक्षण कार्यक्रम संबंधी जानकारी 171.
5.23 आदेश प्रक्रिया के प्रति स्पष्टीकरण 172.
5.24 आदेश प्रक्रिया के प्रति अधिक स्पष्टीकरण 173.
5.25 लाभार्थी चयन संबंधी 175.
5.26 लाभार्थी चयन संबंधी अधिक स्पष्टीकरण 176.
5.27 सामग्री की पूर्ति संबंधी 177.
5.28 सामग्री प्राप्त करने की जानकारी का स्पष्टीकरण 178.
5.29 कार्य प्रगति संबंधी 180.
5.30 प्रगति रिपोर्ट संबंधी अधिक स्पष्टीकरण 181.
5.31 कार्य जांच की स्थिति 182.
5.32 कार्य जांच संबंधी जानकारी का स्पष्टीकरण 183.
5.33 प्रायोजना के उद्देश्यों की पूर्ति 185.
5.34 प्रायोजना उद्देश्यों की प्राप्ति का स्पष्टीकरण 186.
5.35 कार्यगत् कठिनाईयां 187.
5.36 कार्यगत् कठिनाईयों का स्पष्टीकरण 188.
5.37 कार्यक्रमों में परिवर्तन लाने संबंधी सुझाव के प्रति प्रतिक्रिया 190.
5.38 कार्यक्रम संबंधी निश्चितता बढ़ाने हेतु सुझाव 191.
5.39 स्वयंसेवी संगठनों द्वारा विकास कार्यक्रम लागू करने संबंधी 194.

5.40	राजकीय वित्त एजेन्सीज् से धन प्रापत करने में संस्था प्रधान को आने वाली कठिनाईयां	196.
5.41	समाजसेवा कार्य लागू करने का मुख्य आधार	197.
5.42	लाभार्थी क्षेत्र के चयन का आधार	199.
5.43	कार्यक्रम के उचित होने की जांच	200.
5.44	शिक्षा संबंधी प्रायोजना पर कार्य करने का कारण	201.
5.45	संस्था प्रधान पद की स्थिति	202.
5.46	संस्था-प्रधान के संस्था के बाहर जाने पर संस्थान का पदभार संभालने की व्यवस्था संबंधी	204.
5.47	संस्था-प्रधान की अनुपस्थिति में कार्यकारी-अधिकारी के अधिकार	205.
5.48	संस्था-प्रधान द्वारा क्षेत्र भ्रमण करने का उद्देश्य	206.
5.49	कार्य प्रायोजनाओं के उद्देश्यों की पूर्ति संबंधी व्यवस्था	208.
5.50	अनुगामी कार्यक्रम लागू करने के लिए की गई व्यवस्था	209.
5.51	आवंटित धनराशि के उपयोग संबंधी	211.
5.52	संस्था को पुरस्कार प्राप्त होने के संबंध में	212.
5.53	कार्य-प्रायोजना हेतु धनापूर्ति के स्रोत संबंधी	213.
5.54	समाज सेवा के क्षेत्रों के चयन संबंधी	215.

मानचित्र सूची

क्र.स.	मानचित्र	पृष्ठ संख्या
1.	अध्ययन क्षेत्र	46.
2.	जिला बांसवाड़ा	48.
3.	तहसील गढ़ी	51.
4.	तहसील घाटोल	54.
5.	जिला चितौड़गढ़	56.
6.	तहसील कपासन	60.
7.	तहसील प्रतापगढ़	63.
8.	जिला डूंगरपुर	65
9.	तहसील बिछीवाड़ा	69.
10.	जिला डूंगरपुर	72.
11.	जिला उदयपुर	74.
12.	तहसील गोगुन्दा (भावना संस्थान)	77.
13.	तहसील धरियावद	80.
14.	तहसील गिर्वा	85
15.	तहसील झाड़ोल	89.
16.	तहसील गोगुन्दा (उबेश्वर विकास मण्डल)	93.
17.	राजस्थान - वार्षिक तापमान की दृष्टि में	135

अध्ययन क्षेत्र की वस्तुस्थिति : चित्रों में

क्र.स.	विषय-वस्तु	पृष्ठ संख्या
1.	बालिका शिक्षा में मुख्य बाधा छोटे बालकों को पालने की समस्या	
2.	गरीबी की मार इतनी की, तन पर वस्त्र भी पूरे नहीं फिर शिक्षा कहां....?	
3.	इनकी परवाह किसे....?	
4.	हम एक साथ रहें चाहे समय भोजन का ही हो।	
5.	कुछ ही सही....कुछ को तो पढ़ायें	
6.	हम स्वयं ही पढ़े।	
7.	हम तीन....गरीबी की असली तस्वीर	
8.	आपणी दूकान......	
9.	हमें इनकी चिंता हैं...... पर करें क्या?	
10.	समय से स्नानादि करना भी जरूरी...?	
11.	यहीं है हमारा परिवार....	
12.	धनाभाव से भोजन करने के बर्तन भी धातु के नही....	
13.	यहीं है हमारा हाट बाजार......	
14.	एक ही बस आती है यहां तक....	
15.	जनजाति घर की व्यवस्थाएं	
16.	ग्रामीणों से बातचीत करते.......	
17.	सामूहिक नृत्य कार्यक्रम् - एक झलकी	

18. जीवन में यह भी आवश्यक है।

19. समूह नृत्य का एक दृश्य

20. हम किसमें पीछे है.....?

21. पशुओं के चारे का संग्रहण

22. बस इतना-सा बड़ा ही है इनका घर

23. मूंह बन्द .... फिर भी कदम मंजिल की ओर

24. जीने के लिए बोझा तो ढ़ोना ही पड़ेगा।

25. पथ चाहे पथरीला हों..... पर जीना तो है

26. आधुनिक चमक-दमक से दूर.....

27. विद्यालय जाने की उम्र गैंती व फावड़े के नाम

28. जनजाति आय का आधार कृषि

29. जनजाति क्षेत्र के माध्यम के विद्यालय की प्रधान के कार्यालय का एक दृश्य

30. 'असेफा-गढ़ी प्रकल्प'के कार्यकर्त्ताओं के साथ शोधकर्ता

प्रथम परिच्छेद

अध्ययन आकल्प

1.1 **प्रस्तावना -**

प्रत्येक समाज में कुछ असमायोजित, अविकसित सामाजिक प्राणी मौजूद रहते हैं, जो कि अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी करने में असक्षम रहते है। यह प्राणी दूसरों पर निर्भर, कमजोर, शारीरिक व मानसिक दृष्टि से पिछड़े हुए होते है। मानव प्राणी भी इस अवधारणा से अछूता नहीं है।

प्राचीनकाल से ही इस तरह के लोगों की सेवा के लिए, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयास होते रहे हैं। इस तरह के कार्यों की प्रकृति संबंधित लोगों को तत्काल सहायता पहुंचाना रहता है। इन कार्यों के आधार पर भारत में कार्यरत् संगठनों की अनेक ढंग की संरचनाएं यहां मौजूद है (देखिए परिशिष्ट संख्या-6)

भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक संस्थाएं जैसे- परिवार, जाति, समुदाय आदि ने सामाजिक गतिकी में अपनी अहम् भूमिका अदा की है। यहां इन सामाजिक संस्थाओं से हटकर सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन तथा व्यक्ति का व्यक्ति से व व्यक्ति का समूह से संबंध का अधिक प्रभाव नहीं है किन्तु सभी प्रकार के जरुरतमंद व असमायोजित लोगों के संरक्षण के लिए प्रयास नहीं कर रहे है। इस कारण से कुछ नए ढंग की समाज सेवा का कार्य आरम्भ हुआ, जिन्हें स्वयंसेवी संस्थाएं नेतृत्व प्रदान करने लगी है। ये संस्थाएं विस्थापितों के लिए घरों का निर्माण करना; अपंग, बुजुर्ग ,विधवा आदि की सहायता करना; जनजाति/अनुसूचित-जनजाति/पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए अस्पताल, आश्रम, सेनटोरिया व सेवा केंद्रों की स्थापना करना; अल्प आय वाले परिवारों के बच्चों के लिए बालवाड़ी बनवाना; परिवार कल्याण व पारिवारिक सलाह प्रदान करना, बाल निर्देश क्लिनिक, शारीरिक व मानसिक विकलांगों के लिए संस्थाएं स्थापित करना; जरुरतमंद लोगों की आवश्यकताओं के लिए प्रयास करना इनका प्रमुख कार्य है।

भारत में विगत दो दशक से स्वयंसेवी संगठनों का विकास अधिक तीव्र गति से हुआ है। यद्यपि स्वयंसेवा का सम्प्रत्यय काफी प्राचीन है तथापि विगत कुछ दशक से ही यह बातचीत, लेखन तथा वाद-विवाद का विषय बना है। इसका **बक्सी (1986)**[1] ने एक महत्वपूर्ण कारण बताया है - ''आधुनिक स्वयंसेवी प्रयास प्राचीन काल के स्वयंसेवी प्रयास से भिन्न है। प्राचीन काल में यह सम्प्रत्यय दान व सहायता के रूप में चलता था, यह धार्मिक पक्ष तथा भलाई करने के सिद्धांत पर आधारित था, यह तर्क की बजाए आदर्शवाद पर आधारित था।''

आधुनिक काल में यह सम्प्रत्यय अलग ढंग से परिभाषित किया जा रहा है।

कुलकर्णी[2] ने स्वयंसेवी संगठनों को परिभाषित करते हुए लिखा है कि -

''एक निजी कार्य जिसमें राज्य अथवा दूसरी बाहरी शक्ति का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। यह स्वप्रेरणा से किए जाने वाला कार्य है।''

लॉर्ड बेवरेज[3] के अनुसार -

''स्वयंसेवी संगठन, जिसको वास्तव में कहना चाहिए कि एक संगठन जिसके कार्यकर्ता वैतनिक अथवा अवैतनिक भी हो सकते है तथा जो बिना किसी बाह्य दबाव के समाज सेवा का कार्य करते हैं।''

इससे स्पष्ट है कि स्वयंसेवी संगठनों की आधुनिक अवधारणा स्वप्रेरणा एवं लाभ-रहित पर-सेवा के भाव पर आधारित है।

इन संगठनों का उद्देश्य विकास तथा सामाजिक न्याय अधिक रहा है। यह गरीबों की आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक स्थिति में परिवर्तन को अधिक महत्व देते हैं।

इन संगठनों के उद्देश्यों पर **हेगेड**[4] ने निम्नतया प्रकाश डाला है -

(1) सामाजिक-आर्थिक विकास के कार्यों में लोगों को सहभागी बनाने के प्रति उनमें चेतना विकसित करना,

(2) योग्य एवं निपुण स्थानीय नेतृत्व का विकास करना,

(3) सामाजिक-आर्थिक संसाधनों के विकास हेतु नियोजित प्रयास करने के लिए सहायता करना,

(4) रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की सुविधा प्रदान करना,

(5) लघु उद्योग स्थापित करने के लिए उचित लोगों को सहायता प्रदान करना एवं

(6) जनजाति लोगों को कृषि सुधार तकनीकी की जानकारी देना तथा उन्हें अधिकाधिक शिक्षित करना।

अपने विशाल कार्य-क्षेत्र, क्रियाकलापों, उपागमों, विचारधाराओं, विधियों, संगठनों की संरचना, प्रविधियों तथा कार्य प्रणाली में ये संगठन अहम् भूमिका अदा करते है। कार्य के आधार पर कुछ संगठन विशाल कार्यक्षेत्र वाले होते है जबकि दूसरे सीमित कार्यक्षेत्र वाले; कुछ संगठन आम जनता से सीधे जुड़कर कार्य करते है तो कुछ अनुसंधान, अभिलेखन तथा प्रशिक्षण के माध्यम से अप्रत्यक्ष सेवा करते है; कुछ संगठन आधारभूत विकास में योगदान देते है तो शेष जनता को उनकी मांग के लिए जागृत करने का प्रयास करते है; कुछ संगठन उद्योगों के साथ सीधे जुड़कर कार्य करते है तो दूसरे संगठन इस तरह के कार्यों को नकारते है। आज यह सम्प्रत्यय इतना अधिक विस्तृत हो गया है कि इनके वर्गीकरण को स्पष्टत् परिभाषित करना कठिन है।(प्रस्तुत अध्ययन के लिए चयनित किए गए संगठनों को अधिक स्पष्टत् समझने के लिए परिशिष्ट संख्या - 6 देखे।)इस अध्ययन हेतु वे ही संगठन चयनित किए गए है जो लाभार्थी पक्ष को बिना किसी अपेक्षा के बाह्य साधनों से लाभ देने का प्रयास करते है तथा जो अपनी व्यवस्थाओं के लिए स्वतंत्र होते है।

1991 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 6 लाख 96 हजार 831 गांव है। यह संख्या और भी अधिक हो सकती है यदि इसमें 'पाल' व 'फलां' (ढाणियों) को भी सम्मिलित किया जायें। भारत के इस ग्रामीण परिवेश में कृषि, पशुपालन, मुर्गीपालन ही मुख्य व्यवसाय है। यहां प्रत्येक दस व्यक्त्यिों में से 7 व्यक्ति कृषि कार्य में संलग्न है। इस जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल कार्यकारी जनसंख्या का 59.4 प्रतिशत भाग कृषि कार्य में संलग्न है।

भारत में विकास की स्थिति जनसहभागिता एवं सक्रिय जनसहयोग के बिना संभव नहीं है। दीर्घ समय में आर्थिक तथा सामाजिक विकास एक निश्चित कार्य प्रगति पर निर्भर करता है। ग्रामीण विकास जो कि मानव तथा ग्रामीण संसाधनों के विकास पर निर्भर करता है, यह तभी संभव है जब समुदाय के सभी लोग विकास कार्य में सम्मिलित हों।

इस सन्दर्भ में गैर-राजकीय संगठन (स्वयंसेवी संगठन) विकास कार्यों में जन-सहभागिता बढ़ाने के लिए अधिक कार्य कर रहे है तथा इनका कार्य समय में बंधित नहीं है। जनसहभागिता के कार्यों के ढंग तथा ग्रामीण विकास कार्य के चयन में ये संगठन लचीलापन दर्शाते है तथा कार्य गुणवत्ता बढ़ाने पर अधिक बल देते हैं।

राजस्थान के दक्षिणी-पश्चिमी भाग में स्थित उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा तथा चित्तौड़गढ़ जिलों का क्षेत्र जनजाति बहुलता वाला क्षेत्र है (जनसंख्या विवरण संबंधी जानकारी तृतीय परिच्छेद में देखें)। यहां भी क्लिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों में ग्रामीण समुदाय के उत्थान में स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका रही है। इन संगठनों के माध्यम से केन्द्र व राज्य सरकार तथा विदेशी सहायता एजेन्सीज् अनेक महत्वपूर्ण योजना लागू करवा रही हैं। इस क्षेत्र में इन संगठनों द्वारा कार्यक्रम लागू करने के फलस्वरूप जागृत चेतना का स्तर प्रभावित हुआ है।

1.2 समस्या कथन -

विकास के क्षेत्र में स्वयं सेवी संगठनों की उभरी इस तस्वीर ने अनेक महत्वपूर्ण प्रश्नवाचक चिह्न खड़े कर दिये है, यथा इन संगठनों की आवश्यकता क्यों हुई? इन संगठनों का समाज के विकास में क्या योगदान रहा है? इन संगठनों द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में लागू किये गये कार्यों का मानव विकास के विविध क्षेत्रों यथा-सामाजिक, सांस्कृतिक, भौतिक, स्वास्थ्य संबंधी जागृति आदि पर क्या प्रभाव रहा है? इन संगठनों द्वारा लागू की गई योजनाओं के उद्देश्यों की पूर्ति में इन्हें कितनी सफलता प्राप्त हुई है? शिक्षा के क्षेत्र में इन संगठनों की भूमिका का भविष्य क्या है? तथा विकास कार्य योजनाओं को लागू करने में इन्हें कौन-कौन सी प्रमुख समस्याओं का सामना करना पड़ता है? आदि।

उक्त सभी प्रश्नों के संबंध में जानने की गहन रूचि होने तथा इस क्षेत्र में इनके लिए कोई भी शोध कार्य अभी तक नहीं हुआ होने के कारण ही प्रस्तुत समस्या **''राजस्थान में स्थित-स्वयंसेवी संगठन तथा उनके शिक्षागत् कार्यक्रमों के प्रभाव का अध्ययन''** का चयन किया गया है जिससे कि उक्त समस्याओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य उद्घाटित किया जा सके तथा स्वयंसेवी संगठनों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सुझाव प्रेषित किये जा सकें।

1.3 शोध उद्देश्य -

प्रस्तुत शोध कार्य में अध्ययन उद्देश्यों का निर्धारण निम्नतया किया गया है -

(1) स्वयंसेवी संगठनों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में लागू किये गये शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रभाव से निम्नांकित क्षेत्रों में जागृत चेतना का अध्ययन करना -

(अ) शैक्षिक चेतना,

(ब) सामाजिक चेतना,

(स) सांस्कृतिक चेतना,

(द) भौतिक चेतना,

(य) स्वास्थ्य चेतना।

(2) दक्षिणी राजस्थान में स्थित स्वयंसेवी संगठनों का निम्नांकित क्षेत्रों में अध्ययन करना -

(अ) प्रशासनिक व्यवस्थापन,

(ब) शैक्षिक प्रयास,

(स) आर्थिक विकास हेतु किये जा रहे प्रयास एवं

(द) भौतिक संसाधनों की आपूर्ति।

(3) स्वयंसेवी संगठनों द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में कार्यक्रम लागू करने के मार्ग में उत्पन्न होनेवाली कठिनाइयों का अध्ययन करना।

(4) स्वयंसेवी संगठनों द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में योजनाएं लागू करने के मार्ग में उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए सुझाव प्रेषित करना।

(5) प्रस्तुत शोध अध्ययन क्षेत्र में भावी शोध संभावनाएं बताना।

1.4 शोध प्राकल्पनाएं -

(1) स्वयंसेवी संगठनों द्वारा शैक्षिक कार्यक्रम् लागू करने से निम्नांकित क्षेत्रों में प्रभाव उत्पन्न हुआ है -

(अ) शैक्षिक चेतना,

(ब) सामाजिक चेतना,

(स) सांस्कृतिक चेतना,

(द) भौतिक चेतना,

(य) स्वास्थ्य चेतना।

(2) स्वयंसेवी संगठनों द्वारा शैक्षिक कार्यक्रम् लागू करने से निम्नांकित प्रत्येक क्षेत्र में उत्पन्न चेतना का प्रत्येक क्षेत्र से सहसंबंध है -

(अ) शैक्षिक चेतना,

(ब) सामाजिक चेतना,

(स) सांस्कृतिक चेतना,

(द) भौतिक चेतना,

(य) स्वास्थ्य चेतना।

1.5 शोध परिसीमन -

शोध कार्य को अधिक वैध एवं विश्वसनीय बनाने के लिए क्षेत्र तथा न्यादर्श संबंधी परिसीमन इस प्रकार निर्धारित किया गया है -

(अ) **क्षेत्र संबंधी** -

(1) शोध अध्ययन को दक्षिणी राजस्थान के चार जनजाति बहुलता वाले जिलों - उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा तक ही सीमित रखा गया है।

(2) अध्ययन हेतु ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत् स्वयंसेवी संगठनों का ही चयन किया गया है।

(3) अध्ययन हेतु चयनित प्रत्येक स्वयंसेवी संगठन के कार्यक्रमों से लाभान्वित दो-दो ग्रामों का चयन किया गया है। दो स्वंयसेवी संगठनों से एक-एक पर्यवेक्षक तथा दो-दो कार्यकर्ताओं से ही दत्त संग्रहित किया जाना संभव हो पाया है।

(4) अध्ययन हेतु उन्हीं ग्रामों का चयन किया गया है जिनमें स्वयंसेवी संगठन विगत तीन वर्ष अथवा तीन वर्ष से अधिक समय से निरन्तर कार्यरत् है।

(5) उन्हीं स्वयंसेवी संगठनों का चयन किया गया है जो विगत तीन वर्ष अथवा तीन वर्ष से अधिक समय से समाज सेवा के कार्य में संलग्न है।

(ब) न्यादर्श संबंधी -

(1) प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु न्यादर्श का चुनाव 'यादृच्छिक प्रतिचयन विधि' द्वारा किया गया है।

(2) न्यादर्श का चुनाव चयनित प्रत्येक ग्राम से किया गया है।

(3) न्यादर्श का चुनाव चार स्तर पर किया गया है -

(1) लाभार्थी पक्ष,

(2) संस्था संचालक,

(3) पर्यवेक्षक एवं

(4) क्षेत्र कार्यकर्ता ।

(4) अध्ययन हेतु चयनित कुल न्यादर्श 511 रहा है। (विस्तृत विवेचन हेतु चतुर्थ परिच्छेद में अध्ययन करें।)

1.6 शोध औचित्य -

(अ) राष्ट्र के विकास की दृष्टि से -

राष्ट्र का विकास प्रत्येक व्यक्ति के विकास के आधार पर ही निर्धारित होता है। जिस राष्ट्र में व्यक्ति जितने अधिक समृद्ध होगें, वह राष्ट्र भी उतना ही अधिक समृद्ध होगा। अतः आवश्यक है कि विकास की गति में पिछड़ गये लोगों को पुनः इस गति सें जोड़ा जाये। इस दिशा में स्वयंसेवी संगठनों द्वारा पिछड़े वर्ग के लोगों के कल्याण एवं उत्थान हेतु चलाए जा रहे कार्यक्रम कारगर साबित होगें। इन कार्यक्रमों को उचित दिशा सुझाने के लिए यह शोध कार्य महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा।

(ब) **स्वयंसेवी संगठनों की दृष्टि से -**

स्वयंसेवी संगठनों को कार्य निर्धारित करने तथा कार्य नीति तय करने में पूर्ण स्वतन्त्रता रहती है। इनके कार्य का मूल्यांकन जब दूसरा व्यक्ति करेगा तो निश्चित ही वह इन संगठनों की कमियों एवं अच्छाइयों को बेबाक होकर प्रस्तुत कर सकेगा। इस शोध कार्य द्वारा इस दिशा में भी सुझाव प्रेषित किये जायेंगे ताकि स्वयं सेवी संगठनों को उनकी वास्तविक स्थिति/प्रगति की जानकारी मिले तथा भविष्य में और अधिक कारगर ढंग से कार्यक्रम लागू किये जा सकें।

(स) **लाभार्थी पक्ष की दृष्टि से -**

स्वयंसेवी संगठनों द्वारा लागू किये जाने वाले कार्यों से प्रभावित होने वाला वर्ग 'लाभार्थी वर्ग' भी प्रस्तुत शोध कार्य से लाभान्वित होगा। लाभार्थी पक्ष में जागृत चेतना के वर्तमान स्तर की जानकारी प्राप्त होने से भावी कार्यक्रमों की रुपरेखा निर्धारित हो सकेगी तथा भावी कार्यक्रमों को नवीन दिशा दिया जाना संभव हो पायेगा।

(द) **स्वयंसेवी संगठन के कार्यकर्ताओं की दृष्टि से -**

प्रत्येक संगठन के कार्यकर्त्ता ही उस संगठन की सफलता/असफलता के वाहक होते है। कार्यकर्ता जितने सन्तुष्ट भाव से कार्य करेंगे, वे उतने ही अधिक समर्पित भाव से उस संगठन के लिए कार्य करेगें । यह तभी संभव है जब उन कार्यकर्ताओं की वास्तविक कठिनाइयों को पहचानकर उनके निराकरण की व्यवस्था करनी चाहिए। प्रस्तुत शोध कार्य द्वारा स्वयंसेवी संगठनों के कार्यकर्त्ताओं की समस्याओं को उद्धरित किया जायेगा ताकि उनका निराकरण किया जा सके। इससे कार्यकर्त्ता भी लाभान्वित होगें।

(य) **शिक्षा-प्रसार की दृष्टि से -**

आज भी भारत में विशेषकर जनजाति क्षेत्रों में शिक्षा से अछूते ग्रामों की बहुतायत है। इन ग्रामों में बसने वाले लोगों की वास्तविक स्थिति एवं कठिनता की जानकारी होने पर उन्हें शिक्षित करने की दिशा में आगे बढ़ाया जा सकता है। प्रस्तुत शोध-अध्ययन इस क्षेत्र के लोगों की शिक्षा के प्रति चेतना के स्तर तथा इस दिशा में आने वाली समस्याओं की जानकारी प्रदान करेगा, जो कि शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण साबित होगा।

1.7 **परिभाषिकीकरण -**

(1) **स्वयंसेवी संगठन (Voluntary organisations) -**

दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा संगठित होकर समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समाज के कमजोर तथा पिछड़े वर्ग के लोगों के उत्थान हेतु निःशुल्क कार्य करना, इस सम्प्रत्य की परिधि में आता है। यहां स्वयंसेवी संगठन से अभिप्राय उन संगठनों से है जो कि - सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त हो, जनकल्याण कार्यों में संलग्न रहते हो तथा इस हेतु व्यय की जाने वाली धनराशि को स्वयं के स्तर पर जुटाते हों। जनकल्याण कार्यों एवं कार्य प्रणालियों का निर्धारण भी ये संगठन अपने स्तर पर ही करते हैं, जिन्हें सहायता प्रदान करने वाली एजेन्सीज् की स्वीकृति प्राप्त रहती है। प्रत्येक संगठन अपने आप में स्वतन्त्र होता है तथा अपना प्रशासनिक स्वरुप भी स्वयं ही निर्धारित करता है। ये संगठन प्रायः दीर्घ अवधि की कार्य योजनाओं की अपेक्षा सीमित अवधि की कार्य योजनाओं को अधिक लागू करते है।

प्रत्येक संगठन की कार्य व्यवस्था के लिए इसकी अपनी 'कार्य समिति' होती है जिसे 'प्रशासन-समिति' कहा जाता है।

इन संगठनों में बाह्य दबाव की बजाए आंतरिक इच्छा-शक्ति अधिक प्रबल रहती है। वर्तमान में स्वयंसेवी संगठनों के अनेक रूप प्रस्तुत हैं। शोधकर्ता ने इन विविध संगठनों को वर्गीकृत करके प्रस्तुत अध्ययन हेतु चयनित किये गये प्रकार को स्पष्टत् समझने के लिए एक 'चार्ट-चित्र' प्रस्तुत किया है। (देखिए परिशिष्ट संख्या - 6)

(2) स्वयंसेवी प्रयास (Voluntary Efforts) -

एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा सम्मान उद्देश्यों के आधार पर किसी तृतीय स्रोत से सहायता प्राप्त करके जनकल्याण में संलग्न कार्य, जिसे सम्पन्न करने के लिए बाह्य दबाव की अपेक्षा आन्तरिक इच्छा-शक्ति अधिक कारगर रहती है, 'स्वयंसेवी प्रयास' कहते है।

(3) विकास कार्यक्रम (Development Programme) -

किसी क्षेत्र विशेष के लोगों के शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौतिक एवं स्वास्थ्य संबंधी आयामों के वर्तमान स्तर में उतरोत्तर एवं सकारात्मक परिवर्तन हेतु आयोजित क्रिया-कलाप 'विकास कार्यक्रम' कहलाते है, यथा-आर्थिक उन्नति के लिए कृषि की नवीन तकनीकियों की जानकारी प्रदान करना, एनिकट आदि का निर्माण करवाना, अन्धविश्वास एवं रुढ़ियों की समाप्ति के लिए शिक्षा का प्रसार करना तथा विद्यालयों की स्थापना करना तथा नवाचाराधारित कार्यक्रमों का आयोजन करना आदि।

(4) शिक्षा (Education) -

शिक्षा सम्प्रत्यय को तीन स्तर पर विभक्त किया जा सकता है यथा-औपचारिक, अनौपचारिक तथा निरौपचारिक।

यहां जिस प्रकार की शिक्षा के संबंध में कार्य किया जा रहा है, वह औपचारिक-शिक्षा है।

औपचारिक शिक्षा में एक निश्चित स्थान, समय, पाठ्यक्रम आदि के अनुसार बालक को शिक्षित करने का प्रयास किया जाता है।

शिक्षा एक विस्तृत सम्प्रत्य है, जिसमें बालक के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन कर देना शामिल रहता है जब यह परिवर्तन किसी निश्चित प्रक्रिया के अन्तर्गत किया जाता है, तब यह 'औपचारिक-शिक्षा' कहलाती है।

(5) **शैक्षिक कार्यक्रम (Educational Programme) -**

औपचारिक शिक्षा के विस्तार के लिए स्वयंसेवी संगठनों द्वारा किये जा रहे प्रयास इस सम्प्रत्यय में सम्मिलित किये जा रहे है, जिन्हें ये संगठन अपने स्तर पर चयनित करते हैं अथवा सहायता एजेन्सी की व्यवस्थानुरुप चलाते है। किन्तु दोनों ही स्थिति में कार्यक्रम को चलाने अथवा नहीं चलाने का अन्तिम निर्णय इन संगठन का अपना होता है।

इस तरह के कार्यक्रमों में विद्यालयों की स्थापना करना, विद्यालय नहीं जाने वाले बालकों को विद्यालय तक लाने का प्रयास करना, साधनों के अभाव वाले बालकों को आवश्यक साधनों की आपूर्ति करना है।

(6) **दक्षिणी राजस्थान (Southern Rajasthan) -**

भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान को अरावली पर्वतमाला स्पष्टत् दो भागों में विभक्त करती है। प्रथम - उत्तरी-पूर्वी राजस्थान, द्वितीय - दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान। उत्तरी-पूर्वी राजस्थान में मुख्यत् जयपुर, बीकानेर डिवीजन को शामिल किया जाता है तथा द्वितीय भाग में उदयपुर डिवीजन को पूर्णरुपेण एवं अजमेर डिवीजन का कुछ भाग शामिल कर सकते हैं।

अरावली पर्वतमालाओं से घिरा दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक दृष्टि से अन्य राजस्थान से अलग- ग्लग है।

इस भाग में उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, राजसमन्द, भीलवाड़ा, झालावाड़ आदि जिलों को सम्मिलित किया जाता है। इस भू-प्रदेश में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा अपनी भौगोलिक परिस्थितियों में विशिष्ट है जिसका सीधा प्रभाव यहां के जनजीवन पर पड़ता है।

(7) **सामाजिक चेतना (Social-Awareness) -**

समाज में व्यक्ति के व्यवस्थित समायोजन के लिए प्रत्येक समय एक-न-एक व्यवस्था उभरती रहती है, जिसका निर्धारण उस समाज में रहने वाले व्यक्ति अपने कष्टों के निवारणार्थ करते हैं, ये व्यवस्थाएं कालान्तर में अपनी तार्किकता खो देती हैं तथा समाज के सदस्यों के लिए बिना किसी तर्क के अपनाने की विधा बन जाती है। तर्क रहित विधाओं को समाज के कुछ शक्तिशाली तथा बलिष्ट लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुसार रुप प्रदान कर दूसरे लोगों का शोषण करते रहते हैं।

इस तरह के शोषण से मुक्ति दिलवाने के लिए तथा समाज की व्यवस्थाओं के प्रति तार्किकता व सकारात्मकता का दृष्टिकोण प्रस्तुत होना ही 'सामाजिक चेतना' कहलाती है।

(8) **सांस्कृतिक चेतना (Cultural Awareness) -**

समाज के सदस्य जीवन के समायोजन हेतु कुछ निश्चित प्रतिमान बना लेते हैं, जिनका प्रकटीकरण मूर्त तथा अमूर्त दोनों ही रुप में होता है।

यद्यपि व्यक्ति को एक सामान्य जीव की भांति जीवित रहने के लिए यह एक न्यूनतम आवश्यकता नहीं है, तथापि जब वह निश्चित व्यवस्थाओं में रहना चाहता है एवं अपनी संवेदनशीलता को अधिक कारगर रुप में प्रकट करना चाहता है, तब उसे एक संस्कृति की आवश्यकता महसूस होती है।

यह व्यक्ति की संवेदनशीलता का ही प्रकटीकरण है, जो कि जीवन की सुन्दरता से जुड़ा हुआ पक्ष है यथा- त्यौहार, पर्व, गीत, भजन - कीर्तन का आयोजन, मन्दिर, मस्जिद का निर्माण, धार्मिक भावनाओं का उद्घाटन आदि। यह अमूर्त एवं श्रृंगारात्मक पक्ष है।

(9) भौतिक चेतना (Physical Awareness) -

संस्कृति के अमूर्त तथा श्रृंगारात्मक पक्ष के विपरीत मूर्त एवं आवश्यक पक्ष को 'भौतिक संस्कृति' के संप्रत्यय में परिभाषित करते हैं।

जिसमें व्यक्ति के जीवन के लिए आवश्यक मूर्त वस्तुएें यथा-मकान, वेशभूषा, खान-पान, मनोरंजन के साधन आदि को शामिल किया जाता है। इन साधनों का विकास विज्ञान की खोजों के कारण नित्य-प्रति बदलता रहता है तथा हमेशा ही नवीनता प्रस्तुत होती रहती है।

जो व्यक्ति इन बदलते स्वरुपों के अनुरूप अपने-आपको जितना अधिक मोड़ लेता है अथवा अपने लिए इन्हें अपना लेता है, वह उस व्यक्ति की 'भौतिक-चेतना' है।

(10) स्वास्थ्य के प्रति चेतना (Awareness towards health) -

सामान्य प्राकृतिक दशा में एक जीवित प्राणी द्वारा अपने शरीर से संबंधित प्रत्येक क्रिया सामान्य ढंग से सम्पन्न करना 'स्वास्थ्य' कहलाता है अर्थात् जिस जीव

के शरीर में कोई रोग नहीं हो, उस शरीर को स्वस्थ शरीर कहते है। इस हेतु आवश्यक है कि जिस पर्यावरण में जीव रहता है, वह शुद्ध रहे अर्थात अच्छी हवा मिले, पर्याप्त एवं उचित रोशनी मिले, पीने के लिए स्वच्छ पानी मिले, अच्छा भोजन मिले एवं शारीरिक व्याधियों का यथोचित इलाज करवाने की सुविधा उपलब्ध हो। इन सबके प्रति एक व्यक्ति की जागृति "स्वास्थ्य के प्रति चेतना" कहलाती है।

(11) **लाभार्थी पक्ष (Beneficiaries) -**

स्वयंसेवी संगठनों द्वारा समाज सेवा के लिए चलाए जाने वाले कार्यक्रमों से प्रत्यक्षत् लाभान्वित होने वाले सभी स्त्री-पुरुष, बालक-बालिकायें इस सम्प्रत्यय में सम्मिलित है।

(12) **क्षेत्रीय कार्यकर्त्ता (Field worker) -**

स्वयंसेवी संगठनों द्वारा जनकल्याण कार्यक्रम लागू करने के दौरान लाभार्थी पक्ष से सीधे सम्पर्क में आने वाला संगठन-सदस्य/कार्यकर्त्ता क्षेत्रीय कार्यकर्त्ता कहलाता है।

यह कार्यकर्त्ता वैतनिक एवं अवैतनिक दोनों ही प्रकार का हो सकता है।

(13) **संस्था-संचालक (Organisation Administrator) -**

भारतीय सहकारी समिति रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1958 के अन्तर्गत समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करने वाली स्वयंसेवी संस्था (संगठन) का प्रधान सदस्य, जो कि उस संगठन की प्रत्येक गतिविधि के लिए जिम्मेदार होता है उसे इस सम्प्रत्यय में परिभाषित किया जाता है।

संस्था-संचालक उस संस्था के सभी सदस्यों में समन्वय बनाए रखता है तथा धनापूर्ति करने, धन व्यय करने, कार्यकर्ताओं के चयन करने, कार्य वितरण एवं प्रशासनिक-व्यवस्था करने आदि सभी के लिए अन्तिम निर्णय तैयार करता है।

संस्था प्रधान वैतनिक अथवा अवैतनिक हो सकता है यद्यपि कुछ संगठनों में निर्णय लेने के लिए कुछ सदस्यों की एक समिति गठित की जाती है तथापि प्रायः अन्तिम निर्णय इनका अपना ही होता है।

(14) पर्यवेक्षक (Supervisor) -

यह संस्था के क्षेत्रीय कार्यकर्त्ता तथा मुख्यालय के मध्य सम्पर्क बनायें रखने वाली कड़ी है। पर्यवेक्षक क्षेत्रीय कार्यकर्त्ता के कार्य की जांच करते है तथा कार्य प्रगति का विवरण संस्था-मुख्यालय तक पहुंचाते है। इनके साथ ही संस्था के आदेशों एवं प्रदत्त सामग्री को क्षेत्रीय-कार्यकर्त्ता तक पहुंचाता है। यह कार्यकर्त्ता को सहायता करता है तथा सलाह प्रदान करता है। संस्था मुख्यालय से प्राप्त आदेशानुरुप कार्यक्रमों का प्रसारण करता है।

(15) क्षेत्र-विस्तार (Field-Expansion) -

एक स्वयंसेवी संगठन द्वारा कार्य प्रायोजनाओं को जितने क्षेत्र में विस्तृत किया जाता है, कार्यक्रम से लाभान्वित होने वाले लोग जितने विस्तृत फैले है, वह भौगोलिक-क्षेत्र उस संस्था के कार्यक्रमों के संबंध में 'क्षेत्र-विस्तार' कहलाता है।

(16) ग्रामीण (Rural) -

ग्रामीण से अभिप्राय व्यक्तियों के उस समूह से है जो कि प्रकृति के अधिक नजदीक रहते हैं, जिनके जीवन में प्राकृतिक आपदायें अधिक प्रभावकारी भूमिका अदा करती हैं।

ग्रामीण व्यक्ति -

(i) उसकी मानसिकता भाग्यवादी होती है, (यह विश्वास कि सभी कुछ भगवान द्वारा पूर्व निर्धारित है।)

(ii) कृषि व्यवसाय जीवित रहने के लिए करते है न कि व्यापारिक दृष्टि से।

(iii) वह बाहरी विश्व के संबंध में बहुत कम जानकारी रखता है तथा परिवर्तन या नवाचारों को अपनाने का घोर विरोध करता है।

(iv) प्रत्येक अजनबी के प्रति संदेहशील रहता है तथा उसे शोषणकर्त्ता के रुप में ही दिखते हैं।

(v) वह क्लिष्ट रुप से परिवार केन्द्रित होता है।

(vi) नया कार्य आरम्भ करने में अपनी पूंजी के खो जाने का डर महसूस करता है।

(17) ग्रामीण समुदाय (Rural Society) -

ग्रामीण समुदाय से अभिप्राय है कि वे सभी लोग जो देश के खुले भागों में रहते हैं अथवा कृषि से सीधे जुड़े होते हैं। भारतीय ग्रामीण समुदाय में उन लोगों का अध्ययन किया जाता है जो कि ग्रामों में निवास करते है तथा कृषि एवं कुटीर उद्योगों पर निर्भर करते हैं।

(18) दान (Donations) -

दान दो पक्षों के मध्य आर्थिक अथवा भौतिक लेन-देन है, जिसमें एक पक्ष देने वाला (दाता) तथा दूसरा पक्ष लेने वाला (प्राप्तकर्त्ता) होता है। यह लेन-देन वापसी के बिन्दु को नजर-अन्दाज करके किया जाता है।

(19) अनुसूचित जनजाति -

अनुसूचित जनजाति से तात्पर्य है कि जनजाति अथवा जनजाति समुदाय का कोई भाग अथवा समूह जिसे राष्ट्रपति ने सार्वजनिक सूचना द्वारा संविधान के अनुच्छेद 342 में सम्मिलित किया है।

(20) **शैक्षणिक वातावरण –**

शैक्षणिक वातावरण से तात्पर्य अधिगम प्रक्रिया के क्षेत्र में कार्यरत् उन समस्त तत्वों के योग को कहा जाता है जो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से उस अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करते है।

1.8 शोध विधि –

प्रस्तुत शोध कार्य शोध उद्देश्यों की प्रकृति के अनुरुप सर्वेक्षण-विधि द्वारा पूर्ण किया गया है।

स्वयंसेवी संगठनों द्वारा चलाए जाने वाले शिक्षागत् कार्यक्रमों का लाभार्थी पक्ष के दैनिक जीवन के सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य संबंधी तथा भौतिक पक्ष पर प्रभाव से जागृत चेतना के स्तर का मापन तथा स्वयंसेवी संगठनों से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए 'सर्वेक्षण विधि' प्रयुक्त की गयी है।

1.9 शोध प्रविधि –

प्रस्तुत शोध अध्ययन में संग्रहित दत्त विश्लेषित करने के लिए निम्नांकित सांख्यिकी प्रविधियां प्रयुक्त की गयी हैं –

अ. प्रतिशतता

ब. सहसंबंध

स. सहसंबंध गुणांक

(विस्तृत विवेचन हेतु चतुर्थ परिच्छेद में अध्ययन करें।)

1.10 शोध उपकरण –

शोधकर्ता ने शोध कार्य की विशिष्टता एवं नयेपन को ध्यान में रखते हुए स्वनिर्मित-उपकरण प्रयुक्त किये हैं ,जो इस प्रकार हैं –

अ. शैक्षिक कार्यक्रम प्रभाव मापनी –

लाभार्थी पक्ष से दत्त संग्रहित करने के लिए इस मापनी को प्रयुक्त किया गया है। इस मापनी में एक सामान्य व्यक्ति के जीवन से संबंधित संस्थितियां प्रस्तुत कर पांच स्तर पर उत्तर प्राप्त किये गये हैं।

ब. कार्यक्रम जांच प्रश्नावली –

यह प्रश्नावली संस्था संचालकों से दत्त संग्रहित करने के लिए प्रयुक्त की गयी है। इससे संस्था संचालक की भूमिका, कठिनाइयों एवं सुझावों संबंधी जानकारी एकत्रित की गयी है।

स. कार्य स्थिति जांच प्रश्नावली –

प्रस्तुत शोध अध्ययन में इस उपकरण को स्वयं सेवी संगठनों के पर्यवेक्षकों तथा क्षेत्र-कार्यकर्त्ताओं से दत्त संग्रहित करने के लिए प्रयुक्त किया गया है।

द. निरीक्षण प्रपत्र –

शोध अध्ययन के लिए दत्त संग्रहित किये जाने के समय स्वयं के निरीक्षण किये जाने को आधार प्रदान करने हेतु इस उपकरण का निर्माण किया गया है। इस उपकरण द्वारा क्षेत्र की भौतिक प्रगति की उपलब्धि की जानकारी ली गयी है।

य. साक्षात्कार अनुसूची –

अध्ययन क्षेत्र के प्रमुख नागरिकों, राजनेताओं, प्रमुख नागरिकों, अध्यापकों से जानकारी एकत्रित करने हेतु स्वनिर्मित संरचित साक्षात्कार अनुसूची प्रयुक्त की गयी है।

1.11 शोध न्यादर्श –

प्रस्तुत शोध करने में दत्त संग्रहण हेतु चयनित कुल न्यादर्श का विवरण इस प्रकार है –

तालिका संख्या 1.1

न्यादर्श से संबंधित

क्र.स.	न्यादर्श का प्रकार	न्यादर्श संख्या
1	लाभार्थी पक्ष	440
2	संस्था संचालक	11
3	पर्यवेक्षक	20
4	क्षेत्र-कार्यकर्त्ता	40
	कुल न्यादर्श	511

(न्यादर्श चयन का विस्तृत विवेचन चतुर्थ परिच्छेद में देखें।)

1.12 शोध प्रतिवेदन रुपरेखा -

प्रस्तुत शोध प्रतिवेदन का परिच्छेदवार नियोजन इस प्रकार है -

(1) प्रथम परिच्छेद – अध्ययन आकल्प

यह परिच्छेद शोध कार्य का परिचयात्मक भाग है, जो कि सम्पूर्ण शोध कार्य के आधार से परिचित करवाता है। इस परिच्छेद में शोध-प्रस्तावना, समस्या-कथन, उद्देश्य, प्राकल्पना, परिसीमन, न्यादर्श, शोध विधि, प्रविधि, उपकरण, परिभाषिकीकरण, समय-नियोजन आदि के बारे में जानकारी प्रस्तुत की गयी हैं।

(2) द्वितीय परिच्छेद – संबंधित साहित्य का अध्ययन

शोध विषय से प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रुप से आबद्ध शोध-कार्यों के संबध में जानकारी प्रस्तुत की गयी है। भारत में अथवा भारत से बाहर सम्पन्न हुए शोध-कार्यों के उद्देश्य, न्यादर्श, अध्ययन विधि, निष्कर्ष के लिए संक्षेप में परिचित करवाया गया है।

(3) **तृतीय परिच्छेद-स्वयंसेवी संगठन (ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में)**

इस परिच्छेद में शोध कार्य में जिन-जिन स्वयंसेवी संगठनों को अध्ययन हेतु चयनित किया गया है, उन संगठनों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उद्देश्य, आय-स्रोत, लाभान्वित-क्षेत्र, कार्यक्रम आदि के बारे में जानकारी प्रस्तुत की गयी है। स्वयंसेवी संगठनों के कार्यक्षेत्र तथा मुख्यालय की स्थिति को मानचित्र द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

(4) **चतुर्थ परिच्छेद-विधि, प्रविधि, उपकरण एवं न्यादर्श**

इस परिच्छेद द्वारा शोध कार्य में प्रयुक्त शोध विधि, प्रविधि, उपकरण, तथा न्यादर्श का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया गया है।

(5) **पंचम परिच्छेद-दत्त विश्लेषण एवं निष्कर्ष**

इस परिच्छेद में शोधकर्त्ता द्वारा स्वनिर्मित उपकरणों के माध्यम से संग्रहित विविध दत्त विश्लेषित किए गये हैं। संग्रहित दत्त को सारिणीबद्ध कर उन्हें उचित सांख्यिकी विधियों द्वारा विश्लेषित किया गया है तथा तालिकाओं एवं रेखाचित्र द्वारा निष्कर्ष प्रस्तुत किये गये हैं।

(6) **षष्टम् परिच्छेद-शोध निष्कर्ष एवं भावी शोध संभावनाऐं**

इस परिच्छेद में शोध कार्य से प्राप्त निष्कर्षों को विविध आधार पर प्रस्तुत किया गया है। स्वयंसेवी संगठन के कार्यकर्त्ताओं को कार्यक्रम लागू करने में आने वाली कठिनाईयों को बिन्दुवार प्रस्तुत किया गया है तथा इस शोध क्षेत्र में भावी शोध सभावनाएं बतायी गयी हैं।

(7) **सन्दर्भ ग्रन्थ सूची**

शोध प्रतिवेदन के इस भाग में शोधकार्य में अध्ययन किये गये संबंधित-साहित्य यथा-पुस्तकों, शोध-ग्रन्थों, पत्र-पत्रिकाओं, अखबार आदि की सूची दी गयी है।

(8) परिशिष्ट

शोधकार्य में दत्त संग्रहण हेतु प्रमुख उपकरण यथा-शैक्षिक कार्यक्रम प्रभाव मापनी, कार्य स्थिति जांच प्रश्नावली, कार्यक्रम जांच प्रश्नावली, निरीक्षण प्रपत्र, साक्षात्कार-अनुसूची का प्रारूप संलग्न किया गया तथा सांख्यिकी सूची, विषय-विशेषज्ञ सूची व अध्ययन सुविधा उपलब्ध होने वाले संस्थानों की सूची दी गयी है।

1.13 समय-नियोजन (Time-Budgeting) -

प्रस्तुत शोधकार्य को पूर्ण करने के लिए समय को निम्नतया नियोजित किया गया है -

तालिका संख्या - 1.2

समय नियोजन से संबंधित

क्र.सं.	गतिविधि	समय
1.	संबंधित साहित्य का अध्ययन	तीन माह
2.	क्षेत्र-अध्ययन (प्रथम चरण)	दो माह
3.	उपकरण निर्माण (प्रथम चरण)	तीन माह
4.	उपकरण निर्माण (द्वितीय चरण)	दो माह
5.	दत्त संग्रहण	छः माह
6.	दत्त विश्लेषण	दो माह
7.	क्षेत्र अध्ययन (अंतिम चरण)	एक माह
8.	प्रतिवेदन लेखन (प्रथम चरण)	दो माह
9.	अशुद्धि सुधार एवं संशोधन	एक माह
10.	प्रतिवेदन टंकण (अंतिम चरण) एवं प्रतिवेदन जमा करवाना।	दो माह
	कुल समय	चौबीस माह

1.14 उपसंहार -

प्रस्तुत परिच्छेद इस शोध कार्य का परिचयात्मक भाग है। इसमें सम्पूर्ण शोध कार्य की व्यूह-रचना का दर्शन होता है तथा शोध की दिशा की जानकारी मिलती है। आगामी परिच्छेद संबंधित साहित्य से संबंधित है।

1.15 सन्दर्भ साहित्य (References) -

1. Baxi, Upendra : "Activism of Crossroads with sign points". **Social-action,** Vol. 36, Oct.-Dec. 1986.
2. Kulkarni, V.M. : "Voluntary Action in a Developing Society" IIPA, New Delhi, 1969.
3. Lord, Beverage : "The evidence for voluntary action". Allen & unwin, London 1949.
4. Heggade, O.D. : "Role of Voluntary organisations in tribal development". **Kurukshetra**, Vol. XXX No. 13 I April, 1982.
5. Govt. of India : "Constitution of India". Publication Division, New Delhi, 1991.
6. Govt. of India : "Enncyclopaedia of Social Work in India". Vol. Two, Planning commission Govt. of India, New Delhi, 1968.
7. Hersey (Miss.) E.W. : "Voluntary and private Welfare Agencies in India". Technical Co-operation Mission (USA) in Delhi, 1955.
8. NGO's : "Reformulating identities, re-building connections (A Report of NGO's conference, 11th March at Delhi, 1996). **The Hindustan Times**, 13th March, 1996.

द्वितीय परिच्छेद

संबंधित साहित्य का अध्ययन

2.1 प्रस्तावना –

शोधकार्य के संबंध में यह आवश्यक है कि शोधकर्त्ता उस क्षेत्र में विकास के उस स्तर का निर्धारण कार्यक्रम को आरम्भ करने से पूर्व ही कर ले, जिससे आगे उसे बढ़ना है। शोध की मौलिकता, उपादेयता, नवीनता इसी बात पर निर्भर करती है कि शोधकर्त्ता ने विकास के स्तर का निर्धारण करने में पूर्ण सफलता प्राप्त कर ली है।

शोध कार्य के उचित प्रारूप का निर्माण करने के लिए शोधकर्त्ता को शोध सिद्धान्तों तथा पूर्ण हुए शोध-कार्यों से भलीभांति अवगत होना चाहिए। इस जानकारी को निश्चित करने के लिए प्रत्येक शोध कार्य की प्रारम्भिक अवस्था में इसके सिद्धान्तों एवं शोध किये जा चुके साहित्य का अध्ययन किया जाना आवश्यक होता है।

अनुसंधान समस्या से संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण आलोचनात्मक मूल्यांकन के रुप में होना चाहिए। इसके अभाव में कोई भी अनुसंधान उच्च स्तर का नहीं हो सकता।

2.2 संबंधित साहित्य के अध्ययन की उपयोगिता –

शोधकार्य में संबंधित साहित्य का अध्ययन किया जाना निम्नांकित कारणों से महत्वपूर्ण है –

1. संबंधित साहित्य शोधकर्त्ता को शोध समस्या के चयन हेतु सुझाव देता है।
2. शोधकार्य में पुनरावृत्ति की आशंका नहीं रहती है।
3. इससे शोध अध्ययन की विधियों, प्रविधियों एवं उपकरणों का चयन करने में सहायता मिलती है।

4. शोध-क्षेत्र में अध्ययन किए जा चुके विषय/क्षेत्रों की जानकारी प्राप्त होती है।

5. शोध-प्रबन्ध के लेखन के ढ़ंग की जानकारी प्राप्त होती है।

6. शोधकर्त्ता को उपयोगी विचार, सिद्धान्त एवं व्याख्याएँ प्राप्त होती है।

संबंधित साहित्य के अध्ययन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि चयनित की जा रही शोध समस्या पर पूर्व में कार्य हो चुका है तो शोधकर्त्ता द्वारा लगाया गया समय, शक्ति, धन निरर्थक हो जाता है।

2.3 प्रस्तुत शोधकार्य में अध्ययन किया गया संबंधित साहित्य -

शोधकर्त्ता ने संबंधित साहित्य के अध्ययन की उपादेयता को जानकर प्रस्तुत शोध विषय में संबंधित साहित्य का पर्याप्त अध्ययन किया है। इस हेतु प्रमुखतः निम्नांकित सन्दर्भ ग्रन्थों की सहायता ली गयी -

1. इन्टरनेशनल डिजरटेशन अबस्ट्रेक्ट्स (जनवरी 1969 से अक्टूबर 1995)
2. इन्टरनेशनल सोश्योलोजिकल अबस्ट्रेक्ट्स
3. रिसर्च वॉल्यूम (एम.बी. बुच) Ist to Vth
4. प्रकाशित पुस्तकें
5. प्रकाशित / अप्रकाशित पी एच.डी. शोध प्रबन्ध
6. सामयिक शोध पत्र-पत्रिकाएं, समाचार-पत्र, रेडियो वार्ता आदि

शोध समस्या क्षेत्र से संबंधित कुछ शोध कार्य इस प्रकार हुए हैं -

(अ) विदेश में किये गये शोध अध्ययन -

संबंधित साहित्य के अध्ययन से यह जानकारी प्राप्त हुई कि स्वयंसेवी प्रयास एक विश्वव्यापी प्रघटना (Phenomena) है, जो कि विकसित राष्ट्रों में अच्छी स्थिति

में है। प्रत्येक जनतान्त्रिक राष्ट्र के विकास में स्वयंसेवी प्रयासों की अपनी महत्ती भूमिका है। गरीब, असहाय, पिछड़े वर्ग के लोगों की सहायतार्थ विभिन्न देशों में इनके माध्यम से जनोत्थान व जनविकास के अनेक कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं। आज अधिकांश राष्ट्रों में इन प्रयासों ने संगठन का स्वरूप ग्रहण कर लिया है जिनके द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों में वहाँ की जनता के शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य संबंधी आदि क्षेत्रों में विकास योजनाएं तथा चेतना फैलाने के कार्यक्रम प्रमुख हैं। इनको समय-समय पर शोधकर्त्ताओं ने उद्घाटित करने का प्रयास किया है।

एडवर्ड ब्लुएण्ट (1938) ने तात्कालिक भारतीय समाज की सामाजिक-स्थिति एवं आर्थिक समस्याओं पर अध्ययन किया है। इन्होंने सन् 1921 की जनगणना रिपोर्ट के आधार पर भारतीय लोगों के मध्य व्यावसायिक क्षेत्रों के वितरण तथा उनके विकास में स्वयंसेवी संगठनों की भूमिकाओं पर अध्ययन किया है।[1]

बोरडिलन, ए.एफ.सी. (1945) ने इंग्लैण्ड में सामाजिक सेवाओं की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा विभिन्न कालों में जनविकास में उनके योगदान की विवेचना की है।[2]

हेनरी, ए. मेस (1947) ने स्वयंसेवी संगठनों को तात्कालिक सन्दर्भ में परिभाषित करने का प्रयास किया है तथा इनके परिवर्तित स्वरूप की विवेचना की है। स्वयंसेवी संगठनों तथा सरकारी संगठनों के मध्य संबंध, इनकी अस्थायी प्रकृति, सीमित संसाधन व्यवस्था, कार्यकर्त्ताओं की समस्या एवं जनतांत्रिक देशों में विकास के विभिन्न क्षेत्रों में इनकी भूमिका का अध्ययन किया गया है।[3]

स्कॉट, जैक्यूल्यन थापर (1992) ने अपने अध्ययन में पाया कि जनतांत्रिक राष्ट्रों में स्वयंसेवी संगठनों की अनेक महत्वपूर्ण भूमिकाएं है, यथा - प्राथमिक-

सेवाओं की उपलब्धता, वैचारिक सहायता करना, मध्यस्थता करना, जनसहभागिता को बढ़ावा देना आदि। कनाडा में स्थित स्वयंसेवी संगठनों के प्रमुख स्वयंसेवकों तथा अधिशाषी अधिकारियों पर किये गये इस शोध अध्ययन में पाया गया कि - राज्य के विकास तथा जनमानस में परिवर्तन के लिए स्वयंसेवी संगठन अपने आपको अधिकाधिक संलग्न करना चाहते हैं। क्षेत्र के मुखियाओं के अनुसार प्राचीन कनाडियन विचारधारा '' सभी का भला हो '' (The Common good) को मुख्याधार मानकर स्वयंसेवी संगठन कार्य करते हैं। उनके अनुसार वर्तमान परिवर्तन के कारण राज्य के जनमानस में भावात्मक शोक की स्थिति उत्पन्न हुई है। यह अध्ययन '' वैनरिल-मॉडल 1988 '' के अनुसार स्वयंसेवी संगठनों के कार्यों एवं वैचारिक सम्प्रेषण के संबंध में तथा कनाडा में स्थित स्वयंसेवी संगठनों की कार्यशैली तथा कार्यक्रमों में परिवर्तन होने के संबंध में भविष्यवाणी करता है।[4]

एप्पलबॉम, स्काईभार (1992) ने अल्पसंख्यक समुदायों से स्वयंसेवकों की भर्त्ती तथा उनसे कार्य लेने के ढंग का विभिन्न आयामों से अध्ययन किया है। स्वयंसेवी संगठनों के ऐतिहासिक, राजनैतिक, सामाजिक तथा संगठनात्मक सन्दर्भ में कनाडा के अल्पसंख्यकों के स्तर एवं अन्य देशों ने गैर-परम्परागत ढंग से हस्तान्तरित होकर बाहर गए लोगों का CASMT (The Children'sAid Society of Metro-Politian, Toronto) एजेन्सी के माध्यम से उन्हें भर्ती करने एवं उनसे कार्य लेने के ढ़ंग का अध्ययन किया है।

इस हेतु CASMT का चयन इसलिए किया गया क्योंकि यह संस्था अल्पसंख्यक - स्वयंसेवकों तथा उनसे कार्य लेने के ढंग में सकारात्मक छवि वाली संस्था है। इस व्यक्ति - अध्ययन में (1) अभिलेखों (Records) (2) सहभागित्व निरीक्षण (3) कार्यकर्त्ता साक्षात्कार तथा (4) स्वयंसेवकों (प्रशासन एवं सेवा करने

वाले) से साक्षात्कार लिए गए। शोध से प्राप्त दत्तों को गुणात्मक एवं संख्यात्मक अनुसंधान तथा विश्लेषण प्रविधियों द्वारा विश्लेषित किया गया।

इस अध्ययन में पाया गया कि - अल्पसंख्यक समुदायों से स्वयंसेवकों को चयनित करने तथा उनके कार्य लेने के अनेक ढंग है। इस हेतु स्वयंसेवकों से समानता का व्यवहार रखना होगा, किन्तु तब यह संभव नहीं होगा कि वे वंशानुगत व पूर्व ग्रसित भाव से कार्य करें। यदि समानता के आधार पर संबंधों को बनाया रखा जाए तथा उन्हें विकसित किया जाये तब स्वयंसेवक कार्यस्थितियों को बदल सकते हैं, इसलिए आज गैर-वंशानुगत नीति की मांग उठने लगी है। स्वयंसेवी संगठनों को इस तरह के उपागमों से परिचित करवाया जाना चाहिए कि वे अल्पसंख्यक समुदायों के स्वयंसेवकों को एक विशेष बिन्दु पर एकत्रित करने में सफल हो सके।[5]

लिण्डरमैन व अन्य (1994) ने ग्रोनिग्न तथा नीदरलैण्ड के दो प्रतिनिधि समूहों - प्रथम स्वयंसेवी कार्यकर्त्ताओं तथा द्वितीय प्रौढ़ लोगों के समूहों के प्रतिचयन (Sampling) के आधार पर स्वयंसेवी कार्यक्रमों में भाग लेने के निर्धारक कारकों का अध्ययन किया है। दोनों समूहों से समय के वितरण, सामाजिक घटनाओं तथा व्यक्तिगत से संबंधित कारकों के बारे में साक्षात्कार लिये गये।

स्वयंसेवी कार्यों में लगाए गए समय को, समय के संभावित कारकों पर जोड़ा गया, जैसे - मजदूर का बाजार में लगाया गया समय, घर के कार्य करने में लगाया गया समय, अध्ययन में लगाया गया समय तथा इसके पश्चात् बचे हुए समय के उपयोग के बारे में अध्ययन किया गया, जो कि मजदूर की बाजार स्थिति, आय, परिवार की स्थिति तथा उम्र से संबंधित है। यह पाया गया कि लोगों द्वारा खाली समय का उपयोग किये जाने तथा स्वयंसेवी कार्यों के चयन करने में भिन्नता पायी जाती है। इस हेतु लोगों द्वारा प्राथमिकता दिये जाने के कुछ प्रमुख कारण इस

प्रकार सामने आए - (1) सक्रिय बाहरी अभिप्रेरक (2) सामाजिक संबंध (3) सामाजिक सहायता करने वाले व्यवहार आदि।[6]

हण्टर अल्बर्ट (1994) ने अमेरिका तथा इंग्लैण्ड में स्थानीय सरकारी इकाई तथा स्थानीय सामुदायिक संगठनों के राष्ट्रीय स्वयंसेवी फैडरेशन की प्राथमिक रिपोर्ट्स का तुलनात्मक विश्लेषण किया है।

इस हेतु अभिलेख, निर्देशकों के साक्षात्कार, बजट प्रतिवेदन, न्यूजलेटर तथा सहभागियों के सभा में भाग लेने का पर्यवेक्षण करके यह अध्ययन किया गया।

शोध अध्ययन में पाया गया कि इन फैडरेशन्स ने आम समाज को द्वन्द की स्थिति में डाल रखा है, जिनके द्वारा चलाए जा रहे छोटे तथा बड़े, निजी तथा सार्वजनिक कार्यक्रमों के मध्य बहुत साधारण-सा अन्तर है। इस अध्ययन से यह बात उभर कर सामने आयी कि राष्ट्रीय फैडरेशन्स की राज्य व स्थानीय स्तर पर अपनी महत्ता है तथा इस महत्ती भूमिका को अदा करने में ये संगठन सक्षम है।[7]

कर्नॉन व अन्य (1994) ने सन् 1989 तक स्वयंसेवी कार्यों में संलग्न कार्यकर्त्ताओं पर एक अध्ययन किया जिसमें स्वयंसेवी कार्यों में सहभागिता तथा धार्मिक विश्वास के मध्य संबंध ज्ञात करना मुख्य उद्देश्य था।

शोधकार्य के निष्कर्षों ने प्राकल्पनाओं के विपरीत पाया कि स्वयंसेवक धार्मिक अभिप्रेरकों से अत्यधिक प्रभावित थे, जिसके लिए दूसरे अन्य कारक भी कारण बने हुए थे। इस अध्ययन में धर्म एवं स्वयंसेवक के कार्य में संबंध तथा स्वयंसेवक का कार्य करने वाले तथा स्वयं सेवक का कार्य नहीं करने वालों के मध्य अन्तर पर विचार किया गया है।[8]

फैरान्द, बेकमन्नदन (1994) ने सी.ई.एस.ओ.एल. द्वारा प्रायोजित शोध-अध्ययन में स्वयंसेवी संगठनों को प्रभावित करने वाली नवीन शहरी समस्याओं तथा

राजकीय नीतियों का विश्लेषण किया है। इसके साथ ही दूर-दराज के क्षेत्र, विद्यालय, राजनीति, संस्कृति, खेलकूद तथा नवीन सामुदायिक व्यवस्थाओं की खोज के बारे में विवेचन किया है।[9]

ओ ' कॉनर रोबर्ट एम्भट्ट (1994) के अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य स्वयंसेवी-संसाधनों पर निर्भर संगठनों के प्रभावशाली प्रबन्ध हेतु संबंधित साहित्य में से उचित प्रतिमान (मॉडल) प्रस्तुत करना था। इस हेतु छपे हुए साहित्य के अलावा विभिन्न प्रकार के स्वयंसेवी संगठनों में नेतृत्व की गतिविधि में संलग्न लोगों से साक्षात्कार लिया जाकर सफल प्रबन्धकों की वास्तविक क्रियाओं एवं विधियों के बारे में जानकारी ली गयी।

दत्त संग्रहण में समानता रखने के लिए एक संरचनात्मक साक्षात्कार अनुसूची प्रयुक्त की गयी। सभी साक्षात्कार स्वयं शोधकर्त्ता द्वारा लिये गये। संबंधित साहित्य के द्वारा दो प्रतिमान प्रस्तुत किये तथा एक तीसरा प्रतिमान प्रबन्धकों से लिये गए साक्षात्कार से प्रस्तुत किया गया।

अध्ययन के निष्कर्षों में पाया गया कि -

(1) स्वयंसेवी संगठनों के प्रबन्धकों में ''प्रबन्धक एसोसियशन '' के माध्यम से स्वयंसेवी संगठनों के संसाधनों के उचित उपयोग किये जाने तथा सहभागियों को प्रोत्साहित किये जाने की क्षमता विकसित किये जाने को बढ़ावा दिया जाए।

(2) संबंधित साहित्य के अधिकाधिक अध्ययन से तथा समान स्तर के प्रतियोगी प्रबन्धकों के साथ मिलकर प्रत्येक व्यक्ति, जो कि इन स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रबन्ध में संलग्न है, को अपनी क्षमता का विकास करना चाहिए।

(3) शिक्षा, धर्म, स्वास्थ्य-सुधार, सामाजिक सेवा तथा लोक प्रशासन के क्षेत्र में विद्यालयों के माध्यम से बच्चों में स्वयंसेवी संसाधनों को अधिकतम उपयोगी बनाने की वास्तविकता से परिचित करवाया जाए तथा स्वयंसेवी-संगठनों के प्रबन्ध की जानकारी को विद्यालय पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए।

(4) निजी क्षेत्र में कार्यरत् निगम तथा उनके वैतनिक कार्यकर्त्ताओं के बारे में विस्तृत रिपोर्टस् प्रस्तुत की जाए तथा स्वयंसेवी संगठनों के प्रबन्धक इनसे जुड़े रहकर अपने कार्यकर्त्ताओं को प्रोत्साहित तथा नियन्त्रित करने के कौशल का विकास करें।[10]

(ब) भारत में किए गए शोध अध्ययन -

पिछड़े एवं आदिवासी समाज के लोगों की शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक-स्थिति, स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका तथा उनकी कार्यशैली के संबंध में भारत में भी अध्ययन हुए हैं -

गांधी अध्ययन संस्थान, वाराणसी (1969) द्वारा किये गये अध्ययन में ग्रामदान योजनान्तर्गत दरभंगा तथा मिर्जापुर जिलों में चल रहे साक्षरता प्रायोजना कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन किया गया।

इस हेतु प्रत्येक जिले से 100-100 विद्यालयों का चयन किया गया। साक्षरता के स्तर की जांच हेतु वस्तुनिष्ठ परीक्षा, अध्ययन गति जांच, अंक प्रत्यय जांच तथा कम्प्रेहेन्सिव परीक्षण लागू किया गया, जिसमें पाया कि -

(1) प्रौढ़ साक्षरता की कक्षाएं लगाने के बाद प्रत्येक गांव में साक्षरता की दर 7 प्रतिशत से बढ़कर 9 प्रतिशत हो गयी है।

(2) अध्ययन गति जांच, कम्प्रेहेन्सिव परीक्षण तथा अंक प्रत्यय जांच से सीखने की प्रगति को सकारात्मक पाया गया।

(3) कम्प्रेहेन्सिव परीक्षण में दरभंगा जिले के अधिगमकर्त्ता मिर्जापुर जिले के अधिगमकर्त्ताओं (learners) से अध्ययन में तीव्र पाए गए।[11]

श्रीवास्तव (1969) ने अपने अध्ययन में पाया कि तकनीकी पिछड़ेपन के कारण जनजाति समुदाय में शैक्षिक विकास किया जाना कठिन रहता है। अध्ययनकर्त्ता ने पाया कि प्रौढ़ शिक्षा की कक्षाओं में अपव्यय की दर बहुत अधिक है तथा उपस्थिति दर कम रहती है। दक्षतापूर्वक एवं प्रभावशाली ढंग से कार्य करने के लिए अध्यापकों को अधिक सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। निरक्षरता की उच्च दर के कारण प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम एवं विकास कार्यक्रमों को लागू करने में मुख्य रूप से बाधा उत्पन्न हो रही है।[12]

श्रीवास्तव (1970) ने अपने दूसरे अध्ययन के द्वारा पाया कि अच्छी शिक्षा के द्वारा लोगों की आर्थिक स्थिति को और अच्छा बनाया जा सकता है। इस अध्ययन में पाया गया कि जनजाति समुदाय के लोग अपने विकास की आवश्यकताओं के साथ ही मूल्यपरक शिक्षा के प्रति भी चेतनशील है। सूचनाओं की कमी होना, जनजाति क्षेत्र के विकास में मुख्य बाधा है। सामूहिक ऋण आदि की व्यवस्थाएं जनजाति समुदाय में असफल हो गयी है।[13]

चौधरी, डी. पॉल (1971) ने अपने शोध अध्ययन में स्वयंसेवी संगठनों के इतिहास, रिपोर्ट्स, समितियों तथा सेमिनार्स आदि के बारे में संक्षिप्त जानकारी देते हुए इन संगठनों के कार्यक्षेत्र, लाभ, कठिनाईयां, कार्य स्तर, सहायता के स्रोत आदि पर अध्ययन किया है तथा इन संगठनों की कमियों तथा समस्याओं पर प्रकाश डाला है।[14]

शर्मा एवं अन्य (1979) ने गुजरात राज्य की 27 स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों का अध्ययन किया तथा पाया कि 94 प्रतिशत केन्द्र सुचारु रुप से चल रहे है, 2 प्रतिशत केन्द्रों ने अध्ययन कार्य को बीच में ही छोड़ दिया है।

केन्द्र पर 43 प्रतिशत महिलाओं का पंजीयन हुआ है। कार्यक्रम में चेतना जागृत करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। उन्होने पाया कि इन केन्द्रों में पर्यवेक्षण तथा प्रशिक्षण की स्थिति अधिक सन्तोषप्रद नहीं है।[15]

रत्थनाया (1974) ने आन्ध्रप्रदेश राज्य में जनजाति शिक्षा की संरचनात्मक बाधाओं पर अध्ययन किया जिसमें पाया कि जनजाति-शिक्षा की कमजोर स्थिति के लिए भौगोलिक बाधाएं, विद्यालयी एवं छात्रावास संबंधी अपर्याप्त सुविधाएं मुख्य रूप से जिम्मेदार है। कृषकों एवं मजदूरों की अपेक्षा वेतनभोगी जनजाति लोग अपने बच्चों को विद्यालय अधिक भेजते हैं। इस क्षेत्र में अपव्यय की स्थिति बेहद चिन्ताजनक है। पंजीकृत एक सौ (100) अभ्यार्थियों में से मात्र तीन अभ्यर्थी ही पांचवी कक्षा के स्तर तक ठहर पाते है। जनजाति समुदाय के अध्यापक जनजाति क्षेत्र की भाषा व संस्कृति में जुड़ने का प्रयास नहीं करते हैं, फलतः वे उद्देश्यों को प्राप्त करने में असक्षम रहते है। अनुदेशन सामग्री तथा पाठ्यक्रम सामान्य प्रकार का पाया गया, जो कि जनजाति लोगों के विकास के लिए विशेष तौर पर तैयार किया जाना चाहिए था, इसलिए वे अपने उद्देश्य को हल करने में असक्षम रहे हैं।[16]

नायक (1979) ने गुजरात राज्य में 'सरदार पटेल आर्थिक एवं सामाजिक अनुसंधान' संस्थान, अहमदाबाद' द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम का अध्ययन किया। इस हेतु राज्य के 45 स्वयंसेवी संगठनों को न्यादर्श हेतु चयनित किया गया। इस अध्ययन में पाया गया कि -

1- स्वयंसेवी संगठनों ने अभिलेखों को सुव्यवस्थित ढंग से तैयार नहीं कर रखा था।

2- इस कार्यक्रम के लिए लगने वाली कक्षाओं के दिनों में भिन्नता पायी गयी, कक्षाएं एक महीने में 15 से 25 दिन तक लग रही थी।

3- अनुसंधान के निरीक्षण के समय प्रौढ़ों की उपस्थिति औसत दर्जे की पायी गयी।

4- अध्ययन कार्य को बीच में त्यागने वालों में से अधिकांशतः अनुसूचित जाति के विद्यार्थी थे जो कि कृषि व्यवसाय से आबद्ध थे, इसका मुख्य कारण आर्थिक रहा है।

5- निरीक्षण के समय 6.2 प्रतिशत केन्द्र कार्य नहीं कर रहे थे।

6- केन्द्र पर देरी से प्रवेश लेने वालों के लिये अन्य कोई सुव्यवस्थित व्यवस्था नहीं पायी गयी।

7- प्रौढ़ शिक्षा की 28 प्रतिशत कक्षाएं सार्वजनिक भवनों में, 27 प्रतिशत कक्षाएं अनुदेशकों के घरों में तथा 25 प्रतिशत कक्षाएं खुले स्थानों पर लग रही थी।[17]

शाह, ए.टी. (1979) ने बड़ौदा शहर में अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों के प्रकार, भौतिक पक्ष, शिक्षा देने के माध्यम का इनके साक्षरता स्तर, परिवार नियोजन, प्राथमिक भोजन व स्वास्थ्य व्यवस्थाओं, मानवीय एवं सामाजिक स्वास्थ्य तथा खाली समय के उपयोग के कारकों के संबंध में पिछड़े वर्ग पर प्रभाव का अध्ययन किया है।

अध्ययन हेतु प्रतिचयन बड़ौदा शहर में विगत 10-12 वर्ष से चलने वाले अनौपचारिक शिक्षा से प्रभावित 3050 व्यक्तियों में से 385 व्यक्तियों का किया

गया। दत्त संग्रहण निरीक्षण प्रपत्र, प्रश्नावली, साक्षात्कार अनुसूची व व्यक्तिगत-अध्ययन के माध्यम से किया गया। इस अध्ययन में पाया गया कि -

1- इस कार्यक्रम को लागू करने में बड़ौदा सिटीजन कौंसिल, राजकीय केन्द्र, औद्योगिक संगठन, स्वयंसेवी संगठन, विश्वविद्यालय विभाग, विकलांग-संस्थान, महिला संगठन एवं युवा क्लब कार्य कर रहे थे।

2- अधिकांश कार्यक्रम सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं खाली समय के सृजनात्मक उपयोग के पक्ष से संबंधित थे। 10 प्रतिशत कार्यक्रम साक्षरता, व्यक्तिगत स्वास्थ्य, भोजन एवं पोषण से संबंधित थे। भौतिक पक्ष से संबंधित कार्यक्रम बहुत कम थे।

3- सामाजिक एवं सांस्कृतिक पक्ष तथा आय में वृद्धि करने वाले कार्यक्रम को अधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई है।

4- अधिकांश कार्यक्रम भुगतान प्राप्त करने वाले अध्यापकों द्वारा चलाए जा रहे थे, जो कि स्वयंसेवी संगठनों के विशेषज्ञों से सलाह ले रहे थे।

5- आय बढ़ाने से संबंधित कार्यक्रमों के लिए शुल्क लिया जा रहा था, जबकि अन्य कार्यक्रम निःशुल्क चलाए जा रहे थे।

6- समूह गत्यात्मकता पर आधारित कुछ वैज्ञानिक विधियों का भी उपयोग किया जा रहा था, जैसे - प्रदर्शन, वाद-विवाद, खेल आदि।

7- आय बढ़ाने के सहायक साधन तथा खाली समय के उपयोग से संबंधित कार्यक्रमों को सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई थी।[18]

राव एवं अन्य (1980) ने 70 स्वयंसेवी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों का अध्ययन किया तथा पाया कि 50 एवं 60 प्रतिशत प्रौढ़ अध्ययनकर्ता कार्यक्रम की समाप्ति पर पुनः निरक्षर बन गये हैं।[19]

सच्चिदानन्द एवं अन्य (1981) ने बिहार राज्य में स्वयंसेवी संगठनों द्वारा राष्ट्रीय प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम लागू करने के प्रथम वर्ष (1978-79) का अध्ययन किया। इसमें राष्ट्रीय प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रमों के उद्देश्यों के अनुरुप प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों का अध्ययन करके उनकी अच्छाईयों एवं कमजोरियों का पता लगाना, कार्यक्रम के लाभार्थी पक्ष की पहचान करना तथा इन कार्यक्रमों के कारण समाज में आने वाले बदलाव की दिशा का पता लगाना मुख्य उद्देश्य था।

अध्ययन के लिए 22 स्वयंसेवी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे 113 केन्द्रों में से 10 प्रतिशत केन्द्रों को 'यादृच्छिक प्रतिचयन विधि' द्वारा चयनित किया गया। दत्त संग्रहण 'साक्षात्कार अनुसूची' के माध्यम से किया गया। अध्ययन में पाया गया कि -

1- जो राज्य कर्मचारी प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम से सीधे रुप में आबद्ध नहीं हैं, उनमें सहयोग का भाव कम पाया गया तथा अधिकांशतः सहायता पहुंचाने में देरी करते हैं।

2- इन केन्द्रों को आवश्यक वस्तुओं यथा - केरोसिन आदि की आपूर्ति समय से न होने के कारण केन्द्र को चलाने में कठिनाई रहती है।

3- इन केन्द्रों में आने वाले अधिकांश अधिगमकर्त्ता 15 से 35 वर्ष आयु वर्ग के है तथा कृषि कार्यों में संलग्न है। केन्द्र को समय से पूर्व छोड़ने में अधिगमकर्त्ता की पारिवारिक कठिनाईयां मुख्य कारण रही हैं।

4- इन केन्द्रों को चलाने वाले अधिकांश अनुदेशक, माध्यमिक स्तर से कम पढ़े-लिखे थे तथा उसी गांव के रहने वाले थे जिस गांव में केन्द्र स्थित था।

5- अनुदेशक संबंधित सामग्री प्राप्त करने में अपने पर्यवेक्षक से सहयोग प्राप्त कर रहा था।

6- इन केन्द्रों पर आने वाले अधिकांश अधिगमकर्त्ता प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कृषि एवं पशुपालन विभाग, विकास कार्यक्रम में संगठन से मिलने वाली सुविधाओं के प्रति सचेत थे।[20]

सिंह, आर. आर. (1981) ने अपने शोध अध्ययन में राजस्थान राज्य के छात्रावासों में रहकर अध्ययन करने वाले जनजाति विद्यार्थियों की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि का उनकी आदतों, विचारों, अन्तर्वैयक्तिक मूल्यों, क्षमताओं, रूचियों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया है। इन्होंने पाया कि जनजाति समुदाय के अधिकांश छात्र हीन भावनाओं से ग्रस्त पाए गए, जिस कारण वे सामान्य विद्यार्थियों के साथ समायोजित होने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। इस अध्ययन से यह तथ्य भी प्रकाश में आया कि केन्द्र व राज्य सरकारों से अनुदान स्वरूप प्राप्त होने वाली सहायता राशि इन विद्यार्थियों तक पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाती है, फलतः छात्रावासों में व्यवस्थापन एवं प्रबन्ध संबंधी कठिनाईयां उपस्थित हो रही हैं।[21]

ललिता, एन.एल. एवं अन्य (1982) ने भारत में स्वयंसेवी संगठनों के विकास की दिशा उनके कार्यक्रमों के विभिन्न आयामों तथा विकास के कारणों की चर्चा की हैं। स्वयंसेवी संगठनों को अधिक प्रभावशाली ढंग से विकसित करने के संबंध में सुझाव प्रेषित किये हैं।[22]

राव, एस.बी. (1985) ने भारत के ग्रामीण समाज का परिचय प्रस्तुत करते हुए उनकी स्थिति, विकास की दिशा, शिक्षा के क्षेत्र में संसाधनों की आपूर्ति आदि के द्वारा-स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका पर विचार व्यक्त किया है।[23]

पटेल, बी.पी. (1988) ने अपने अध्ययन में बड़ौदा के शहरी क्षेत्र में स्वयंसेवी संगठनों द्वारा चलायी गयी समाज सुधार की गतिविधियों, उनके अभिप्रेरकों,

कार्यक्रम के लचीलेपन तथा कमियों को उद्घाटित किया है। इस अध्ययन में बड़ौदा क्षेत्र में फैले स्वयंसेवी संगठनों का संक्षिप्त परिचय भी प्रस्तुत किया है।[24]

श्रीकुमार, एस.एस. (1990) ने अपने शोध-अध्ययन में जनजाति क्षेत्रों में स्वयंसेवी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों की जांच किये जाने के लिये निम्नांकित बिन्दुओं पर विचार किया है -

1- कार्यक्रमों को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करना,

2- जनजाति समुदाय पर कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन करना तथा

3- कार्यक्रम लागू करने में आने वाली कठिनाईयों की खोज करना।

इस हेतु वयानन्द जिले की सुल्तान बैटरी क्षेत्र में स्थित '' भारतीय हरिजन-सेवक संघ '' के मुख्यालय तथा सुल्तान बैटरी, कालापेटा व मान्नथोड़ी ब्लॉक से दत्त-संग्रहित किये गये, जिसमें शोधकर्त्ता द्वारा 30 अनुदेशकों के लिए स्वनिर्मित प्रश्नावली का उपयोग किया गया।

अध्ययन में अनुदेशकों के सामाजिक, आर्थिक स्तर, शैक्षणिक योग्यताओं, अनुदेशकों के कार्यानुभव, प्रशिक्षण, अध्ययन केन्द्र पर उपलब्ध सुविधाओं, अनुदेशकों एवं अधिगमकर्त्ताओं के प्रोत्साहकों, स्थानीय सहयोग, पर्यवेक्षण तथा कार्यक्रम के प्रभाव का अध्ययन किया गया। इस अध्ययन में पाया गया कि -

1- कार्यक्रम लागू करने वाली एजेन्सी जनजाति समुदाय के सामाजिक, आर्थिक-स्तर तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से योग्य अनुदेशक चयनित करने में सतर्कता रखती है। कार्यक्रम की प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसी क्षेत्र से योग्य मानव-शक्ति कितनी अधिक मात्रा में उपलब्ध हो पाती है।

2- प्रशिक्षण की सार्थकता कार्यक्रम की प्रभावशीलता को प्रभावित करने वाला दूसरा महत्वपूर्ण कारक है, जिसमें निरक्षर व्यक्तियों को कक्षा में उपस्थित होने तथा पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करना शामिल था।

3- साधन-सुविधाओं की उपलब्धता कार्यक्रम को प्रभावित करनेवाला एक अन्य कारक है। यह पाया गया कि जो एजेन्सी साधन-सुविधाओं के वितरण में पूरा ध्यान रखती हैं उनके परिणाम अच्छे रहते हैं।

4- कार्यक्रम को प्रभावशाली ढंग से लागू करने में प्रभावशाली सहभागित्व प्रमुख कारक है। स्थानीय समितियां कार्यक्रम लागू करने वाली एजेन्सी तथा लाभार्थी पक्ष के मध्य सेतु का काम करती हैं।[25]

नारायणन, ई.ए. (1991) ने भारत में कार्यरत् स्वयंसेवी संगठनों की वित्तीय-स्रोतों तथा कुशल कार्यकर्त्ताओं संबंधी समस्याओं को जानने के लिए अध्ययन किया है। इस हेतु उन्होंने आन्ध्रप्रदेश राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत 33 स्वयंसेवी संगठनों से न्यादर्श चयनित किया।

इस अध्ययन में पाया गया कि इन संगठनों को लगभग 90 प्रतिशत आय विदेशी सहायता एजेन्सीज् से तथा 10 प्रतिशत केन्द्र एवं राज्य सरकारों से प्राप्त होती है। इन संगठनों में 'वेबेरियन नौकरशाही' ढांचे के अनुरूप प्रशासनिक व्यवस्था, कार्यकर्ताओं का उचित चयन तथा श्रम वितरण किया गया है। अधिसंख्य कार्यकर्त्ताओं ने संबंधित संस्थान में किसी भी प्रकार की तकनीकी अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है।

इस अध्ययन के द्वारा सुझाव प्रस्तुत किये गये कि -

1- विदेशी सहायता एजेन्सीज अथवा सरकार पर वित्तीय आश्रितता दूर करने के लिए इन संगठनों को स्वयं के आय स्रोतों तथा मुद्राकोष को बढ़ाना चाहिए।

2- कार्यक्रमों की उपादेयता की जांच करने के लिए सहायता देने वाली एजेन्सी को कार्य मानक निर्धारित करके उनकी जांच करनी चाहिए।

3- कार्यकर्त्ताओं की तकनीकी एवं व्यावसायिक क्षमता तथा कार्यकर्ताओं के विकास की व्यवस्थाओं को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाना चाहिए।

4- कार्यकर्त्ताओं की कार्य-सन्तुष्टि को बनाए रखने के लिए संगठनात्मक संरचना में भी बदलाव लाया जाना चाहिए।[26]

सेठ, डी.एल. व अन्य (1991) ने अपने अध्ययन में पाया कि भारत में विगत दो दशक में अनियन्त्रित गति से बढ़ने वाले गैर-राजकीय संगठनों की संख्या ने इनकी प्रतिष्ठा पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया है तथा इन्हें व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति के उपकरण के रूप में पहचाना जाने लगा है। इस बदलाव ने जन-साधारण के विकास के लिए राज्य को एक उपकरण के रूप में प्रस्तुत कर दिया है, किन्तु इस कारण से ये संस्थान अपनी स्वायत्तता तथा राजनैतिक पुनर्निर्माण की स्थिति को खो रहे हैं। शोध अध्ययन में यह सुझाव दिया गया कि स्वयंसेवी प्रयासों को सामान्य व्यक्ति के विकास हेतु उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन संगठनों को अपनी कार्य रचना का पुनर्निर्माण करना चाहिए।[27]

सेन, सिद्धार्थ (1992) ने सामयिक साहित्य, साक्षात्कार एवं निरीक्षण के आधार पर विश्लेषणात्मक विधि द्वारा भारत में स्थित स्वयंसेवी संगठनों तथा लाभ-रहित कार्य करने वाले क्षेत्रों का ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन किया है। इन संगठनों की सामाजिक-आर्थिक विकास में भूमिका, स्वयंसेवी संगठनों के प्रकार, विभिन्न ऐतिहासिक कालों में उनका अस्तित्व, प्राथमिक गतिविधियां, संस्थापक, अभिप्रेरक तथा संगठन के विकास की उन सामान्य कार्यशैलियों का अध्ययन किया है, जिनमें इन संगठनों ने अपना विकास किया है।[28]

मेहता, पी.सी. (1993) ने भारत में जनजाति समुदाय की स्थिति, उनके रीति-रिवाज, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विविध पहलुओं की खोज प्रस्तुत की है। सरकार द्वारा जनजाति समुदाय के संरक्षण हेतु किये गये प्रावधानों की विवेचना इस अध्ययन में की गयी है।[29]

गोविन्दप्पा, के. एवं मुरलीधरुड्डी, पी. (1993) ने राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के भाग के रुप में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम द्वारा स्वास्थ्य, संस्कृति, अर्थ, राजनीति एवं समाज संबंधी कार्यों में जागृत चेतना के प्रसार का मापन करने के लिए अध्ययन किया है।

आन्ध्रप्रदेश के अन्नतपुर जिले में किये गये इस शोध अध्ययन में पाया गया कि -

1- इन केन्द्रों पर आने वाले अधिकांश अधिगमकर्त्ता 25 वर्ष से कम आयु वर्ग के हैं।

2- कार्यक्रम के द्वारा सहभागियों के शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए अधिकतम सफलता प्राप्त की है।

3- यह कार्यक्रम आर्थिक रुप से गरीब लोगों को भी सहभागी बनाने में सफल रहा है।

4- इस कार्यक्रम के सहभागियों में व्यावसायिक स्तर के अनुसार 58.4 प्रतिशत कृषि कार्य करने वाले, 28.3 प्रतिशत कृषि मजदूर तथा 13.3 प्रतिशत कलाभिज्ञ (Artist) थे।[30]

गुल्हाटी, कवि एवं गुल्हाटी, कवल (1995) ने अपने शोध अध्ययन में राजस्थान तथा गुजरात राज्यों के स्वयंसेवी संगठनों का दो स्तरों पर अध्ययन किया है। प्रथमतः ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य, परिवार-नियोजन, महिला-विकास तथा पर्यावरण के क्षेत्र में चलाए गए कार्यक्रमों का पिछड़े राज्य राजस्थान तथा विकसित

राज्य गुजरात में तुलनात्मक अध्ययन किया है। द्वितीय स्तर पर स्वयंसेवी संगठनों से जुड़े मुख्य मुद्दों व सरकार से इनकी आबद्धता की विवेचना की है।

इस हेतु साक्षात्कार अनुसूची के द्वारा दोनों राज्यों में प्रत्येक सैक्टर (क्षेत्र) में स्थित स्वयंसेवी संगठनों का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है। इस अध्ययन में संख्यात्मक पक्ष की बजाए गुणात्मक पक्ष पर अधिक बल दिया गया है। अध्ययन हेतु व्यक्ति-अध्ययन तथा सेमिनार्स आयोजित की गयी।

अध्ययन में पाया गया कि -

1- स्वयंसेवी संगठन राजस्थान की बजाए गुजरात राज्य में अधिक प्रभावी ढंग से कार्यक्रम लागू करने में सफल हो रहे हैं।

2- इन संगठनों के कार्यकर्ता कार्यक्रम लागू करने के लिए उच्चतम ढंग से अभिप्रेरित पाए गए।

3- इन संगठनों में आपसी सहयोग तथा तालमेल निम्न स्तर का पाया गया।

2.4 उपसंहार -

उक्त सभी अध्ययनों सहित सामयिक पत्र-पत्रिकाओं में समय-समय पर प्रकाशित लेखादि के विस्तृत अध्ययनोपरान्त शोधकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि राजस्थान में स्थित स्वयंसेवी संगठनों ने विशेषतः यहां के दक्षिणी-पश्चिमी भाग में अरावली की उपत्यकाओं (पर्वतमाला) में स्थित आदिवासी एवं पिछड़े वर्ग की लम्बे समय से सेवा की है। इस क्षेत्र में स्वयंसेवी संगठनों द्वारा चलाए गये कार्यक्रमों के फलस्वरुप समाज में उत्पन्न चेतना के मापन हेतु तथा स्वयंसेवी संगठनों की कार्यशैली, संरचनात्मक (Structural) एवं प्रकार्यात्मक (Functional) प्रारुप की जांच हेतु अभी तक कोई शोध अध्ययन नहीं किया गया है। फलतः शोधकर्ता ने प्रस्तुत शोध अध्ययन की महत्ता को जानकर इसे हाथ में लिया है।

2.5 **Referemces -**

1. Edward, Bluint - **Social Service in India**, London, His Mygesty's Stationery Office, 1938.

2. Bonrdillon,A.F.C. - **Voluntary Social Services : Their Place in Modern State**, London, Methuen & Co., 1945.

3. Henry,A. Mess - **Voluntary Social Services**, London, Broadway House, 1947.

4. Scott, Jacquelyn Thayer - **VoluntarySectors in Crisis : Canada's Changing Public Philosophy of the State and its Impact on VoluntaryCharitable Organisations**, Ph.D. University of Colorodo at Denver, 1992.

5. Applebaum, Sey more - **Recruiting and rotraining volunteers from minority communities**, Canada, Ed. D. University of Toronto, 1992.

6. Linderman, et al. - **Participation in organised voluntary work : The Relative efforts of Restrictions and personality - characteristics**, Netherlands, Deptt. of Sociology, University Utrecht, 1994.

7. Hunter,Albart -. **National federations : The Role of Voluntary organisations in linking macro and micro orders in civil society**, Evaston, North-Western University, 1994.

8. Cnoan, Ram. A - **Religious People, Religious Congrogations and Volunteerism in Human Service : Is there link ?** , Philadelphia, School of Social Work, 4 Pennsylvania, 1994.

9. Ferrands, Bechmanndan - **Voluntary Action and Active Citizenship**, France, Saint Denis, 1994.

10. O'Connor, Robbert Emnett - **Cause Driven leadership : A model for the effective management of volunteers**, Jr. Ed. D. Spalding University, 1994.

11. Gandhian Institute of Studies - **Voluntary Action for Adult Literacy**, Patna, 1969.

12. Srivastava, L.R.N. - **The problem of integration of the tribal people**, Bombay, Tata Institute of Social Sciences, 1969.

13. Srivastava, L.R.N. - **Developmental Needs of the Tribal People**, New Delhi, Tribal Education Unit, NCERT, 1970.

14. Choudhary, D. Paul - **Voluntary Social Welfare in India**, New Delhi, Sterling Publishers, 1971.

15. Sharma, et al. - **Adult Education Programme in Gujarat - An appraisal**, New Delhi,Allied Publishers, 1972.

16. Rathanayya, E.V - **Structural Constraints in Tribal Education : A Regional Study**, Udaipur, Ph.D. Sociology, Udaipur University, 1974.

17. Naik, J.P. - **A quick appraisal of National Adult Education Programme in Gujarat**, Indian Journal of Adult Education, Vol. No. 40, No.-2, 1-4 Feb.,1979.

18. Shah,A.T. - **A critical study of the programmes of non-formal education in Baroda City and their impact on the community**, Baroda, Ph.D. (Edu.) MSU, 1979.

19. Rai, T.V. et. al. - **Adult Eduction for Social change**, New Delhi, Manohar Publications, 1980.

20. Sachchidanand & others - **Voluntary Effects in Adult Education in Bihar**, Patna,A.N. Sinha, Institute ofSocial Studies, 1981.

21. Singh, R.R. - **Adjustment problems of SC and ST students in Residential Schools in Rajasthan**, New Delhi, NCERT, 1981.

22. Lalitha, N.L. & Kohi, Madhu - **Status of Voluntary Efforts in Social Welfare**, New Delhi, NIPCCD, 1982.

23. Rao, S.V. - **Education and Rural Development**, New Delhi, Sage Publications, 1985.

24. Patel, U.P. - **Voluntary Scene in Vadodara**, Baroda, Unite Ways of Vadodara, 1988.

25. Sree Kumar, S.S. - **Adult Literacy in Tribal Area thro : Voluntary Efforts**, Port Blair, Govt. College, 1990.

26. Narayan, E.V. - **Managing Voluntary Organisations with limited finances & unskilled personnel**,Andhra Pradesh, Deptt. Political Science & Public Administration, Hyderabad, 1991.

27. Seth, D.L. & Sethi, Harsh - **The NGO Sector in India : Historical Context and Current Discourse**, New Delhi, Centre Study Developing Societies, 1991.

28. Sen, Siddartha - **Non-Profit Organisations in India : Historical Development and Common Pattern**, Romonal, Deptt. Urban & Regional Planning California State Polytechnic Univ., 1992.

29. Mehta, P.C. - **Bharat Ke Adivasi**, Udaipur, Shiva Publishers, 1993.

30. Govindappa, K & Murlidhrudi, P - **Creating Social Awareness through Adult Education**,A.P., S.K. University, Anantpur, 1993.

31. Gulhati, Ravi & Gulhati Kaval - **Strengthening Voluntary Action in India**, New Delhi, Konark Publishers Pvt. Ltd., 1995.

तृतीय परिच्छेद

दक्षिणी राजस्थान में स्थित स्वयंसेवी संगठन (ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य)

3.1 **प्रस्तावना -**

राजस्थान का दक्षिणी भूभाग, जो कि एक ओर अरावली पर्वतमालाओं से आच्छादित एवं प्राकृतिक सौन्दर्य व सम्पदा से सराबोर है, वहीं दूसरी ओर भौतिक संसाधनों, यातायात व संचार साधनों की कमी से ग्रस्त है। इस भू-भाग की प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण ही यहां का जनजीवन राजस्थान के अन्य भूभाग के निवासियों से स्पष्टत् अलग नजर आता है। यहां के निवासियों की भाषा, बोली, रीति-रिवाज, मान्यताएँ, विश्वास, रूढ़ियां, आय-अर्जन के स्रोत, शिक्षा का अत्यल्प स्तर आदि से यह क्षेत्र राजस्थान से अलग दृष्टिगोचर होता है। यहां के निवासी अपनी पौराणिक स्थिति से अत्यधिक आबद्ध रहने तथा परिवर्तन की गति मन्द होने के कारण निम्न जीवन स्तर जीने को मजबूर होते है।

राजकीय स्तर पर किये गये प्रयासों की अपर्याप्तता एवं लोगों की अतृप्त आवश्यकताओं को महसूस करके ही कुछ हाथ स्वयंसेवा के लिये आगे बढ़े हैं, जिन्होनें अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए स्थानीय व केन्द्रीय सरकार एवं विदेशी सहायता एजेन्सीज् से भी साथ लिया है। अपने सशक्त हाथों से जनोत्थान का पवित्र कार्य आगे बढ़ाने में संलग्न ये स्वयंसेवी संगठन स्थानीय विकास में महत्ती भूमिका अदा कर रहे हैं।

यद्यपि स्वयंसेवा का कार्य आदिकाल से ही जारी रहा है; किन्तु संगठित एवं नियोजित रूप में यह प्रयास 19वीं सदी के 7वें दशक से आरम्भ हुआ है। तब से आज तक यह प्रयास एक सेवा-क्रान्ति के रूप में आगे बढ़ता जा रहा है। यह इन संगठनों की कार्य लागू करने की प्रभावी स्थिति का ही परिणाम है कि सरकार भी अनेक कल्याण योजनाएं इन संगठनों के माध्यम से ही लागू करवाना अधिक पसन्द कर रही है। (इस क्षेत्र में कार्यरत् एवं प्रस्तुत अध्ययन हेतु चयनित किये गये स्वयंसेवी संगठनों की स्थिति को मानचित्र संख्या - 1 में देखें।)

स्वयंसेवी संगठनों के कार्य परिणामों को जानने के उद्देश्य से ही यह अध्ययन कार्य प्रस्तुत किया जा रहा है। शोधकार्य में अध्ययन किए गए प्रमुख स्वयंसेवी संगठनों का जिलेवार संक्षिप्त परिचय यहां प्रस्तुत किया जा रहा है, जो इस प्रकार है।

अध्ययन क्षेत्र

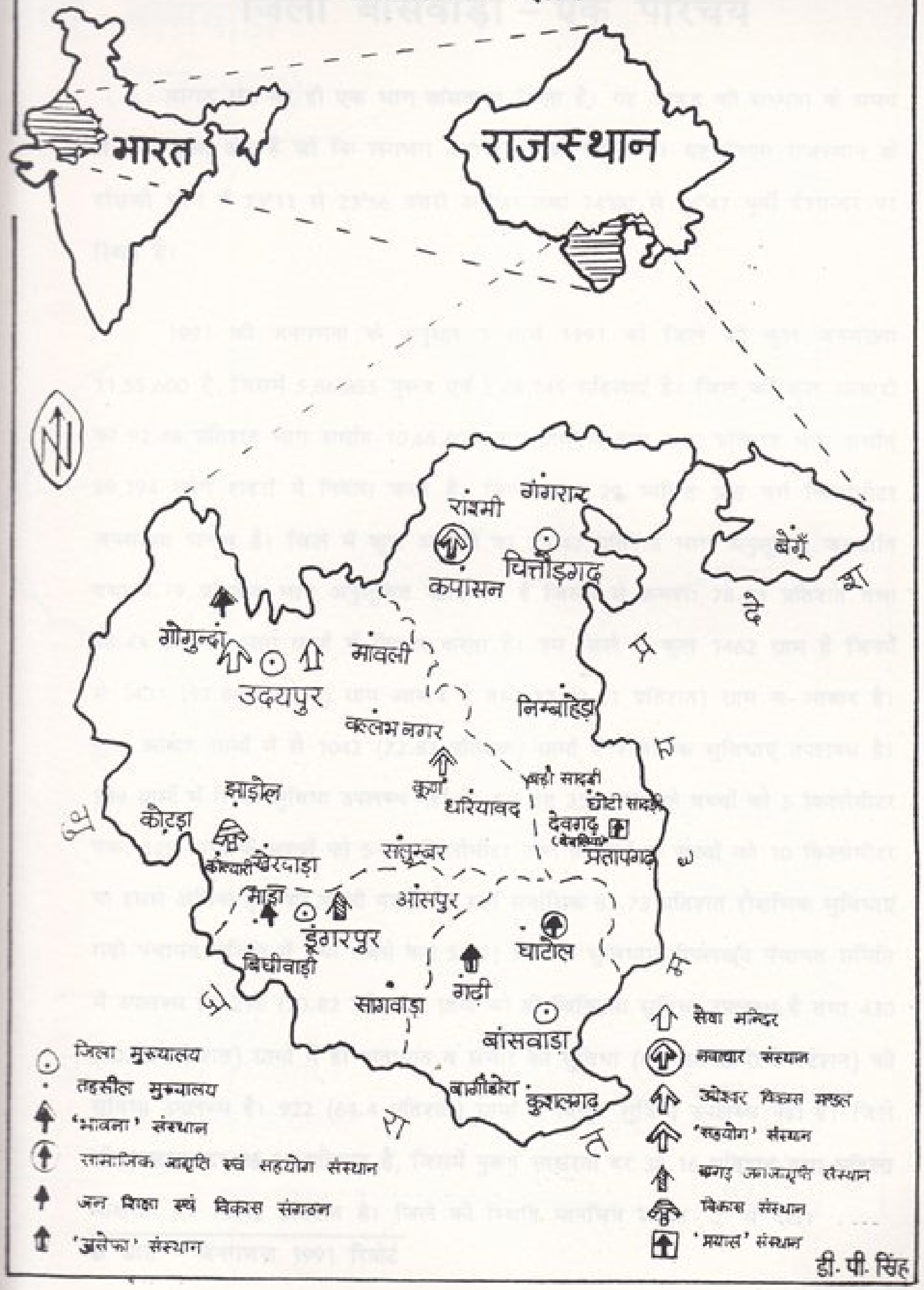
भारत
राजस्थान
राश्मी
गंगरार
चित्तौड़गढ़
कपासन
बेगूं
गोगुन्दा
मावली
उदयपुर
निम्बाहेड़ा
वल्लभ नगर
झाडोल
कुराबड़
धरियावद
बड़ी सादड़ी
छोटी सादड़ी
कोटड़ा
देवगढ़
सलुम्बर
प्रतापगढ़
खेरवाड़ा
माण्डा
आसपुर
डूंगरपुर
घाटोल
बिछीवाड़ा
गढ़ी
सागवाड़ा
बांसवाड़ा
बागीदौरा
कुशलगढ़
जिला मुख्यालय
तहसील मुख्यालय
'भावना' संस्थान
सामाजिक जागृति एवं सहयोग संस्थान
जन शिक्षा एवं विकास संगठन
'आलेख' संस्थान
सेवा मन्दिर
नवाचार संस्थान
'सहयोग' संस्थान
विकास संस्थान
'मशाल' संस्थान
डी. पी. सिंह

जिला बांसवाड़ा - एक परिचय

वागड़ क्षेत्र का ही एक भाग बांसवाड़ा जिला है। यह आहड़ की सभ्यता के समय से बसा हुआ क्षेत्र है जो कि लगभग 400 ई.पू. की घटना है। यह जिला राजस्थान के दक्षिणी भाग में 23°11 से 23°56 उत्तरी अक्षांश तथा 74°00 से 74°47 पूर्वी देशान्तर पर स्थित है।

1991 की जनगणना के अनुसार 1 मार्च 1991 को जिले की कुल जनसंख्या 11,55,600 है, जिसमें 5,86,855 पुरूष एवं 5,68,745 महिलाएं है। जिले की कुल आबादी का 92.48 प्रतिशत भाग अर्थात् 10,66,406 लोग ग्रामों में तथा 7.52 प्रतिशत भाग अर्थात् 89,194 लोग शहरों में निवास करते है। जिले का 2.29 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। जिले में कुल आबादी का 73.47 प्रतिशत भाग अनुसूचित जनजाति तथा 4.79 प्रतिशत भाग अनुसूचित जाति का है जिसमें से क्रमशः 78.83 प्रतिशत तथा 88.43 प्रतिशत भाग ग्रामों में निवास करता है। इस जिले में कुल 1462 ग्राम है जिनमें से 1431 (97.80 प्रतिशत) ग्राम आबाद है तथा 31 (2.21 प्रतिशत) ग्राम ना-आबाद है। कुल आबाद ग्रामों में से 1042 (72.82 प्रतिशत) ग्रामों में शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध है। 389 ग्रामों में शिक्षा सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस हेतु 355 ग्रामों के बच्चों को 5 किलोमीटर तक, 125 ग्रामों के बच्चों को 5-10 किलोमीटर तक, 8 ग्रामों के बच्चों को 10 किलोमीटर या इससे अधिक दूरी पार करनी पड़ती है। यहां सर्वाधिक 87.73 प्रतिशत शैक्षणिक सुविधाएं गढ़ी पंचायत समिति में तथा सबसे कम 55.91 प्रतिशत सुविधाएं पीपलखूंट पंचायत समिति में उपलब्ध है। 298 (20.82 प्रतिशत) ग्रामों को ही चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है तथा 430 (30.05 प्रतिशत) ग्रामों में ही यातायात व संचार की सुविधा (बस-स्टेण्ड/रेल्वे-स्टेशन) की सुविधा उपलब्ध है। 922 (64.4 प्रतिशत) ग्रामों में विघुत सुविधा उपलब्ध नहीं है। जिले की साक्षरता दर 26.00 प्रतिशत है, जिसमें पुरूष साक्षरता दर 38.16 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 13.42 प्रतिशत है। जिले की स्थिति मानचित्र संख्या - 2. में देखें।

● स्रोत - जनगणना 1991 रिपोर्ट

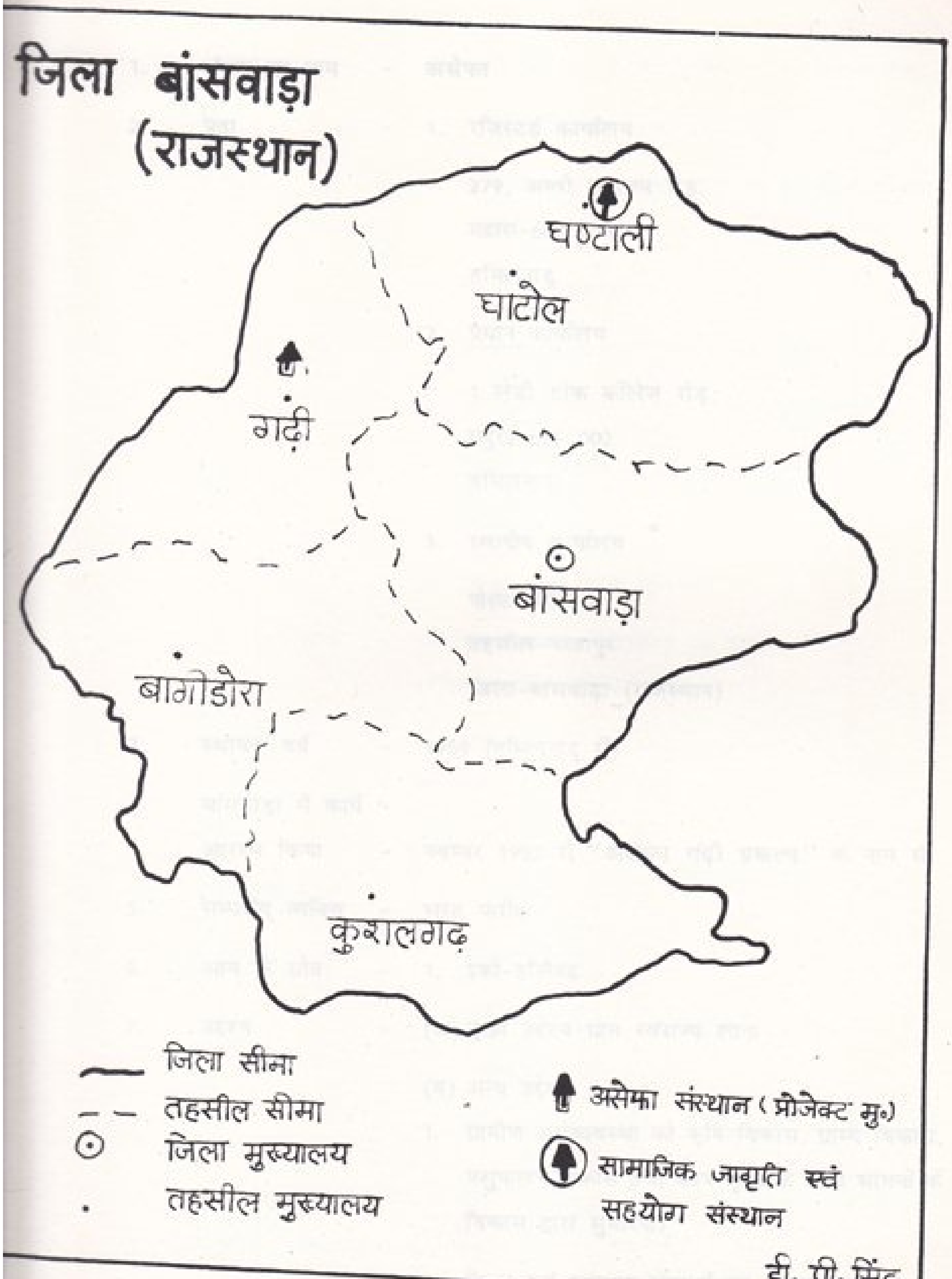
जिला बांसवाड़ा
(राजस्थान)
घण्टाली
घाटोल
गढ़ी
बांसवाड़ा
बागीडोरा
कुशलगढ़
जिला सीना
तहसील सीमा
जिला मुख्यालय
तहसील मुख्यालय
असेम्का संस्थान (प्रोजेक्ट मु॰)
सामाजिक जावृति एवं सहयोग संस्थान
डी॰ पी॰ सिंह

1. संस्था का नाम - **असेफा**

2. पता - 1. रजिस्टर्ड कार्यालय

279, अव्वी शुंभगम रोड,

मद्रास-600 014

तमिलनाडू

2. प्रधान कार्यालय

1 लेडी डोक कॉलेज रोड,

मदुरई-625 002

तमिलनाडू

3. स्थानीय कार्यालय

पोस्ट-गढ़ी

तहसील-परतापुर

जिला-बांसवाड़ा (राजस्थान)

3. स्थापना वर्ष - 1969 (तमिलनाडू में)

4. बांसवाड़ा में कार्य आरम्भ किया - नवम्बर 1992 से **"असेफा गढ़ी प्रकल्प"** के नाम से

5. सम्पर्कय् व्यक्ति - भरत पारीक

6. आय के स्रोत - 1. इको-हॉलैण्ड

7. उद्देश्य - (अ) मुख्य उद्देश्य-ग्राम स्वराज्य लाना

(ब) अन्य उद्देश्य -

1. ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कृषि विकास, ग्राम्य विकास, पशुपालन विकास तथा आय वृद्धि के अन्य साधनों के विकास द्वारा सुधारना।

2. शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना।

3. पर्यावरण रक्षा के लिए वनीकरण को बढ़ावा देना।

4. ग्राम्य बचत को बढ़ावा देना।

8. कार्यक्रम - 1. कृषि विकास हेतु बीज, खाद एवं तकनीकी उपलब्ध करवाना।

2. पशुपालन विकास।

3. कृषि आधारित ग्राम्य उद्योगों को बढ़ावा देना।

4. वनीकरण एवं ईंधन उपार्जन को बढ़ावा देना।

5. सामुहिक संगठनों को मजबूत बनाना।

6. स्वास्थ्य सेवा।

7. शिक्षा प्रसार-लोक जुम्बिश।

9. लाभान्वित ग्राम - परतापुर तहसील के लगभग 45 ग्राम (देखिए मानचित्र संख्या-3)

10. कार्यकर्ता - पूर्णकालिक - 50
अंशकालिक - 150
स्वयंसेवक - 225

11. प्रशासनिक स्वरूप -

निदेशक
|
संगठन सचिव
|
ब्लॉक प्रभारी
|
समन्वयक
|
क्षेत्र कार्यकर्ता
|
स्वयंसेवक

12. मानचित्र (देखिए मानचित्र संख्या-3)

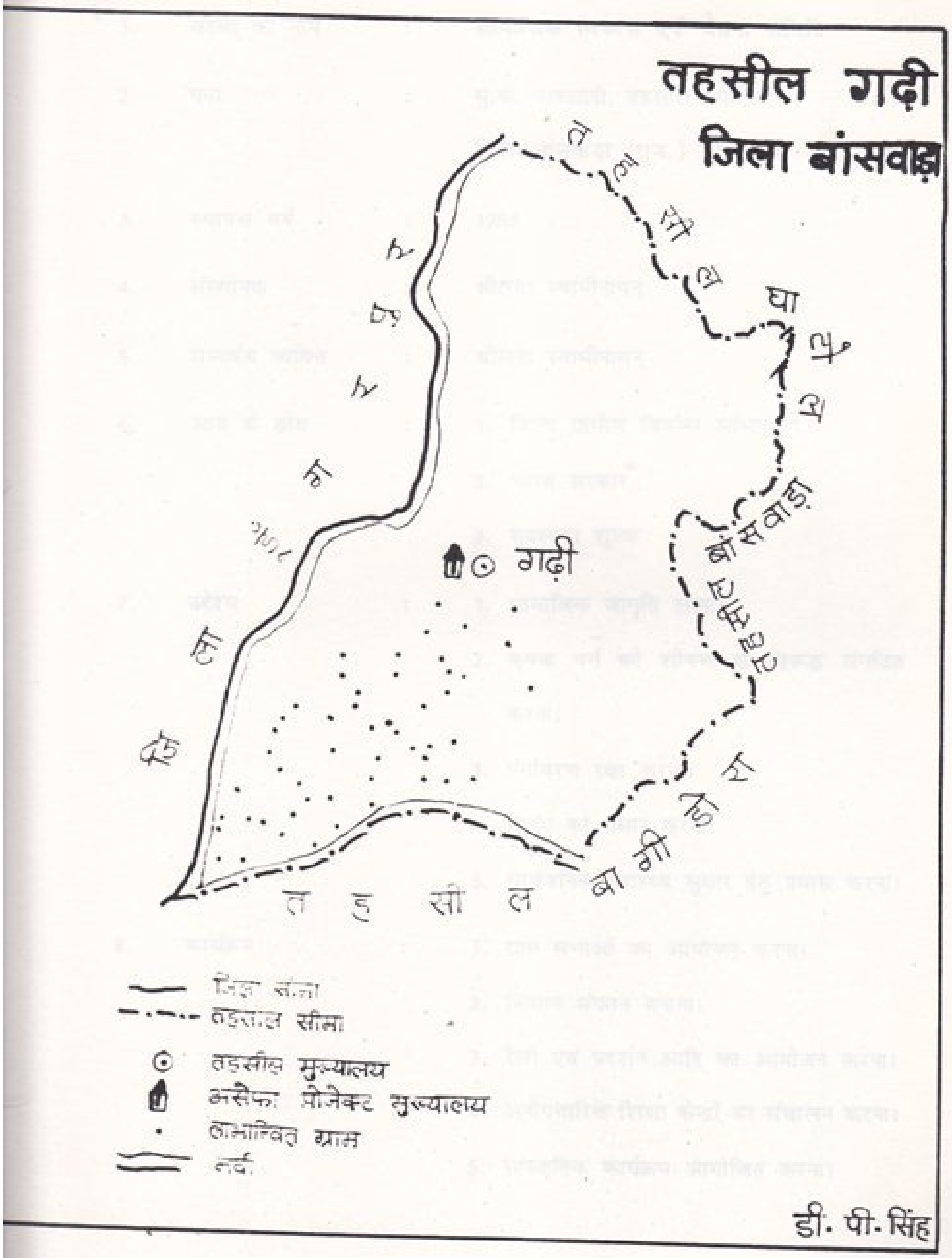
तहसील गढ़ी
जिला बांसवाड़ा
गढ़ी
तहसील घाटोल
तहसील बांसवाड़ा
बागीदोरा
तहसील
जिला संख्या
तहसील सीमा
तहसील मुख्यालय
असेफा प्रोजेक्ट मुख्यालय
लाभान्वित ग्राम
नदी
डी. पी. सिंह

1.	संस्था का नाम	:	**सामाजिक विकास एवं चेतना समिति**
2.	पता	:	मु.पो.-घण्टाली, तहसील-घाटोल जिला-बांसवाड़ा (राज.) 327 027
3.	स्थापना वर्ष	:	1985
4.	संस्थापक	:	श्रीलता स्वामीनाथन्
5.	सम्पर्कय व्यक्ति	:	श्रीलता स्वामीनाथन्
6.	आय के स्रोत	:	1. जिला ग्रामीण विकास अभिकरण 2. भारत सरकार 3. सदस्यता शुल्क
7.	उद्देश्य	:	1. सामाजिक जागृति लाना। 2. कृषक वर्ग को शोषण के विरूद्ध संगठित करना। 3. पर्यावरण रक्षा करना। 4. शिक्षा का प्रसार करना। 5. सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार हेतु प्रयास करना।
8.	कार्यक्रम	:	1. ग्राम सभाओं का आयोजन करना। 2. किसान संगठन बनाना। 3. रैली एवं प्रदर्शन आदि का आयोजन करना। 4. अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों का संचालन करना। 5. सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करना।

9. विशेष : बिखरे हुए कृषक वर्ग को संगठित करना।

10. लाभान्वित ग्राम : घाटोल तहसील के लगभग 10 ग्राम

11. कार्यकर्ता : पूर्ण कालिक - 5

अंशकालिक - 10

स्वयंसेवक - 150

12. प्रशासनिक स्वरूप :

निदेशक
|
सचिव ———————— लेखाकर
|
समन्वयक
|
क्षेत्र समन्वयक
|
स्वयंसेवक

13. मानचित्र (देखिए मानचित्र संख्या-4)

मानचित्र संख्या -5

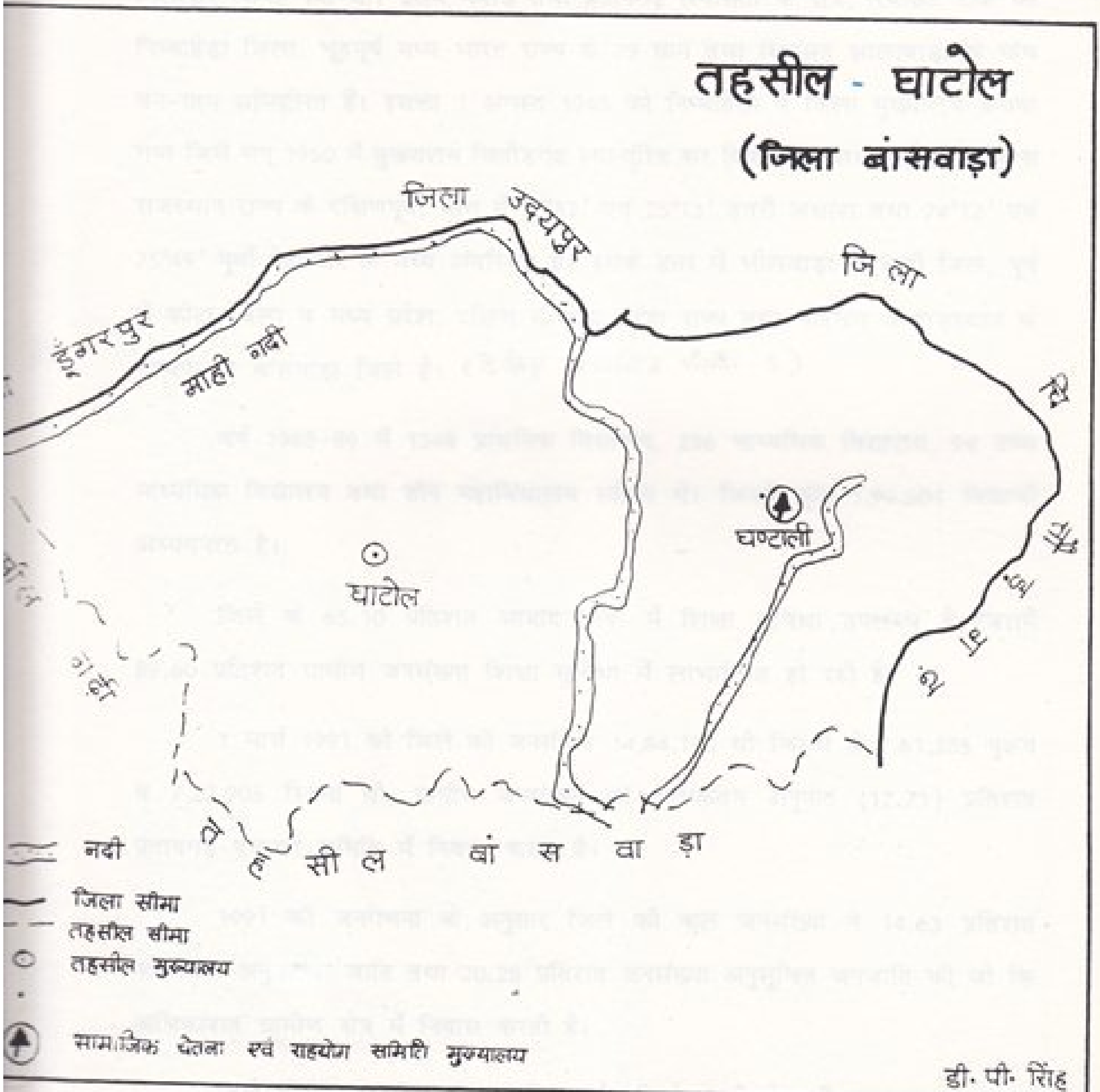
तहसील - घाटोल
(जिला बांसवाड़ा)
जिला उदयपुर
डूंगरपुर
माही नदी
जिला
घाटोल
घण्टाली
तहसील बांसवाड़ा
नदी
जिला सीमा
तहसील सीमा
तहसील मुख्यालय
सामाजिक चेतना एवं सहयोग समिति मुख्यालय
डी. पी. सिंह

जिला चितौड़गढ़ - एक परिचय

चितौड़गढ़ जिले का वर्तमान स्वरूप विभिन्न भूतपूर्व रियासतों के भूभागों को मिलाकर किया गया था। इसमें मेवाड़ तथा प्रतापगढ़ रियासतों के क्षेत्र, रियासत टोंक का निम्बाहेड़ा जिला, भूतपूर्व मध्य-भारत राज्य के 79 ग्राम तथा रियासत झालावाड़ के पांच वन-ग्राम सम्मिलित हैं। इसका 1 अगस्त 1948 को निम्बाहेड़ा में जिला मुख्यालय बनाया गया जिसे सन् 1950 में मुख्यालय चितौड़गढ़ स्थानांतरित कर दिया गया था। चितौड़गढ़ जिला राजस्थान राज्य के दक्षिणपूर्वी भाग में 23°32' एवं 25°13' उत्तरी अक्षांश तथा 74°12' एवं 75°49' पूर्वी देशान्तर के मध्य अवस्थित है। इसके उत्तर में भीलवाड़ा व बून्दी जिले, पूर्व में कोटा जिला व मध्य प्रदेश, दक्षिण में मध्य प्रदेश राज्य तथा पश्चिम में राजस्थान के उदयपुर व बांसवाड़ा जिले है। (देखिए मानचित्र शीट - 5)

वर्ष 1988-89 में 1248 प्राथमिक विद्यालय, 286 माध्यमिक विद्यालय, 94 उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा तीन महाविद्यालय सक्रिय थे। जिनमें कुल 1,96,504 विद्यार्थी अध्ययनरत है।

जिले के 65.10 प्रतिशत आबाद गांवों में शिक्षा सुविधा उपलब्ध है जिसमें 89.60 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या शिक्षा सुविधा में लाभान्वित हो रही है।

1 मार्च 1991 को जिले की जनसंख्या 14,84,190 थी जिसमें से 7,61,285 पुरूष व 7,22,905 स्त्रियां थी, ग्रामीण जनसंख्या का अधिकतम अनुपात (12.71) प्रतिशत प्रतापगढ़-पंचायत समिति में निवास करता है।

1991 की जनगणना के अनुसार जिले की कुल जनसंख्या ने 14.63 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जाति तथा 20.28 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की जो कि अधिकांशत ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है।

जिले की साक्षरता दर 34.28 प्रतिशत है। जिले शहरी क्षेत्र की साक्षरता दर 68,68 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्र की साक्षरता दर 27.80 प्रतिशत आंकी गयी है।

● स्रोत - जनगणना 1991 रिपोर्ट

जिला चित्तौड़गढ़ (राजस्थान)

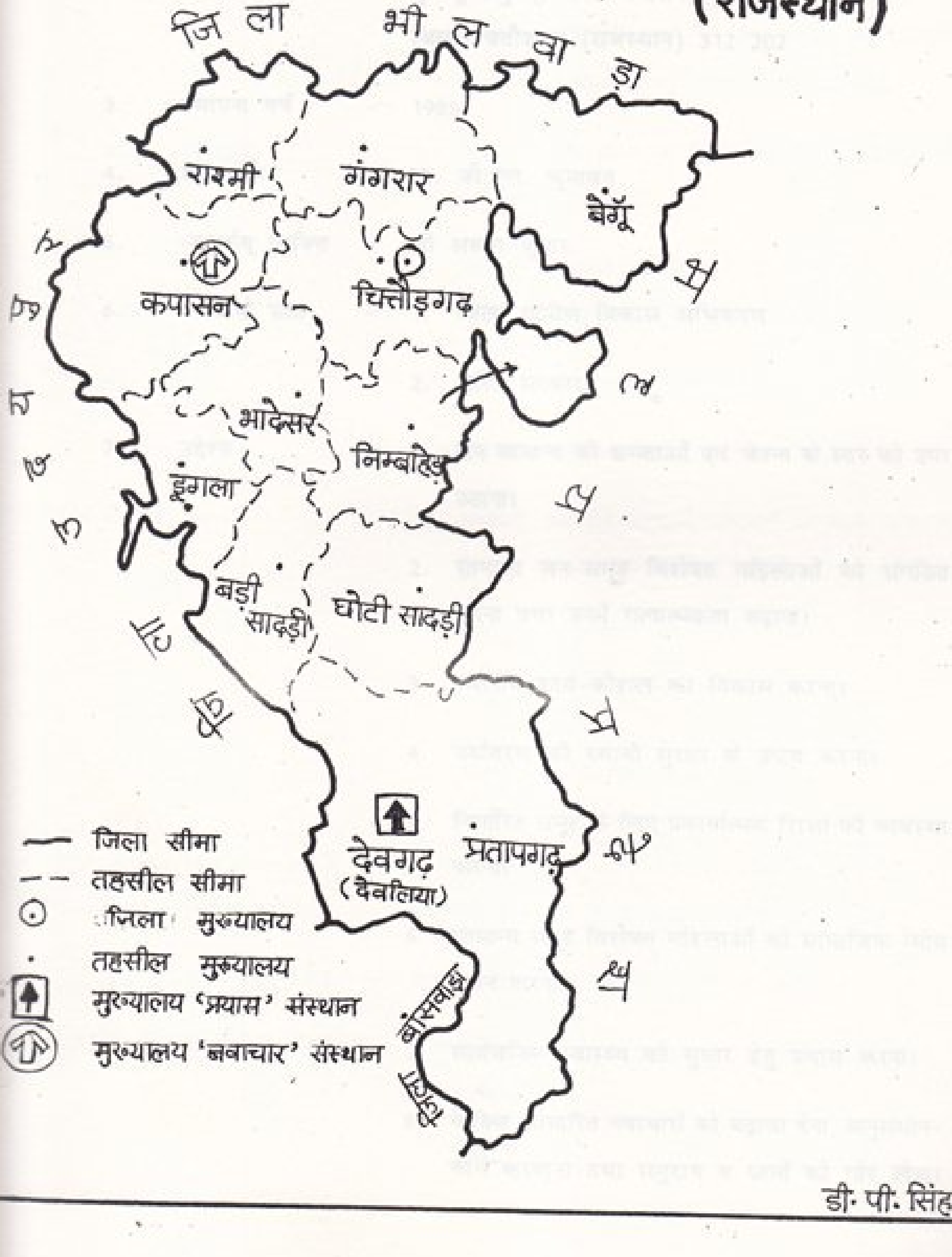

डी. पी. सिंह

1.	संस्था का नाम	-	नवाचार
2.	पता	-	मु.-सुधीरपुरम्, पोस्ट-कपासन, जिला-चितौड़गढ़ (राजस्थान) 312 202
3.	स्थापना वर्ष	-	1985
4.	संस्थापक	-	डा. जी.एल. कुमावत
5.	सम्पर्कय् व्यक्ति	-	श्री अरूण कुमार
6.	आय के स्रोत	-	1. जिला ग्रामीण विकास अभिकरण 2. भारत सरकार
7.	उद्देश्य	-	1. जन सामान्य की क्षमताओं एवं चेतना के स्तर को उपर उठाना। 2. सामान्य जन-समूह विशेषत महिलाओं को संगठित करना तथा उनमें गत्यात्मकता बढ़ाना। 3. स्थानीय कार्य-कौशल का विकास करना। 4. पर्यावरण की स्थायी सुरक्षा के उपाय करना। 5. निर्धारित समूह के लिए प्रकार्यात्मक शिक्षा की व्यवस्था करना। 6. सामान्य समूह विशेषत् महिलाओं को सामाजिक न्याय प्रदान करना। 7. सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुधार हेतु प्रयास करना। 8. व्यक्ति आधारित नवाचारों को बढ़ावा देना, अनुसंधान-कार्य करवाना तथा समुदाय व ग्रामों को गोद लेना।

			9. निर्धारित समूह के विकास के लिए सरकारी एवं गैर-सरकारी संगठनों से सम्पर्क बनाए रखना।
			10. उपयुक्त कृषि एवं पशुपालन तकनीकीयों के विकास के लिए जानकारी तथा कौशल प्रदान करना।
8.	कार्यक्रम	-	1. समूह संगठित करने के लिए ग्राम-स्तर पर सभाओं का आयोजन करना।
			2. प्रदर्शन, प्रशिक्षण एवं अनुभव के आधार पर कार्य-क्षमता विकसित करने का प्रयास करना।
			3. जन-समुदाय आधारित प्रबन्धन विकसित करना।
			4. जन-संसाधनों का विकास करना।
			5. सरकारी एवं गैर-सरकारी संगठनों के साथ संसाधन विकास हेतु सम्पर्क स्थापित करना।
			6. सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करना।
			7. पर्यावरण-चेतना रैली, सभा आयोजित करना।
			8. जन-शिक्षण कार्यक्रम लागू करना।
			9. सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम आयोजित करना।
9.	विशेष	-	स्थानीय संसाधनों के द्वारा क्षेत्र का विकास करना।
10.	लाभान्वित ग्राम	-	कपासन तहसील क्षेत्र के लगभग 16 ग्राम
11.	कार्यकर्ता	-	पूर्णकालिक - 5
			अंशकालिक - 3
			स्वयंसेवक - 20

12. प्रशासनिक स्वरूप

निदेशक
|
सचिव ——— लेखाकार
|
समन्वयक
|
क्षेत्र-कार्यकर्ता
|
स्वयंसेवक

13. मानचित्र (देखिए मानचित्र संख्या - ६)

तहसील कपासन
(जिला चित्तौड़गढ़)

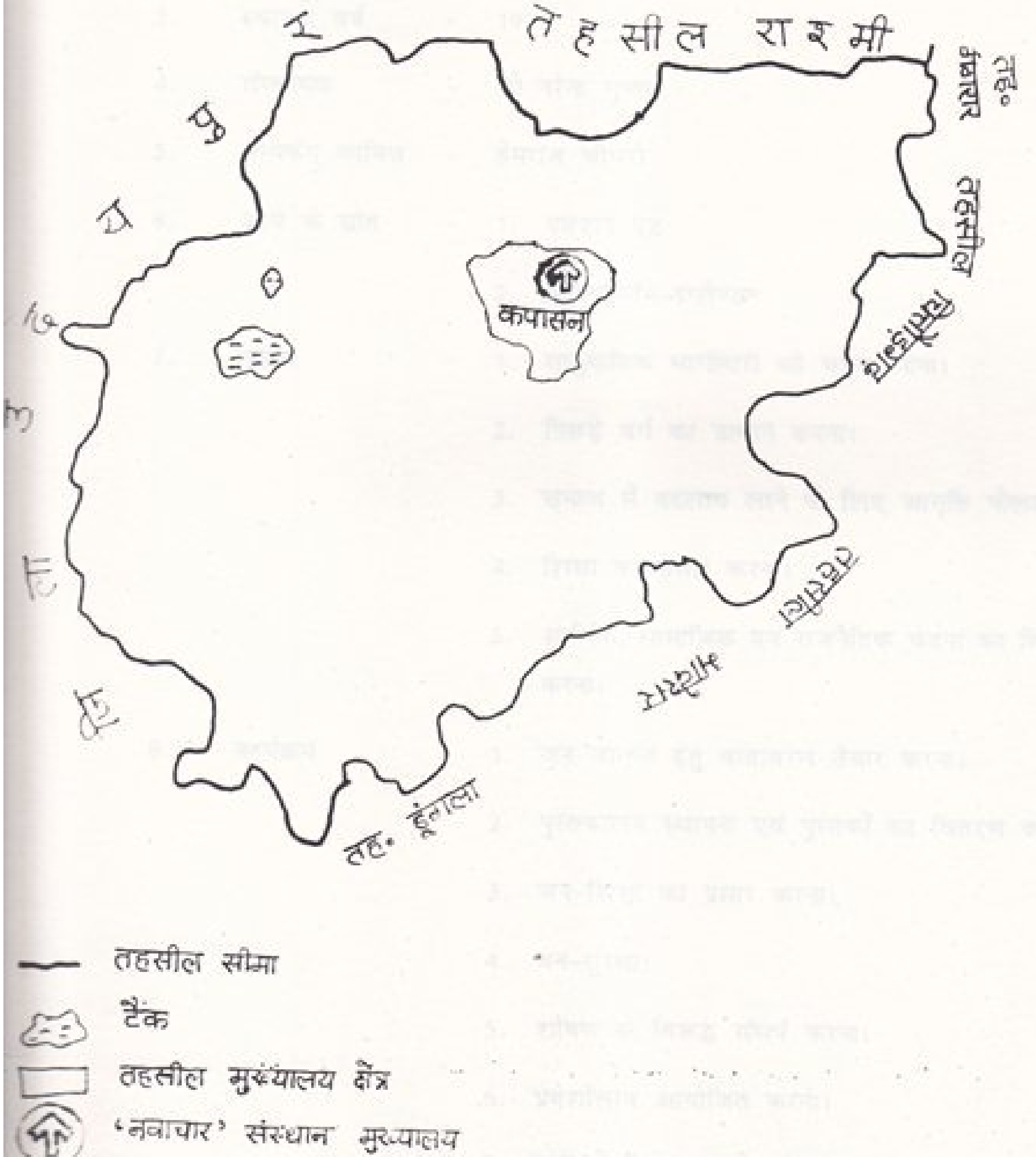

डी. पी. सिंह

1.	संस्था का नाम	-	**प्रयास**
2.	पता	-	पो.-देवगढ़ (देवलिया) तहसील-प्रतापगढ़ जिला-चितौड़गढ़ (राजस्थान)
3.	स्थापना वर्ष	-	1979
4.	संस्थापक	-	श्री नरेन्द्र गुप्ता
5.	सम्पर्कय् व्यक्ति	-	हेमराज चौधरी
6.	आय के स्रोत	-	1. एक्शन एड 2. ऑक्सफॉम-इंग्लैण्ड
7.	उद्देश्य	-	1. सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना। 2. पिछड़े वर्ग का उत्थान करना। 3. समाज में बदलाव लाने के लिए जागृति फैलाना। 4. शिक्षा का प्रसार करना। 5. आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक चेतना का विकास करना।
8.	कार्यक्रम	-	1. जन-जागृति हेतु वातावरण तैयार करना। 2. पुस्तकालय स्थापना एवं पुस्तकों का वितरण करना। 3. जन-शिक्षा का प्रसार करना। 4. वन-सुरक्षा। 5. शोषण के विरूद्ध संघर्ष करना। 6. प्रवेशोत्सव आयोजित करना। 7. बाल-मेलों का आयोजन करना।

9. लाभान्वित ग्राम - प्रतापगढ़ तहसील के लगभग 42 ग्राम

10. कार्यकर्ता - पूर्णकालिक - 12

अर्शकालिक 20

स्वयंसेवक - 100

11. प्रशासनिक स्वरूप -

ट्रस्टी बोर्ड
|
अध्यक्ष
|
सचिव ———— लेखाकार
|
समन्वयक
|
ग्राम कार्यकर्ता
|
स्वयंसेवक

12. मानचित्र (देखिए मानचित्र संख्या- 7)

मानचित्र संख्या - 7.

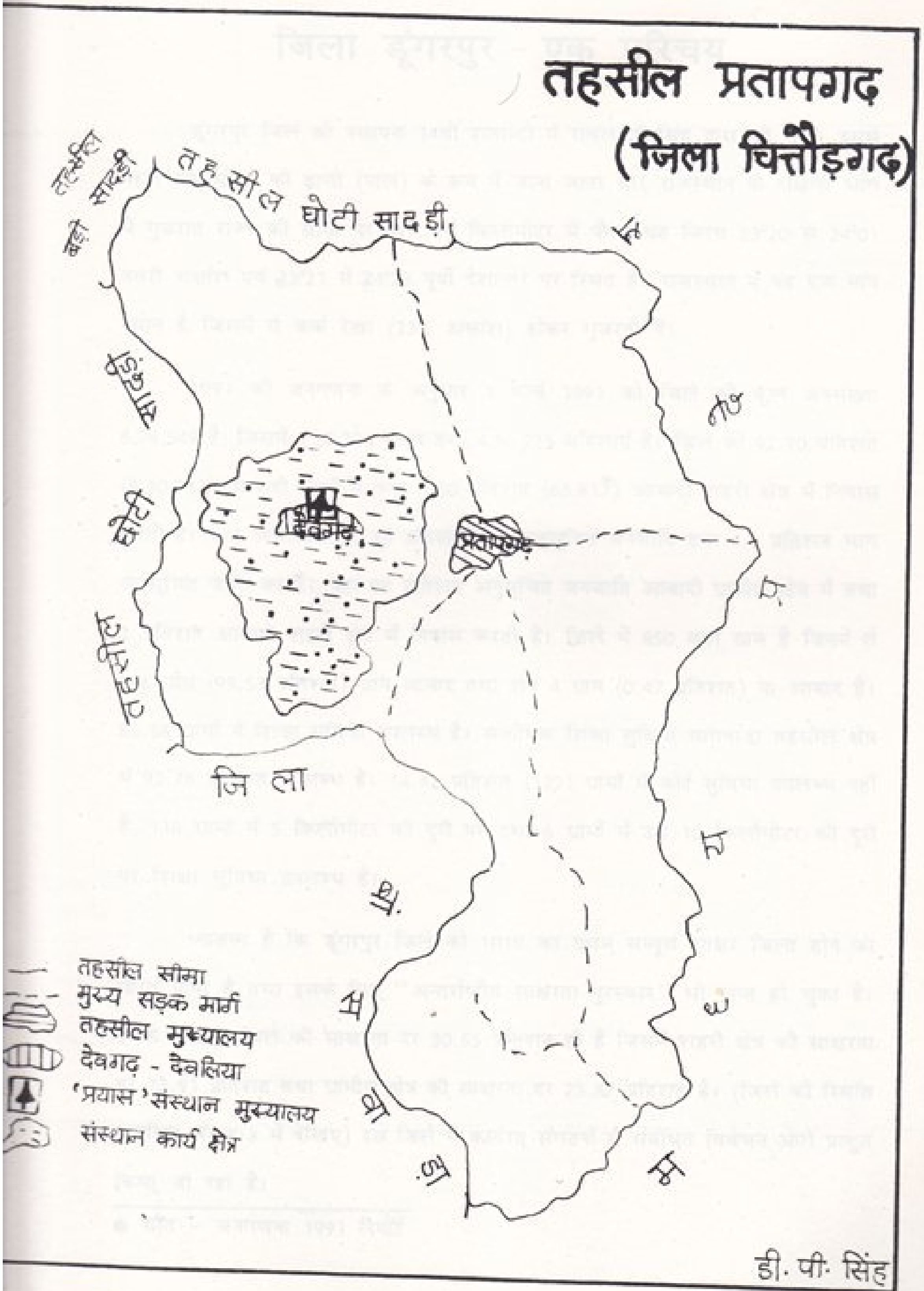
तहसील प्रतापगद
(जिला चित्तौड़गद)
तहसील बड़ी सादड़ी
तहसील छोटी सादड़ी
छोटी सादड़ी तहसील
जिला
देवगद
प्रतापगद
तहसील सीमा
मुख्य सड़क मार्ग
तहसील मुख्यालय
देवगद - देवलिया
'प्रयास' संस्थान मुख्यालय
संस्थान कार्य क्षेत्र
डी. पी. सिंह

जिला डूंगरपुर – एक परिचय

डूंगरपुर जिले की स्थापना 14वीं शताब्दी में रावल वीरसिंह द्वारा की गयी। इससे पहले यह भीलों की ढ़ाणी (पाल) के रूप में जाना जाता था। राजस्थान के दक्षिणी भाग में गुजरात राज्य की सीमा पर 377 वर्ग किलोमीटर में फैला यह जिला 23°20 से 24°01 उत्तरी अक्षांश एवं 73°21 से 74°23 पूर्वी देशान्तर पर स्थित है। राजस्थान में यह एक मात्र स्थान है जिसमें से कर्क रेखा (23°5 अक्षांश) होकर गुजरती है।

1991 की जनगणना के अनुसार 1 मार्च 1991 को जिले की कुल जनसंख्या 8,74,549 है; जिसमें 4,38,324 पुरूष तथा 4,36,225 महिलाएं है। जिले की 92.70 प्रतिशत (8,10,732) आबादी ग्रामों में तथा 7.30 प्रतिशत (63,817) आबादी शहरी क्षेत्र में निवास करती है। कुल आबादी में 65.84 प्रतिशत भाग अनुसूचित जनजाति तथा 4.6 प्रतिशत भाग अनुसूचित जाति का है। यहां 98 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति आबादी ग्रामीण क्षेत्र में तथा 2 प्रतिशत आबादी शहरी क्षेत्र में निवास करती है। जिले में 850 कुल ग्राम है जिनमें से 846 ग्राम (99.53 प्रतिशत) ग्राम आबाद तथा शेष 4 ग्राम (0.47 प्रतिशत) ना-आबाद है। 85.58 ग्रामों में शिक्षा सुविधा उपलब्ध है। सर्वाधिक शिक्षा सुविधा सागवाड़ा तहसील क्षेत्र में 92.76 प्रतिशत उपलब्ध है। 14.42 प्रतिशत (122) ग्रामों में कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, 116 ग्रामों में 5 किलोमीटर की दूरी पर तथा 6 ग्रामों में उसे 10 किलोमीटर की दूरी पर शिक्षा सुविधा उपलब्ध है।

ध्यातव्य है कि डूंगरपुर जिले को भारत का प्रथम सम्पूर्ण साक्षर जिला होने का गौरव प्राप्त है तथा इसके लिए "अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कार" भी प्राप्त हो चुका है। इसके बावजूद जिले की साक्षरता दर 30.55 प्रतिशत ही है जिसमें शहरी क्षेत्र की साक्षरता दर 73.91 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्र की साक्षरता दर 23.87 प्रतिशत है। (जिले की स्थिति मानचित्र संख्या-8 में देखिए) इस जिले में कार्यरत् संगठनों से संबंधित विवेचन आगे प्रस्तुत किया जा रहा है।

● स्रोत - जनगणना 1991 रिपोर्ट

मानचित्र संख्या - 8

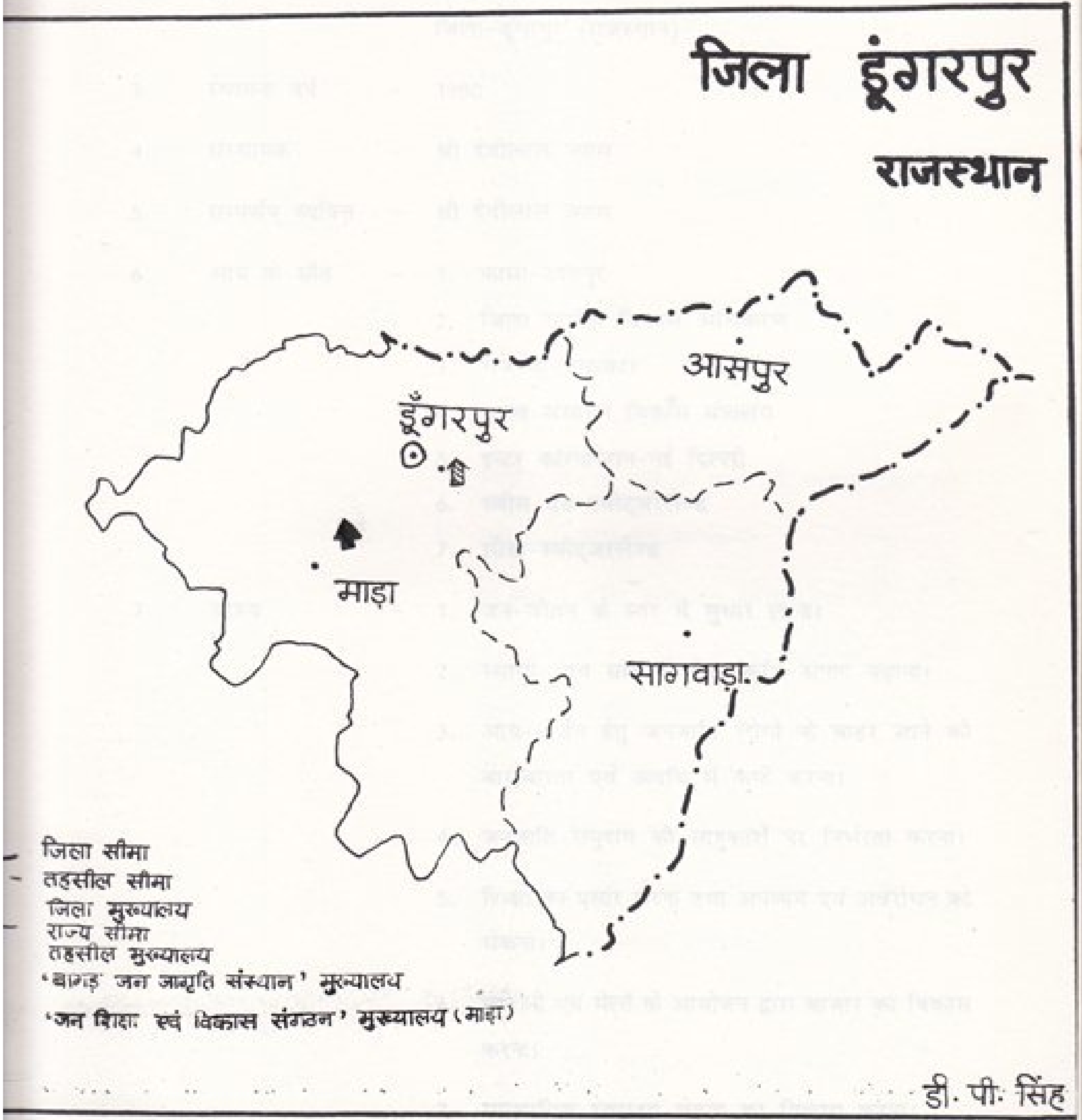
जिला डूंगरपुर
राजस्थान
आसपुर
डूंगरपुर
माड़ा
सागवाड़ा
जिला सीमा
तहसील सीमा
जिला मुख्यालय
राज्य सीमा
तहसील मुख्यालय
'बागड़ जन जागृति संस्थान' मुख्यालय
'जन शिक्षा एवं विकास संगठन' मुख्यालय (माड़ा)
डी. पी. सिंह

1.	संस्था का नाम	-	**पीडो (जन शिक्षा एवं विकास संगठन)**
2.	पता	-	पोस्ट-माड़ा, जिला-डूंगरपुर (राजस्थान)
3.	स्थापना वर्ष	-	1980
4.	संस्थापक	-	श्री देवीलाल व्यास
5.	सम्पर्कय् व्यक्ति	-	श्री देवीलाल व्यास
6.	आय के स्रोत	-	1. कासा-उदयपुर 2. जिला ग्रामीण विकास अभिकरण 3. राजस्थान सरकार 4. मानव संसाधन विकास मंत्रालय 5. इन्टर कॉरपोरेशन-नई दिल्ली 6. स्वीस एड-स्वीट्जरलैण्ड 7. सीडा-स्वीट्जरलैण्ड
7.	उद्देश्य	-	1. जन-जीवन के स्तर में सुधार लाना। 2. स्थायी आय स्रोत के लिए कृषि उत्पाद बढ़ाना। 3. आय-अर्जन हेतु जनजाति लोगो के बाहर जाने की बारम्बारता एवं अवधि में कमी करना। 4. जनजाति-समुदाय की साहुकारों पर निर्भरता करना। 5. शिक्षा का प्रसार करना तथा अपव्यय एवं अवरोधन को रोकना। 6. प्रदर्शनी एवं मेलों के आयोजन द्वारा बाजार का विकास करना। 7. सामुदायिक स्वास्थ्य चेतना का विकास करना।

8. कानून की जानकारी देना तथा स्थानीय नेतृत्व का विकास करना।

9. जनजाति लोगों में आत्मविश्वास बढ़ाना।

8. कार्यक्रम - 1. शिक्षा प्रसार के लिए शिक्षाकर्मी एवं महिला शिक्षा-कर्मी योजना लागू करना।

2. सिंचाई संसाधनों का विकास करना।

3. भूमि अपरदन को रोकना।

अ. ग्राम्य सामुदायिक भूमि को बढ़ावा देना।

ब. निजी भूमि का वनीकरण करना।

स. बीज-बैंक की स्थापना करना।

4. ग्रामीण क्षेत्र में पीने के पानी की व्यवस्था करना।

5. महिला विकास हेतु कार्यक्रम।

अ. महिला बचत कोष की स्थापना करना।

ब. ग्राम स्तर पर चेतना शिविर आयोजित करना।

स. महिला शिविरों का आयोजन करना।

द. डूंगरदाई कार्यक्रम।

य. अन्न बैंक की स्थापना करना।

र. फलदार वृक्ष लगाना तथा सब्जियाँ उगाना।

ल. महिला शिक्षाकर्मी कार्यक्रम।

6. संदेशवाहक संसाधनों का विस्तार करना।

अ. दृश्य-श्रृव्य इकाई की स्थापना करना।

ब. कठपुतली प्रदर्शन।

स. संचार-समिति का गठन करना।

7. वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति।

8. पर्यावरण विद्यालय।

9. विशेष - 1. पर्यावरण विद्यालय

2. महिला शिक्षाकर्मी

10. लाभान्वित ग्राम - बिछीवाड़ा तहसील के लगभग 145 ग्राम

11 कार्यकर्ता - पूर्णकालिक - 85

अंशकालिक - 50

स्वयंसेवक - 150

12. प्रशासनिक स्वरूप -

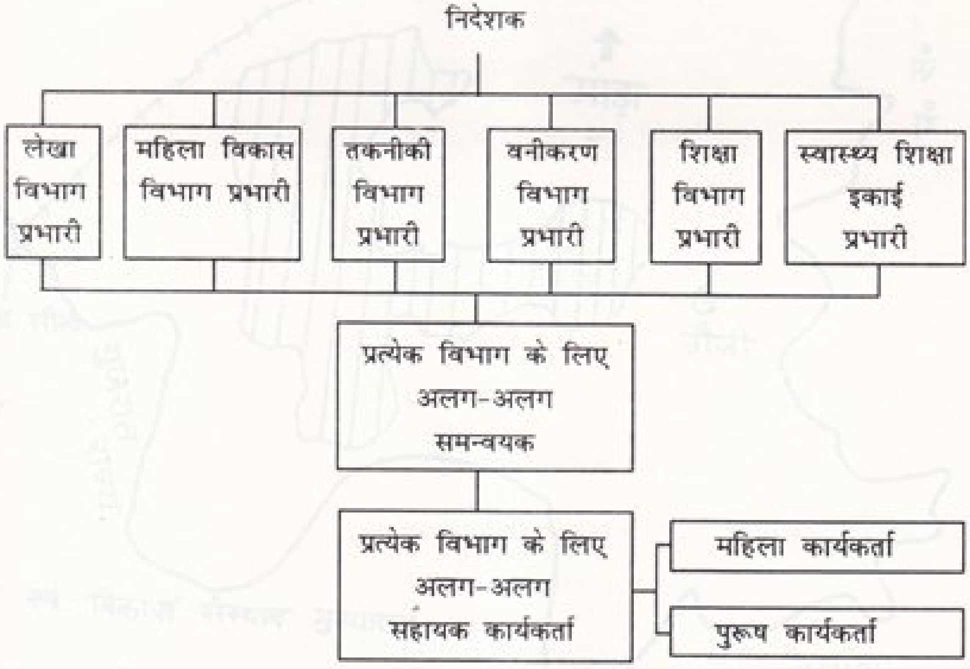

13. मानचित्र (देखिए मानचित्र संख्या-7)

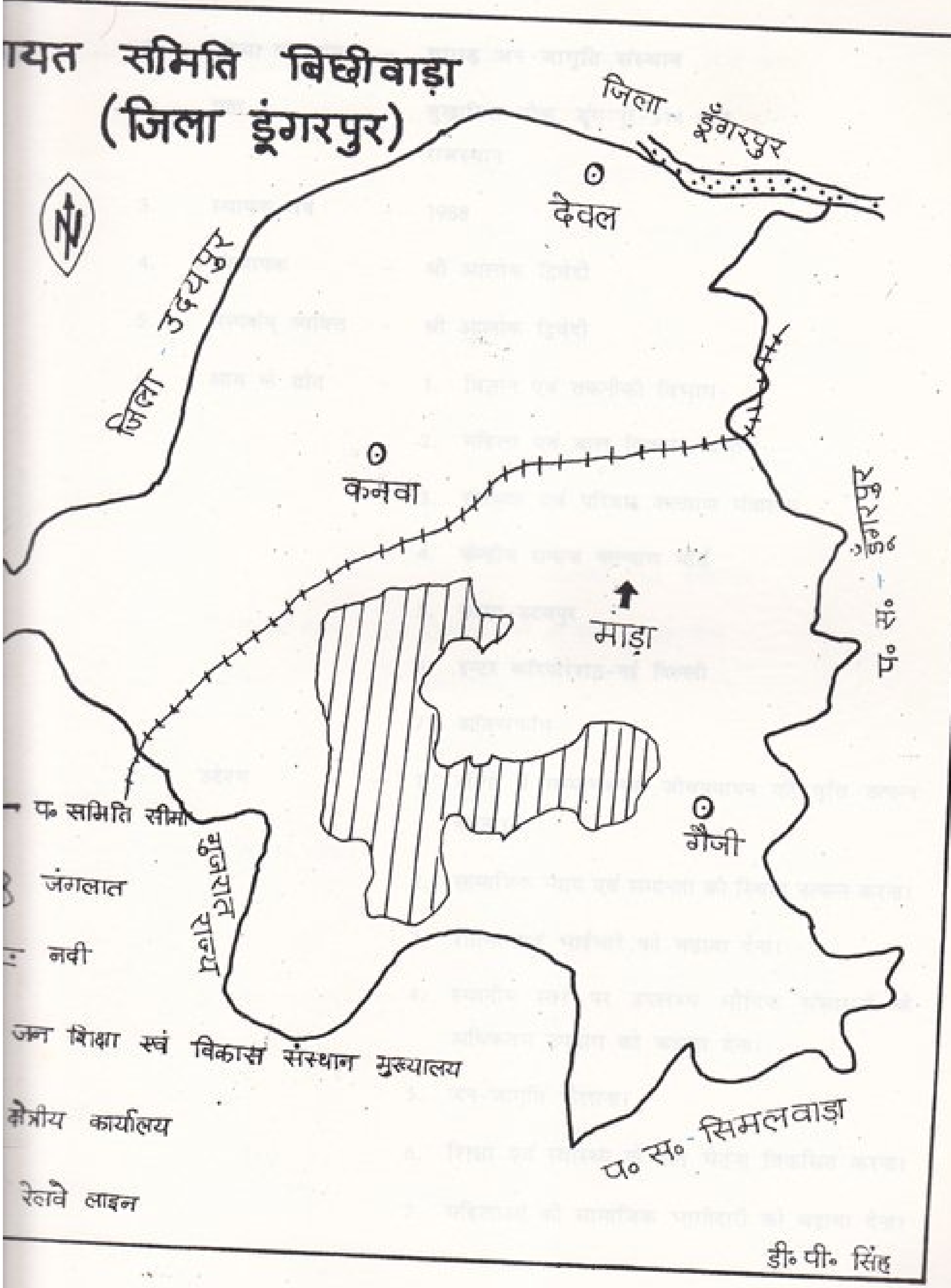
ायत समिति बिछीवाड़ा
(जिला डूंगरपुर)
N
जिला डूंगरपुर
देवल
जिला उदयपुर
कनवा
माड़ा
गैजी
प॰ सं॰ - पुनाली
गुजरात राज्य
प॰ सं॰ - सिमलवाड़ा
प॰ समिति सीमा
जंगलात
नदी
जन शिक्षा एवं विकास संस्थान मुख्यालय
क्षेत्रीय कार्यालय
रेलवे लाइन
डी॰ पी॰ सिंह

1.	संस्था का नाम	-	**वागड़ जन जागृति संस्थान**
2.	पता	-	बुखारिया चौक, डूंगरपुर-314 001 राजस्थान
3.	स्थापना वर्ष	-	1988
4.	संस्थापक	-	श्री आलोक द्विवेदी
5.	सम्पर्कय् व्यक्ति	-	श्री आलोक द्विवेदी
6.	आय के स्रोत	-	1. विज्ञान एवं तकनीकी विभाग 2. महिला एवं बाल विकास विभाग 3. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 4. केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड 5. कासा-उदयपुर 6. इन्टर कॉरपोरेशन-नई दिल्ली 7. ऑक्सफॉम
7.	उद्देश्य	-	1. लोगों में सम्मानजनक जीवनयापन की वृत्ति उत्पन्न करना। 2. सामाजिक न्याय एवं समानता की स्थिति उत्पन्न करना। 3. शान्ति एवं भाईचारे को बढ़ावा देना। 4. स्थानीय स्तर पर उपलब्ध भौतिक संसाधनों के अधिकतम उपयोग को बढ़ावा देना। 5. जन-जागृति फैलाना। 6. शिक्षा एवं स्वास्थ्य के प्रति चेतना विकसित करना। 7. महिलाओं की सामाजिक भागीदारी को बढ़ावा देना।

8. कार्यक्रम - 1. पर्यावरण रक्षा के स्थायी उपाय करना।

2. वन सुरक्षा समितियों का गठन करना।

3. निर्धूम चूल्हें लगवाना।

4. स्थायी आय स्रोतों को बढ़ावा देना।

अ. कृषि भूमि विकास।

ब. मछली पकड़ने के जाल बनाने का प्रशिक्षण देना।

स. सब्जियां लगवाना।

द. सामुदायिक सिंचाई व्यवस्था करना।

य. हैण्डपम्प लगवाना।

र. स्वयं सहायता समूह बनवाना।

9. लाभान्वित ग्राम - डूंगरपर जिले के लगभग 35 ग्राम

10. कार्यकर्ता

पूर्णकालिक		6
अंशकालिक	-	6
स्वयंसेवक	-	50

11. प्रशासनिक स्वरूप -

निदेशक
|
सचिव ———————— लेखाकार
|
समन्वयक
|
कार्यकर्ता
|
स्वयंसेवक

12. मानचित्र (देखिए मानचित्र संख्या- 10) -

मानचित्र संख्या - 10

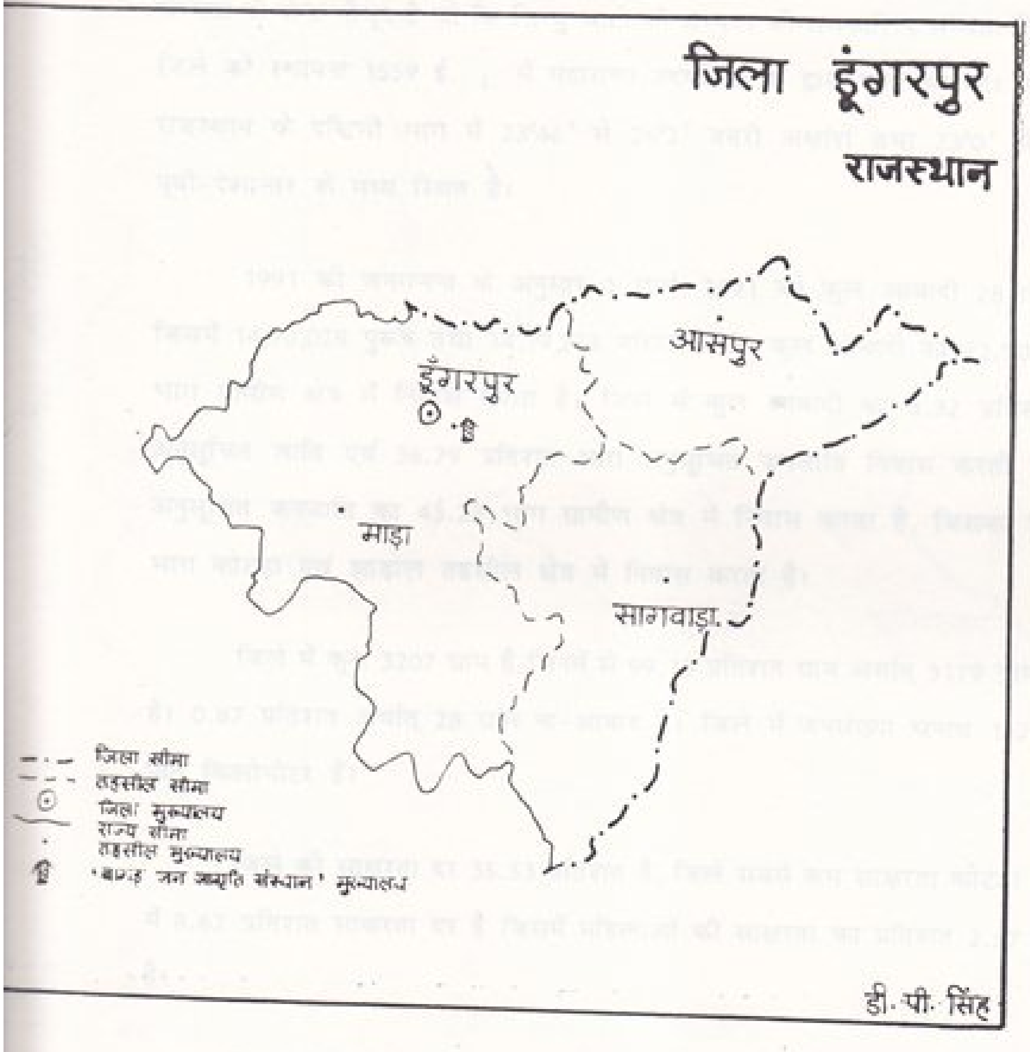
जिला डूंगरपुर
राजस्थान
आसपुर
डूंगरपुर
माड़ा
सागवाड़ा
जिला सीमा
तहसील सीमा
जिला मुख्यालय
राज्य सीमा
तहसील मुख्यालय
'बागड़ जन जागृति संस्थान' मुख्यालय
डी.पी. सिंह

जिला उदयपुर – एक परिचय

प्राचीन काल का 'मैदापाट' वर्तमान उदयपुर जिला है। यहां आहड़ एवं गिलुण्ड की सभ्यता के केन्द्र मौजूद है जो कि सिन्धु घाटी की सभ्यता की समकालिन सभ्यता हैं। उदयपुर जिले की स्थापना 1559 ई. में महाराणा उदयसिंह जी द्वारा की गयी थी। यह जिला राजस्थान के दक्षिणी भाग में 23°46' से 26°2' उत्तरी अक्षांश तथा 73°0' से 74°35' पूर्वी-देशान्तर के मध्य स्थित है।

1991 की जनगणना के अनुसार 1 मार्च, 1991 को कुल आबादी 28,89,301 है जिसमें 14,70,028 पुरूष तथा 14,19,273 महिलाएँ थी। कुल आबादी का 82.90 प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है। जिले में कुल आबादी का 8.32 प्रतिशत भाग अनुसूचित जाति एवं 36.79 प्रतिशत भाग अनुसूचित जनजाति निवास करती है। कुल अनुसूचित जनजाति का 43.23 भाग ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है, जिसका सर्वाधिक भाग कोटड़ा एवं झाड़ोल तहसील क्षेत्र में निवास करता है।

जिले में कुल 3207 ग्राम है जिनमें से 99.13 प्रतिशत ग्राम अर्थात् 3179 ग्राम आबाद हैं। 0.87 प्रतिशत अर्थात् 28 ग्राम ना-आबाद है। जिले में जनसंख्या घनत्व 167 व्यक्ति प्रति किलोमीटर हैं।

जिले की साक्षरता दर 35.53 प्रतिशत है, जिले सबसे कम साक्षरता कोटड़ा तहसील में 8.67 प्रतिशत साक्षरता दर है जिसमें महिलाओं की साक्षरता का प्रतिशत 2.57 प्रतिशत है।

जिले की स्थिति मानचित्र संख्या-// में देखें। इस जिले में कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों जिनका चयन प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु किया गया है का विवेचन आगे प्रस्तुत किया जा रहा है।

● स्रोत - जनगणना 1991 रिपोर्ट

मानचित्र संख्या - 11

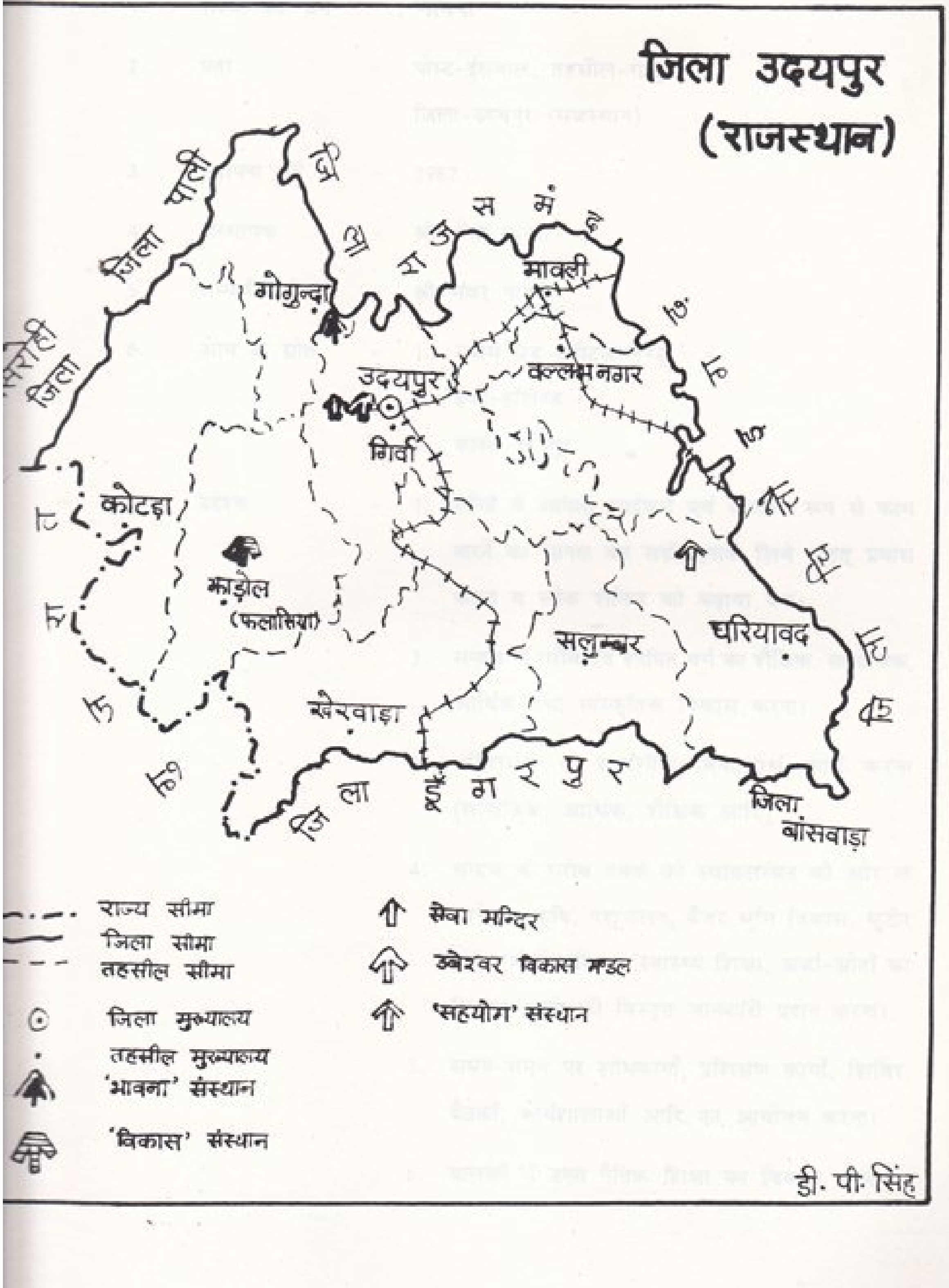
जिला उदयपुर
(राजस्थान)
जिला पाली
सिरोही जिला
गोगुन्दा
मावली
उदयपुर
वल्लभनगर
गिर्वा
कोटड़ा
झाड़ोल
(फलासिया)
सलुम्बर
घरियावद
खेरवाड़ा
जिला
बांसवाड़ा
राज्य सीमा
जिला सीमा
तहसील सीमा
जिला मुख्यालय
तहसील मुख्यालय
'भावना' संस्थान
'विकास' संस्थान
सेवा मन्दिर
ग्रामीण विकास मंडल
'सहयोग' संस्थान
डी. पी. सिंह

1.	संस्था का नाम	-	भावना
2.	पता	-	पोस्ट-ईसवाल, तहसील-गोगुन्दा जिला-उदयपुर (राजस्थान)
3.	स्थापना वर्ष	-	1987
4.	संस्थापक	-	श्री भंवर पानेरी
5.	सम्पर्क व्यक्ति	-	श्री भंवर पानेरी
6.	आय के स्रोत	-	1. स्वीस एड-स्वीटजरलैण्ड 2. इको-हॉलैण्ड 3. कासा-उदयपुर
7.	उद्देश्य	-	1. लोगो में आपसी भाईचारे एवं संगठित रूप से काम करने का मानस बन सके, इसके लिये सतत् प्रयास करना व लोक शक्ति को बढ़ावा देना। 2. समाज के गरीब एवं शोषित वर्ग का शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास करना। 3. महिलाओं के सर्वांगीण विकासार्थ कार्य करना (सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक आदि) 4. समाज के गरीब तबके को स्वावलम्बन की ओर ले जाने हेतु कृषि, पशुपालन, बैंजर भूमि विकास, कुटीर एवं ग्रामोद्योग शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, ऊर्जा-स्रोतों का विकास आदि की विस्तृत जानकारी प्रदान करना। 5. समय-समय पर शोधकार्यों, प्रशिक्षण कार्यों, शिविर, बैठकों, कार्यशालाओं आदि का आयोजन करना। 6. बालकों में उच्च नैतिक शिक्षा का विकास करना।

8. कार्यक्रम - 1. अनौपचारिक शिक्षा
2. बचत साख कोष
3. एनिकट निर्माण
4. मेड़बन्दी
5. सामुदायिक भवन निर्माण
6. वृक्षारोपण
7. स्वास्थ्य शिक्षा
8. सांस्कृतिक कार्यक्रम
9. कुटीर उद्योग-धन्धों की स्थापना

9. लाभान्वित ग्राम - उदयपुर जिले की गोगुन्दा तहसील के 8 ग्राम पंचायत क्षेत्र (देखिए मानचित्र संख्या............)

10. कार्यकर्ता - पूर्णकालिक - 5
अशंकालिक - 4
स्वयंसेवी - 21

11. प्रशासनिक स्वरूप - ट्रस्टी बोर्ड
|
अध्यक्ष
|
सचिव —— लेखाकार
|
क्षेत्र कार्यकर्ता

12. मानचित्र (देखिए मानचित्र संख्या-12) -

मानचित्र संख्या - 12

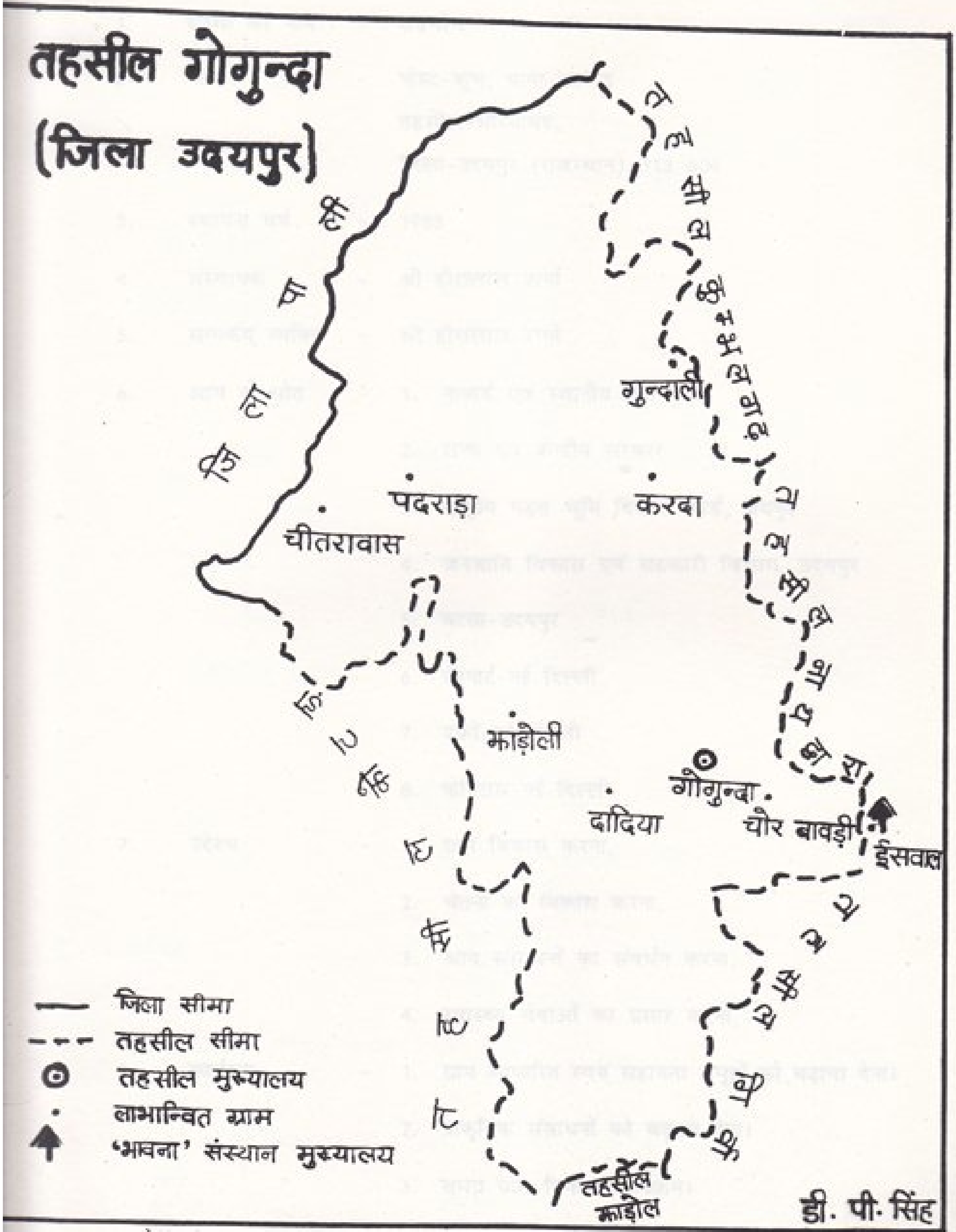
तहसील गोगुन्दा
(जिला उदयपुर)
गुन्दाली
करदा
पंदराड़ा
चीतरावास
झाड़ोली
गोगुन्दा
दादिया
चौर बावड़ी
ईसवाल
तहसील झाड़ोल
जिला सीमा
तहसील सीमा
तहसील मुख्यालय
लाभान्वित ग्राम
'भावना' संस्थान मुख्यालय
डी. पी. सिंह

1.	संस्था का नाम	-	**सहयोग**
2.	पता	-	पोस्ट-कूण, वाया-कानोड़ तहसील-धरियावद, जिला-उदयपुर (राजस्थान) 313 604
3.	स्थापना वर्ष	-	1988
4.	संस्थापक	-	श्री हीरालाल शर्मा
5.	सम्पर्कय् व्यक्ति	-	श्री हीरालाल शर्मा
6.	आय के स्रोत	-	1. नाबार्ड एवं स्थानीय बैंक 2. राज्य एवं केन्द्रीय सरकार 3. राष्ट्रीय पड़त भूमि विकास बोर्ड, जयपुर 4. जनजाति विकास एवं सहकारी विभाग, उदयपुर 5. कासा-उदयपुर 6. *कापार्ट-नई दिल्ली* 7. एफ्रो-नई दिल्ली 8. केरिटास-नई दिल्ली
7.	उद्देश्य	-	1. ग्राम विकास करना, 2. चेतना का विकास करना, 3. आय संसाधनों का संवर्धन करना, 4. स्वास्थ्य सेवाओं का प्रसार करना,
8.	कार्यक्रम	-	1. ग्राम आधारित स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देना। 2. प्राकृतिक संसाधनों को बढ़ावा देना। 3. समग्र ग्राम विकास कार्यक्रम।

4. सामुदायिक स्वास्थ्य एवं जनसंख्या शिक्षा को बढ़ावा देना।

5. फल एवं सब्जियों के बागान लगाना।

6. भूमि एवं पानी अपक्षय कार्यक्रम।

7. लिफ्ट सिंचाई योजना लगाना।

8. संदेश वाहन को बढ़ावा देना।

9. जन-शिक्षा केन्द्रों को बढ़ावा देना।

10. जन संचय कोष स्थापित करना।

9. लाभान्वित ग्राम - धरियावद तहसील एवं वल्लभनगर तहसील क्षेत्र के लगभग 35 ग्राम

10. कार्यकर्ता - पूर्णकालिक - 10

स्वयंसेवक - 50

11. प्रशासनिक स्वरूप -

ट्रस्टी बोर्ड
|
अध्यक्ष
|
सचिव ———————— लेखाकार
|
ग्राम कार्यकर्ता
|
स्वयंसेवक

12. मानचित्र (देखिए मानचित्र संख्या - 13) -

मानचित्र संख्या - 13

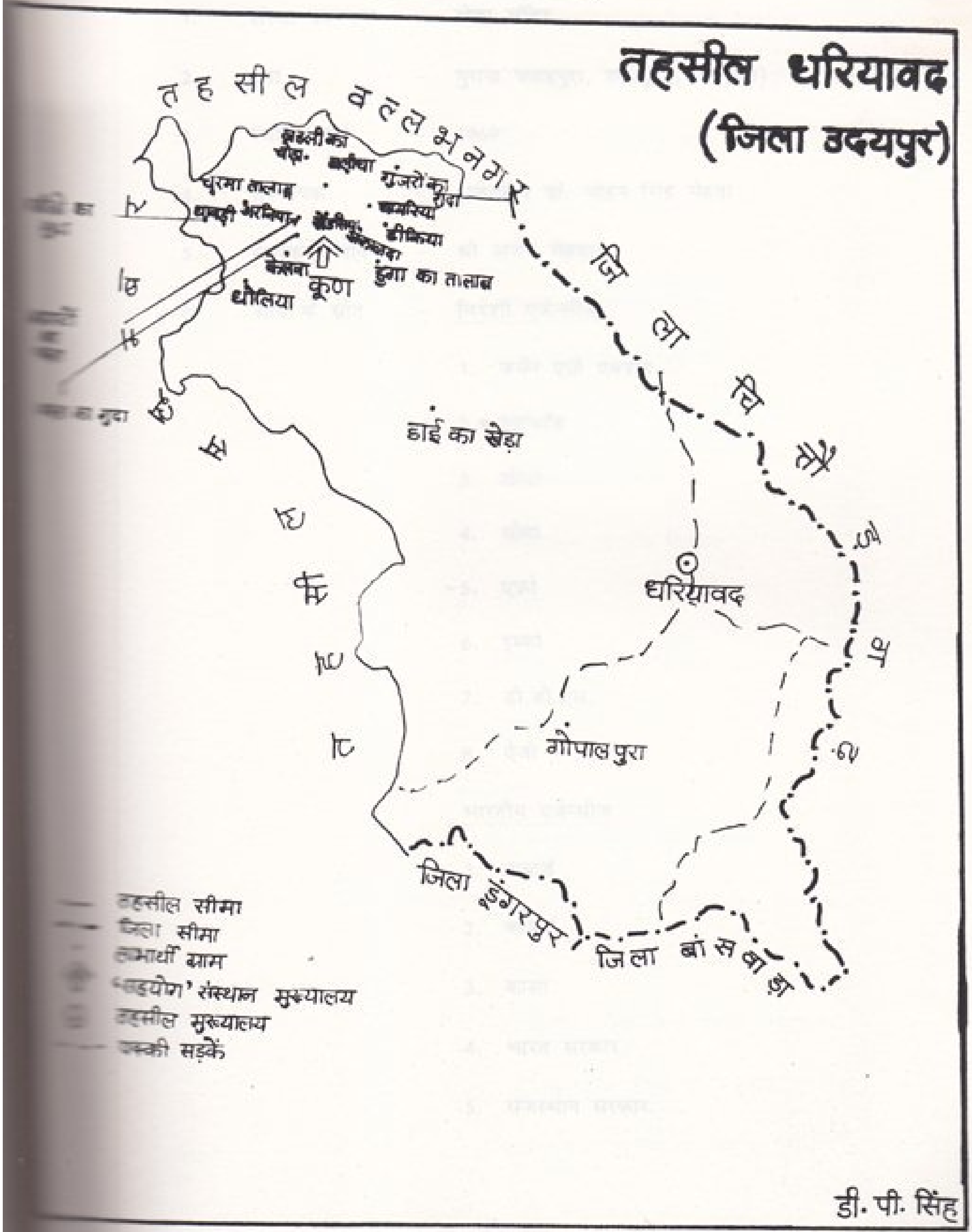
तहसील धरियावद
(जिला उदयपुर)
तहसील वल्लभनगर
धुरमा तालाब
कूण
डूंगा का तालाब
धौलिया
डाई का खेड़ा
धरियावद
गोपालपुरा
जिला डूंगरपुर
जिला बांसवाड़ा
तहसील सीमा
जिला सीमा
लाभार्थी ग्राम
'सहयोग' संस्थान मुख्यालय
तहसील मुख्यालय
पक्की सड़कें
डी. पी. सिंह

1. संस्था का नाम - **सेवा मंदिर**

2. पता - पुराना फतहपुरा, उदयपुर (राजस्थान)

3. स्थापना वर्ष - 1969

4. संस्थापक - (स्वर्गीय) डॉ. मोहन सिंह मेहता

5. सर्म्पकय् व्यक्ति - श्री अजय मेहता

6. आय के स्रोत - विदेशी एजेन्सीज्

1. जर्मन एग्रो एक्शन
2. एक्फॉड
3. सीडा
4. सीवा
5. एफ्रो
6. इम्को
7. डी.डी.एस.
8. ऐजी

भारतीय एजेन्सीज

1. नाबार्ड
2. कापार्ट
3. कासा
4. भारत सरकार
5. राजस्थान सरकार

7. उद्देश्य - 1. जन-सहभागिता को बढ़ावा देना।

2. सामाजिक, शैक्षिक चेतना को बढ़ावा देना।

3. शिक्षा का प्रसार करना।

4. कृषि विकास।

5. गरीबी उन्मूलन

6. महिला एवं बालक विकास

7. स्वास्थ्य सेवाओं का प्रसार

8. कार्यक्रम - 1. परती भूमि एवं जलग्रहण प्रबन्ध

2. जल संसाधन प्रबन्ध

3. सामुदायिक सम्पत्ति विकास

4. शिक्षा

5. महिला एवं बाल विकास

6. स्वास्थ्य

7. अन्य -

अ. कृषि में सुधार एवं नवाचार

ब. बायो गैस संयंत्र तथा चूल्हे लगवाना

स. कुएँ गहरे करवाना

द. सम्पर्क सड़कों का निर्माण करवाना

य. सामुदायिक केन्द्रों की स्थापना करना

र. विद्यालय भवनों का निर्माण करना

9. ब्लॉक कार्यालय - 1. झाड़ोल

2. कोटड़ा

3. खेरवाड़ा

4. गिर्वा

10. लाभान्वित ग्राम -

क्र.सं.	तहसील	लाभान्वित ग्राम संख्या
1.	झाड़ोल	129
2.	खेरवाड़ा	114
3.	बड़गांव	37
4.	गिर्वा	64
5.	कोटड़ा	88
6.	गोगुन्दा	13
	कुल	445

11. प्रशासनिक स्वरूप (देखिए पृष्ठ संख्या-84) -

12. मानचित्र (देखिए मानचित्र संख्या - 14) -

प्रशासनिक स्वरूप

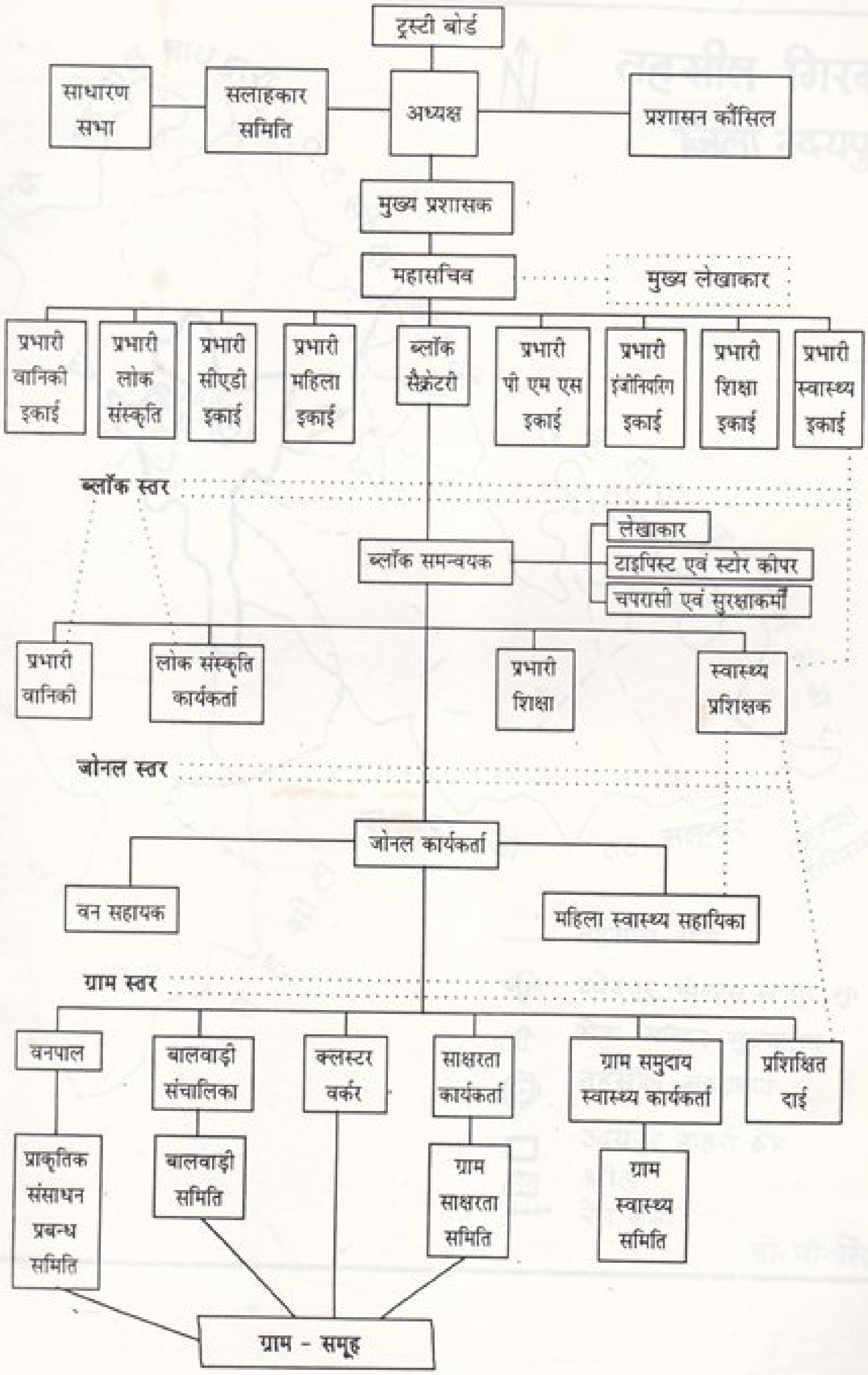
ट्रस्टी बोर्ड
साधारण सभा
सलाहकार समिति
अध्यक्ष
प्रशासन कौंसिल
मुख्य प्रशासक
महासचिव
मुख्य लेखाकार
प्रभारी वानिकी इकाई
प्रभारी लोक संस्कृति
प्रभारी सीएडी इकाई
प्रभारी महिला इकाई
ब्लॉक सैक्रेटरी
प्रभारी पी एम एस इकाई
प्रभारी इंजीनियरिंग इकाई
प्रभारी शिक्षा इकाई
प्रभारी स्वास्थ्य इकाई
ब्लॉक स्तर
लेखाकार
ब्लॉक समन्वयक
टाइपिस्ट एवं स्टोर कीपर
चपरासी एवं सुरक्षाकर्मी
प्रभारी वानिकी
लोक संस्कृति कार्यकर्ता
प्रभारी शिक्षा
स्वास्थ्य प्रशिक्षक
जोनल स्तर
जोनल कार्यकर्ता
वन सहायक
महिला स्वास्थ्य सहायिका
ग्राम स्तर
वनपाल
बालवाड़ी संचालिका
क्लस्टर वर्कर
साक्षरता कार्यकर्ता
ग्राम समुदाय स्वास्थ्य कार्यकर्ता
प्रशिक्षित दाई
प्राकृतिक संसाधन प्रबन्ध समिति
बालवाड़ी समिति
ग्राम साक्षरता समिति
ग्राम स्वास्थ्य समिति
ग्राम - समूह

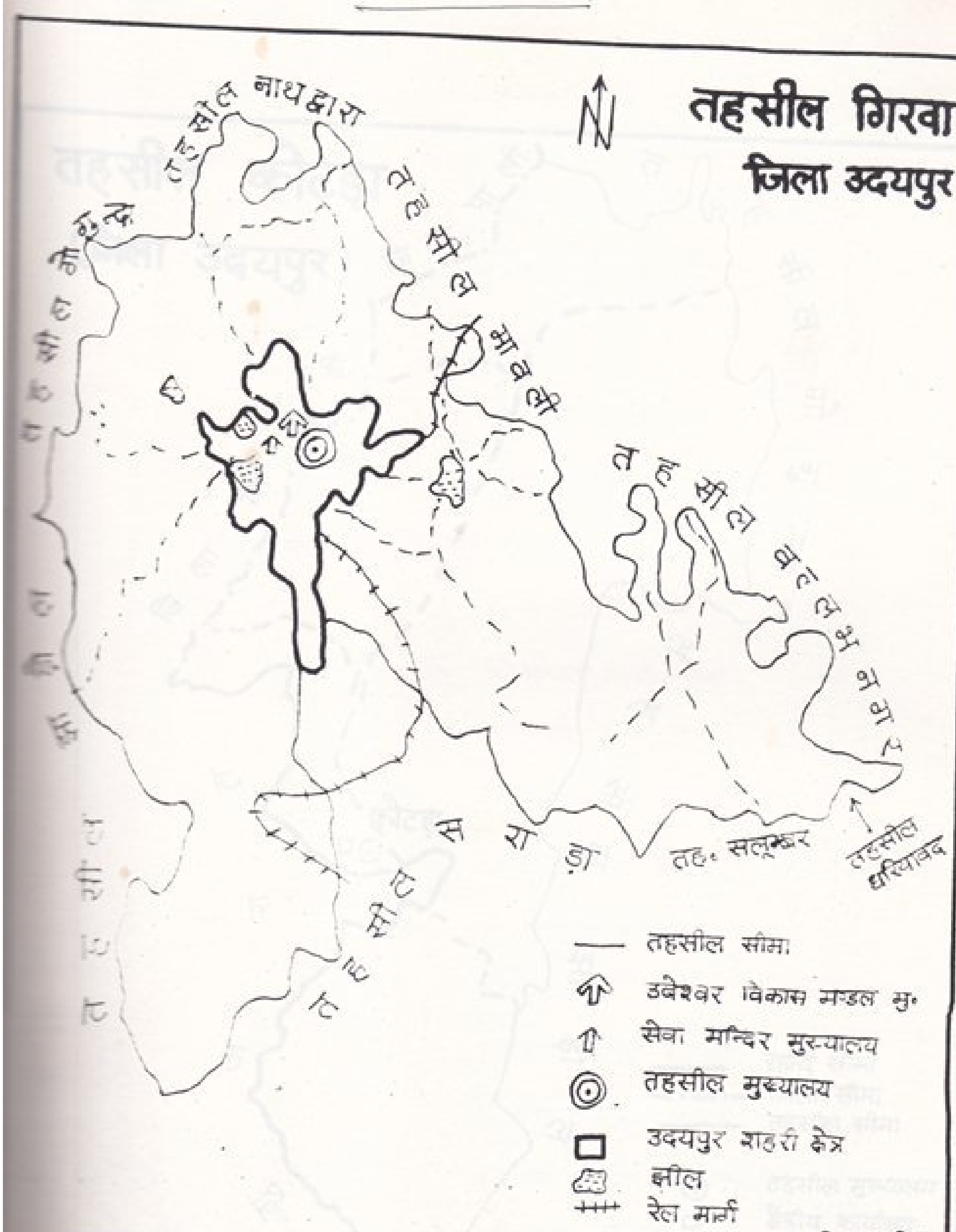
तहसील गिरवा
जिला उदयपुर
N
तहसील नाथद्वारा
तह. सलूम्बर
तहसील धरियावद
तहसील सीमा
डबोक्षर विकास मण्डल मु.
सेवा मन्दिर मुख्यालय
तहसील मुख्यालय
उदयपुर शहरी क्षेत्र
झील
रेल मार्ग
डी. पी. सिंह

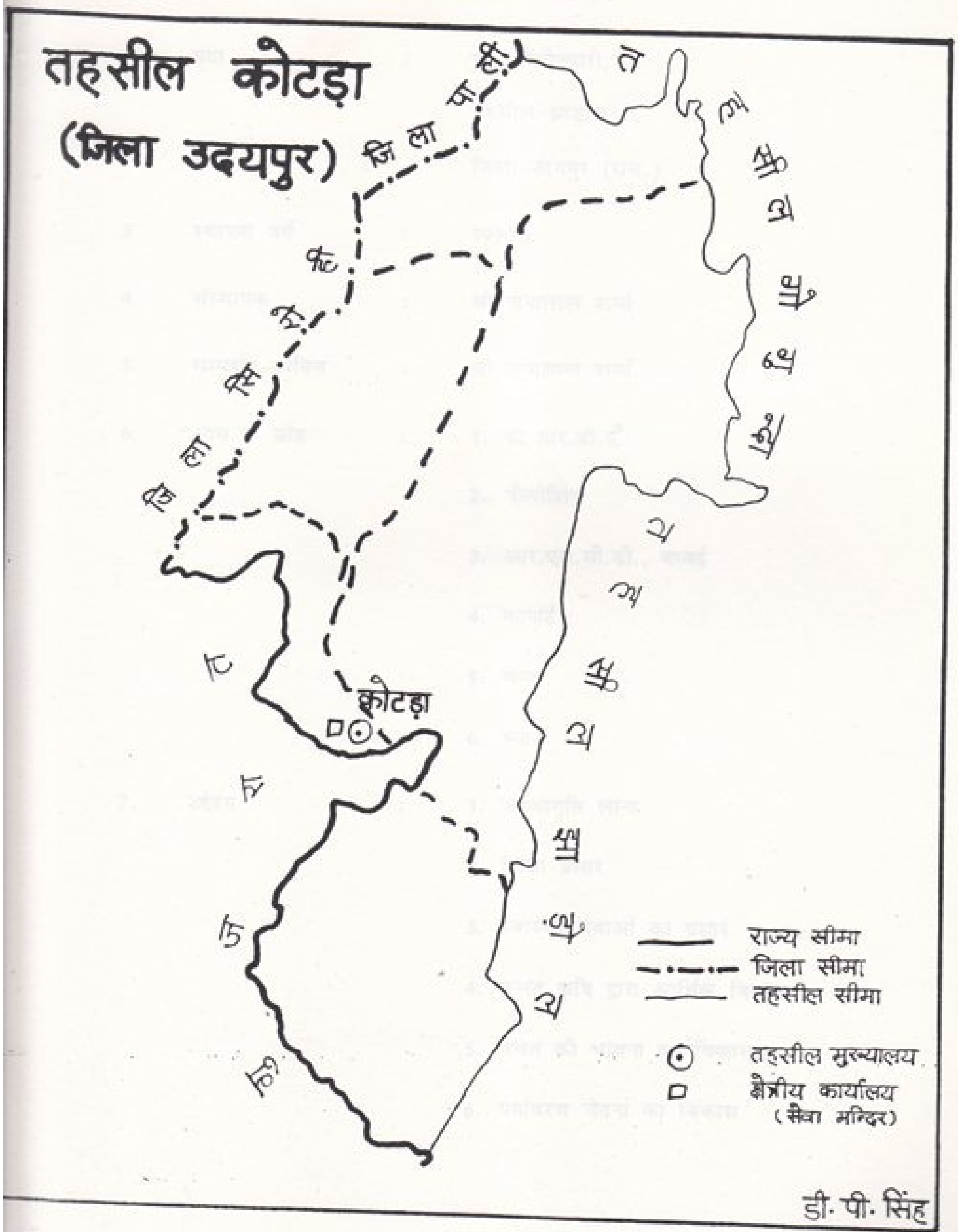
तहसील कोटड़ा
(जिला उदयपुर)
जिला पाली
कोटड़ा
राज्य सीमा
जिला सीमा
तहसील सीमा
तहसील मुख्यालय
क्षेत्रीय कार्यालय (सेवा मन्दिर)
डी. पी. सिंह

1.	संस्था का नाम	:	**विकास संस्थान**
2.	पता	:	मु.पो.-कोल्यारी, तहसील-झाड़ोल जिला-उदयपुर (राज.)
3.	स्थापना वर्ष	:	1990
4.	संस्थापक	:	श्री नानालाल शर्मा
5.	सम्पर्कय व्यक्ति	:	श्री नानालाल शर्मा
6.	आय के स्रोत	:	1. डी.आर.डी.ए. 2. फैलोशिप 3. आर.एस.सी.डी., बम्बई 4. कापार्ट 5. चन्दा 6. ब्याज
7.	उद्देश्य	:	1. जनजागृति लाना 2. शिक्षा प्रसार 3. स्वास्थ्य सेवाओं का प्रसार 4. उन्नत कृषि द्वारा आर्थिक विकास 5. बचत की भावना का विकास 6. पर्यावरण चेतना का विकास

8. कार्यक्रम : 1. समूह बैठक लेना।

2. मेड़बन्दी व एनिकट निर्माण

3. सांस्कृतिक कार्यक्रम

4. बचत समिति निर्माण

5. पशुपालन विकास

6. शिक्षा प्रसार

7. पर्यावरण चेतना

8. स्वास्थ्य सेवाओं का प्रसार

9. लाभान्वित ग्राम : झाड़ोल तहसील के लगभग 20 ग्राम

10. कार्यकर्ता : पूर्ण कालिक - 20

अंशकालिक - 35

स्वयंसेवक - 100

12. प्रशासनिक स्वरूप : निदेशक

|

सचिव ——————— लेखाकर

|

समन्वयक

|

क्षेत्र समन्वयक

|

स्वयंसेवक

13. मानचित्र (देखिए मानचित्र संख्या - 15) -

मानचित्र संख्या - 15

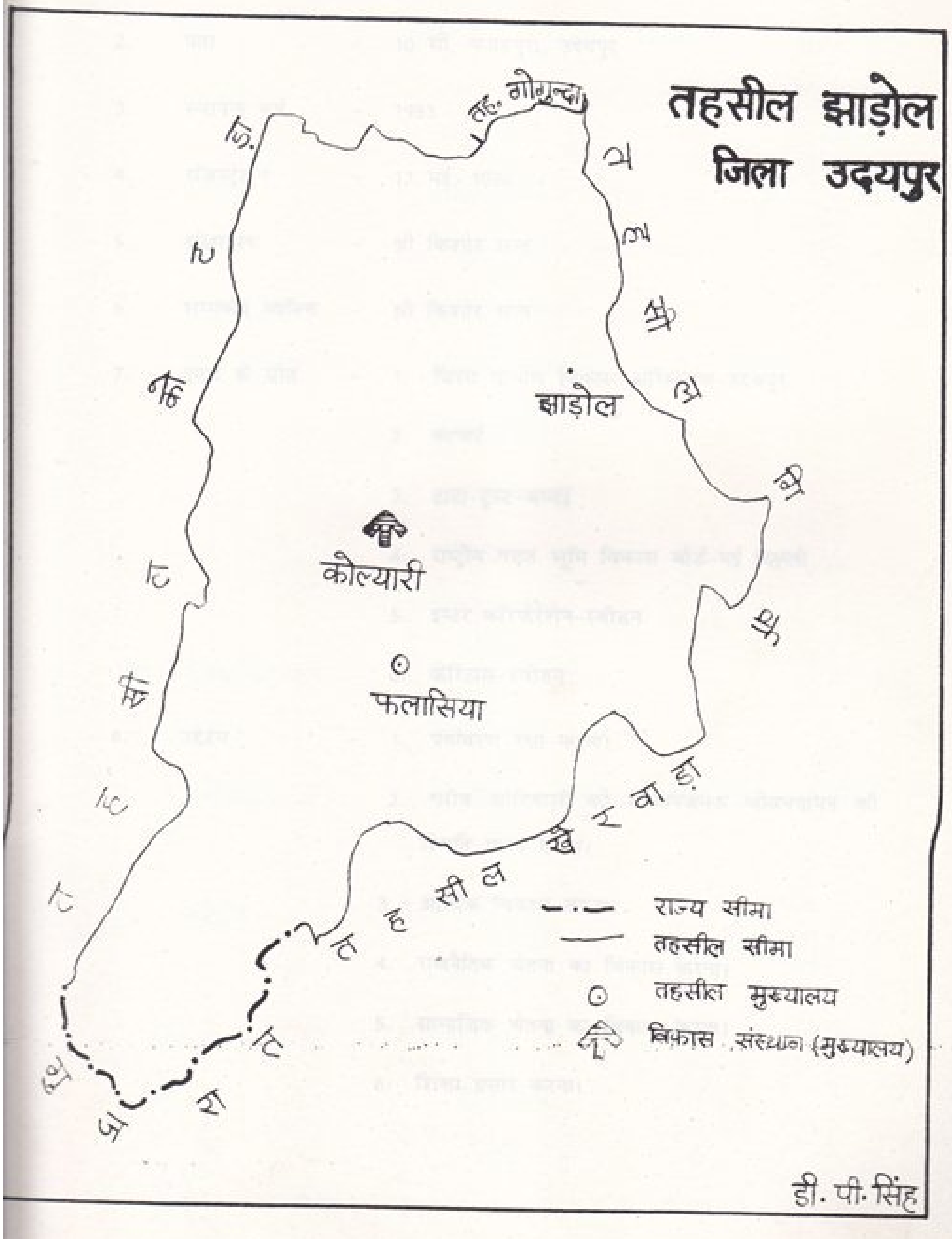
तहसील झाड़ोल
जिला उदयपुर
तह. गोगुन्दा
झाड़ोल
कोल्यारी
फलासिया
तहसील खेरवाड़ा
राज्य सीमा
तहसील सीमा
तहसील मुख्यालय
विकास संस्थान (मुख्यालय)
डी. पी. सिंह

1.	संस्था का नाम	-	**उबेश्वर विकास मण्डल**
2.	पता	-	10 सी, फतहपुरा, उदयपुर
3.	स्थापना वर्ष	-	1983
4.	रजिस्ट्रेशन	-	17 मई, 1986
5.	संस्थापक	-	श्री किशोर सन्त
6.	सम्पर्कय् व्यक्ति	-	श्री किशोर सन्त
7.	आय के स्रोत	-	1. जिला ग्रामीण विकास अभिकरण-उदयपुर 2. कापार्ट 3. टाटा ट्रस्ट-बम्बई 4. राष्ट्रीय पड़त भूमि विकास बोर्ड-नई दिल्ली 5. इन्टर कॉरपोरेशन-स्वीडन 6. केरिटास-स्वीडन
8.	उद्देश्य	-	1. पर्यावरण रक्षा करना। 2. गरीब आदिवासी को सम्मानजनक जीवनयापन की स्थिति प्रदान करना। 3. आर्थिक विकास करना। 4. राजनैतिक चेतना का विकास करना। 5. सामाजिक चेतना का विकास करना। 6. शिक्षा प्रसार करना।

13. प्रशासनिक स्वरूप -

A) प्रथम स्तर - संगठनात्मक स्वरूप

ट्रस्टी बोर्ड

अध्यक्ष

उपाध्यक्ष

सचिव

सह-सचिव

स्थायी सदस्य

B) द्वितीय स्तर - प्रशासनिक स्वरूप

अध्यक्ष एवं सचिव (1)

कार्यालय सहायक (1) — लेखाकार (1)

समन्वयक (2)

जोनल कार्यकर्ता (12)

स्वयंसेवी कार्यकर्ता (150)

14. मानचित्र (देखिए मानचित्र संख्या-16) -

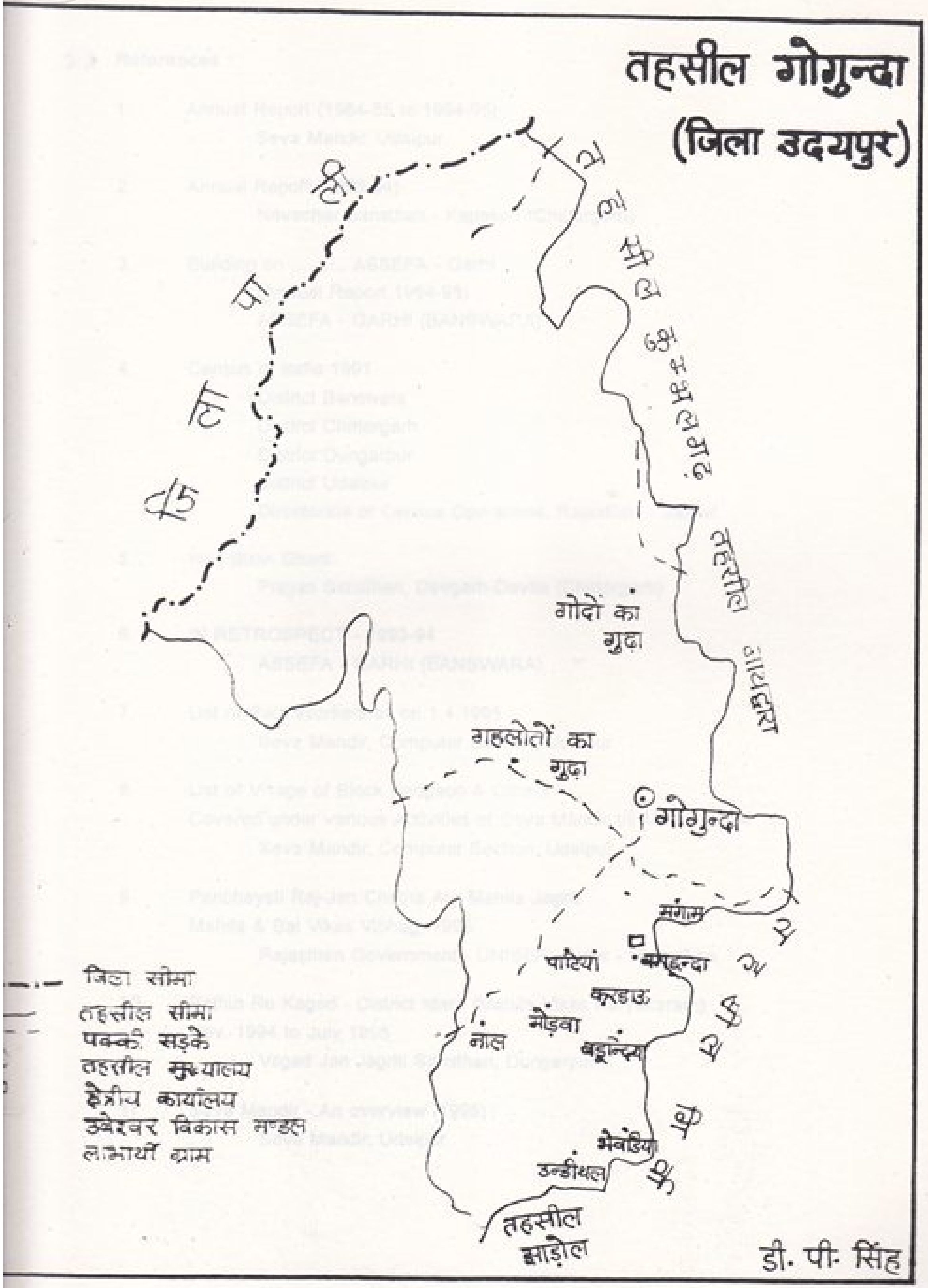
तहसील गोगुन्दा
(जिला उदयपुर)
गोदों का गुडा
गहलोतों का गुडा
गोगुन्दा
संगम
पाटिया
मोड़वा
नाल
भेवडिया
उन्डीथल
तहसील झाड़ोल
जिला सीमा
तहसील सीमा
पक्की सड़के
तहसील मुख्यालय
क्षेत्रीय कार्यालय
लाभार्थी ग्राम
डी. पी. सिंह

3.2 **References :**

1. Annual Report (1984-85 to 1994-95)
   Seva Mandir, Udaipur.

2. Annual Report (1993-94)
   Navachar Sansthan - Kapasan (Chittorgarh)

3. Building on .... ASSEFA - Garhi
   (Annual Report 1994-95)
   ASSEFA - GARHI (BANSWARA)

4. Census of India 1991
   District Banswara
   Distirct Chittorgarh
   District Dungarpur
   District Udaipur
   Directorate of Census Operations, Rajasthan - Jaipur.

5. Hari-Bhari Dharti
   Prayas Sansthan, Devgarh-Devlia (Chittorgarh)

6. IN RETROSPECT - 1993-94
   ASSEFA - GARHI (BANSWARA)

7. List of Para Workers as on 1.4.1995
   Seva Mandir, Computer Section, Udaipur.

8. List of Village of Block Badgaon & Others -
   Covered under various Activities of Seva Mandir till March, 1994.
   Seva Mandir, Computer Section, Udaipur.

9. Panchayati Raj-Jan Chetna Aur Mahila Jagriti
   Mahila & Bal Vikas Vibhag, 1995
   Rajasthan Government - UNISEF, Jaipur - Rajasthan

10. Sathin Ro Kagad - District Idara (Mahila Vikas Karyakaram)
    Nov. 1994 to July 1995
    Vagad Jan Jagriti Sansthan, Dungarpur.

11. Seva Mandir - An overview (1995)
    Seva Mandir, Udaipur

12. Seva Mandir - News letter
Oct. - Dec. 1992 to April - July, 1995
Seva Mandir, Udaipur (All Vol.).

13. Summary Report - Mar. 1991
PEDO - MADA (Dungarpur)

14. Summary Report - 1994-95
Vagad Jajagriti Sansthan, Dungarpur

15. Sharma, H.L. - 1993, Lok Sahyog - Khersia Lok Vidyalaya
Anopcharika
Anopcharik Shiksha Office, Jaipur, Feb.

16. Thomas, P & Ballabh, V - 1995, Harneshing People Power :
Sahyog's Experience in Rajasthan
Wasteland News, May-July,
IRMA, Gujarat

17. Towards Gram Swaraj : A Report by ASSEFA, Garhi
(A ASSEFA Silver Jubilee Publication, 1994)
ASSEFA, Garhi (Banswara)

18. Ubeshwar Vikas Mandal - Dhar
(Annual Report, 1988-89)
UVM - UDAIPUR

19. Living Traditions, Ubeshwar Vikas Mandal - Dhar, Udaipur.

चतुर्थ परिच्छेद

विधि, प्रविधि, उपकरण एवं न्यादर्श

4.1 प्रस्तावना -

अनुसंधानकर्त्ता अध्ययन करने में प्रयुक्त की जाने वाली शोध विधि, प्रविधि आदि को जितने अधिक स्पष्ट रुप से अध्ययन करके उसकी विवेचना कर लेता है, उस अध्ययन के परिणाम भी उतने ही अधिक निश्चित एवं प्रामाणिक होते हैं। अनुसंधान कार्य को सफल एवं विश्वसनीय बनाने के लिए उपयुक्त विधि के चयन की आवश्यकता रहती है जिसके माध्यम से शोधकर्त्ता शोध उपकरणों की मदद से वांछित उद्देश्यों की पूर्ति करता है।

प्रस्तुत अध्याय का उद्देश्य शोध अध्ययन व्यूह-रचना के निम्नांकित प्रमुख कारकों की विवेचना करना है-

1. इस अध्ययन में प्रयुक्त शोध-अध्ययन विधि एवं प्रविधियों की सामान्य जानकारी प्रदान करना,
2. शोध-उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शोधकर्त्ता द्वारा निर्मित किए गए उपकरणों की जानकारी प्रदान करना,
3. अध्ययन हेतु चयनित न्यादर्श के संबंध में जानकारी प्रदान करना ।

4.2.1 शोध-विधि (Research Method)

'विधि' विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक व्यवस्थित एवं प्रमाणिक प्रक्रिया है। अनुसंधान की सभी विधियां विशिष्ट परिस्थितियों में घटित अवलोकन के तथ्यों का वर्णन एवं विश्लेषण करती है। प्रायोगिक रुप से एक समय में प्रायः एक ही विधि का चयन किया जाता है, जो कि शोध-अध्ययन की प्रकृत्ति के अनुरुप उपयुक्त हो। यदा-कदा शोध-अध्ययन की विस्तृत प्रकृत्ति को मद्देनजर रखकर शोधकर्त्ता एक से अधिक विधियों को भी उपयोग में ले सकता है।

शोध-अध्ययन कार्यों में मुख्यत् ऐतिहासिक विधि, प्रायोगिक विधि तथा वर्णनात्मक-विधि प्रयुक्त होती हैं।

4.2.2 प्रस्तुत अध्ययन में चयनित विधि –

प्रस्तुत अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य राजस्थान में स्थित स्वयंसेवी संगठनों के प्रशासनिक व्यवस्थापन तथा कार्यक्रमों की प्रभावशीलता के संबंध में जांच करके उनके सुधारार्थ सुझाव प्रस्तुत करना है।

किसी भी क्षेत्र में सुधार लाने के लिए हमें उस क्षेत्र की तात्कालिक परिस्थितियों की जानकारी होना आवश्यक है। यदि हम शिक्षा के लिए प्यासे क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार करके चेतना जागृत करने का प्रयास कर रही स्वयंसेवी संस्थाओं में सुधार लाना चाहते हैं, तब इसके लिए इन संगठनों की कार्य प्रणाली, वित्तीय स्रोतों, कार्यकर्त्ताओं, कार्यक्रमों के प्रकार, कार्यक्रम लागू करने के ढंग, समाज पर इन कार्यक्रमों के प्रभाव, इनके संबंध में समाज का दृष्टिकोण आदि की जांच भी करनी होगी। जिन परिस्थितियों में ये संगठन कार्य कर रहे हैं, उनकी जानकारी लेनी होगी। इस हेतु प्रयुक्त की जा सकने योग्य सर्वश्रेष्ठ विधि 'सर्वेक्षण-विधि' ही है इस कारण इसका चयन किया गया है।

सामाजिक विज्ञान विषयों से संबंधित शैक्षिक-अनुसंधान में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली इस विधि में व्यक्ति के स्थान पर समूह को महत्व दिया जाता है। इससे दत्त संग्रहण, सारिणीयन, वर्गीकरण, मूल्यांकन, सामान्यीकरण, व्याख्या, तुलना करने तथा स्तर मापन में सुविधा रहती है। यह विधि वर्तमान समस्याओं को प्रस्तुत करके उन्हें हल करने के लिए उपयुक्त संकेत प्रदान करती है, पुर्वानुमान प्रस्तुत करती है तथा शोधकर्ता वर्तमान परिस्थितियों से दत्त संग्रहित करके भविष्यवाणी करने में सक्षम होता है।

4.2.3 प्रस्तुत अध्ययन में सर्वेक्षण विधि के चयन के कारण –

प्रस्तुत शोध अध्ययन में निम्नांकित कारणों से 'सर्वेक्षण विधि' का चयन किया गया है –

1. यह अनुसंधान कार्य दक्षिणी राजस्थान के जनजाति बहुलता वाले चार प्रमुख जिलों- उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा तथा चितौड़गढ़ से संबंधित है। यह विस्तृत अध्ययन क्षेत्र है, जिसमें न्यादर्श बिखरा हुआ है। ऐसी स्थिति में अध्ययन हेतु यह सर्वोपयुक्त विधि है।

2. विस्तृत अध्ययन क्षेत्र में कार्य कर रहे स्वयंसेवी संगठनों के संबंध में प्राथमिक जानकारी यथा - स्थापना, संस्थापक, उद्देश्य, स्रोत, कार्यक्रम, लाभार्थी पक्ष, कार्यकर्त्ता आदि के बारे में जानकारी एकत्रित करना इसी विधि से सुगम है।

3. इन संगठनों द्वारा लागू किए गए कार्यक्रमों से लाभान्वित होने वाला कोई एक व्यक्ति ही न होकर विस्तृत जनसमूह है। इन संगठनों के प्रति उनके विचार तथा उनमें जागृत चेतना के स्तर का निर्धारण करने में इस विधि से ही सुविधा रहती है।

4. प्रस्तुत अध्ययन में जिस प्रकार की सूचनाएं लाभार्थी पक्ष से प्राप्त करनी हैं, उनमें से अधिकांश सूचनाओं के लिए कोई लिखित दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, बल्कि यह लाभार्थी पक्ष के अनुभवों से आबद्ध तथ्य है जिन्हें सर्वेक्षण विधि द्वारा ही संग्रहित किया जा सकता है।

4.3 शोध उपकरण -

शोध अध्ययन में शोधकर्त्ता को संबंधित सूचनाएं एकत्रित करने के लिए किसी साधन की आवश्यकता होती है। वह इन्हें माध्यम बनाकर शोध के निर्धारित उद्देश्यों तक पहुंचता है। अध्ययन कार्य में जितने सशक्त, सटीक तथा सही माध्यम का चुनाव शोधकर्त्ता करेगा, उस अध्ययन का कार्य उतना ही सुगम तथा परिणाम उतने ही अधिक सही सूचनाओं से पूर्ण प्राप्त होगें। शोधकार्य में उद्देश्य तक पहुंचने के लिए शोधकर्त्ता द्वारा प्रयुक्त यह माध्यम ''शोध-उपकरण'' के रुप में परिभाषित किया जाता है जिन्हें दो रूप में विभक्त किया जा सकता है -

4.3.1 मानकीकृत उपकरण -

मानकीकृत उपकरण अथवा प्रामाणिक उपकरण वह परीक्षण है जिसके मानक, फलांकन, परीक्षण-प्रक्रिया, मूल्यांकन निर्देश, विवेचन विधि समरुप के निश्चित हो, जिसकी विश्वसनीयता एवं वैधता पूर्व में ज्ञात की गई हो तथा जिसका प्रशासन विशाल समूह पर किया जा चुका हो।

सी.वी. गुड (1954) के अनुसार[1] -

''एक प्रामाणिक परीक्षण वह है जिसमें विषय-वस्तु का चयन अनुभव के आधार पर किया जाता है, जिसके मानक ज्ञात हों, जिसके प्रशासन एवं फलांकन की समरुप विधियों को विकसित किया गया हो।''

क्रोनबेच (1960) के अनुसार[2] -

''किसी प्रामाणिक परीक्षण में प्रक्रिया फलांकन एवं मूल्यांकन सभी निश्चित होते हैं, जिससे इनका विभिन्न अवसरों पर उपयोग किया जा सके। इसमें मानकों की सारिणी तथा किसी समूह के प्रतिनिधित्वकारी विद्यार्थियों का संभावित प्राप्तांक ज्ञात रहता है।''

इससे स्पष्ट है कि मानकीकृत उपकरणों को पूर्व में किन्हीं विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया जाता है। इस प्रकार के उपकरणों में किसी व्यक्ति विशेष, परिस्थिति विशेष अथवा शोध समस्या के किसी आयाम विशेष का ही परीक्षण किया जाना संभव हो पाता है। शोधकर्त्ता इनमें किसी भी प्रकार का रद्दोबदल नहीं कर सकता है।

4.3.2 स्वनिर्मित उपकरण -

शोध अध्ययन हेतु जब मानकीकृत उपकरण उपलब्ध न हो अथवा शोधकर्त्ता अपने विषय की प्रकृति के अनुरुप उपलब्ध उपकरणों को उचित नहीं समझे, तब विषय की प्रकृति के अनुसार शोधकर्त्ता स्वयं शोध उपकरण का निर्माण कर लेता है।

4.3.2.1 स्वनिर्मित्त उपकरण निर्माण के चरण -

शोधकर्त्ता को उपकरण निर्मित करने के लिए निम्नांकित चरणों को पार करना होता है -

1. संबंधित साहित्य का अध्ययन।
2. क्षेत्र भ्रमण।
3. समस्या क्षेत्रों का निर्धारण करना।
4. क्षेत्रवार कथनों का निर्माण करना।
5. कथनों को व्यवस्थित क्रम में प्रस्तुत करके उपकरण का प्रारम्भिक प्रारुप तैयार करना।
6. विशेषज्ञों से सलाह लेना।
7. विशेषज्ञों की सलाह के अनुरुप उपकरण में परिवर्तन करना।
8. प्रारुप की प्राथमिक जांच हेतु इसे प्रशासित करना।
9. वैधता एवं विश्वसनीयता ज्ञात करना।
10. अन्तिम प्रारुप तैयार करना।

4.3.2.2. स्वनिर्मित उपकरणों को चयनित करने के कारण -

1. चयनित शोध विषय के लिए प्रामाणिक उपकरण उपलब्ध न होना।
2. शोधकर्त्ता द्वारा उपलब्ध प्रामाणिक उपकरणों को उचित न माना जाना।
3. शोधकर्त्ता का उपलब्ध उपकरणों के प्रति अपना दृष्टिकोण।
4. शोध विषय की नवीनता का होना।
5. उपकरण को निर्मित किए जाने की परिस्थितियों का परिवर्तित हो जाना।

4.4 प्रस्तुत अध्ययन में प्रयुक्त उपकरण -

उक्त कारणों से शोधकर्त्ता ने शोध-विषय की नवीनता तथा मौलिकता को ध्यान में रखते हुए तथा इस तरह के अध्ययन हेतु पूर्व में उपकरणों का निर्माण नहीं किये जाने के कारण निम्नांकित स्वनिर्मित उपकरणों का उपयोग किया है -

4.4.1 शैक्षिक कार्यक्रम प्रभाव मापनी -

इस शोध उपकरण में मानव के दैनिक जीवन से संबंधित व्यवहार की परिस्थितियों (Situations) को रखा गया है। इसमें एक व्यक्ति द्वारा अपने दैनिक जीवन की घटनाओं में किसी सामान्य स्थिति में जो व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है, उससे संबंधित स्थिति को दिया गया है, जैसे -

मान लीजिए आपके गांव में विद्यालय भवन का उद्घाटन हो रहा है। आपको भी इस समारोह में बुलाया गया है, ऐसे में -

यह एक स्थिति लाभार्थी पक्ष (Beneficiaries) के सामने प्रस्तुत की गयी है। इस स्थिति में उत्तरदाता क्या महसूस करता है, वह किस प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करता है, यह उसकी मानसिकता पर निर्भर करता है जिसका निर्माण व्यक्ति विशेष की संबंधित स्थिति में जानकारी पर निर्भर करता है।

स्वयंसेवी संगठनों द्वारा उस क्षेत्र में चलाए गए कार्यक्रमों के फलस्वरुप व्यक्ति विशेष के अनुभव कितने परिमार्जित हुए है? कितने उत्कृष्ट हुए है? इसके मापन हेतु तदनुरुप ही उत्तरों का निर्धारण किया गया है। प्रस्तुत की गयी परिस्थितियों (Situations) में एक सामान्य व्यक्ति जिस प्रकार के प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर सकता है उनके अनुरुप ही प्रत्येक परिस्थिति-कथन के साथ उत्तर लिखे गये है।

उदाहरणार्थ

प्र. आपके पड़ौसी से पटवारी ने रिश्वत के पैसे की मांग की है। वह यह धनराशि देने से मना कर देता है तथा पुलिस को रिपोर्ट करता है। पुलिस भी आपके पड़ौसी की बात पर ध्यान नहीं देती है, ऐसे में -

1. आप पड़ौसी की सहायता करने का वादा करते हैं।
2. आप पड़ौसी के साथ हो रही ज्यादती से दूसरे लोगों को भी परिचित करवाते है तथा उन्हें भी सहायता करने के लिए प्रेरित करते हैं।
3. आप इस बात पर ध्यान ही नहीं देते हैं।
4. आप पटवारी को पैसा देना उचित बताते हैं।
5. आप पड़ौसी को पैसे नहीं देने के लिए दोषी ठहराते हैं तथा पैसे दे देने के लिए उस पर दबाव डालते हैं।

4.4.1.1 शैक्षिक कार्यक्रम प्रभाव मापनी के निर्माण के चरण -

शोधकर्त्ता ने इस उपकरण के निर्माण हेतु निम्नांकित चरणों में कार्य सम्पन्न किया है -

1. प्राथमिक सर्वेक्षण –

शोध समस्या के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए प्राथमिक सर्वेक्षण हेतु अग्रांकित उपाय किए गए -

अ- संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन

ब- विषय-विशेषज्ञों से राय

स- क्षेत्र-कार्यकर्त्ताओं (Field worker) से बातचीत

द- लाभार्थी पक्ष (Beneficiaries) से बातचीत तथा क्षेत्र भ्रमण

उक्त चरणों की प्रतिपूर्ति करने के पश्चात् संस्थितियों का निर्माण, शिक्षा तथा समाजशास्त्र के क्षेत्र में निष्णात् विशेषज्ञों से विचार विमर्श द्वारा किया गया है।

2. **क्षेत्र-निर्धारण -**

शोध-समस्या के मुख्य विचार से आबद्ध क्षेत्रों का निर्धारण निम्नांकित पांच आयामों में किया गया है -

अ- शैक्षिक चेतना

ब- सामाजिक चेतना

स- सांस्कृतिक चेतना

द- भौतिक चेतना

य- स्वास्थ्य के प्रति चेतना

3. **कारक-निर्धारण -**

शोध समस्या को पांच मुख्य क्षेत्रों में विभक्त करने के पश्चात् विषय-विशेषज्ञों से सलाह करके तथा प्राथमिक सर्वेक्षण के आधार पर प्रत्येक क्षेत्र के लिए 20-20 कारक निर्धारित किये गये, जो इस प्रकार है -

अ. **शैक्षिक चेतना -**

1. विद्यालय उद्घाटन समारोह
2. अतिरिक्त अध्ययन की आवश्यकता
3. गृहकार्य
4. शिक्षा के प्रति. उन्मुखता/प्रोत्साहन
5. विद्यालयी व्यवस्थाओं में योगदान/सहयोग
6. साक्षरता प्रसार कार्यक्रम में सहयोग
7. बालिका - शिक्षा

8. छात्र-सम्मान समारोह
9. घरेलु कार्यों में संलग्नता
10. अभिभावक सभा
11. निरक्षरों को सहयोग
12. पुरस्कार राशि का उपयोग
13. विद्यालय वेशभूषा
14. गृहकार्य हेतु समय प्रदान करना
15. विद्यालय समय की पालना
16. विद्यालय अनुशासन
17. शिक्षा व्यय के प्रति अभिवृत्ति
18. प्रौढ़ शिक्षा
19. उच्च शिक्षा की ओर उन्मुखता
20. साधन उपलब्ध करवाने के संबंध में

ब. सामाजिक चेतना -

1. दहेज प्रथा
2. पर्दा प्रथा
3. चोरी होना
4. आग लगना
5. भ्रष्टाचार
6. बालश्रम शोषण
7. रोशनी व्यवस्था
8. पड़ौसी को सहयोग
9. घर की व्यवस्थाओं में सहयोग

10. झगड़े की स्थिति में भूमिका
11. सामूहिक भोज
12. बीमार व्यक्ति से मिलना
13. गरीब परिवार की लड़की की शादी
14. बाल - विवाह
15. पुनर्विवाह
16. अन्ध - विश्वास
17. जन्म - मृत्यु भोज
18. संयुक्त परिवार व्यवस्था
19. नवाचरों के प्रति दृष्टिकोण
20. नुक्ता प्रथा

स. सांस्कृतिक चेतना -

1. रामलीला आदि का आयोजन
2. सांस्कृतिक संध्या
3. होली नृत्य
4. लोकगीत संकलन
5. कला प्रदर्शनी
6. ग्रामीण खेलकूद कार्यक्रम्
7. नट प्रदर्शन
8. कलाकारों को अभिप्रेरित करना
9. मंदिर आदि के निर्माण में सहयोग
10. महिलाओं द्वारा सामूहिक गीतों का आयोजन
11. मंदिर का जीर्णोद्धार

12. मेले का आयोजन
13. पीपल वृक्ष की पूजा
14. सौन्दर्य - बोध
15. पर्व
16. त्यौहार मनाना
17. भजनों का आयोजन
18. कथा का आयोजन
19. यज्ञ आदि का आयोजन
20. पशु पूजा

द. भौतिक चेतना -

1. विद्युत रोशनी
2. मकान आदि में खिड़कियों की व्यवस्था
3. रासायनिक खाद का उपयोग
4. कूलर आदि का क्रय करना
5. ट्रैक्टर आदि खरीदना
6. व्यक्ति का चन्द्रमा पर पहुंचना
7. पृथ्वी का सूर्य के चारों और चक्कर लगाना
8. गोबर-गैस का उपयोग
9. अध्ययन - सुविधाएँ
10. प्रेस आदि का उपयोग
11. निर्धूम चुल्हें
12. टेलीफोन सुविधा
13. यातायात के साधन

14. मकान के निर्माण हेतु सामग्री का चयन
15. फर्नीचर व्यवस्था
16. भोजन बनाने के साधन
17. भोजन बनाने के बर्तन
18. पहनावा
19. रहन – सहन
20. खान - पान

य. स्वास्थ्य के प्रति चेतना -

1. तालाब की गन्दगी
2. पड़ौसी द्वारा गन्दगी फैलाया जाना
3. प्लेग रोग (संक्रामक बीमारी)
4. टीकाकरण अभियान
5. गांव की सफाई का अभियान
6. घर की सफाई में सहयोग
7. पीने के पानी की व्यवस्था
8. वायु - प्रदुषण
9. बुखार की स्थिति
10. पानी को ढककर रखना
11. गन्दे पानी के निकास की व्यवस्था करना
12. वृक्षारोपण कार्यक्रम
13. मकानों की बनावट
14. हरी-सब्जियों का उपयोग

15. बीमारियों का निवारण

16. पर्यावरण के प्रति चेतना

17. हवा की शुद्धता

18. रेत - धूल का उड़ना

19. भोजन से पूर्व की साफ - सफाई

20. घर के आसपास तथा घर में सफाई आदि ।

4. **मापनी का प्राथमिक प्रारूप तैयार करना -**

शोध विषय के लिए निर्धारित प्रत्येक क्षेत्र के लिए चयनित प्रत्येक कारक से संबंधित एक संस्थिति (Situation) बनायी गयी तथा प्रत्येक संस्थिति में एक सामान्य व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित किये जाने वाले व्यवहार को प्रत्युत्तर के रूप में रखा गया है। यद्यपि यह संभव है कि चयनित संस्थिति में एक व्यक्ति द्वारा मापनी में निर्धारित व्यवहार प्रत्युत्तर के अतिरिक्त ढंग का व्यवहार भी प्रदर्शित कर सकता है, किन्तु यहाँ दत्त विश्लेषण की दृष्टि से उपयुक्त उत्तरों को ही स्तरानुरूप रखा गया है।

मापनी के प्रथम प्रारूप को तैयार करते समय संस्थिति व्यवहार को क्रमबद्ध रूप में रखा गया अर्थात् सबसे अच्छे उत्तर को प्रथम अंक पर तथा सबसे निम्न स्तर के उत्तर को अन्तिम अंक पर रखा गया। प्रत्येक संस्थिति के लिए जांच स्तर यथा - 1, 2, 3, 4 व 5 पर प्रत्युत्तर को रखा गया है।

इस प्रकार तैयार की गयी मापनी को निर्देशक महोदय से विचार विमर्श करके प्रत्येक संस्थिति में प्रकट किए जाने वाले व्यवहार के स्तर को परिवर्तित करके उनके क्रम को बदल दिया गया, ताकि उत्तरदाता एक निश्चित प्रक्रिया से ग्रसित होकर उत्तर प्रदान न करे।

5. **विशेषज्ञों की राय -**

शैक्षिक कार्यक्रम प्रभाव मापनी के इस प्रथम प्रारूप को और अधिक परिमार्जित करने के लिए शिक्षा, समाजशास्त्र तथा समाजसेवा के क्षेत्र में निष्णात 30 विशेषज्ञों के पास मापनी की एक - एक प्रति सुझावों के लिए भिजवायी गयी। मापनी के साथ शोध उद्देश्यों की सूची तथा संबंधित न्यादर्श की प्रकृति की जानकारी भी विशेषज्ञों के पास भेजी गयी।

लगभग एक माह का इन्तजार करने के दौरान 20 विशेषज्ञों से प्राप्त सुझावों के आधार पर मापनी की भाषा, वाक्य - गठन, कारक निर्धारण, कारक से संबंधित संस्थितियों में परिवर्तन करके ''शैक्षिक कार्यक्रम प्रभाव मापनी'' का द्वितीय प्रारूप तैयार किया गया। द्वितीय प्रारूप में पूर्व में निर्धारित कुछ परिस्थितियों में भी परिवर्तन किया गया तथा असंबंधित अथवा पुनरावृत्ति होने वाली संस्थितियों को हटा दिया गया।

शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रभाव से उत्पन्न चेतना के लिए निर्धारित प्रत्येक आयाम (क्षेत्र) में परिवर्तन करके सम्मिलित की गयी अथवा हटा दी गयी संस्थितियों की संख्या का विवरण इस प्रकार है - तालिका संख्या 4.1

चेतना के प्रभाव क्षेत्र संबंधी

क्र.स.	आयाम (क्षेत्र)	हटा दी गयी संस्थितियाँ	सम्मिलित की गयी संस्थितियाँ
1.	शैक्षिक चेतना	4	2
2.	सामाजिक चेतना	4	2
3.	सांस्कृतिक चेतना	3	1
4.	भौतिक चेतना	5	3
5.	स्वास्थ्य संबंधी चेतना	2	0
	कुल संस्थितियाँ	18	8

इस प्रकार विशेषज्ञों की सलाह के पश्चात् मापनी के परिवर्तित स्वरूप में 18-18 संस्थितियाँ रखी गयी, जो कि इस शोध अध्ययन के प्रत्येक आयाम (क्षेत्र) के लिए निर्धारित प्रत्येक कारक को प्रस्तुत कर रही थी।

6. **उपकरण प्रशासन (प्राथमिक) -**

शैक्षिक कार्यक्रम प्रभाव मापनी में लिए गए कारकों तथा उनसे संबंधित संस्थितियों को अन्तिम प्रारूप देने से पूर्व प्रस्तुत शोध के लिए चयनित न्यादर्श (लाभार्थी पक्ष) पर प्रशासित किया गया। मापनी की वैधता एवं विश्वसनीयता ज्ञात करने के लिए चयनित समूह उदयपुर तथा डूँगरपुर जिले के चार ग्रामीण क्षेत्रों से लिया गया; जो इस प्रकार है -

तालिका संख्या 4.2
उपकरणों के प्राथमिक प्रशासन से संबंधी

क्र.स.	जिले का नाम	गांव का नाम	चयनित न्यादर्श
1.	उदयपुर	1. ईसवाल	10
		2. मजावद	10
2.	डूँगरपुर	1. माड़ा	10
		2. धातकी	10
		कुल न्यादर्श	40

7. **अंकन कुंजी -**

मापनी की वैधता एवं विश्वसनीयता ज्ञात करने के लिए चयनित समूह से प्राप्त उत्तरों के लिए एक अंकन कुंजी का निर्माण किया गया है। इस अंकन कुंजी का स्वरूप इस प्रकार रहा है -

तालिका संख्या 4.3

फलक कुंजी

उत्तर का स्तर	धनात्मक कथन	ऋणात्मक कथन
अति-उत्तम	5	1
उत्तम	4	2
तटस्थ	3	3
निम्न	2	4
अति-निम्न	1	5

8. **पद विश्लेषण -**

शोध उपकरण के प्राथमिक प्रशासन से प्राप्त अंको को सारिणी - बद्ध करने के पश्चात् शोधकर्त्ता ने इस उपकरण को अधिक वैध एवं विश्वसनीय बनाने के लिए प्रत्येक पद-कथन को विश्लेषित किया है। इस हेतु प्रत्येक पद कथन का मूल्य निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया गया -

$$'t' = \frac{\overline{X}_H - \overline{X}_L}{\sqrt{\dfrac{(\overline{X}_H - \overline{X}_H)^2 + (\overline{X}_H - \overline{X}_L)^2}{N(N-1)}}}$$

(देखिए परिशिष्ट संख्या - 7)

'टी' मूल्य माप का वह प्रसारण है जो किसी कथन के उच्च व निम्न वर्ग की भिन्नता को बताता है। सामान्यतया 1.75 से अधिक 'टी' मूल्य यह प्रदर्शित करता है कि उस कथन के उच्च व निम्न वर्ग की औसत अनुक्रिया में सार्थक अंतर है, जबकि ऊपर व नीचे 27 प्रतिशत विषयों को लिया गया है।

सम्पूर्ण प्राप्तांकों को उच्चतम से निम्नतम क्रमबद्धता के आधार पर सारिणी-बद्ध किया गया। जिन कथनों का मान 1.75 या उससे अधिक था, उन्हें मापनी के अन्तिम प्रारूप के लिए चयनित किया गया है।

कुल 90 कथन में से 70 कथन का 'टी' मूल्य 1.75 या उससे अधिक पाया गया; जिन्हें स्वीकृत किया गया।

9. विश्वसनीयता -

विश्वसनीयता से तात्पर्य यह है कि निर्मित उपकरण से प्राप्त परिणाम कितने शुद्ध है। विश्वसनीयता ज्ञात करने के लिए अनेक विधियां प्रचलित हैं, परन्तु यहां 'अर्द्ध विच्छेदन विधि' प्रयुक्त की गयी है। इस विधि में पूरे परीक्षण को दो समान भागों में बांट दिया जाता हैं। एक तरफ सम-संख्या तथा दूसरी तरफ विषम - संख्या के कथनों का अंकन अलग-अलग किया जाता है। इसके पश्चात् 'प्रोडक्ट मूवमेन्ट विधि' को प्रयुक्त करके आधी मापनी की विश्वसनीयता ज्ञात की जाती है तथा सम्पूर्ण मापनी की विश्वसनीयता 'स्पीयर मैन ब्राउन सूत्र' को प्रयुक्त करके ज्ञात की जाती है।

प्रोडक्ट मुवमेन्ट सूत्र -

$$\gamma = \frac{\mathcal{E}xy - \mathcal{E}x\ \mathcal{E}y}{N\sigma x - \sigma y}$$

(देखिए परिशिष्ट संख्या - 8)

स्वनिर्मित मापनी की विश्वसनीयता 0.819 है, जो कि सकारात्मक है तथा उच्च विश्वसनीयता को प्रकट करती है।

10. **वैधता -**

अनुसंधानकर्ता ने मापनी की विश्वसनीयता ज्ञात करने के पश्चात् इसकी वैधता को भी ज्ञात करने का प्रयास किया है। इस अनुसंधान में तैयार की गयी मापनी को 20 व्यक्तियों के समूह पर पुनः प्रशासित किया गया। इससे अनुसंधानकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुंचा की प्राप्तांको में विचलन नहीं के बराबर है।

इस प्रकार ''शैक्षिक कार्यक्रम प्रभाव मापनी'' का अन्तिम प्रारूप तैयार किया गया, जिसका उपयोग प्रस्तुत शोध कार्य में किया गया है।

4.4.2 कार्य स्थिति जांच प्रश्नावली -

प्रस्तुत शोध अध्ययन में इस उपकरण को स्वयंसेवी संगठनो के क्षेत्र कार्यकर्ताओं (Field Workers) से दत्त संग्रहित करने के लिए प्रयुक्त किया गया है। शोधकर्ता द्वारा निर्मित (स्वनिर्मित) इस उपकरण में उत्तरदाता न्यादर्श के सामने एक कथन प्रस्तुत करके उस पर प्रतिक्रिया स्वरूप उत्तर प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। इस प्रश्नावली में प्रत्येक कथन के सामने हां / अनिश्चित / नहीं की स्थिति रखी गयी है। उत्तरदाता प्रत्येक कथन को पढ़ने के उपरान्त एक कथन के प्रति जैसा भी दृष्टिकोण बनाता है तदानुरूप ही सही (✔) के चिन्ह से इंगित कर दें, इसके लिए निवेदन किया गया है। (देखिये परिशिष्ट संख्या-2)

4.4.2.1 कार्य स्थिति जांच प्रश्नावली के निर्माण के सोपान / चरण -

इस प्रश्नावली के निर्माण हेतु शोधकर्ता ने निम्नांकित चरणों में कार्य किया है -

1. **प्राथमिक सर्वेक्षण -**

इस प्रश्नावली के निर्माण से पूर्व शोधकर्ता ने शोध हेतु चयनित न्यादर्श की प्रकृति, उनसे प्राप्त की जाने योग्य जानकारी, जानकारी अर्जित करने के ढंग,

आदि की विस्तृत विवेचना के लिए निम्नांकित स्रोतों से प्राथमिक सर्वेक्षण किया गया-

(i) संबंधित साहित्य का अध्ययन,

(ii) प्रमुख स्वयंसेवी संगठनों द्वारा कार्यक्रम लागू किए गए क्षेत्र का अध्ययन,

(iii) समाज सेवा के कार्य में संलग्न कार्यकर्ताओं से औपचारिक बातचीत,

(iv) प्रमुख स्वयंसेवी संगठनो के प्रधान से अनौपचारिक बातचीत,

(v) लाभार्थी पक्ष (Beneficiaries) से अनौपचारिक बातचीत तथा

(vi) क्षेत्र विशेषज्ञों से प्राथमिक स्तर की बातचीत।

2. क्षेत्र निर्धारण -

इस शोध अध्ययन के उद्देश्यों की पूर्ति के निर्मित स्वयं सेवी संगठनों के क्षेत्र कार्यकर्ताओं से प्राप्त होने योग्य जानकारी को निम्नांकित क्षेत्रों में विभक्त किया गया है -

अ. वेतनमान आदि की स्थिति (भुगतान की स्थिति)

ब. आदेश प्राप्ति की प्रक्रिया

स. लाभार्थी पक्ष से सम्पर्क

द. सामग्री की आपूर्ति

य. कार्यगत कठिनाईयां

र. अन्य

3. कारक निर्धारण -

क्षेत्र कार्यकर्ताओं से प्राप्त होने योग्य जानकारी के लिए निर्धारित उक्त छः क्षेत्रों में निम्नांकित 10-10 कारक तय किए गए -

अ. वेतनमान की स्थिति -

1. निश्चित तिथि का होना
2. हस्ताक्षरित पूर्ण राशि प्राप्त होना
3. भुगतान पर्याप्त न होना
4. भुगतान प्रत्येक माह प्राप्त होना
5. अतिरिक्त कार्यघण्टों का अलग भुगतान होना
6. बोनस का मिलना
7. वृद्धिमान समय से प्राप्त होना
8. भत्ता आदि का मिलना
9. भुगतान नकद प्राप्त होना
10. अवकाश के समय का भुगतान प्राप्त होना

ब. आदेश पालन की प्रक्रिया -

1. आदेश का समय से प्राप्त होना
2. आदेश लिखित में प्राप्त होना
3. मौखिक आदेश प्राप्त होना
4. आदेश पालन में कठिनाई होना
5. आदेश पालन में उपयुक्त सहयोग मिलना
6. आदेश उचित प्रक्रिया से प्राप्त होना
7. आदेश कार्यालय से सीधे प्राप्त होना
8. आदेश पालन में उत्तरदायी स्थिति

9. पर्यवेक्षक का सहयोग

10. आदेश में संशोधन का ढंग

स. सामग्री की आपूर्ति -

1. समयोचित प्राप्ति

2. आवश्यकतानुसार पर्याप्त मात्रा में प्राप्ति होना

3. सामग्री भेजने का दायित्व केन्द्रीय कार्यालय का होना

4. सामग्री का रिकॉर्ड

5. सामग्री की पूरी मात्रा प्राप्त होना

6. सामग्री वितरण का ढंग

7. सामग्री आपूर्ति में कठिनाई

8. सामग्री आपूर्ति के लिए उत्तरदायी

9. सामग्री की मात्रा मांग के अनुरूप होना

10. बची हुई सामग्री का उपयोग

द. लाभार्थी पक्ष से सम्पर्क -

1. कार्यक्रम निर्माण से पूर्व जन-सम्पर्क

2. कार्यक्रम लागू करने के समय जन-सम्पर्क

3. जन-सम्पर्क में कठिनाई का होना

4. लाभार्थी पक्ष का कम भाग लेना

5. अभिप्रेरित होने की मात्रा

6. धनार्जन के लिए उपस्थित होना

7. उपस्थिति की मात्रा

8. उपस्थिति कम रहने का कारण

9. कार्यक्रम कम रूचिकर होना

10. लाभार्थी पक्ष के घरेलु कार्यों की अधिकता

य. कार्यगत कठिनाईयां -

1. संदेश भेजने संबंधी

2. यातायात संबंधी

3. भाषा संबंधी

4. संस्कृति को जानने संबंधी

5. लाभार्थी पक्ष के स्तर की पहचान

6. कार्य क्षेत्र में ठहरने संबंधी

7. जन सहयोग संबंधी

8. अधिकारियों की उदासीनता

9. खान-पान संबंधी

10. प्रशिक्षण संबंधी

र. अन्य -

1. उद्देश्यों पर पूरा ध्यान न दिया जाना

2. प्राप्त पूर्ण धनराशि खर्च न करना

3. आवंटित धनराशि विविध मदों में हस्तान्तरित कर देना

4. विपरीत सामाजिक टीका-टिप्पणी

5. लाभार्थी पक्ष की उदासीनता

6. सरकारी अधिकारियों की उदासीनता

7. कार्य का समाजसेवी भाव

8. जन-जागृति का स्तर निर्धारण

9. लाभार्थी पक्ष के सुझावों का महत्व

10. आपकी राय का प्रधान के लिए महत्व

4. **प्रश्नावली का प्राथमिक प्रारूप तैयार करना -**

प्रश्नावली के लिए निर्धारित प्रत्येक क्षेत्र के प्रत्येक कारक से संबंधित एक-एक प्रश्न (कथन के रूप में) तैयार किया गया। इन प्रश्नों पर स्वयंसेवी संगठनों के कार्यकर्ताओं की संभावित प्रतिक्रिया के अनुरूप हाँ / अनिश्चित / नहीं की स्थिति पर उत्तरदाता द्वारा सही (✔) का चिन्ह अंकित करने की व्यवस्था रखी गयी।

इस प्रकार तैयार की गयी प्रश्नावली को निर्देशक महोदय से सलाह-मशविरा करके प्रश्नों की क्रमबद्धता को परिवर्तित कर दिया गया ताकि उत्तरदाता एक समय में एक निश्चित स्थिति के उत्तर से ही ग्रसित न हो जाए।

5. **विशेषज्ञों की राय -**

प्रश्नावली के इस प्रथम प्रारूप को और अधिक परिमार्जित एवं शुद्ध बनाने के लिए पूर्व में वर्णित उपकरणों की प्रक्रिया के अनुरूप ही विशेषज्ञों से सलाह ली गयी। विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार प्रश्नावली के कथन, कारक, भाषा, वाक्य-गठन में परिवर्तन किया गया। इस प्रक्रिया में कुछ कथन हटा दिए गए तथा कुछ नवीन कथन सम्मिलित कर लिए गए, जिनका विवरण इस प्रकार है -

तालिका 4.4

कार्य स्थिति जांच प्रश्नावली संस्थितियां

क्र.स.	क्षेत्र	हटाए गए कथन	सम्मिलित किए गए नवीन कथन
1.	वेतनमान की स्थिति	3	1
2.	आदेश प्राप्ति की प्रक्रिया	4	2
3.	सामग्री आपूर्ति	2	0
4.	लाभार्थी पक्ष से सम्पर्क	1	0
5.	कार्यगत् कठिनाईयां	3	1
6.	अन्य	5	2
	कुल	18	6

प्रश्नावली के प्रथम प्रारूप के लिए निर्मित 60 कथनों में से 18-6 = 12 कथन हटा दिए जाने के पश्चात् कुछ 48 कथन शेष रहे हैं (देखिए परिशिष्ट – 2)

6. **कारक विश्लेषण –**

कार्य स्थिति जांच प्रश्नावली के लिए निर्धारित कारकों तथा उनसे संबंधित कथनों को अन्तिम प्रारूप देने से पूर्व प्रस्तुत शोध अध्ययन के लिए चयनित न्यादर्श के एक छोटे समूह पर इसे प्रशासित किया गया। इस समूह से प्राप्त निष्कर्षों को उचित सांख्यिकी प्रविधियों से विवेचित करके प्रश्नावली की वैधता एवं विश्वसनीयता ज्ञात की गयी।

7. **अंकन कुंजी तैयार करना -**

लिकर्ट पद्धति के अनुरूप तैयार की गयी इस प्रश्नावली की जांच हेतु एक अंकन कुंजी का निर्माण किया गया, जिसका स्वरूप इस प्रकार हैं -

(अ) सकारात्मक कथनों के लिए -

हाँ	-	3
अनिश्चित	-	2
नहीं	-	1

(ब) नकारात्मक कथनों के लिए -

नहीं	-	3
अनिश्चित	-	2
हाँ	-	1

4.4.3 कार्यक्रम जांच प्रश्नावली -

प्रस्तुत शोध अध्ययन में प्रयुक्त किया गया यह दूसरा स्वनिर्मित उपकरण है। यह उपकरण स्वयंसेवी संगठनों के संचालकों (प्रशासकों) से संबंधित है, जिसके माध्यम से स्वयंसेवी प्रयासों में जुटे हुए संस्था संचालकों से शोध अध्ययन के उद्देश्यानुरूप जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। इस प्रश्नावली में दो प्रकार के प्रश्नों को प्रस्तुत किया गया है। प्रथमत् प्रत्येक प्रश्न के साथ दिए गए संभावित उत्तरों में से किसी एक उत्तर को सही (✓) के चिह्न से इंगित किया जाना है तथा द्वितीय प्रकार के प्रश्नों में प्राथमिकता क्रमांक (1, 2, 3, ...) दिए गए उत्तर के आगे अंकित करने के लिए निवेदन किया गया है। (देखिए परिशिष्ट संख्या - 2)

4.4.3.1. कार्यक्रम जांच प्रश्नावली निर्माण के सोपान/चरण -

इस उपकरण के निर्माण के लिए शोधकर्ता ने निम्नांकित चरणों में कार्य सम्पन्न किया है -

(1) **प्राथमिक सर्वेक्षण -**

शोधकर्ता ने उपकरण निर्माण से पूर्व शोध समस्या के संबंध में इस उपकरण के माध्यम से जो जानकारी एकत्रित करनी है, उसकी विस्तृत विवेचना हेतु प्राथमिक सर्वेक्षण किया है जिसके लिए -

(i) संबंधित साहित्य का अध्ययन किया गया है,

(ii) प्रमुख स्वयंसेवी संगठनों के वार्षिक-प्रतिवेदन आदि का अध्ययन किया गया,

(iii) स्वयंसेवी कार्यों में संलग्न प्रमुख लोगों से अनौपचारिक बातचीत की गयी,

(iv) कुछ प्रमुख स्वयंसेवी संगठनों का भ्रमण किया गया, तथा

(v) क्षेत्र विशेषज्ञों से प्राथमिक स्तर की सलाह ली गयी।

(2) **क्षेत्र निर्धारण -**

शोध समस्या के उद्देश्यों से आबद्ध जानकारी, जिसे संस्था संचालकों से प्राप्त करना आवश्यक था, उसके लिए इस प्रश्नावली का निर्माण करने के लिए समस्या को निम्नांकित क्षेत्रों में विभक्त किया गया -

अ. संस्था की प्रशासनिक व्यवस्थापन

ब. वित्तीय स्रोत

स. कार्यक्रम - चयन

द. क्षेत्र चयन

य. कठिनाईयां

र. अन्य

(3) कारक निर्धारण -

शोध समस्या के लिए निर्धारित उक्त छः प्रमुख क्षेत्रों के लिए 4-4 कारक निर्धारित किए गए, जो इस प्रकार है -

अ. संस्था की प्रशासनिक व्यवस्थापन -

1. प्रधान की प्रशासनिक स्थिति (Position)
2. प्रधान की गैर - उपस्थिति में कार्यकारी - अधिकारी की स्थिति
3. कार्यकारी - अधिकारी के अधिकार
4. निर्णय - प्रक्रिया

ब. वित्तीय स्रोत -

1. स्रोत
2. धनापूर्ति में आने वाली कठिनाईयां
3. व्यय - धनराशि का अंकेक्षण
4. शेष धनराशि का उपयोग

स. कार्यक्रम चयन -

1. चयन का आधार
2. चयन में लाभार्थी पक्ष की सहभागिता
3. प्राथमिकताधारित कार्यक्रम
4. शिक्षा संबंधी कार्यक्रम

द. क्षेत्र चयन -

1. चयन का मुख्य आधार
2. लाभार्थी पक्ष के चयन का आधार
3. चयन की प्रक्रिया
4. क्षेत्र के विकास स्तर का मापन करने का ढंग

य. कार्यक्रम लागू करने में आने वाली कठिनाईयां -

1. उद्देश्यों की पूर्ति में आने वाली कठिनाईयां
2. उद्देश्यों की सीमित पूर्ति पर की जाने वाली व्यवस्था
3. स्तर बनाए रखने संबंधी कठिनाईयां
4. अनुगामी कार्यक्रम

र. अन्य -

1. पुरस्कार आदि की प्राप्ति
2. कर्मचारी प्रशिक्षण कार्यक्रम
3. कार्यक्रम परिवर्तन की संभावनाएँ
4. राजकीय सहयोग

(4) प्रश्नावली का प्राथमिक प्रारूप तैयार करना -

प्रश्नावली के लिए निर्धारित प्रत्येक क्षेत्र तथा उनके अन्तर्निहित कारकों से संबंधित एक-एक प्रश्न तैयार किया गया। इन प्रश्नों पर स्वयंसेवी संगठनों के संचालकों की संभावित प्रतिक्रिया के अनुरूप उत्तर निर्धारित किए गए, जिन्हें विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार उचित स्तर प्रदान किए गए।

प्रश्नावली के प्रथम प्रारूप को तैयार करते समय प्रत्येक प्रश्न के लिए उत्तरों को क्रमबद्ध रूप में रखा गया अर्थात् सर्वश्रेष्ठ उत्तर को प्रथम अंक पर तथा सबसे निम्न स्तर के उत्तर को अन्तिम अंक पर रखा गया। प्रत्येक प्रश्न के लिए पांच स्तर यथा - 1, 2, 3, 4 व 5 पर प्रत्युत्तरों को रखा गया।

इस प्रकार तैयार की गयी प्रश्नावली को निर्देशक महोदय से पर्याप्त विचार-विमर्श करके उत्तरों के क्रमांक को परिवर्तित कर दिया गया, ताकि उत्तरदाता एक निश्चित प्रक्रिया से ग्रसित होकर उत्तर प्रदान न करें।

(5) **विशेषज्ञों की राय** -

प्रश्नावली के प्रथम प्रारूप को और अधिक परिमार्जित एवं शुद्ध बनाने के लिए शिक्षा व समाजसेवा के क्षेत्र में निष्णात् 30 विशेषज्ञों के पास प्रेषित किया गया।

लगभग 20 विशेषज्ञों से प्राप्त अमूल्य सुझावों के अनुसार प्रश्नावली में परिवर्तन किये गये यथा - प्रश्नों के गठन, भाषा में परिवर्तन, कारक निर्धारण में परिवर्तन, उत्तरों के स्तर निर्धारण में परिवर्तन, कुछ पूर्व में निर्धारित कारकों के स्थान पर नवीन कारकों को परिवर्तित किया जाना, कुछ प्रश्नों को हटाया जाना आदि। तदुपरान्त तैयार हुई प्रश्नावली के प्रारूप का विवरण इस प्रकार है -

तालिका संख्या 4.5

कार्यक्रम जांच प्रश्नावली संस्थितियां

क्र.स.	क्षेत्र	हटाए गए प्रश्न	सम्मिलित किए गए प्रश्न
1.	संस्था की प्रशासनिक व्यवस्था	2	1
2.	वित्तीय आपूर्ति स्रोत	3	2
3.	कार्यक्रम चयन	-	-
4.	क्षेत्र चयन	2	0
5.	कार्यक्रम लागु करने में आने वाली कठिनाईयां	3	1
6.	अन्य	3	1
	कुल	13	5

इस प्रकार तैयार हुए प्रारूप में कुल 16 प्रश्न रखे गए।

(6) **कारक विश्लेषण –**

कार्यक्रम जांच प्रश्नावली में लिए गए कारकों तथा उनसे संबंधित प्रश्नों को अन्तिम प्रारूप देने से पूर्व चयनित न्यादर्श के एक छोटे समूह (उदयपुर जिले के प्रमुख पांच स्वयंसेवी संगठनों के संचालक) पर इसे प्रशासित किया गया।

न्यादर्श से प्राप्त उत्तरों के अनुसार प्रत्येक प्रश्न को सांख्यिकी प्रविधियों द्वारा विश्लेषित किया गया।

(7) **अंकन कुंजी तैयार करना –**

इस प्रश्नावली की जांच के लिए दो प्रकार की अंकन कुंजी का निर्माण किया गया। प्रथम प्रकार में उन प्रश्नों के लिए अंकन कुंजी तैयार की गयी जिनमें किसी भी प्रश्न के लिए निर्धारित किए गये उत्तरों में से किसी एक उत्तर को सही (✔) के चिन्ह से इंगित करना था। इसके लिए अंकन कुंजी का प्रारूप इस प्रकार है-

तालिका संख्या 4.6

कार्यक्रम जांच प्रश्नावली – अंकन कुंजी

उत्तर का स्तर	निर्धारित कोड अंक
अति-उत्तम	5
उत्तम	4
तटस्थ	3
निम्न	2
अति-निम्न	1

द्वितीय प्रकार की अंकन कुंजी उन प्रश्नों के लिए तैयार की गयी, जिनमें प्राथमिकता क्रमांक अंकित करने के लिए निवेदन किया गया था। इस प्रकार के प्रश्नों में प्रत्येक बिन्दु के लिए उत्तरदाता द्वारा दिए गए प्राथमिकता क्रमांक की संख्या को जोड़कर प्रत्येक उत्तर के लिए अलग स्कोर निकाला गया है।

4.4.4. साक्षात्कार अनुसूची (Interview Schedule) -

शोधकार्य के दौरान उत्तरदाता कई बार जानकारी को लिखित में प्रस्तुत करना पसन्द नहीं करता है जिस कारण शोधकार्य के लिए आवश्यक जानकारी भी संकलित हुए बिना रह जाती है। इस कमी को दूर करने के लिए प्रस्तुत शोध-अध्ययन में भी उत्तरदाता से मौखिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया है, जिसके लिए साक्षात्कार - विधि का उपयोग किया गया है।

यह एक मानसिक सर्वेक्षण है, जिसमें साक्षात्कृति से साक्षात्कार लेने वाला सीधे सम्पर्क स्थापित कर जानकारी एकत्रित करता है।

4.4.4.1 साक्षात्कार अनुसूची के प्रकार -

साक्षात्कार अनुसूची दो प्रकार की होती है; यथा -

(1) संरचित साक्षात्कार अनुसूची

(2) असंरचित साक्षात्कार अनुसूची

संरचित साक्षात्कार अनुसूची में साक्षात्कार लेने वाला विषय का पूर्व में निर्धारण करके, उस पर पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों को सूचीबद्ध कर लेता है। इसमें शोधकर्ता को अधिक आसानी रहती है तथा साक्षात्कार के समय कोई भी बिन्दु छूटने की संभावना नहीं रहती है।

4.4.4.2 उपादेयता -

प्रस्तुत शोध अध्ययन में साक्षात्कार अनुसूची को प्रयुक्त करने के निम्नांकित कारण रहे हैं -

(1) यह शोध अध्ययन एक मानसिक सर्वेक्षण है, जिसमें व्यक्तियों द्वारा महसूस किए जाने वाले बिन्दुओं को संकलित करने का प्रयास किया गया है।

(2) शोध अध्ययन से संबंधित उन सत्य तथ्यों को संकलित करने का प्रयास किया जाना, जिन्हें उत्तरदाता लिखित में नहीं देना चाहता है।

(3) संस्था - प्रधान, जन - प्रतिनिधि आदि के पास कार्यों की आधिक्यता के कारण उनसे लिखित प्रश्नावली के माध्यम से जानकारी प्राप्त किया जाना कठिन था।

(4) इस प्रविधि में व्यक्ति की वास्तविक अनुभूतियों को भी पहचाना जा सकता है, चूंकि साक्षात्कारकर्त्ता उत्तरदाता के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होता है।

(5) लिखित उपकरणों के माध्यम से प्राप्त जानकारी की प्रामाणिकता स्थापित करने हेतु भी यह उपयुक्त विधि है।

(6) चूंकि यह शोधकार्य दक्षिणी राजस्थान के ग्रामीण परिवेश से संबंधित है, जिसमें अधिकांश लोग अनपढ़ हैं. जिनसे सूचनाएं प्राप्त करने का भी यह उपयुक्त माध्यम है।

उक्त सभी कारणों से ही इस अध्ययन में संरचित साक्षात्कार अनुसूची को प्रयुक्त किया गया है। (देखिए परिशिष्ट संख्या - 4)

4.4.4.3. साक्षात्कार अनुसूची का प्रशासन -

प्रस्तुत शोध अध्ययन के लिए शोधकर्ता ने साक्षात्कार लेने के लिए संबंधित व्यक्तियों से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित कर साक्षात्कार के समय का निर्धारण किया। साक्षात्कृति द्वारा निर्धारित किए गए समय के अनुसार एवं शोधकर्ता ने व्यक्तिशः उपस्थित होकर सूचनादाता का प्रथम अभिवादन किया तथा प्रारम्भिक बातचीत के पश्चात् साक्षात्कार के उद्देश्यों को स्पष्ट किया गया।

सूचनादाता वस्तुस्थिति के संबंध में सही सूचना ही प्रदान करें, इस हेतु शोधकर्ता ने जानकारी को गोपनीय रखने का आश्वासन दिया।

शोधकर्ता ने संरचित साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से सूचनादाता से एक-एक जानकारी प्राप्त की तथा साक्षात्कार की समाप्ति पर सूचनादाता को धन्यवाद ज्ञापित किया।

4.4.5. क्षेत्र निरीक्षण प्रपत्र (Field Observation Schedules) -

इस शोध कार्य से गुणात्मक (Qualitative) तथा मात्रात्मक (Quantative) दोनों ही प्रकार की विषय-सामग्री संबंधित है। पूर्व में वर्णित शोध उपकरणों को प्रयुक्त करने के पश्चात् भी कुछ संबंधित जानकारी एकत्रित करनी शेष रह गयी है, जिसके लिए एक अन्य शोध उपकरण ''क्षेत्र निरीक्षण प्रपत्र'' का निर्माण किया गया है। यह उपकरण शोधकार्य क्षेत्र की भौतिक व्यवस्थाओं एवं मात्रात्मक प्रगति को मापने के लिए प्रयुक्त किया गया है।

स्वयंसेवी संगठनों द्वारा जिन क्षेत्रों में कार्यक्रम लागू किये गये है, उन क्षेत्रों की भौगोलिक, आर्थिक, प्रशासनिक, शैक्षिक स्थिति के संबंध में बनाए गए इस उपकरण द्वारा स्वयं शोधकर्ता ने क्षेत्र अध्ययन के समय सूचनाएं एकत्रित की हैं।

विषय-वस्तु की भिन्नता के कारण इस प्रपत्र में रखे गए सभी प्रश्नों की प्रकृति एक ही ढंग की न होकर भिन्न-भिन्न रखी गयी है तथा तदनुरूप ही प्रत्येक बिन्दु का अलग - अलग प्रकार से शोधकार्य में उपयोग किया गया है।

4.4.5.1 उपादेयता -

प्रस्तुत शोधकार्य में क्षेत्र निरीक्षण प्रपत्र की उपादेयता निम्नांकित बिन्दुओं से स्पष्ट है -

1) यह शोधकार्य ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है। ग्रामीण परिवेश में लिखित उपकरणों से एकत्रित की जा सकने योग्य दत्त के अतिरिक्त जानकारी भी उपलब्ध रहती है, जिसे शोधकर्ता इस उपकरण द्वारा एकत्रित कर सकता है।

2) सूचनादाता से लिखित प्रश्नावली, साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से जानकारी एकत्रित करने पर भी पूर्ण जानकारी एकत्रित नहीं हो गयी हो, उसके लिए यह सशक्त माध्यम है।

3) क्षेत्र में उपलब्ध भौतिक-संसाधनों की जानकारी एकत्रित करने का यह अच्छा माध्यम है।

4) शोधकर्ता द्वारा सूचनादाता से सीधे ही वास्तविक सूचनाएं एकत्रित किया जाना आवश्यक होता है, चूंकि सूचनादाता अपने अनुसार सूचनाओं को मोड़ लेता है।

5) एक ही स्थान पर उपलब्ध एक समान सूचनाओं को एक ही बार में एकत्रित किया जा सकता है। यदि इन सूचनाओं को प्रत्येक न्यादर्श से जानने का प्रयत्न किया जाए तो यह मात्र दोहराव को ही बढ़ावा देना है।

उक्त बिन्दुओं को मद्देनजर रखकर ही प्रस्तुत शोधकार्य हेतु ''क्षेत्र निरीक्षण-प्रपत्र'' तैयार किया गया है।

क्षेत्र निरीक्षण प्रपत्र को तैयार करने के लिए शोधकर्ता ने अग्रांकित चरणों में कार्य किया।

(1) **संबंधित साहित्य का अध्ययन -**

शोधकर्ता ने प्रस्तुत अध्ययन के लिए निरीक्षण प्रपत्र तैयार करने से पूर्व देश-विदेश में सम्पन्न हुए शोधकार्यों, शोध - निबन्ध, मौलिक लेख आदि का विस्तृत अध्ययन किया है।

(2) **क्षेत्र भ्रमण -**

संबंधित साहित्य से आवश्यक जानकारी एकत्रित करने के पश्चात् शोध-कर्ता ने अध्ययन क्षेत्र की वस्तुस्थिति को जानने के लिए क्षेत्र भ्रमण किया। जिससे संबंधित क्षेत्र की भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति की जानकारी प्राप्त हुई।

(3) **लाभार्थी पक्ष एवं स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श -**

भौतिक स्वरूप की जानकारी एकत्रित करने के साथ ही साथ क्षेत्र भ्रमण के समय शोधकर्ता ने लाभार्थी पक्ष तथा समाज सेवा में संलग्न स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं से भी मौखिक बातचीत की है।

(4) **विषय-विशेषज्ञों से विचार विमर्श -**

समाज सेवा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान रखने वाले लोगों तथा इस क्षेत्र में विस्तृत ज्ञान से सराबोर विशेषज्ञों से शोधकर्ता द्वारा क्षेत्र निरीक्षण-प्रपत्र तैयार करने के लिए विचार-विमर्श किया गया।

(5) **प्रपत्र का अन्तिम प्रारूप तैयार करना -**

विशेषज्ञों की सलाह के अनुरूप शोधकर्ता ने क्षेत्र निरीक्षण प्रपत्र का अन्तिम प्रारूप तैयार किया है। यह अध्ययन क्षेत्र की भौगोलिक, आर्थिक, भौतिक पक्ष से संबंधित जानकारी के लिए तैयार किया गया है।

(6) **प्रपत्र का प्रस्तुत अध्ययन में प्रशासन -**

इस शोध उपकरण के माध्यम से एवं शोधकर्ता ने दत्त संग्रहित किए है। अध्ययन के समय शोधकर्ता को निरीक्षण प्रपत्र से जो जानकारी एकत्रित करनी थी, उनके माध्यम की जांच शोधकर्ता द्वारा की गयी, यथा - ग्राम सरपंच, ग्राम पटवारी, ग्राम सचिव एवं स्वयं के प्रत्यक्ष निरीक्षण से जानकारी एकत्रित की गयी है। (देखिए परिशिष्ट संख्या - 5)

4.5 न्यादर्श -

विज्ञान की प्रगति के कारण वर्तमान समय में सूचनाओं का आधिक्य हो गया है। आज शोध समस्याओं का क्षेत्र इतना अधिक विस्तृत हो गया है कि तत्संबंधी सूचनाएं प्रत्येक व्यक्ति से व्यक्तिगत सम्पर्क करके प्राप्त करना अत्यन्त ही दुष्कर है। ऐसी स्थिति में शोधकार्य हेतु न्यादर्श का चयन किया जाना अत्यावश्यक है। न्यादर्श के द्वारा सम्पूर्ण जनसंख्या के प्रतिनिधि समूह का चयन कर उसका अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार किए गए अध्ययन के निष्कर्षों को सम्पूर्ण जनसंख्या पर लागू कर दिया जाता है। यह आधारशिला जितनी अधिक सुदृढ़ होगी, अनुसंधान के परिणाम भी उतने ही अधिक विश्वसनीय तथा सुदृढ़ होंगे।

गुड, बार, स्केट्स (1954) ने लिखा है कि[1] -

''न्यादर्श जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह एक विस्तृत समूह का अपेक्षाकृत छोटा प्रतिनिधित्व है।''

इस संबंध में **राय एवं भटनागर** (1973) का विचार है कि[2] -

''न्यादर्श के चयन से दक्षता में वृद्धि और फल की शुद्धता प्राप्त होती है।''

डब्ल्यू. आर. बोर्ग (1963) ने कहा है कि[3] -

''सम्पूर्ण जनसंख्या का अध्ययन करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि इसमें समय, धन एवं अन्य साधनों का अपव्यय होता है। अतः उस जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता हुआ एक समूह चयनित कर लिया जाता है, जिसे 'न्यादर्श' कहा जाता है।''

4.5.1 न्यादर्श का आकार -

अनुसंधान के लिए न्यादर्श की मात्रा का निर्धारण करना निश्चय ही कठिन समस्या है। यह स्पष्ट है कि न्यादर्श पर्याप्त और प्रतिनिधिक हो, परन्तु एक विशेष अनुसंधान- प्रायोजना के सन्दर्भ में इन शब्दों का अर्थ क्या है? इस समस्या का कोई भी निश्चित उत्तर दिया जाना संभव नहीं है। अनुसंधान कार्य में यह होना चाहिए कि अनुसंधित्सु न्यादर्श पर आधारित निष्कर्षों को बहुत अधिक विश्वास के साथ कह सके। प्रत्येक समय न्यादर्श का आकार अनुसंधान की प्रकृति, उसमें सन्निहित कारकों पर निर्भर करता है। इनका विस्तार जितना अधिक होगा, न्यादर्श की मात्रा भी उतनी ही अधिक होगी।

4.5.2 प्रस्तुत अध्ययन में प्रयुक्त न्यादर्श चयन की विधि -

प्रस्तुत शोध कार्य में न्यादर्श का चयन इस अध्ययन की विशिष्ट प्रकृति को ध्यान में रखकर किया गया है। इस हेतु '' यादृच्छिक प्रतिचयन विधि '' को उपयोग में लिया गया है।

4.5.3 प्रस्तुत अध्ययन में चयनित न्यादर्श -

अध्ययन कार्य के लिए न्यादर्श का चयन करते समय निम्नांकित विशिष्ट तथ्यों को ध्यान में रखा गया है -

1. प्रस्तुत शोध अध्ययन के लिए न्यादर्श का चयन दक्षिणी राजस्थान में स्थित एक समान भौगोलिक परिस्थिति वाले क्षेत्र से ही किया गया है। (देखिये मानचित्र संख्या - 1)

2. न्यादर्श का चयन दक्षिणी राजस्थान में स्थित उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा तथा चितौड़गढ़ जिलों से ही किया गया है।

3. अध्ययन के लिए चयनित प्रत्येक जिले से पांच-पांच स्वयंसेवी संगठनों को चयनित किया जाना था, किन्तु उदयपुर जिले के अतिरिक्त अन्य जिलों में सक्रिय होकर कार्य करने वाले स्वयंसेवी संगठनों की संख्या पांच से कम पायी गयी है, इस कारण प्रत्येक जिले से पांच-पांच स्वयंसेवी संगठन चयनित न कर उदयपुर के अतिरिक्त जिलों से उपलब्धता के आधार पर स्वयंसेवी संगठनों का चयन किया गया है। दत्त संग्रहण हेतु चयनित स्वयंसेवी संगठनों का विवरण इस प्रकार है -

तालिका संख्या - 4.7

अध्ययन हेतु चयनित स्वयंसेवी संगठन

क्र.सं.	जिले का नाम	चयनित स्वयंसेवी संस्था का नाम
1.	बांसवाड़ा	1. असेफा, मु.पो.- परतापुर
		2. सामाजिक विकास एवं चेतना समिति, घंटाली
2.	चितौड़गढ़	1. नवाचार संस्थान, मु.पो.- कपासन
		2. प्रयास संस्थान, मु.पो. देवगढ़ (देवलिया)
2.	डूंगरपुर	1. जन शिक्षा एवं विकास संगठन, मु.पो. माड़ा
		2. वागड़ जनजागृति संस्थान, वखारिया चौक, डूंगरपुर
1.	उदयपुर	1. भावना, ईसवाल (गिर्वा)
		2. सहयोग संस्थान, कूण (धरियावद)
		3. सेवा मन्दिर, उदयपुर
		4. उबेश्वर विकास मण्डल, उदयपुर
		5. विकास संस्थान, कोल्यारी (झाड़ोल)

(देखिये मानचित्र संख्या - 1)

नोट : यद्यपि शोध-रुपरेखा में दक्षिणी राजस्थान के एक अन्य जिले सिरोही को भी अध्ययन हेतु चयनित किया था, किन्तु भौगोलिक स्थिति की भिन्नता के कारण इसे अध्ययन के अन्तिम चरण में हटा दिया गया है क्योंकि भौगोलिक स्थिति का मानव व्यवहार से सीधा संबंध है अतः सिरोही जिले से न्यादर्श का चुनाव नहीं किया गया है (देखिये मानचित्र संख्या - 17)

मानचित्र संख्या -17

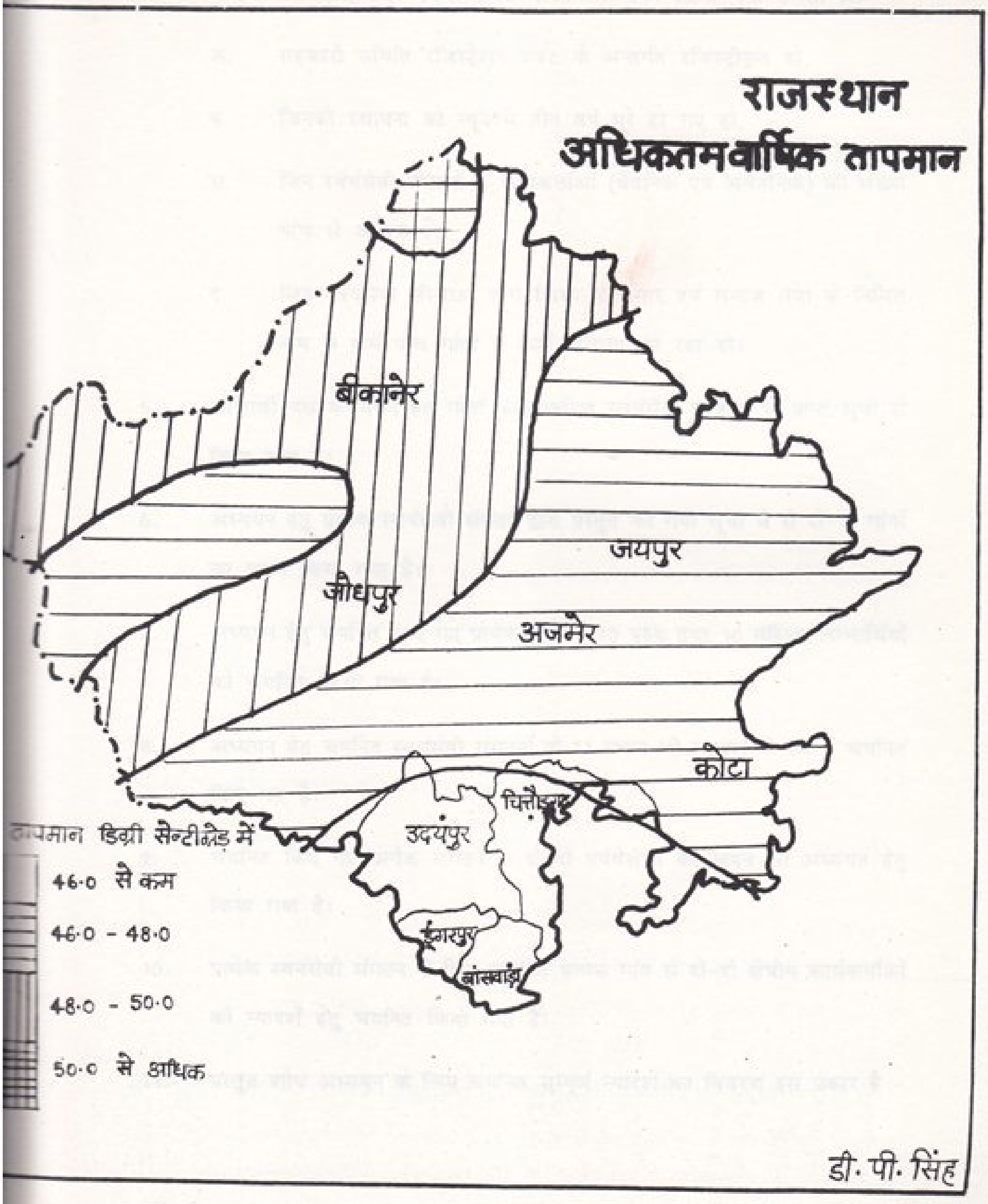
राजस्थान
अधिकतमवार्षिक तापमान
बीकानेर
जयपुर
जोधपुर
अजमेर
कोटा
चित्तौड़गढ़
उदयपुर
डूंगरपुर
बांसवाड़ा
तापमान डिग्री सेन्टीग्रेड में
46·0 से कम
46·0 - 48·0
48·0 - 50·0
50·0 से अधिक
डी. पी. सिंह

4. अध्ययन के लिए उन्हीं स्वयंसेवी संस्थाओं का चयन किया गया है जो कि -

अ. सहकारी समिति रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत हो,

ब. जिनकी स्थापना को न्यूनतम तीन वर्ष पूरे हो गए हो,

स. जिन स्वयंसेवी संगठनों के कार्यकर्त्ताओं (वैतनिक एवं अवैतनिक) की संख्या पांच से अधिक हो,

द. जिन स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा शिक्षा के प्रसार एवं समाज सेवा के निमित्त कम से कम पांच गांवों में कार्य चलाया जा रहा हो।

5. लाभार्थी पक्ष के चयन हेतु गांवों का निर्धारण स्वयंसेवी संगठनों से प्राप्त सूची से किया गया है।

6. अध्ययन हेतु प्रत्येक स्वयंसेवी संगठन द्वारा प्रस्तुत की गयी सूची में से दो-दो गांवों का चयन किया गया है।

7. अध्ययन हेतु चयनित किए गए प्रत्येक गांव से 10 पुरुष तथा 10 महिला लाभार्थियों को चयनित किया गया है।

8. अध्ययन हेतु चयनित स्वयंसेवी संगठनों के 11 प्रधान भी न्यादर्श के रुप में चयनित किए गए है।

9. चयनित किए गए प्रत्येक संगठन से दो-दो पर्यवेक्षकों का चयन भी अध्ययन हेतु किया गया है।

10. प्रत्येक स्वयंसेवी संगठन के लिए चयनित प्रत्येक गांव से दो-दो क्षेत्रीय कार्यकर्त्ताओं को न्यादर्श हेतु चयनित किया गया है।

11. प्रस्तुत शोध अध्ययन के लिए चयनित सम्पूर्ण न्यादर्श का विवरण इस प्रकार है -

तालिका संख्या 4.8

अध्ययन हेतु चयनित कुल न्यादर्श

क्र.सं.	न्यादर्श का प्रकार	कुल संख्या
1.	लाभार्थी पक्ष	440
2.	संस्था प्रधान एवं सचिव	11
3.	पर्यवेक्षक	20
4.	क्षेत्र कार्यकर्त्ता	40
	कुल न्यादर्श	511

4.6 उपसंहार -

प्रस्तुत परिच्छेद में शोध कार्य में प्रयुक्त शोध विधि, प्रविधि, उपकरण, न्यादर्श का विस्तृत विवेचन किया गया है। इनके निर्धारण के पश्चात् शोधकर्ता ने शोध उपकरणों के माध्यम से अध्ययन क्षेत्र से दत्त संग्रहित करने का कार्य जारी किया, जिसका विवेचन आगामी परिच्छेद में दिया जा रहा है।

4.7 सन्दर्भ साहित्य (References) -

1. Kokarn, W.G. : **Sampling techniques**, New Delhi, Columbia University Press, 1963.
2. Konard, S.A.Z., Strouss : **Field Research Strategies fara Natural Sociology,** New Jersey, Englewood Diss. Prentice Hall, Inc. 1973.
3. Natrazen, Olita : **How make a questionnare,** New Delhi, Arya Book Co. 1983.
4. Kish, L. : **Survey Sampling**, New York, John Wileg & Sons, 1967.
5. Herbert, Hyman : **Survey Design and Analysis : Principles, cases and procedures**. Illinois, The Free Press Publishers, Glencoe.

पंचम परिच्छेद

दत्त विश्लेषण एवं निष्कर्ष

5.1 प्रस्तावना -

विभिन्न उपकरणों द्वारा संकलित किये गये अधिकांश तथ्य चाहे कितने ही वैध एवं उपयुक्त क्यों न हों, फिर भी वे अव्यवस्थित ही होते हैं। इन्हें प्रयोजनशील एवं उपयोगी कार्य में प्रयुक्त करने से पूर्व सुसंगठित तथा सुव्यवस्थित करना होता है अर्थात् इनको संपादित, वर्गीकृत एवं सारिणीबद्ध करके विश्लेषण व व्याख्या करना जरूरी होता है।

इस दृष्टि से प्रस्तुत परिच्छेद सर्व-महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में शोधकर्त्ता द्वारा अध्ययन क्षेत्र से विभिन्न शोध-उपकरणों यथा- "शैक्षिक कार्यक्रम प्रभाव मापनी, कार्यक्रम-जांच प्रश्नावली, कार्य स्थिति-जांच प्रश्नावली, निरीक्षण प्रपत्र, साक्षात्कार अनुसूची द्वारा संग्रहित आंकड़ों को विश्लेषित कर व्याख्या की गयी है । इसमें दक्षिणी राजस्थान के ग्रामीण-क्षेत्र में स्वयंसेवी संगठनों से लाभान्वित लोगों, स्वयंसेवी संगठनों के कार्यकर्त्ताओं, संस्था-प्रधानों, तथा क्षेत्र के गणमान्य लोगों से दत्त संग्रहित किये गये हैं।

दत्त विश्लेषण हेतु निम्नांकित सांख्यिकी प्रविधियाँ प्रयुक्त की गयी हैं -

(1) प्रतिशतता

(2) केन्द्रीय प्रवृति के माप (माध्य)

(3) सहसंबंध

सांख्यिकी विश्लेषण से प्राप्त परिणामों को तालिकाओं एवं ग्राफ-चित्रों की सहायता से प्रदर्शित किया गया है -

5.2 शोध प्राकल्पनाएँ -

प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु निम्नांकित परिकल्पनाओं का निर्माण किया गया है -

(1) स्वयंसेवी संगठनों द्वारा शैक्षिक कार्यक्रम लागू करने से निम्नांकित क्षेत्रों में प्रभाव उत्पन्न हुआ है -

अ. शैक्षिक चेतना

ब. सामाजिक चेतना

स. सांस्कृतिक चेतना

द. भौतिक चेतना

य. स्वास्थ्य के प्रति चेतना

(2) स्वयंसेवी संगठनों द्वारा शैक्षिक कार्यक्रम लागू करने से निम्नांकित प्रत्येक क्षेत्र में उत्पन्न चेतना का प्रत्येक क्षेत्र से सह-संबंध है -

अ. शैक्षिक चेतना

ब. सामाजिक चेतना

स. सांस्कृतिक चेतना

द. भौतिक चेतना

य. स्वास्थ्य के प्रति चेतना

5.3 दत्त विश्लेषण -

शोधकर्त्ता ने ग्रामीण लोगों में उत्पन्न चेतना का अध्ययन किया और प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया है। इनसें प्राप्त स्थिति को यहां प्रस्तुत किया जा रहा है -

5.3.1. कार्यक्रम जांच प्रश्नावली से प्राप्त दत्त -

i क्षेत्रवार विश्लेषण -

अ. शैक्षिक चेतना -

तालिका संख्या - 5.1

शैक्षिक चेतना संबंधी

क्र. सं.	श्रेणी	लाभार्थी	प्रतिशत
1.	श्रेष्ठ	259	58.86
2.	उच्च	97	22.05
3.	सामान्य	33	7.50
4.	निम्न	19	4.32
5.	निम्नत्तर	32	7.27
		440	100

उपर्युक्त तालिका से प्राप्त निष्कर्ष इस प्रकार हैं -

(1) शैक्षिक क्षेत्र में जागृत चेतना का स्तर उत्कृष्ट पाया गया है।

(2) मात्र 4·३२ प्रतिशत लोग निम्न तथा 7.27 प्रतिशत लोग निम्नतर स्तर की चेतना बताते हैं।

(3) अधिकांश लोग 58.86 प्रतिशत अर्थात आधे से भी अधिक लोग श्रेष्ठ स्तर की चेतना वाले हैं।

शैक्षिक चेतना

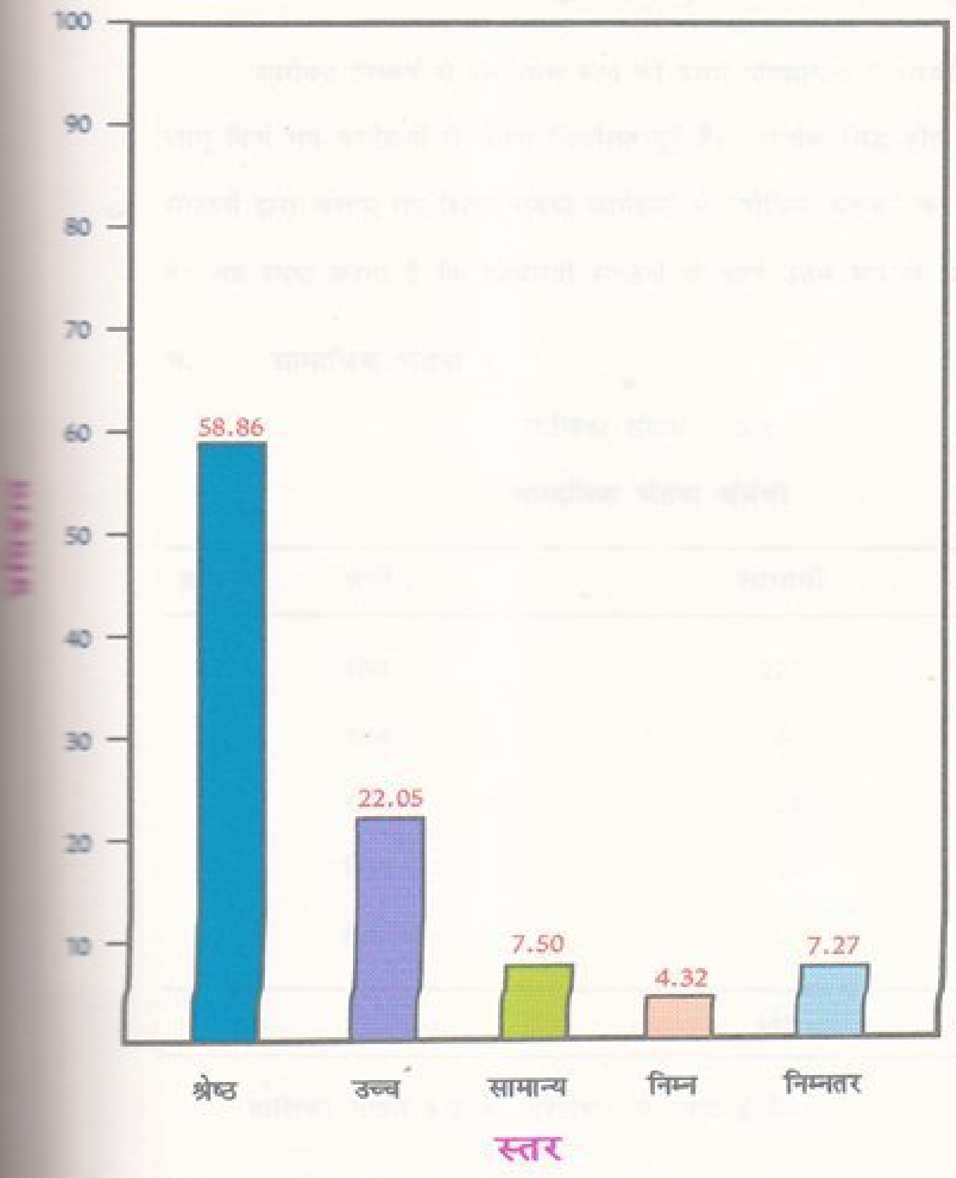

(ग्राफ संख्या - 1)

(4) उच्च स्तर पर चेतना वाले लोगों का प्रतिशत 22.05 प्रतिशत है जो कि शैक्षिक-चेतना की श्रेष्ठ स्थिति को दर्शाते हैं।

यहीं स्थिति स्तम्भाकार-ग्राफ द्वारा भी प्रस्तुत की गयी है। (देखिए पृष्ठ संख्या-151)

उपरोक्त निष्कर्ष से इस शोध कार्य की प्रथम परिकल्पना " स्वयंसेवी संगठनों द्वारा लागू किये गये कार्यक्रमों से चेतना विकसित हुई है।" सार्थक सिद्ध होती है कि स्वयंसेवी संगठनों द्वारा चलाए गए शिक्षा संबधी कार्यक्रमों में "शैक्षिक चेतना" का स्तर उन्नत हुआ है। यह स्पष्ट करता है कि स्वयंसेवी संगठनों के कार्य उत्तम रूप से चल रहे हैं।

ब. सामाजिक चेतना -

तालिका संख्या - 5.2

सामाजिक चेतना संबंधी

क्र. सं.	श्रेणी	लाभार्थी	प्रतिशत
1.	श्रेष्ठ	227	62.95
2.	उच्च	64	14.55
3.	सामान्य	28	6.36
4.	निम्न	29	6.59
5.	निम्नत्तर	42	9.55
		440	100

तालिका संख्या 5.2 के विश्लेषण से स्पष्ट है कि-

(1) सामाजिक चेतना के क्षेत्र में जागृत चेतना का स्तर अच्छा पाया गया है। 62.95 प्रतिशत लोगों ने श्रेष्ठ स्तर की चेतना प्रकट की है।

सामाजिक चेतना

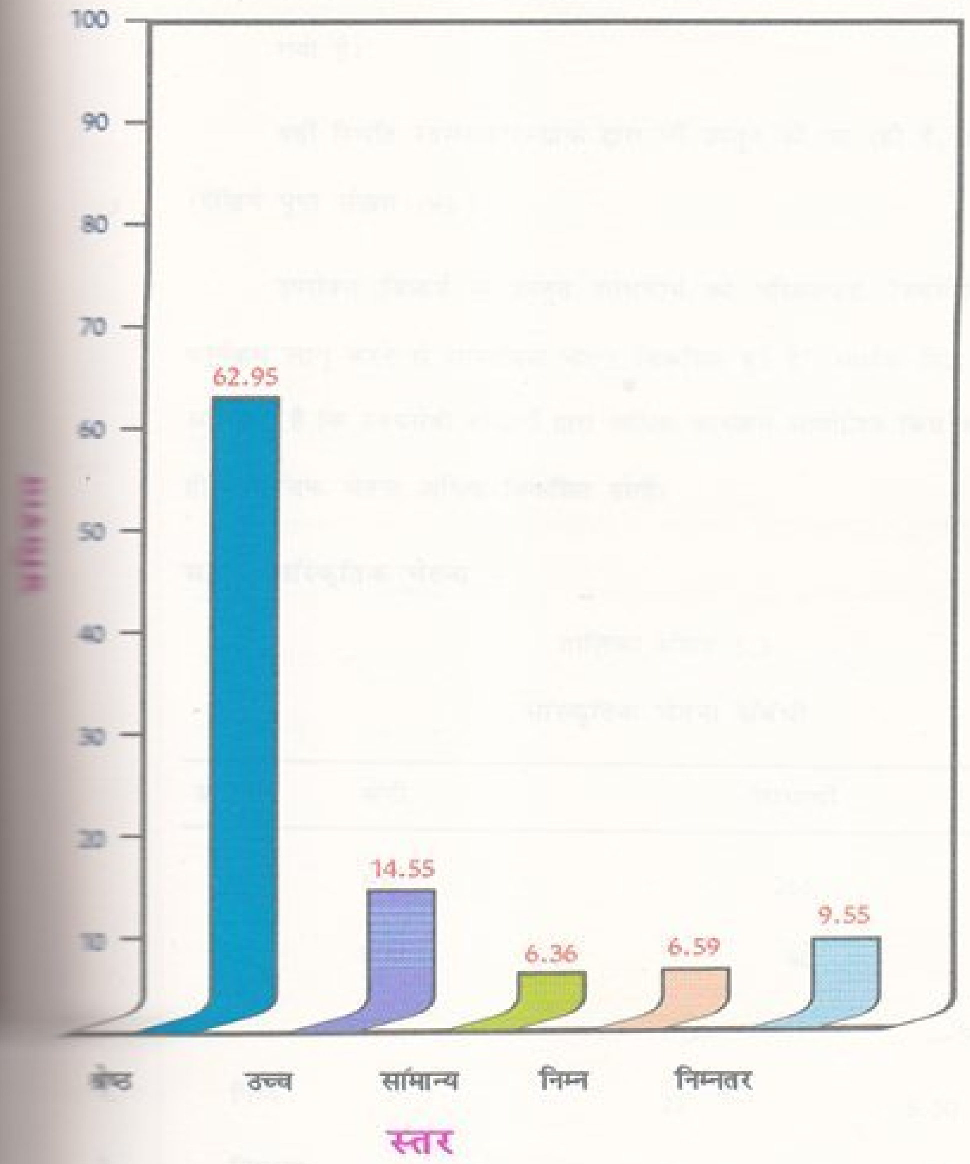

(ग्राफ संख्या - 2)

(2) मात्र 4.32 तथा 7.27 प्रतिशत लोग ही क्रमशः निम्न तथा निम्नतर स्तर की सामाजिक चेतना के लिए मत प्रकट करते हैं।

(3) 14.55 प्रतिशत लोगों में सामाजिक चेतना के क्षेत्र में उच्च स्तर की जागरूकता पायी गयी है।

यहीं स्थिति स्तम्भाकार-ग्राफ द्वारा भी प्रस्तुत की जा रही है, जो इस प्रकार है- (देखिये पृष्ठ संख्या-143.)

उपरोक्त निष्कर्ष से प्रस्तुत शोधकार्य की परिकल्पना "स्वयंसेवी संगठनों द्वारा कार्यक्रम लागू करने से सामाजिक चेतना विकसित हुई है" सार्थक सिद्ध होती है। इसका अभिप्राय है कि स्वयंसेवी संगठनों द्वारा अधिक कार्यक्रम आयोजित किए जाए तो निश्चितत् ही सामाजिक चेतना अधिक विकसित होगी।

स. सांस्कृतिक चेतना -

तालिका संख्या 5.3

सांस्कृतिक चेतना संबंधी

क्र. सं.	श्रेणी	लाभार्थी	प्रतिशत
1.	श्रेष्ठ	265	60.23
2.	उच्च	80	18.18
3.	सामान्य	37	8.41
4.	निम्न	22	5.00
5.	निम्नतर	36	8.18
		440	100

उपर्युक्त तालिका के विवेचनोपरान्त स्पष्ट है कि -

(1) स्वयंसेवी संगठनों द्वारा कार्यक्रम लागू किये जाने के फलस्वरूप ग्रामीण लोगों में "सांस्कृतिक चेतना" का स्तर विकसित हुआ है। इसके लिए श्रेष्ठ एवं उच्च स्तर पर क्रमशः 60.23 तथा 18.18 प्रतिशत लोग सहमति प्रकट करते हैं।

(2) सांस्कृतिक चेतना की निम्नत्तर स्थिति 8.18 प्रतिशत लोगों में ही पायी गयी है।

(3) यह चेतना स्तर 5.0 प्रतिशत लोगों में ही निम्न स्तर की पायी गयी है।

(4) 8.41 प्रतिशत लोग तटस्थता की स्थिति स्वीकार करते हैं।

इस स्थिति को स्तम्भाकार-ग्राफ द्वारा भी प्रस्तुत किया जा रहा है, जो इस प्रकार है (देखिए पृष्ठ संख्या -146)

उक्त निष्कर्षों से शोध कार्य की परिकल्पना "स्वयंसेवी संगठनों द्वारा लागू किये गये कार्यक्रमों से सांस्कृतिक चेतना का स्तर विकसित हुआ है" सार्थक सिद्ध होती है। इसका अभिप्राय है कि स्वयंसेवी संगठनों द्वारा लागू किये गये कार्यक्रमों से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में "सांस्कृतिक चेतना" का विकास हुआ है ।

सांस्कृतिक चेतना

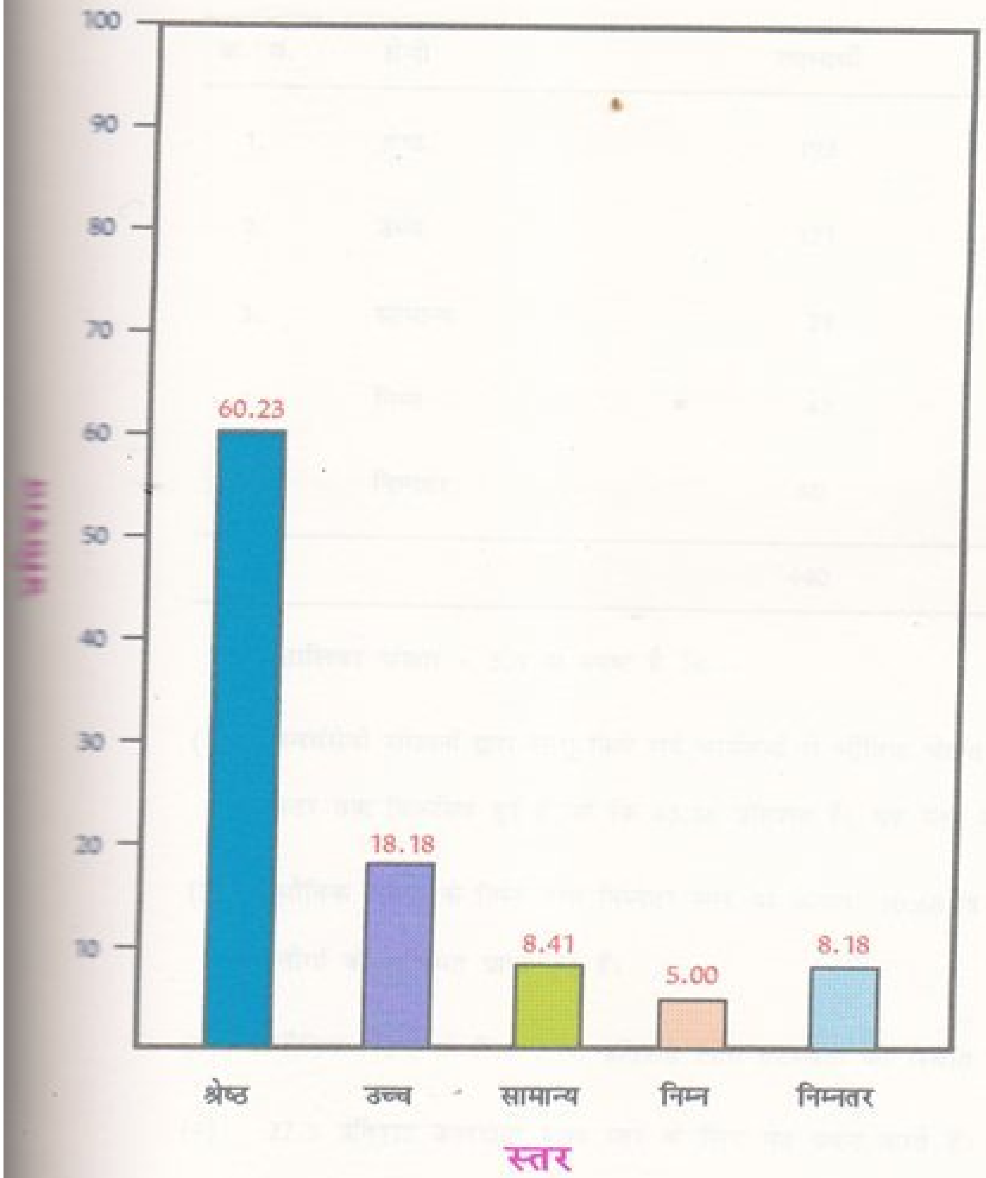

(ग्राफ संख्या - 3)

द. भौतिक चेतना -

तालिका संख्या 5.4

भौतिक चेतना संबंधी

क्र. सं.	श्रेणी	लाभार्थी	प्रतिशत
1.	श्रेष्ठ	193	43.86
2.	उच्च	121	27.5
3.	सामान्य	29	6.60
4.	निम्न	47	10.68
5.	निम्नतर	50	11.36
		440	100

तालिका संख्या - 5.4 से स्पष्ट है कि -

(1) स्वयंसेवी संगठनों द्वारा लागू किये गये कार्यक्रमों से भौतिक चेतना सामान्य से कम स्तर तक विकसित हुई है जो कि 43.86 प्रतिशत है। यह स्तर आधे से कम है।

(2) भौतिक चेतना के निम्न तथा निम्नत्तर स्तर पर क्रमशः 10.68 व 11.36 प्रतिशत लोगों के अभिमत प्राप्त हुए हैं।

(3) भौतिक चेतना के लिए 6.60 प्रतिशत लोग तटस्थता की स्थिति प्रकट करते हैं।

(4) 27.5 प्रतिशत उत्तरदाता उच्च स्तर के लिए मत प्रकट करते हैं।

इस स्थिति को ग्राफ द्वारा इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है (देखिए पृष्ठ संख्या -148) -

भौतिक चेतना

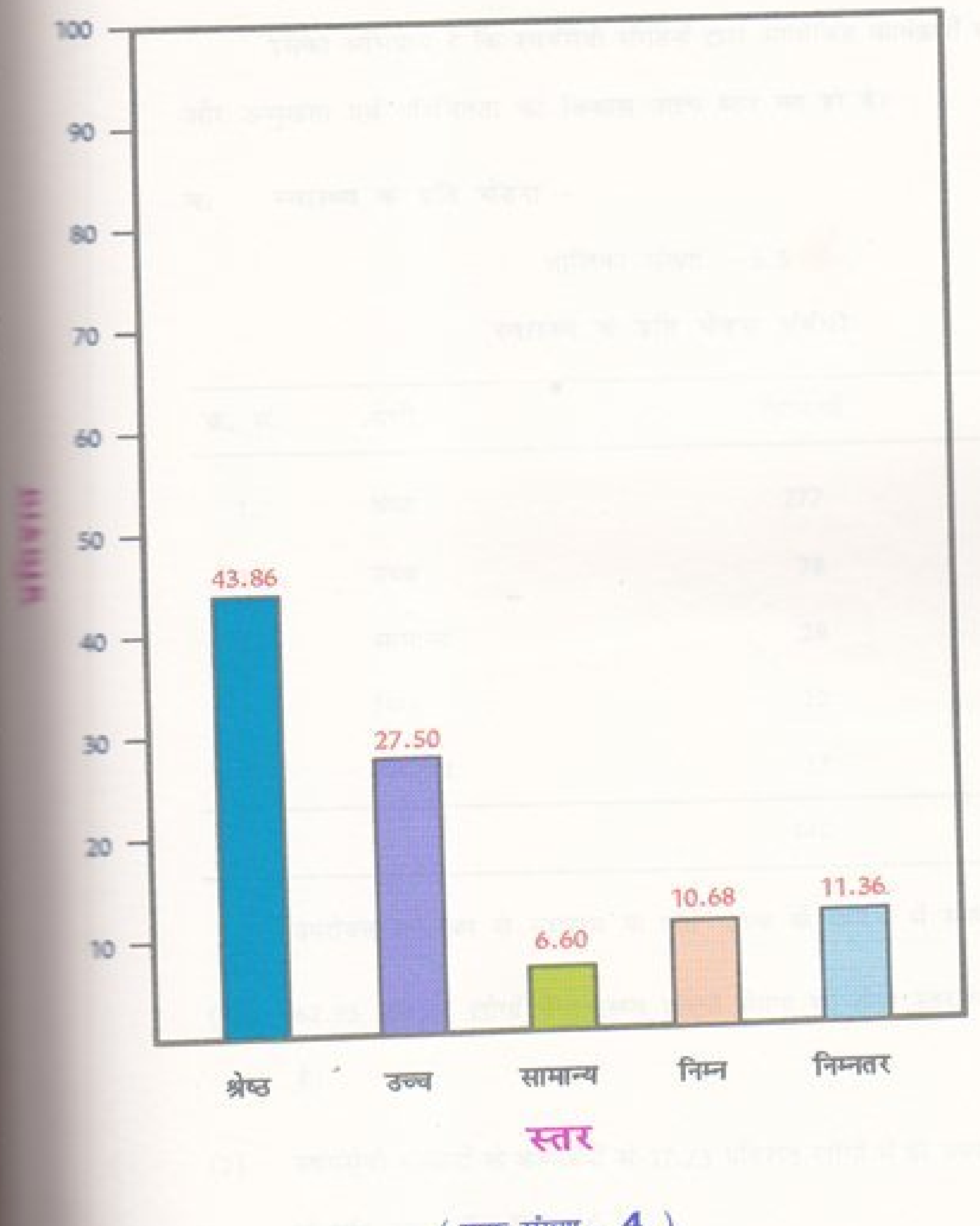

(ग्राफ संख्या - 4)

उपरोक्त परिणामों से स्पष्ट है कि प्रस्तुत शोध कार्य के लिए निर्धारित परिकल्पना "स्वयंसेवी संगठनों द्वारा लागू किये गये कार्यक्रमों से भौतिक चेतना का स्तर विकसित हुआ है " पूर्णत् सार्थक सिद्ध हुई है।

इसका अभिप्राय है कि स्वयंसेवी संगठनों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों से भौतिकता की और उन्मुखता एवं परिचितता का विकास अल्प स्तर का ही है।

य. स्वास्थ्य के प्रति चेतना -

तालिका संख्या - 5.5

स्वास्थ्य के प्रति चेतना संबंधी

क्र. सं.	श्रेणी	लाभार्थी	प्रतिशत
1.	श्रेष्ठ	277	62.95
2.	उच्च	78	7.73
3.	सामान्य	28	6.36
4.	निम्न	20	4.55
5.	निम्नत्तर	37	8.41
		440	100

उपरोक्त तालिका से स्वास्थ्य के प्रति चेतना के सन्दर्भ में स्पष्ट है कि-

(1) 62.95 प्रतिशत लोगों में स्वास्थ्य संबधी चेतना को श्रेष्ठ स्तर पर मत प्राप्त हुआ है।

(2) स्वयंसेवी संगठनों के कार्यक्रमों से 17.73 प्रतिशत लोगों में ही उच्च स्तर पर स्वास्थ्य के प्रति चेतना विकसित हुई है।

स्वास्थ्य के प्रति चेतना

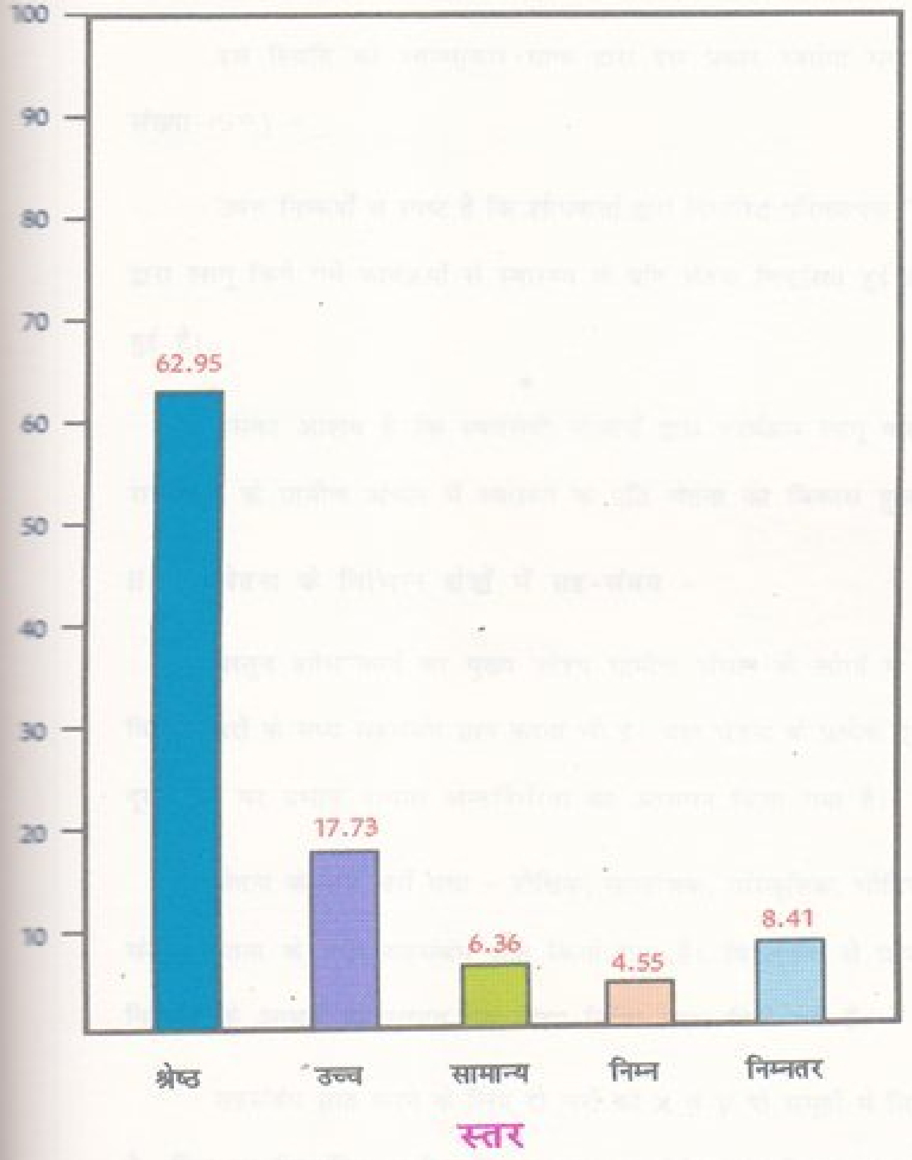

(ग्राफ संख्या - 5)

(3) 8.41 प्रतिशत उत्तरदाताओं में उक्त चेतना के लिए निम्न स्तर तथा 4.55 प्रतिशत लोगों ने निम्न स्तर पर मत प्रकट किया है।

(4) स्वास्थ्य के प्रति तटस्थता की स्थिति 6.36 प्रतिशत लोगों में ही पायी गयी है।

इस स्थिति को स्तम्भाकार-ग्राफ द्वारा इस प्रकार दर्शाया गया है (देखिए पृष्ठ-संख्या-150) -

उक्त निष्कर्षों से स्पष्ट है कि शोधकर्त्ता द्वारा निर्धारित परिकल्पना "स्वयंसेवी संगठनों द्वारा लागू किये गये कार्यक्रमों से स्वास्थ्य के प्रति चेतना विकसित हुई है " सार्थक सिद्ध हुई है।

इसका आशय है कि स्वयंसेवी संगठनों द्वारा कार्यक्रम लागू करने से ही दक्षिणी-राजस्थान के ग्रामीण अंचल में स्वास्थ्य के प्रति चेतना का विकास हुआ है।

ii चेतना के विभिन्न क्षेत्रों में सह-संबध -

प्रस्तुत शोध-कार्य का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अंचल के लोगों में जागृत चेतना के विविध चरों के मध्य सहसंबंध ज्ञान करना भी है। यहां चेतना के प्रत्येक एक चर का प्रत्येक दूसरे चर पर प्रभाव अथवा अन्तर्निर्भरता का अध्ययन किया गया है।

चेतना के पांच चरों यथा - शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौतिक तथा स्वास्थ्य-संबंधी चेतना के मध्य सहसंबंध ज्ञात किया गया है। विश्लेषण से प्राप्त परिणामों तथा निष्कर्षों के आधार पर सुझाव एवं दिशा-निर्देश प्रदान किये गये हैं।

सहसंबंध ज्ञात करने के लिए दो चरों को x व y दो समूहों में विभक्त किया गया है जिन पर निम्नांकित सांख्यिकी सूत्र द्वारा सहसंबंध ज्ञात किया गया है -

$$r = \frac{N\varepsilon xy - \varepsilon x \varepsilon y}{\sqrt{[N\varepsilon x^2 - (\varepsilon x)^2][N\varepsilon y^2 - (\varepsilon y)^2]}}$$

उक्त सूत्र द्वारा परिकलित मान की सार्थकता की जांच हेतु सहसंबंध गुणांक प्रामाणिक तालिका में मान ज्ञात किया गया है तथा परिकलित मान में सहसंबंध के स्तर का निर्धारण करने हेतु निम्नांकित तालिका प्रयुक्त की गयी है -

तालिका संख्या - 5.6

सहसंबंध स्तर तालिका

क्र.सं.	सहसंबंध विस्तार	स्तर
1.	± 1.0	पूर्ण सहसंबंध
2.	± 1.0 से 0.7	उच्च सहसंबंध
3.	± 0.7 से 0.4	औसत सहसंबंध
4.	± 0.4 से 0.2	निम्न सहसंबंध
5.	± 0.2 से 0	निम्नत्तर सहसंबंध

प्रस्तुत अध्ययन के लिए निम्नतया सहसंबंध ज्ञात किये गये हैं -

(1) शैक्षिक एवं सामाजिक चेतना के मध्य सहसंबंध

(2) शैक्षिक एवं सांस्कृतिक चेतना के मध्य सहसंबंध

(3) शैक्षिक एवं भौतिक चेतना के मध्य सहसंबंध

(4) शैक्षिक एवं स्वास्थ्य के प्रति चेतना के मध्य सहसंबंध

(5) सामाजिक एवं सांस्कृतिक चेतना के मध्य सहसंबंध

(6) सामाजिक एवं भौतिक चेतना के मध्य सहसंबंध

(7) सामाजिक एवं स्वास्थ्य के प्रति चेतना के मध्य सहसंबंध

(8) सांस्कृतिक एवं भौतिक चेतना के मध्य सहसंबंध

(9) सांस्कृतिक एवं स्वास्थ्य के प्रति चेतना के मध्य सहसंबंध

(10) भौतिक एवं स्वास्थ्य के प्रति चेतना के मध्य सहसंबंध

उक्त आधार पर विवेचन इस प्रकार प्रस्तुत है -

(1) **शैक्षिक एवं सामाजिक चेतना के मध्य सहसंबंध -**

तालिका संख्या 5.7

शैक्षिक एवं सामाजिक चेतना के मध्य सह-संबंध

चर (Variable)		दोनों चरों के मध्य सहसंबंध	प्रामाणिकता 0.01 स्तर	प्रामाणिकता 0.05 स्तर
शैक्षिक चेतना	सामाजिक चेतना	0.99	0.115	0.88

राजस्थान के दक्षिणी भाग के ग्रामीण अंचल में स्वयंसेवी संगठनों द्वारा आयोजित विविध कार्यक्रमों से लोगों में शैक्षिक क्षेत्र तथा सामाजिक क्षेत्र में जागृत चेतना तालिका संख्या - 5.7 से स्पष्ट है, कि -

दोनों चरों के सहसंबंध गुणांकों का परिकलित मान + 0.99 प्राप्त हुआ है। N = 440 तथा स्वतन्त्र चर·500 पर सहसंबंध गुणांक का प्रमाणित सांख्यिकी मान 0.01 स्तर पर 0.115 तथा 0.05 स्तर पर 0.88 प्राप्त हुआ है। दोनों चरों के संबंध में स्पष्ट है कि यह तालिका (प्रमाणित) मान परिकलित मान से दोनों स्तर पर ही कम है। साथ ही सहसंबंध स्तर तालिका (देखिए तालिका संख्या 5.6) में परिकलित मान उच्चतम सहसंबंध स्तर पर आ रहा है।

इसका अभिप्राय है कि दोनों चरों यथा-शैक्षिक चेतना व सामाजिक चेतना में उच्चतम-स्तर का सहसंबंध है अर्थात् एक चर का दूसरे चर पर अत्यधिक प्रभाव है। यदि किसी भी एक चर के संबंध में कार्यक्रम् आयोजित किए जाए तो निश्चितत् ही उसका दूसरे चर में जागृत होने वाली चेतना पर धनात्मक प्रभाव पड़ता है।

दोनों चरों के मध्य उच्चतम स्तर का धनात्मक सहसंबंध है।

(2) शैक्षिक एवं सांस्कृतिक चेतना के मध्य सहसंबंध –

तालिका संख्या – 5.8

शैक्षिक एवं सांस्कृतिक चेतना के मध्य सहसंबंध

चर		दोनों चरों के मध्य सहसंबंध	प्रामाणिक मान	
			0.01 स्तर	0.05 स्तर
शैक्षिक चेतना	सांस्कृतिक चेतना	+ 0.9986	0.115	0.88

तालिका संख्या - 5.8 से स्पष्ट है कि शैक्षिक चेतना एवं सांस्कृतिक चेतना चरों के सहसंबंध गुणांक + 0.9986 प्राप्त हुआ है। N = 440 तथा स्वतन्त्र चर= 500 पर सहसंबंध गुणांक का प्रामाणिक सांख्यिकी मान 0.01 स्तर पर 0.115 तथा 0.05 स्तर पर 0.88 प्राप्त हुआ है, जो कि दोनों चरों के परिकलित मान से दोनों स्तर पर ही कम है। यह दोनों चरों के मध्य उच्चतम स्तर का धनात्मक सहसंबंध परिलक्षित करता है। यह सहसंबंध स्तर तालिका (देखिए तालिका संख्या - 5.6) से भी स्पष्ट है।

इसका अभिप्राय है कि यदि शिक्षा तथा सांस्कृतिकता में से किसी भी एक चर में चेतना विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाए तो निश्चितत् ही दूसरे चर में चेतना विकसित होगी। दोनों चरों में उच्चतम स्तर का धनात्मक सहसंबंध पाया गया है।

(3) शैक्षिक एवं भौतिक चेतना के मध्य सहसंबंध -

तालिका संख्या - 5.9

शैक्षिक एवं भौतिक चेतना के मध्य सहसंबंध

चर		दोनों चरों के मध्य सहसंबंध	प्रामाणिक मान	
			0.01 स्तर	0.05 स्तर
शैक्षिक चेतना	भौतिक चेतना	+ 0.98	0.115	0.88

उक्त तालिका संख्या - 5.9 के विवेचन से स्पष्ट है कि ग्रामीण समुदाय में जागृत शैक्षिक एवं भौतिक चेतना के चरों का सहसंबंध गुणांक +0.98 प्राप्त हुआ है। N = 440 तथा स्वतन्त्र चर=500 पर सहसंबंध गुणांक का प्रामाणिक सांख्यिकी मान 0.01 स्तर पर 0.115 तथा 0.05 स्तर पर 0.88 है, जो कि दोनों चरों के लिए परिकलित मान से दोनों स्तर पर ही कम है।

इस से स्पष्ट होता है कि यह दोनों चरों के मध्य उच्चतम स्तर का धनात्मक सहसंबंध है। यह सहसंबंध स्तर तालिका (देखिए तालिका संख्या - 5.6) से भी स्पष्ट है।

इसका अभिप्राय है कि यदि शिक्षा अथवा भौतिक चेतना के चरों में से किसी भी ,एक चर के लिए चेतना विकसित करने हेतु कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ, तो निश्चितत् ही दूसरे चर में चेतना विकसित होगी। दोनों चरों में उच्चत्तम स्तर का धनात्मक सहसंबंध है।

(4) शैक्षिक एवं स्वास्थ्य के प्रति चेतना के मध्य सहसंबंध -

तालिका संख्या 5.10

शैक्षिक एवं स्वास्थ्य के प्रति चेतना के मध्य सहसंबंध

चर		दोनों चरों के मध्य सहसंबंध	प्रामाणिक मान	
			0.01 स्तर	0.05 स्तर
शैक्षिक चेतना	स्वास्थ्य के प्रति चेतना	+ 0.9975	0.115	0.88

शैक्षिक चेतना एवं स्वास्थ्य के प्रति चेतना के चरों के संबंध में प्रस्तुत उक्त तालिका संख्या - 5.10 से स्पष्ट है कि दोनों चरों का सहसंबंध गुणांक +0.9975 प्राप्त हुआ है। N = 440 तथा स्वतन्त्र चर=500 पर सहसंबंध गुणांक का प्रामाणिक सांख्यिकी मान 0.01 स्तर पर 0.115 तथा 0.05 स्तर पर 0.88 प्राप्त हुआ है जो कि दोनों चरों के मध्य उच्चतम स्तर का धनात्मक सहसंबंध दर्शाता है। यह "सहसंबंध स्तर तालिका" से भी स्पष्ट है।

इसका अभिप्रायं है कि यदि शिक्षा व स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने के लिए किसी भी एक चर के संबंध में कार्य किया जाए, तब उसका प्रभाव निश्चितत् ही दूसरे चर पर पड़ेगा अर्थात् शैक्षिक कार्यक्रमों से स्वास्थ्य के प्रति भी चेतना विकसित होगी तथा स्वास्थ्य के प्रति चेतना विकसित करने के लिए आयोजित कार्यक्रमों से शिक्षा के प्रति भी उन्मुखता बढ़ेगी।

दोनों चरों के मध्य उच्चतम स्तर का धनात्मक सहसंबंध है।

(5) सामाजिक एवं सांस्कृतिक चेतना के मध्य सहसंबंध -

तालिका संख्या - 5.11

सामाजिक एवं सांस्कृतिक चेतना के मध्य सहसंबंध

चर		दोनों चरों के मध्य सहसंबंध	प्रामाणिक मान	
			0.01 स्तर	0.05 स्तर
सामाजिक चेतना	सांस्कृतिक चेतना	+ 0.9981	0.115	0.88

तालिका संख्या - 5.11 से स्पष्ट है कि सामाजिक चेतना एवं सांस्कृतिक चेतना चरों के मध्य सहसंबंध गुणांक + 0.9981 प्राप्त हुआ है। N = 440 तथा स्वतन्त्र चर:500 पर सहसंबंध गुणांक का प्रामाणिक सांख्यिकी मान 0.01 स्तर पर 0.115 तथा 0.05 स्तर पर 0.88 मान प्रप्त हुआ है जो कि दोनों चरों के परिकलित मान से दोनों स्तर पर ही कम है।

यह दोनों चरों के मध्य उच्चतम स्तर का धनात्मक सहसंबंध परिलक्षित करता है। यह सहसंबंध स्तर तालिका से भी स्पष्ट है।

इसका अभिप्राय है कि यदि सामाजिक अथवा सांस्कृतिक चेतना में से किसी भी एक चर में चेतना विकसित करने के लिए कार्यक्रम् आयोजित किए जाए तो निश्चितत् ही दूसरे चर में भी चेतना विकसित होगी।

दोनों चरों में उच्चतम स्तर का धनात्मक सहसंबंध पाया गया है।

(6) सामाजिक एवं भौतिक चेतना के मध्य सहसंबंध :-

तालिका संख्या - 5.12

सामाजिक एवं भौतिक चेतना के मध्य सहसंबंध

चर		दोनों चरों के मध्य सहसंबंध	प्रामाणिक मान	
			0.01 स्तर	0.05 स्तर
सामाजिक चेतना	भौतिक चेतना	+ 0.95922	0.115	0.88

सामाजिक एवं भौतिक चेतना के चरों के मध्य सहसंबंध के लिए प्रस्तुत उक्त तालिका संख्या - 5.12 से स्पष्ट है कि दोनों चरों के सहसंबंध का गुणांक + 0.95922 प्राप्त हुआ है। N = 440 तथा स्वतन्त्र चर=500 पर सहसंबंध गुणांक का प्रामाणिक सांख्यिकी मान 0.01 स्तर पर 0.115 तथा 0.05 स्तर पर 0.88 प्राप्त हुआ है, जो कि दोनों चरों के परिकलित मान से दोनों स्तर पर ही कम है। यह दोनों चरों के मध्य उच्चतम स्तर का धनात्मक सहसंबंध व्यक्त करता है।

यद्यपि तालिका संख्या 5.7 से 5.11 तक वर्णित चरों के मध्य सहसंबंध मान तालिका संख्या 5.12 में वर्णित चरों के सहसंबंध मान से अधिक है तथापि यह सहसंबंध भी उच्चतम स्तर का धनात्मक सहसंबंध है।

इसका अभिप्राय है कि तालिका 5.7 से 5.11 तक चरों के कार्यक्रमों का प्रभाव संख्या - 5.12 में वर्णित चरों से अधिक रहता है, इसका कारण क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियां है। यहां यातायात व संदेशवाहन की समस्या से और आय के स्रोत अधिक न होने के कारण संभावित है जिसकी जानकारी शोधकर्ता को निरीक्षण से तथा संबंधित व्यक्तियों से लिये गये मौखिक साक्षात्कार से प्राप्त हुई है। इसके बावजूद भी दोनों चरों में उच्चतम स्तर का धनात्मक सहसंबंध है।

(7) सामाजिक एवं स्वास्थ्य के प्रति चेतना के मध्य सहसंबंध -

तालिका संख्या - 5.13

सामाजिक एवं स्वास्थ्य के प्रति चेतना के मध्य सहसंबंध

चर		दोनों चरों के मध्य सहसंबंध	प्रामाणिक मान	
			0.01 स्तर	0.05 स्तर
सामाजिक चेतना	स्वास्थ्य के प्रति चेतना	+ 0.99915	0.115	0.88

तालिका संख्या - 5.13 से स्पष्ट है कि सामाजिक चेतना एवं स्वास्थ्य के प्रति चेतना के मध्य सहसंबंध गुणांक + 0.99915 प्राप्त हुआ है। N = 440 तथा स्वतन्त्र चर=500 पर सहसंबंध गुणांक का प्रामाणिक सांख्यिकी मान 0.01 स्तर पर 0.115 तथा 0.05 स्तर पर 0.88 प्राप्त हुआ है।

यह मान दोनों चरों के परिकलित मान से दोनों स्तर पर ही कम है। यह दोनों चरों के मध्य उच्चतम स्तर का धनात्मक सहसंबंध परिलक्षित करता है।

इसका अभिप्राय है कि यदि सामाजिक अथवा सांस्कृतिक चेतना में से किसी भी ,एक चर में चेतना विकसित करने के लिए कार्यक्रम् आयेजित किए जाए तो निश्चितत् ही दूसरे चर में भी चेतना विकसित होगी।

दोनों चरों में उच्चतम स्तर पर धनात्मक सहसंबंध पाया गया है। इससे शोधकार्य की दूसरी परिकल्पना का सिद्ध होना स्पष्ट होता है।

(8) सांस्कृतिक एवं भौतिक चेतना के मध्य सहसंबंध -

तालिका संख्या - 5.14

सांस्कृतिक एवं भौतिक चेतना के मध्य सहसंबंध

चर		दोनों चरों के मध्य सहसंबंध	प्रामाणिक मान	
			0.01 स्तर	0.05 स्तर
सांस्कृतिक चेतना	भौतिक चेतना	+ 0.97290	0.115	0.88

सांस्कृतिक एवं भौतिक चेतना के चरों के संबंध में प्रस्तुत उक्त तालिका संख्या - 5.14 से स्पष्ट है कि दोनों चरों का सहसंबंध गुणांक + 0.97290 प्राप्त हुआ है। N = 440 तथा स्वतन्त्र चर=500 पर सहसंबंध गुणांक का प्रामाणिक सांख्यिकी मान 0.01 स्तर पर 0.115 तथा 0.05 स्तर पर 0.88 प्राप्त हुआ है जो कि दोनों चरों के मध्य उच्चतम स्तर का धनात्मक सहसंबंध दर्शाता है।

इसका अभिप्राय है कि यदि सांस्कृतिक व स्वास्थ्य के प्रति चेतना विकसित करने के लिए किसी भी एक चर के संबंध में कार्य किया जाए, तब उसका प्रभाव दूसरे चर पर निश्चितत् ही पड़ेगा अर्थात् सांस्कृतिक चेतना संबंधी कार्यक्रमों से भौतिक चेतना का स्तर

विकसित होगा व भौतिक चेतना संबंधी कार्यक्रमों से सांस्कृतिक चेतना का स्तर विकसित होगा।

दोनों चरों के मध्य उच्चतम स्तर का धनात्मक सहसंबंध है। इससे शोधकार्य की दूसरी परिकल्पना का सिद्ध होना स्पष्ट होता है।

(9) सांस्कृतिक एवं स्वास्थ्य के प्रति चेतना के मध्य सहसंबंध -

तालिका संख्या - 5.15

सांस्कृतिक एवं स्वास्थ्य के प्रति चेतना के मध्य सहसंबंध

चर		दोनों चरों के मध्य सहसंबंध	प्रामाणिक मान	
			0.01 स्तर	0.05 स्तर
सांस्कृतिक चेतना	स्वास्थ्य के प्रति चेतना	+ 0.99958	0.115	0.88

उक्त तालिका संख्या - 5.15 से स्पष्ट है कि सांस्कृतिक चेतना एवं स्वास्थ्य से प्रति चेतना का सहसंबंध गुणांक + 0.99958 प्राप्त हुआ है। N = 440 तथा स्वतन्त्र चर॰ 500 पर सहसंबंध गुणांक का प्रामाणिक सांख्यिकी मान 0.01 स्तर पर 0.115 तथा 0.05 स्तर पर 0.88 प्राप्त हुआ है, जो कि दोनों चरों के परिकलित मान से दोनों स्तर पर ही कम है। यह दोनों चरों के मध्य उच्चतम स्तर का धनात्मक सहसंबंध परिलक्षित करता है।

इसका अभिप्राय है कि यदि सांस्कृतिक चेतना तथा स्वास्थ्य के प्रति चेतना में से किसी भी एक चर में चेतना विकसित करने के लिए कार्यक्रम् आयोजित किए जाए, तो निश्चितत् ही दूसरे चर में चेतना विकसित होगी।

दोनों चरों में उच्चतम स्तर का धनात्मक सहसंबंध पाया गया है। इससे दूसरी परिकल्पना का सिद्ध होना स्पष्ट होता है।

(10) भौतिक एवं स्वास्थ्य के प्रति चेतना के मध्य सहसंबंध -

तालिका संख्या - 5.16

भौतिक एवं स्वास्थ्य के प्रति चेतना के मध्य सहसंबंध

चर		दोनों चरों के मध्य सहसंबंध	प्रामाणिक मान	
			0.01 स्तर	0.05 स्तर
भौतिक चेतना	स्वास्थ्य के प्रति चेतना	+ 0.9986	0.115	0.88

भौतिक एवं स्वास्थ्य के प्रति चेतना के संबंध में प्रस्तुत उक्त तालिका संख्या - 5.16 से स्पष्ट है कि दोनों चरों का सहसंबंध गुणांक + 0.9683 प्राप्त हुआ है। N = 440 तथा स्वतन्त्र चर=500 पर सहसंबंध गुणांक का प्रामाणिक सांख्यिकी मान 0.01 स्तर पर 0.115 तथा 0.05 स्तर पर 0.88 प्राप्त हुआ है जिससे दोनों चरों के मध्य उच्चतम स्तर का धनात्मक सहसंबंध व्यक्त होता है।

इसका अभिप्राय है कि यदि भौतिक चेतना व स्वास्थ्य के प्रति चेतना लाने के लिए किसी भी एक चर के लिए कार्य किया जाए तब उसका प्रभाव निश्चितत् ही दूसरे चर पर पड़ेगा अर्थात दोनों कारण अन्तर्निर्भर हैं। भौतिक चेतना के लिए आयोजित कार्यक्रमों से स्वास्थ्य के प्रति चेतना भी विकसित होगी व स्वास्थ्य के प्रति चेतना विकसित करने के लिए आयोजित कार्यक्रमों से भौतिक चेतना विकसित होगी।

दोनों कारकों में उच्चतम स्तर का धनात्मक सहसंबंध है। यह शोधकार्य की दूसरी परिकल्पना को सार्थक सिद्ध करता है।

निष्कर्ष -

प्रस्तुत शोध अध्ययन में प्रथम शोध उपकरण "शैक्षिक कार्यक्रम प्रभाव मापनी" से संग्रहित दत्त विश्लेषित करने से स्पष्ट होता है कि सामाजिक चेतना व स्वास्थ्य के प्रति चेतना का स्तर सर्वोच्च पाया,गया है तथा श्रेष्ठता के स्तर पर दोनों ही क्षेत्रों में यह स्तर समान 62.95 प्रतिशत है। (देखिए तालिका संख्या-5.2 व 5.5)

अध्ययन किये गये ग्रामीण अंचल में शैक्षिक व सांस्कृतिक चेतना श्रेष्ठता के स्तर पर क्रमशः 58.86 तथा 60.23 प्रतिशत है। (देखिए तालिका संख्या-5.1 व 5.3)

भौतिक चेतना के लिए श्रेष्ठता के स्तर पर 42.86 प्रतिशत मत ही प्राप्त हुए हैं जो कि सामान्य से भी कम है। (देखिए तालिका संख्या-5.4)

यद्यपि उक्त निष्कर्ष चेतना के सामान्य स्तर से औसतन उच्च स्थिति ही प्रदर्शित करते हैं किन्तु इसे बहुत अधिक बेहतर स्थिति नहीं माना जा सकता है।

एक और विश्व के अनेक देशों में साक्षरता का स्तर ही 99 प्रतिशत तक है (देखिए परिशिष्ट संख्या - 11) शिक्षा के प्रति चेतना के स्तर का मध्यमान 63.16 ही प्राप्त हुआ है। (देखिए तालिका संख्या -5.1) यह स्थिति इस क्षेत्र के लोगों के स्तर को दूसरे लोगों की तुलना में अधिक अच्छा प्रदर्शित नहीं कर रही है।

इस क्षेत्र में राजकीय प्रयासों के अतिरिक्त प्रयास के रूप में स्वयंसेवी संगठन कार्यक्रम् आयोजित करते हैं जबकि भारत का साक्षरता प्रतिशत 54.37 ही है। यह स्थिति भी इस क्षेत्र में शिक्षा के प्रति और अधिक जागरूक करने के लिए अधिक कार्यक्रम् आयोजित करने व लोक भागीदारी बढ़ाने के लिए स्पष्ट निर्देश प्रदान करती है।

अध्ययन किये गये क्षेत्र में जनजाति समुदाय अधिक बसता है। यहां की ग्रामीण आबादी में इनका लगभग आधा भाग है। आमतौर पर जनजाति समुदाय को अपनी संस्कृति के प्रति अधिक संवेदनशील माना जाता है, किन्तु इस अध्ययन में इस क्षेत्र के लोगों की सांस्कृतिक चेतना का अध्ययन 62.59 प्राप्त हुआ है जो कि बहुत अधिक श्रेष्ठ स्थिति नहीं कही जा सकती है। इस क्षेत्र में नवीन व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए अधिक प्रयास किये जाने चाहिए।

सामाजिक चेतना तथा स्वास्थ्य के प्रति चेतना का स्तर यद्यपि चेतना के अन्य क्षेत्रों में अच्छा है। यहां के लोग पानी के मटके ढ़ककर भी रखते है, भोजन के बर्तन भी ढ़ककर रखते है परन्तु मैले-कुचेले कपड़े पहनना, नित्य-प्रति स्नान न करना इनकी आदत बनी हुई है। आपसी प्रेम एवं भाईचारा है, एक-दूसरे के कष्टों में सहयोग भी करते हैं, विपदा के समय एकत्रित होने के लिए "ढ़ोल बजाना" इनकी एक व्यवस्था है।

भौतिक क्षेत्र में इस क्षेत्र के लोगों का चेतना स्तर सामान्य है, इसका श्रेष्ठता के स्तर पर अध्ययन मान 57.32 ही प्राप्त हुआ है। इस क्षेत्र के ग्रामीण परिवेश में पक्के मकानों का प्रायः अभाव पाया है, भोजन बनाने, भोजन ग्रहण करने के लिए आधुनिक संसाधनों, बर्तनों का नितान्त अभाव पाया गया है। आधुनिक उपकरणों के प्रति जानकारी, कभी वस्तु को खरीदने के लिए साहस करना दुष्कर होना, इस क्षेत्र की सामान्य स्थिति है। जो शोध कार्य के दौरान लोगों से बातचीत करने पर तथा शोधकर्ता द्वारा किये गये अवलोकन में पाया गया। धन के अभाव में जानकारी रखते हुए भी वे लोग स्वास्थ्य की रक्षा नहीं कर पाते है, रोग होने पर दवाईयों के लिए धन का प्रबन्ध नहीं हो पाता है। बच्चों को विद्यालय नहीं भेजने में भी यही बाधा सर्वप्रमुख व्यक्त की गई है।

स्वयंसेवी संगठनों तथा सरकार दोनों को ही इस क्षेत्र में चेतना विकसित करने के कार्यक्रम के साथ ही उत्पादकता बढ़ाने वाले कार्यक्रम अधिकाधिक आयोजित करवाने चाहिए ताकि क्षेत्र के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठे।

5.3.2 कार्य स्थिति जांच प्रश्नावली से प्राप्त दत्त -

प्रस्तुत शोध कार्य में द्वितीय प्रकार के दत्त संग्रहण के स्रोत स्वयंसेवी संगठनों के कार्यकर्ता है जिनकी संगठन में तथा कार्यक्षेत्र में स्थिति जानने का प्रयास किया गया है क्योंकि शोधकर्ता का इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करना भी प्रमुख उद्देश्य था। इस संबंध में ''कार्य-स्थिति जांच प्रमापनी'' द्वारा दत्त संग्रहित किए गए है। कुल न्यादर्श 60 से संग्रहित आंकड़ों का क्षेत्रवार विश्लेषण एवं व्याख्या इस प्रकार है -

1. वेतन संबंधी स्थिति -

तालिका संख्या - 5.17

वेतन संबंधी स्थिति

क्र.सं.	श्रेणी	कार्यकर्ता संख्या	प्रतिशत
1.	सहमत	27	45
2.	असहमत	7	11.67
3.	अनिश्चित	26	43.33
	कुल	60	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि स्वयंसेवी संगठनों में वेतन संबंधी स्थिति अधिक सुदृढ़ नहीं है। मात्र 45 प्रतिशत जन सहमति ही वेतन भुगतान की स्थिति के अच्छे

होने के लिए प्रकट की गयी है। शेष 11.67 व 43.33 प्रतिशत जन सहमति क्रमशः असहमत तथा अनिश्चित होने की स्थिति में हैं।

इस स्थिति को विस्तार से निम्नांकित तालिका की सहायता से जाना जा सकता है -

तालिका संख्या - 5.18

वेतन भुगतान की निश्चितता संबंधी जानकारी

क्र.सं.	कथन	सहमत	प्रतिशत	असहमत	प्रतिशत
1.	वेतन निश्चित तिथि को प्राप्त होता है	30	50	21	35
2.	प्राप्त भुगतान पर्याप्त मानते है।	17	28.33	9	15
3.	प्राप्त भुगतान से सामान्य खर्च पूर्ण हो जाते हैं।	26	43.33	-	-
4.	विशेष अवसरों पर बोनस भी मिलता है।	-	-	4	6.67
5.	जितनी राशि पर हस्ताक्षर होते हैं, वह पूरी प्राप्त होती है।	60	100	-	-

तालिका संख्या - 5.18 के विवेचन से निष्कर्ष प्रस्तुत होते हैं कि -

(1) स्वयंसेवी संगठनों के आधे कार्यकर्त्ता ही नियत समय पर भुगतान प्राप्त होना स्वीकार करते हैं जबकि 35 प्रतिशत कार्यकर्त्ता भुगतान के नियत समय पर प्राप्त होने में असहमति प्रकट करते हैं।

(2) 28.33 प्रतिशत कार्यकर्त्ता प्राप्त होने वाले भुगतान को पर्याप्त मानते है जो कि अत्यल्प है।

(3) जितना भुगतान प्राप्त होता है, उसे सामान्य खर्च पूरा करने के लिए 43.33 प्रतिशत कार्यकर्ता ही पर्याप्त मानते हैं। यह भी तब कि जब वे ग्रामीण परिवेश में रह रहे हैं अर्थात् ग्रामीण परिवेश में शहरी परिवेश की अपेक्षा कम व्यय से ही काम चल जाता है।

(4) अधिकांश कार्यकर्त्ताओं को बोनस की जानकारी है, इससे सहमति प्रकट करने वाला एक भी कार्यकर्त्ता नहीं है, जबकि असहमति प्रकट करने वाले कार्यकर्त्ताओं का प्रतिशत भी 6.67 ही है। यह भी उनकी अनभिज्ञता का ही द्योतक है।

(5) स्वयंसेवी संगठनों में भुगतान की दस्तावेजी (Documentary) कार्यवाही सही रखी जाती है अर्थात् कार्यकर्त्ता को जितनी धनराशि का भुगतान प्राप्त होता है उतनी ही धनराशि पर हस्ताक्षर करवाया जाता है, सभी कार्यकर्त्ता इससे सहमति प्रकट करते है। निष्कर्षरूपेण स्पष्ट है कि वेतन भुगतान की स्थिति अधिक सुदृढ़ नहीं है।

(2) **प्रायोजना निर्माण** -

तालिका संख्या - 5.19

प्रयोजना निर्माण स्थिति

क्र.सं.	श्रेणी	कार्यकर्त्ता संख्या	प्रतिशत
1.	सहमत	49	81.67
2.	असहमत	3	5.00
3.	अनिश्चित्त	8	13.33
	कुल	60	100

उक्त तालिका से निम्नांकित निष्कर्ष प्रस्तुत होते हैं -

(1) स्वयंसेवी संगठनों द्वारा कार्य-प्रायोजना तैयार करने में जन-आबद्धता को अधिक बढ़ावा दिया जाता है। 81.67 प्रतिशत कार्यकर्त्ता इससे सहमति प्रकट करते हैं।

(2) 5 प्रतिशत कार्यकर्त्ता कार्य प्रायोजना निर्माण में जन-आबद्धता होने के प्रति असहमति व्यक्त करते हैं।

(3) अध्ययन में 13.33 प्रतिशत कार्यकर्त्ताओं को प्रायोजना निर्माण के बारे में कोई भी निश्चित जानकारी नहीं है।

प्रायोजना निर्माण की स्थिति को विस्तार से निम्नांकित तालिका से जाना जा सकता है -

तालिका संख्या - 5.20

प्रायोजना निर्माण की स्थिति

क्र.सं.	कथन	सहमत	प्रतिशत	असहमत	प्रतिशत
1.	प्रायोजना निर्माण में आपसे सलाह ली जाती है।	60	100	-	-
2.	आपकी सलाह को ही अन्तिम माना जाता है।	47	78.73	-	-
3.	प्रायोजना की रूपरेखा लिखित में होती है।	60	100	-	-
4.	आपकी सलाह में परिर्वतन संभव है।	51	85		
5.	प्रायोजना रूपरेखा को पूर्णतः आप ही तैयार करते है।	26	43.33	13	21.67

(1) इन संगठनों द्वारा प्रायोजना निर्माण में कार्यर्त्ताओं की भी सहभागिता रहती है। इससे सभी कार्यकर्त्ता सहमत हैं।

(2) 78.33 प्रतिशत कार्यकर्त्ताओं का यह मानना है कि प्रायोजना निर्माण में उनकी सलाह को ही अन्तिम माना जाता है, उसमें किसी भी प्रकार का फेरबदल नहीं होता है।

(3) सभी कार्यकर्त्ता इससे सहमत पाए गये कि कार्य प्रायोजना लिखित में ही तैयार की जाती है जिससे प्रायोजना के कार्यक्रम तथा उद्देश्य स्पष्ट रहते हैं।

(4) कार्यकर्त्ताओं के सुझावानुरूप कार्य प्रायोजना में परिवर्तन भी किया जाता है। इससे 85 प्रतिशत कार्यकर्त्ता सहमति प्रकट करते है।

(5) 43.33 प्रतिशत कार्यकर्त्ता ही ऐसे पाए गये हैं जो कि कार्य-प्रायोजना को पूर्ण-रूपेण स्वयं ही तैयार करते हैं। दूसरी जगह अन्य पदाधिकारी भी इसमें हस्तक्षेप करते हैं।

इसका अभिप्राय हुआ कि इन संस्थाओं द्वारा तैयार की जाने वाली प्रायोजनाओं में जन-आबद्धता अधिक रहती है। इससे इनके कार्यक्रम् अधिक सफल तथा प्रभावकारी होते हैं।

(3) प्रशिक्षण कार्यक्रम –

तालिका संख्या – 5.21

प्रशिक्षण कार्यक्रम की स्थिति

क्र.सं.	श्रेणी	कार्यकर्त्ता संख्या	प्रतिशत
1.	सहमत	45	75
2.	असहमत	6	10
3.	अनिश्चित	9	15
	कुल	60	100

तालिका संख्या 5.21 के विश्लेषण से निष्कर्ष प्राप्त होते हैं कि –

(1) स्वयंसेवी संगठनों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम पर्याप्त आयोजित किये जाते हैं। 75 प्रतिशत कार्यकर्त्ता इसके पक्ष में अपना मत प्रकट करते हैं।

(2) 15 प्रतिशत कार्यकर्त्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम् को उचित व पर्याप्त नहीं मानते हैं।

(3) शेष 10 प्रतिशत कार्यकर्त्ता इस बारे में अनिश्चितता की स्थिति में हैं। वे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाना तो स्वीकार करते हैं किन्तु आयोजित कार्यक्रम् की उपयुक्तता के संबंध में स्थिति स्पष्ट न होने के कारण अनिश्चितता की स्थिति में हैं।

इसे अधिक विस्तृत रूप में निम्न तालिका द्वारा समझा जा सकता है –

तालिका संख्या - 5.22

प्रशिक्षण कार्यक्रम संबंधी जानकारी

क्र.सं.	कथन	सहमत	प्रतिशत	असहमत	प्रतिशत
1.	प्रशिक्षण कार्यक्रम् नियमित रूप से आयोजित होते है।	51	85	-	-
2.	प्रत्येक कार्य-प्रायोजना लागू करने से पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होते है।	43	71.67	9	15
3.	प्रत्येक कार्यकर्त्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम् में अनिवार्यत् उपस्थित होता है।	51	85	-	-
4.	प्रशिक्षण क्षेत्र-विशेषज्ञों द्वारा दिया जाता है।	34	56.67	17	28.33

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि -

(1) 85 प्रतिशत कार्यकर्त्ता स्वयं के लिए स्वयंसेवी संगठनों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम् समयोचित व नियमित आयोजित होना स्वीकार करते हैं।

(2) 71.53 प्रतिशत कार्यकर्त्ता प्रत्येक कार्य-प्रायोजना लागू करने से पूर्व प्रशिक्षण दिये जाने के बारे में सहमति प्रकट करते हैं जबकि 15 प्रतिशत कार्यकर्त्ता इससे असहमत पाए गये हैं। इनका मानना है कि प्रत्येक कार्य-प्रायोजना आरम्भ करने से पूर्व प्रशिक्षण आयोजित नहीं होते।

(3) स्वयंसेवी संगठनों द्वारा आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों में अनिवार्य उपस्थिति की स्थिति से 85 प्रतिशत कार्यकर्त्ता सहमति प्रकट करते है। शेष अनिश्चितता की स्थिति में हैं।

(4) 56.67 प्रतिशत कार्यकर्त्ता विषय-विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिये जाने के बारे में सहमत हैं जबकि 28.33 प्रतिशत कार्यकर्त्ता इससे असहमति प्रकट करते हैं।

इसका अभिप्राय है कि स्वयंसेवी संगठनों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। परन्तु यदा-कदा प्रशिक्षण कार्यक्रम् आयोजित नहीं हो पाते हैं तथा प्रशिक्षण भी क्षेत्र विशेषज्ञों के अतिरिक्त लोगों से भी दिलवाया जाता है। परन्तु इस अतिरिक्त प्रशिक्षण की स्थिति को उपयुक्त माना गया जो उक्त तालिका से स्पष्ट होता है -

(4) आदेश-प्रकिया -

तालिका संख्या - 5.23

आदेश प्रक्रिया के प्रति स्पष्टीकरण

क्र.सं.	श्रेणी	कार्यकर्त्ता संख्या	प्रतिशत
1.	सहमत	45	75
2.	असहमत	6	10
3.	अनिश्चित	9	15
	कुल	60	100

उक्त विशलेषण के निष्कर्षों से स्पष्ट है कि -

(1) स्वयंसेवी संगठनों द्वारा कार्यकर्त्ताओं को प्रेषित आदेशों की प्रक्रिया को 75 प्रतिशत कार्यकर्त्ता उचित मानते हैं तथा इससे सहमति प्रकट करते हैं।

(2) आदेश प्रक्रिया को 15 प्रतिशत कार्यकर्त्ता उचित नहीं मानते तथा इनमें परिर्वतन चाहते हैं।

(3) 10 प्रतिशत कार्यकर्त्ता अनिश्चय की स्थिति में है, वे आदेश-प्रक्रिया की उचितता अनुचितता के बारे में अधिक जानकारी नहीं रखते है।

इस स्थिति को अधिक स्पष्टत् निम्न तालिका से समझा जा सकता है -

तालिका संख्या - 5.24

आदेश प्रक्रिया के प्रति अधिक स्पष्टीकरण

क्र.सं.	कथन	सहमत	प्रतिशत	असहमत	प्रतिशत
1.	आदेश समय से प्राप्त होते हैं।	51	85	9	15
2.	आदेश उचित माध्यम से प्राप्त होते हैं।	47	78.33	9	15
3.	आदेश पालन में उच्च पदस्थ अधिकारी के प्रति उत्तरदायी रहते हैं।	34	56.67	4	6.67
4.	आदेश पालन में कठिनाई दूर करने में पर्यवेक्षक सहयोग करते हैं।	51	85	-	
5.	आपकी सूचना मुख्यालय तक पहुंचती हैं।	56	93.33	4	6.67

(1) 85 प्रतिशत कार्यकर्त्ता आदेशों के समयोचित प्राप्त होने के प्रति सहमति प्रकट करते हैं।

(2) 78.83 प्रतिशत कार्यकर्त्ता इससे सहमत हैं कि उन्हें संस्था मुख्यालय द्वारा प्रेषित आदेश उचित माध्यम अर्थात् उच्च पदस्थ पदाधिकारी के द्वारा ही प्राप्त होते हैं।

(3) स्वयंसेवी संगठनों के कार्यकर्त्ता आदेश पालन के लिए अपने तत्काल उच्च पदस्थ अधिकारी के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं जबकि 6.67 प्रतिशत कार्यकर्त्ता इससे असहमति प्रकट करते हैं।

(4) 85 प्रतिशत कार्यकर्त्ताओं का मानना है कि उन्हें आदेश की पालना करने में कठिनाई होने पर पर्यवेक्षक सहयोग करते हैं। शेष कार्यकर्त्ता इस संबंध में अनिश्चितता की स्थिति में पाए गये।

(5) कार्यकर्त्ताओं द्वारा प्रेषित सूचनाएँ संस्था मुख्यालय तक पहुंचने के लिए 93.33 प्रतिशत कार्यकर्त्ता आश्वस्त है जबकि 6.67 प्रतिशत कार्यकर्त्ताओं का मानना है कि उनके द्वारा प्रेषित की जाने वाली सूचनाएँ संस्था मुख्यालय तक उचित ढंग से नहीं पहुंच पाती है।

(5) लाभार्थी पक्ष का चयन -

तालिका संख्या - 5.25

लाभार्थी चयन संबंधी

क्र.सं.	श्रेणी	कार्यकर्त्ता संख्या	प्रतिशत
1.	सहमत	40	66.67
2.	असहमत	5	8.33
3.	अनिश्चितता	15	25
	कुल	60	100

तालिका संख्या 5.25 के विवेचन से स्पष्ट है कि -

(1) लाभार्थी पक्ष के चयन करने के वर्तमान ढंग से 66.67 प्रतिशत कार्यकर्त्ता सहमत हैं तथा इसे उचित मानते हैं।

(2) 8.33 प्रतिशत कार्यकर्त्ता लाभार्थी पक्ष के चयन करने के वर्तमान ढंग में परिर्वतन चाहते हैं तथा उन्होंने वर्तमान ढंग से असहमति प्रकट की है वे इसमें परिवर्तन चाहते हैं।

(3) 25 प्रतिशत कार्यकर्त्ता इस संबंध में अनिश्चतता प्रकट करते हैं। वे इस ढंग को उचित या अनुचित बताने में स्पष्ट नहीं हैं।

इन निष्कर्षों को अग्रांकित तालिका से अधिक विस्तार पूर्वक समझा जा सकता है -

तालिका संख्या - 5.26

लाभार्थी चयन संबंधी अधिक स्पष्टीकरण

क्र.सं.	कथन	सहमत	प्रतिशत	असहमत	प्रतिशत
1.	लाभार्थी पक्ष का चयन आपकी सिफारिश से होता है।	34	56.67	4	6.67
2.	चयन हेतु ग्राम-सभा का आयोजन करते हैं।	51	85	-	-
3.	चयन में उच्च अधिकारी हस्तक्षेप करते हैं।	34	56.67	9	15
4.	जरूतमन्द लोगों को ही चयनित किया जाता है।	51	85	9	15
5.	ग्राम मुखिया की सिफारिश से चयन होता है।	30	50	4	6.67

उक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि -

(1) 56.67 प्रतिशत कार्यकर्त्ताओं का मानना है कि लाभार्थी पक्ष का चयन स्वयं कार्यकत्ताओं की सिफारिश पर ही होता है।

(2) लाभार्थी पक्ष के चयन हेतु कार्यकत्ताओं द्वारा ग्राम सभाओं का आयोजन भी किया जाता है। इससे 85 प्रतिशत कार्यकर्त्ता सहमति प्रकट करते हैं।

(3) स्वयंसेवी संगठनों के क्षेत्रीय कार्यकर्त्ताओं के उच्च पदस्थ अधिकारी भी लाभार्थी पक्ष के चयन में उन्हें सहयोग करते हैं। इससे 56.67 प्रतिशत कार्यकर्त्ता सहमत हैं। मात्र 15 प्रतिशत कार्यकर्त्ता ही असहमत पाए गये हैं।

(4) स्वयंसेवी संगठनों के 85 प्रतिशत कार्यकत्त्राओं का मानना है कि उनके कार्यक्रमों से लाभान्वित लोग वास्तव में जरूरतमन्द ही होते हैं। मात्र 15 प्रतिशत कार्यकर्त्ता ही इससे असहमत हैं।

(5) 50 प्रतिशत कार्यकर्त्ताओं का मानना है कि कार्यक्रम लागू करने हेतु लाभार्थी पक्ष के चयन हेतु ग्राम मुखिया का भी हस्तक्षेप रहता है। 6.67 प्रतिशत कार्यकर्त्ता असहमति प्रकट करते हैं।

इससे स्पष्ट है कि आधे से भी अधिक कार्यकर्त्ता लाभार्थी पक्ष के चयनित किए जाने की वर्तमान व्याख्या से सहमत हैं तथा इसे वे उचित मानते हैं।

(6) सामग्री की पूर्ति की स्थिति –

तालिका संख्या – 5.27

सामग्री की पूर्ति संबंधी

क्र.सं.	श्रेणी	कार्यकर्त्ता संख्या	प्रतिशत
1.	सहमत	47	78.33
2.	असहमत	3	5.00
3.	अनिश्चित	10	16.67
	कुल	60	100

सामग्री की आपूर्ति से संबंधित उक्त तालिका संख्या 5.27 से निष्कर्ष प्रस्तुत होते हैं कि –

(1) सामग्री पूर्ति की वर्तमान व्यवस्था से 78.33 प्रतिशत कार्यकर्त्ता सहमत हैं तथा इसे उचित मानते हैं।

(2) 16.67 प्रतिशत कार्यकर्त्ता इस संबंध में अनिश्चितता प्रकट करते हैं। उन्हें सामग्री की आपूर्ति के संबंध में पर्याप्त जानकारी भी नहीं है।

(3) सामग्री की पूर्ति किए जाने की वर्तमान् व्यवस्था से मात्र 5.00 प्रतिशत कार्यकर्त्ता असहमत है। वे वर्तमान व्यवस्था को अपर्याप्त मानते है। इसकी स्पष्टता निम्न तालिका से प्राप्त होती है -

तालिका संख्या - 5.28

सामग्री प्राप्त करने की जानकारी का स्पष्टीकरण

क्र.सं.	कथन	सहमत	प्रतिशत	असहमत	प्रतिशत
1.	आय प्राप्त सामग्री का लेखा-जोखा रखते हैं।	51	85	4	6.6
2.	सामग्री की पूर्ति समय से हो जाती है।	56	93.33	4	6.6
3.	सामग्री वितरण से पूर्व लाभार्थी पक्ष की सूची तैयार करते हैं।	56	93.33	4	6.6
4.	अतिरिक्त सामग्री मुख्यालय को लौटा देते हैं।	47	78.33	4	6.6
5.	सामग्री की पूर्ति समय से होने में प्रधान कार्यालय की लापरवाही रहती है।	43	71.67	-	-
6.	सामग्री की पूर्ति साधनाभाव में नहीं होती है।	26	43.33	20	33

(1) 85 प्रतिशत कार्यकर्त्ता इससे सहमत हैं कि उन्हें कार्यक्रम से संबंधित जितनी सामग्री प्राप्त होती है, वे उस सामग्री का लिखित हिसाब भी रखते हैं। मात्र 6.67 प्रतिशत कार्यकर्त्ता ही इससे असहमति प्रकट करते है अर्थात् वे ऐसे लिखित हिसाब-किताब नहीं रखते हैं।

(2) 93.33 प्रतिशत कार्यकर्त्ताओं को सामग्री की पूर्ति समय से होती है। मात्र 6.67 प्रतिशत तक सामग्री समयोचित नहीं पहुंच पाती है।

(3) स्वयंसेवी संगठनों के 93.33 प्रतिशत कार्यकर्त्ता संस्था मुख्यालय से प्राप्त सामग्री का वितरण करने से पूर्व जरूरत मन्द लोगों की सूची तैयार करते हैं तथा उस सूची के अनुरूप ही सामग्री का वितरण करते हैं। मात्र 6.67 प्रतिशत कार्यकर्त्ता ही ऐसा नहीं करते हैं।

(4) चयनित लोगों को व्यवस्थानुरूप पर्याप्त सामग्री वितरित करने के पश्चात् अथवा कार्यक्रम की समाप्ति पर शेष रह गयी सामग्री को मुख्यालय लौटाने के लिए 78.67 प्रतिशत लोगों ने ही सहमति प्रकट की है।

(5) 71.67 प्रतिशत कार्यकर्त्ताओं का मत है कि सामग्री के देरी से प्राप्त होने में प्रधान कार्यालय की लापरवाही ही रहती है।

(6) सामग्री की समय से पूर्ति में साधनाभाव होने की कठिनता को 43.33 प्रतिशत कार्यकर्त्ता स्वीकार करते हैं।

इससे स्पष्ट है कि अधिकांश कार्यकर्त्ता वर्तमान व्यवस्था से सहमत हैं। इस दृष्टि से अत्यलप सुधार की आवश्यकता है।

7. कार्य-प्रगति रिपोर्ट -

तालिका संख्या - 5.29

कार्य प्रगति रिपोर्ट संबंधी

क्र.सं.	श्रेणी	कार्यकर्त्ता संख्या	प्रतिशत
1.	सहमत	40	66.67
2.	असहमत	2	3.33
3.	अनिश्चित	18	30.60
	कुल	60	100

तालिका संख्या 5.29 से निष्कर्ष प्राप्त होते हैं कि -

(1) 66.67 प्रतिशत कार्यकर्ता ही यह मत प्रकट करते हैं कि कार्य प्रायोजना लागू करने के दौरान कार्य प्रगति रिपोर्ट तैयार की जाती है, जो कि उपयुक्त एवं उचित होती है।

(2) कार्य प्रगति रिपोर्ट तैयार किये जाने के लिए 3.33 प्रतिशत कार्यकर्ता असहमति प्रकट करते हैं अर्थात् वे प्रगति रिपोर्ट तैयार ही नहीं करते।

(3) 30.60 प्रतिशत कार्यकर्ताओं को कार्य-प्रगति रिपोर्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं है वे अनिश्चितता की स्थिति हेतु मत प्रकट करते हैं।

इस विवेचन को अग्रांकित तालिका संख्या - 5.30 से अधिक विस्तार से समझा जा सकता है, जिसमें -

तालिका संख्या - 5.30

प्रगति रिपोर्ट संबंधी अधिक स्पष्टीकरण

क्र.सं.	कथन	सहमत	प्रतिशत	असहमत	प्रतिशत
1.	प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक प्रायोजना हेतु तैयार की जाती है।	60	100	-	-
2.	प्रगति रिपोर्ट उच्च अधिकारी के निर्देशानुरूप ही तैयार की जाती है।	34	56.67	-	-
3.	प्रगति रिपोर्ट गोपनीय रहती है।	9	15	-	-
4.	प्रगति रिपोर्ट में अशुद्धता के लिए पूछताछ की जाती है।	56	93.33	-	-

(1) सभी कार्यकर्ता इसमें सहमति प्रकट करते है कि प्रत्येक कार्य - प्रायोजना के दौरान प्रगति - रिपोर्ट अवश्य ही तैयार की जाती है अर्थात् प्रगति-रिपोर्ट प्रत्येक संस्था द्वारा प्रत्येक कार्यक्रम के लिए अवश्य ही तैयार की जाती है।

(2) 56.67 प्रतिशत कार्यकर्ताओं का मत है कि कार्य प्रगति रिपोर्ट संस्था के उच्च अधिकारियों से प्राप्त निर्देशानुरूप ही तैयार की जाती है। यह पाया गया है कि लाभार्थी के बजाए संस्था का हित सर्वोपरि रहता है।

(3) कार्य - प्रगति रिपोर्ट से अधिकांशत् सभी संबंधित लोगों को परिचित करवाया जाता है। इसके विपरीत 15 प्रतिशत कार्यकर्ता प्रगति रिपोर्ट को गोपनीय रखे जाने से सहमत हैं।

(4) 93.33 प्रतिशत कार्यकर्ताओं का मत है कि यदि कार्य प्रगति रिपोर्ट तैयार करने में कार्यकर्ता कोई अशुद्धि या त्रुटि कर देता है तब संस्था पदाधिकारियों द्वारा इसके लिए पूछताछ की जाती है।

इसका अभिप्राय यह हुआ कि स्वयंसेवी संगठनों द्वारा प्रत्येक कार्य-प्रायोजना के लिए प्रगति स्तर के निर्धारण हेतु रिपोर्ट तैयार की जाती है। यह रिपोर्ट अधिकांशत् उपयुक्त ढंग से ही तैयार की जाती है।

8. उच्च अधिकारियों द्वारा कार्य जांच करने की स्थिति -

तालिका संख्या - 5.31

कार्य जांच की स्थिति

क्र.सं.	श्रेणी	कार्यकर्ता संख्या	प्रतिशत
1.	सहमत	38	63.33
2.	असहमत	4	6.67
3.	अनिश्चित	18	30.00
	कुल	60	100

कार्य प्रायोजना लागू करने के दौरान संस्था के उच्च अधिकारियों द्वारा कार्य की जांच किये जाने के संबंध में प्रस्तुत उक्त तालिका संख्या - 5.31 के विवेचन से स्पष्ट है कि -

(1) 63.33 प्रतिशत कार्यकर्ता कार्य-प्रायोजना लागू करने के दौरान संस्था के उच्च अधिकारियों द्वारा कार्य की जांच किये जाने के संबंध में की गयी व्यवस्था से सहमत हैं तथा इसे उपयुक्त मानते हैं।

(2) स्वयंसेवी संगठनों के 6.67 प्रतिशत कार्यकर्त्ता अधिकारियों द्वारा की जाने वाली वर्तमान जांच को उचित नहीं मानते हैं।

(3) 30 प्रतिशत कार्यकर्ता इस संबंध में अनिश्चितता की स्थिति में हैं।

उक्त तालिका के निष्कर्षों को विस्तार से अग्रंकित तालिका से जाना जा सकता है, इससे स्पष्ट है कि -

तालिका संख्या - 5.32

कार्य जांच संबंधी जानकारी का स्पष्टीकरण

क्र.सं.	कथन	सहमत	प्रतिशत	असहमत	प्रतिशत
1.	अधिकारी के भ्रमण के समय ग्राम-सभा का आयोजन किया जाता है।	56	93.33	4	6.67
2.	आपकी शिकायतों को अधिकारी अनसुना कर देते हैं।	4	6.67	4	6.67
3.	भ्रमण के समय आप अधिकारी की जी-हुजूरी करते हैं।	47	78.33	9	15
4.	अधिकारी द्वारा भ्रमण रिपोर्ट संस्था मुख्यालय को सौंपी जाती है।	43	71.67	4	6.67
5.	भ्रमण रिपोर्ट की एक प्रति कार्यकर्त्ता को भी दी जाती है।	39	65	4	6.67
6.	भ्रमण रिपोर्ट में आपकी गलतियां ही अधिक अंकित होती हैं।	39	65	-	-

(1) कार्य - प्रायोजना की जांच हेतु भ्रमण पर आने वाले अधिकारी की लाभार्थी पक्ष से सीधी बातचीत करवाने के लिए ग्रामसभाओं का आयोजन किया जाता है। इससे 93.33 प्रतिशत कार्यकर्ता सहमत पाए गए हैं

(2) स्वयंसेवी संगठनों के कार्यकर्ताओं की शिकायतों को सुनना इन संस्थाओं के अधिकारी कम पसन्द करते हैं। 6.67 प्रतिशत कार्यकर्ता ही मानते हैं कि उनकी शिकायतें सुनी जाती हैं, शेष कार्यकर्ता अनिश्चितता अथवा असहमति की स्थिति में पाए गए हैं।

(3) 78.33 प्रतिशत कार्यकर्ताओं का मानना है कि संस्था के उच्च अधिकारी के क्षेत्र-भ्रमण के समय कार्यकर्ता इनकी जी-हुजुरी करते है। मात्र 15 प्रतिशत कार्यकर्ता ही इस स्थिति में असहमत पाए गए हैं। कार्यकर्ताओं का यह मानना पाया गया है कि ऐसा किए बिना उच्च अधिकारी उनके पक्ष में रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करेंगे।

(4) क्षेत्र-भ्रमण के समय उच्च अधिकारी द्वारा तैयार की गयी रिपोर्ट की प्रति संस्था के मुख्यालय को भी प्रस्तुत की जाती है इसकी जानकारी 71.67 प्रतिशत कार्यकर्ताओं में ही पायी गयी हैं।

(5) 65 प्रतिशत कार्यकर्ताओं को अधिकारी भ्रमण रिपोर्ट की एक प्रति अवश्य ही देता है। मात्र 6.67 प्रतिशत कार्यकर्ताओं ने ही यह प्रति प्राप्त होने के बारे में असहमति प्रकट की है। शेष अनिश्चितता की स्थिति में है।

(6) स्वयंसेवी संगठनों के 65 प्रतिशत कार्यकर्ता मानते है कि उच्च अधिकारी प्रगति रिपोर्ट में कार्यकर्ताओं की गलतियों को ही लिखते हैं, इस कारण ही कार्यकर्ता उच्च-अधिकारियों की जी-हुजुरी करते हैं ताकि रिपोर्ट उनके पक्ष में प्रस्तुत करें।

9. प्रायोजना के उद्देश्यों की पूर्ति -

तालिका संख्या - 5.33

प्रायोजना के उद्देश्यों की पूर्ति

क्र.सं.	श्रेणी	सहमत	प्रतिशत
1.	सहमत	31	51.67
2.	असहमत	3	5.00
3.	अनिश्चित	26	43.33
	कुल	60	100

तालिका संख्या - 5.33 के विश्लेषण से स्पष्ट है कि -

(1) स्वयंसेवी संगठन कार्य प्रायोजना के उद्देश्यों को समुचित रूप से समयोचित प्राप्त कर लेते हैं। इससे 51.67 प्रतिशत कार्यकर्ता सहमति प्रकट करते हैं।

(2) 5 प्रतिशत कार्यकर्ता उद्देश्यों की पूर्ति पूर्व में निर्धारित समय-सीमा में कर लेते हैं, इससे असहमति प्रकट करते हैं।

(3) उद्देश्य पूर्ति के संबंध में अनिश्चितता प्रकट करने वाले 43.33 प्रतिशत कार्यकर्ता हैं।

इसे अधिक विस्तार से अग्रांकित तालिका से जाना जा सकता है जिससे स्पष्ट होता है कि -

तालिका संख्या - 5.34

प्रायोजना उद्देश्यों की प्राप्ति का स्पष्टीकरण

क्र.सं.	कथन	सहमत	प्रतिशत	असहमत	प्रतिशत
1.	उद्देश्यों की पूर्ति समय से हो जाती है	43	71.67	-	-
2.	उद्देश्य पूर्ति न होने पर समय-सीमा बढ़ा दी जाती है।	13	21.67	4	6.67
3.	प्रायोजना के दौरान भी उद्देश्यों में परिवर्तन हो जाते हैं।	34	56.67	4	6.67
4.	उद्देश्य पूर्ति संस्था अधिकारियों की लापरवाही से रहती है।	39	65	4	6.67
5.	लाभार्थी पक्ष की अल्प-सहभागिता बाधा उत्पन्न करती है।	26	43.33	-	-

(1) 71.67 प्रतिशत कार्यकर्ता ही मानते हैं कि कार्य प्रायोजना के उद्देश्य समय से प्राप्त कर लिये जाते हैं। शेष कार्यकर्ता इस संबंध में अनिश्चितता की स्थिति प्रकट करते हैं।

(2) उद्देश्यों की पूर्ति समय से नहीं हो पाने पर समय-सीमा बढ़ाने के लिए 21.67 प्रतिशत कार्यकर्ता ही सहमत पाए गये हैं।

(3) स्वयंसेवी संगठनों के 56.67 प्रतिशत कार्यकर्ताओं का मत पाया गया है कि कार्य-प्रायोजना को लागू करने में कठिनाई आने पर कार्यक्रम के दौरान भी उद्देश्यों

में परिवर्तन कर लिया जाता है। 6.67 प्रतिशत कार्यकर्ता इस प्रकार परिवर्तन होना अस्वीकृत करते हैं।

(4) 65 प्रतिशत कार्यकर्ता इससे पूर्णत् सहमत पाए गये हैं कि कार्य-प्रायोजना के उद्देश्यों की पूर्ति संस्था के उच्च अधिकारियों की कार्य-आलस्यता एवं लापरवाही के कारण नहीं हो पाती है।

(5) संगठनों द्वारा आयोजित किए जाने वाले विकास कार्यक्रमों में लाभार्थी पक्ष की अल्प-सहभागिता भी बाधा के रूप में प्रस्तुत होती है। 43.33 प्रतिशत कार्यकर्ता इसे सही होना स्वीकार करते हैं।

इस विश्लेषण का अभिप्राय है कि इन स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा कार्य-प्रायोजना प्रभावकारी ढंग से लागू की गयी है यद्यपि इनमें क्रियान्विति संबंधी कुछ कमियां पाई गई, जिनके संबंध में स्पष्टीकरण को निम्न तालिका से प्रदर्शित किया गया है।

10. **कठिनाईयाँ -**

तालिका संख्या - 5.35

कार्यगत् कठिनाईयां

क्र.सं.	श्रेणी	सहमत	प्रतिशत
1.	सहमत	34	56.67
2.	असहमत	2	33.33
3.	अनिश्चित	24	40
	कुल	60	100

स्वयंसेवी संगठनों द्वारा क्षेत्र में कार्यक्रम लागू किये जाने के मार्ग में उत्पन्न होने वाली कठिनाईयों के बारे में प्रस्तुत तालिका संख्या - 5.35 से स्पष्ट है कि -

(1) 56.67 प्रतिशत कार्यकर्ता कार्यक्रम लागू करने के दौरान विभिन्न प्रकार की कठिनाई प्रस्तुत होने की स्थिति के प्रति सहमति प्रकट करते हैं।

(2) कार्यक्रम लागू करने के दौरान 3.33 प्रतिशत कार्यकर्त्ताओं का मत पाया गया है कि उनके मार्ग में कोई कठिनाई नहीं आती है।

(3) 40 प्रतिशत कार्यकर्त्ता कठिनाईयां उपस्थित होने के संबंध में अधिक स्पष्ट जानकारी नहीं रखते है तथा वे अनिश्चितता की स्थिति प्रकट करते हैं।

इसे अधिक विस्तार से आगामी तालिका संख्या 5.36 से भी समझा जा सकता है-

तालिका संख्या - 5.36

कार्यगत कठिनाईयों का स्पष्टीकरण

क्र.सं.	कथन	सहमत	प्रतिशत	असहमत	प्रतिशत
1.	लाभार्थी पक्ष की उपस्थिति कम रहती है।	9	15	-	-
2.	कार्यक्रमों को लोग कम पसन्द करते हैं।	56	93.33	-	-
3.	सभा आयोजन के समय सहभागियों के ठहराने की समस्या रहती है।	34	56.67	4	6.67
4.	सहभागियों को लाने-लेजाने में यातायात की समस्या रहती है।	30	50	4	6.67
5.	कार्यक्रम निरन्तर जारी रखने में कठिनाई रहती है।	39	65	-	-

(1) लाभार्थी पक्ष की उपस्थिति संबंधी कठिनाई को मात्र 15 प्रतिशत कार्यकर्ता ही स्वीकार करते हैं। शेष कार्यकर्ता इस संबंध में अनिश्चितता की स्थिति में हैं। उन्हें इस बारे में अधिक जानकारी नहीं है।

(2) 93.33 प्रतिशत कार्यकर्ताओं का मानना है कि क्षेत्र के लोग स्वयंसेवी संगठनों द्वारा लागू किये जाने वाले कार्यक्रमों को निरर्थक मानते हैं तथा इनमें कार्यकर्ताओं का अपना निजी स्वार्थ होना बताकर दूर हट जाते हैं।

(3) स्वयंसेवी संगठनों द्वारा क्षेत्र के लोगों में चेतना जागृत करने के लिए आयोजित की जाने वाली सभाओं के समय सहभागियों को ठहराने आदि की समस्या होने के प्रति 56.67 प्रतिशत कार्यकर्ता सहमत पाए गए हैं। मात्र 6.67 प्रतिशत कार्यकर्ता ही इस समस्या के प्रति असहमति प्रकट करते हैं।

(4) 50 प्रतिशत कार्यकर्ता सहभागियों को लाने ले जाने में यातायात की समस्या होना स्वीकार करते हैं। मात्र 6.67 प्रतिशत कार्यकर्ता ही इस समस्या को अधिक बड़ी समस्या होना नहीं मानते हैं।

(5) स्वयंसेवी संगठनों द्वारा लागू किये जाने वाले कार्यक्रम् सहायता एजेन्सी द्वारा निर्धारित की गयी समयावधि तक ही जारी रहते हैं। इसके पश्चात् कार्यक्रम जारी रखना 65 प्रतिशत कार्यकर्ता कठिन मानते हैं तथा अनुगामी कार्यक्रम् लागू नहीं करते हैं। इस स्थिति में परिवर्तन लाने के प्रति सहमति निम्न तालिका से स्पष्ट की जा रही है -

11. सुझाव -

तालिका संख्या - 5.37

कार्यक्रमों में परिवर्तन लाने संबंधी सुझाव के प्रति प्रतिक्रिया

क्र.सं.	श्रेणी	कार्यकर्ता सं.	प्रतिशत
1.	सहमत	41	68.33
2.	असहमत	3	5.00
3.	अनिश्चित	16	26.67
	कुल	60	100

उक्त तालिका संख्या - 5.37 से स्पष्ट है कि -

(1) 68.33 प्रतिशत कार्यकर्ता स्वयंसेवी संगठनों की वर्तमान् कार्यप्रणाली तथा व्यवस्थाओं में परिवर्तन लाने के प्रति सहमत पाए गये हैं। वे इसके लिए अपने सकारात्मक सुझाव भी प्रेषित करते हैं।

(2) वर्तमान कार्यप्रणाली तथा व्यवस्थाओं को ही अच्छा मानना व इनमें परिवर्तन न चाहने के लिए 5.00 प्रतिशत कार्यकर्ता सहमत पाए गये अर्थात् वे इसमें परिवर्तन पसन्द नहीं करते हैं और वर्तमान स्थिति को ही सर्वश्रेष्ठ स्थिति मानते हैं।

(3) इन संस्थाओं के 26.67 प्रतिशत कार्यकर्ता इस बारे में अनिश्चितता की स्थिति में रहते हैं।इसका अभिप्राय है कि वे इस बारे में अधिक जानकारी नहीं रखते हैं। इस संबंध में सुझावों का स्पष्टीकरण निम्न तालिका से किया जा रहा है -

तालिका संख्या - 5.38

कार्यक्रमों संबंधी निश्चितता बढ़ाने के लिए सुझाव

क्र.सं.	कथन	सहमत	प्रतिशत	असहमत	प्रतिशत
1.	वर्तमान वेतन भत्ते बढ़ाए जाए।	39	65	4	6.67
2.	कार्य करने के लिए अधिक स्वतत्रंता मिलनी चाहिए।	34	56.67	-	-
3.	प्रबन्ध-मण्डल में कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए।	47	78.73	-	-
4.	स्वयंसेवी संगठनों के कार्यकर्ता की यूनियन बननी चाहिए।	26	43.33	-	-
5.	निरक्षर व्यक्ति को विवाह का अधिकार नहीं होना चाहिए।	30	50	4	6.67
6.	प्रायोजना हेतु आंवटित धनराशि की आपको भी जानकारी होनी चाहिए।	51	85	4	6.67
7.	प्रायोजना के दौरान सहायता एजेन्सी का प्रतिनिधि क्षेत्र में रहना चाहिए।	51	85	4	6.67
8.	प्रायोजना रूपरेखा स्थानीय स्तर पर ही तैयार की जानी चाहिए।	47	78.33	9	15

(1) स्वयंसेवी संगठनों द्वारा वर्तमान में कार्यकर्ताओं को दिये जाने वाले वेतन भतों को 65 प्रतिशत कार्यकर्ता पर्याप्त नहीं मानते है तथा वे इसे बढ़ाने के बारे में अपना मत प्रकट करते हैं। इनका मानना है कि महंगाई सूचकांक के अनुपात में वेतन-भत्ते देय होने चाहिए।

(2) 56.67 प्रतिशत कार्यकर्ता कार्य करने में अधिक स्वतन्त्रता चाहने के लिए मत प्रकट करते हैं। वे वर्तमान व्यवस्था में उच्च अधिकारियों का अधिक दबाव होना महसूस करते हैं जिसे शोधकर्ता ने दत्त संग्रहण के दौरान भी देखा है।

(3) स्वयंसेवी संगठन के 78.33 प्रतिशत कार्यकर्ता इस मत को प्रकट करते हुए पाए गए कि प्रबन्ध-मण्डल में इनका अपना प्रतिनिधित्व होना चाहिए। वे प्रबन्धन संबंधी निर्णयों में अपनी सहभागिता चाहते हैं।

(4) 43.33 प्रतिशत कार्यकर्ताओं का मत है कि स्वयंसेवी संगठनों के कार्यकर्ताओं की यूनियन्स होनी चाहिए। इनका मानना है कि इससे वे अधिक स्वतन्त्र होकर कार्य कर सकेंगे तथा कार्यकर्ताओं के हितों की रक्षा भी हो सकेगी।

(5) साक्षरता की दर को बढ़ाने के लिए स्वयंसेवी संगठनों के 50 प्रतिशत कार्यकर्ताओं का मानना है कि इसे अनिवार्य सामाजिक संस्कारो में जोड़ा जाना चाहिए यथा - विवाह करने के लिए साक्षर होना चाहिए जिससे कि लोगों में इस और क्रान्ति का ज्वार उभरे। इससे सामाजिक जागृति स्वत् ही विकसित होगी तथा साक्षरता का कार्य अधिक लोकप्रिय हो सकेगा।

(6) स्वयंसेवी संगठनों के 85 प्रतिशत कार्यकर्ताओं का यह भी मानना है कि कार्य-प्रायोजना हेतु सहायता एजेन्सीज् द्वारा आवंटित पूर्ण धनराशि की, उन्हें भी जानकारी दी जानी चाहिए। मात्र 6.67 प्रतिशत कार्यकर्ताओं ने इसे आवश्यक नहीं माना है।

(7) 85 प्रतिशत कार्यकर्ताओं का मत है कि स्वयंसेवी संगठनों द्वारा जो कार्यक्रम लागू किये जाते है, उसके दौरान आर्थिक सहायता देने वाली एजेन्सीज् को कम से कम एक प्रतिनिधि को उस क्षेत्र में अवश्य ही उपस्थित रहना चाहिए, जो कि धनराशि व्यय किये जाने तथा कार्य प्रगति संबंधी स्तर पर निगरानी रखे।

(8) कार्य प्रायोजना की रूपरेखा को स्थानीय स्तर पर ही तैयार किया जाना चाहिए। 78.33 प्रतिशत कार्यकर्ता इसके पक्ष में मत प्रकट करते हैं जबकि 15 प्रतिशत कार्यकर्ता इसे उचित नहीं मानते हैं।

इसका अभिप्राय है कि स्वयंसेवी संगठनों की वर्तमान व्यवस्था एवं कार्य-प्रणाली में उसके कार्यकर्त्ता परिवर्तन चाहते हैं। इस हेतु उन्होंने वेतन-भते, कार्य-स्वतन्त्रता, प्रबन्ध-मण्डल में प्रतिनिधित्व, कर्मचारी-यूनियनस् बनाने पर बल दिया है। साथ ही आंवटित धनराशि की जानकारी भी कार्यकर्त्ता चाहते हैं। उनका यह भी विचार है कि कार्यक्रम के दौरान सहायता देने वाली एजेन्सी का एक प्रतिनिधि क्षेत्र में उपस्थित रहना चाहिए ताकि कार्यक्रम् और अधिक सुचारू रूप से तथा अबाद्ध गति से चलें।

5.3.3. कार्यक्रम जांच प्रश्नावली से प्राप्त दत्त -

स्वयंसेवी संगठनों के संस्था प्रधान से ये दत्त संग्रहित किये गये हैं। इनसे प्राप्त दत्त संस्था के प्रशासन, वितीय व्यवस्था आदि की स्थिति जानने से संबंधित हैं। यह जानकारी प्राप्त करना भी शोधकर्ता के मुख्य उद्देश्यों में सम्मिलित है।

कार्यक्रम जांच प्रश्नावली में निर्धारित किए गए बिन्दुओं के अनुसार दत्त विश्लेषित किये गये है, जो निम्न प्रकार हैं -

1. सरकार द्वारा स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से विकास कार्यक्रम लागू करवाने का कारण -

तालिका संख्या - 5.39

स्वयंसेवी संगठनों द्वारा विकास कार्यक्रम लागू करने संबंधी

क्र.स.	कथन	सहमत उत्तरदाता	प्रतिशत
1.	स्वयंसेवी संगठन उद्देश्यों की पूर्ति प्रभावी ढंग से करते हैं।	9	81.82
2.	स्वयंसेवी संगठन बजट का सदुपयोग करते है।	2	18.18
3.	सरकारी कर्मचारी उत्तरदायी ढंग से कार्य नहीं करते है।	3	27.27
4.	स्वयंसेवी संगठन उद्देश्यों की पूर्ति समय से करते है।	-	-

उक्त तालिका से निष्कर्ष प्रस्तुत होते हैं कि -

(1) सरकार स्वयंसेवी संगठनों द्वारा विकास कार्यक्रम् इसलिए लागू करवाती है, कि इन संगठनों द्वारा उद्देश्यों की पूर्ति प्रभावी ढंग से की जाती है। इस बात की पुष्टी 81.82 प्रतिशत संस्था-प्रधानों ने की है।

(2) 18.18 प्रतिशत संस्था प्रधान स्वयंसेवी संगठनों द्वारा बजट का सदुपयोग किये जाने के प्रति सहमति प्रकट करते हैं।

(3) क्योंकि सरकारी कर्मचारी अपने कार्य को उत्तरदायी ढंग से पूर्ण नहीं करते हैं फलत् विकास कार्यक्रम स्वयंसेवी संगठनों द्वारा लागू किये जाते हैं। यह 27.27 प्रतिशत संस्था प्रधान स्वीकार करते हैं। निरीक्षण में पाया गया कि जिन दूर-दराज के ग्रामों तक सरकारी तंत्र नहीं पहुंच पा रहा है उन स्थानों पर स्वयंसेवी संगठन जन-विकास के कार्य कर रहें है। धरियावद तहसील क्षेत्र में खेड़सिया गांव में सहयोग संस्था-कूण द्वारा चलाया जा रहा 'लोक विद्यालय' इस बात की पुष्टी करता है।

(4) सरकार द्वारा उद्देश्यों की पूर्ति समय से किया जाना, इन संस्थाओं को कार्यक्रम दिये जाने का कारण नहीं है। इसके पक्ष में एक भी संस्था-प्रधान ने मत प्रदान नहीं किया।

इसका अभिप्राय है कि सरकार द्वारा विकास कार्यक्रम स्वयंसेवी संगठनों द्वारा लागू करवाये जाने का मुख्य कारण इन संस्थाओं की प्रभावी स्वस्थ छवि है। यद्यपि सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही का इन्हें भी शिकार बनना होता है। तथा इससे अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

2. राजकीय वित्त एजेन्सीज् से धन प्राप्त करने में संस्था-प्रधान को आने वाली कठिनाईयां -

तालिका संख्या - 5.40

राजकीय वित्त एजेन्सीज् से धन प्राप्त करने में

संस्था-प्रधान को आनेवाली कठिनाईयां

क्र.सं.	कथन	सहमत उत्तरदाता	प्रतिशत
1.	अत्यधिक औपचारिकताओं का होना	7	63.64
2.	अधिक लम्बी प्रक्रिया का होना	5	45.45
3.	अधिकारियों की उदासीनता	-	-
4.	राजनीतिक दखलन्दाजी	1	9.09

स्वयंसेवी संगठनों को कार्य-प्रायोजना लागू करने के लिए वित्त-व्यवस्था करने में आने वाली कठिनाईयों के संबंध में प्रस्तुत उक्त तालिका संख्या - 5.40 के विवेचन से स्पष्ट है कि -

(1) 63.64 प्रतिशत संस्था प्रधान राजकीय वित्त-विभागों से वित्त प्राप्ति में अत्यधिक औपचारिकताओं का होना मुख्य बाधा मानते हैं। अधिक लम्बी प्रक्रिया होने तथा अधिक पत्र-व्यवहार होने से अधिक समय व्यतीत हो जाता है।

(2) वित्त व्यवस्था करने में 45.45 प्रतिशत संस्था-प्रधान वित्त आवंटन की प्रक्रिया का अधिक विस्तृत होना प्रमुख बाधा मानते हैं। इनका मत पाया गया है कि एक कार्य-प्रायोजना के लिए वित्त-आवंटन हेतु कई राजकीय कार्यालयों में आना-जाना होता है तथा अधिक समय अनावश्यक रूप से व्यतीत हो जाता है।

(3) राजकीय वित्त एजेन्सीज् में कार्यरत अधिकारियों की कार्य के प्रति उदासीनता को एक भी संस्था-प्रधान बाधा नहीं मानता है। इसका अभिप्राय है कि राजकीय एजेन्सीज् के अधिकारी उनके साथ अच्छा कार्य करते है, किन्तु कार्यालय की व्यवस्थाओं से ही उन्हें कार्य करना होता है जो कि उक्त समस्याओं से त्रस्त हैं।

(4) वित्त आवंटन में राजनीतिक लोगों अर्थात् संबंधित क्षेत्र के राजनेताओं की दखलदांजी को अत्यल्प संस्था-प्रधान (9.09 प्रतिशत) ही समस्या मानते हैं अर्थात् राजनेता उनके कार्यों में अधिक दखलदांजी नहीं करते हैं।

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि स्वयंसेवी संगठनों को वित्त आवंटन में कार्यालय की व्यवस्थाएं ही बाधित करती हैं।

3. समाज सेवा कार्य प्रायोजना को लागू करने के लिए अपेक्षित लाभार्थी क्षेत्र का चयन किये जाने का मुख्य आधार -

तालिका संख्या - 5.41

समाज सेवा कार्य लागू करनें का मुख्य आधार

क्र.सं.	कथन	सहमत उत्तरदाता	प्रतिशत
1.	सरकार की सिफारिश	1	9.09
2.	क्षेत्र के लोगों का शिक्षा स्तर	8	72.73
3.	क्षेत्र के लोगों का आर्थिक स्तर	6	54.55
4.	क्षेत्र के लोगों की पहुंच (एप्रोच)	-	-

स्वयंसेवी संगठनों द्वारा पिछड़े क्षेत्र में समाज सेवा के कार्य लागू करने के लिए कार्यक्रम की प्रकृति के अनुसार लाभार्थी क्षेत्र अर्थात् जिस क्षेत्र में प्रस्तावित कार्यक्रम लागू किया जाना अधिक श्रेयष्कर रहेगा के चयन हेतु अपनाये जाने वाले आधारों से संबंधित तालिका संख्या 5.41 द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों का स्पष्टीकरण इस प्रकार है -

(1) चयन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र के लोगों की शिक्षा के स्तर को 72.73 प्रतिशत संस्था-प्रधान ही आधार मानते हैं।

(2) 54.55 प्रतिशत संस्था - प्रधानों का मानना है कि कार्य-प्रायोजना के लिए क्षेत्र का निर्धारण क्षेत्र के लोगों के आर्थिक स्तर से किया जाता है।

(3) मात्र 9.09 प्रतिशत संस्था प्रधान ही सरकार की सिफारिश वाले क्षेत्र में कार्यक्रम लागू किये जाने के बारे में मतैक्य हैं।

(4) प्रस्तावित क्षेत्र के लोगों की पहुंच (एप्रोच) के आधार बनाना एक भी संस्था प्रधान स्वीकार नहीं करता है।

इसका अभिप्राय है कि अधिकांशत् स्वयंसेवी संगठन विकास कार्यक्रम लागू करने के लिए क्षेत्र के शिक्षा-स्तर तथा आर्थिक-स्तर को ही आधार मानते हैं।

4. कार्य-प्रायोजना के लिए लाभार्थी पक्ष के चयन का आधार -

तालिका संख्या - 5.42

लाभार्थी क्षेत्र के चयन का आधार

क्र.सं.	कथन	सहमत उत्तरदाता	प्रतिशत
1.	राजकीय रिपोर्ट्स	-	-
2.	संस्थान द्वारा किया गया तात्कालिक सर्वेक्षण	6	54.55
3.	संस्थान द्वारा पूर्व में किया गया सर्वेक्षण	2	18.18
4.	उक्त सभी	2	18.18

तालिका संख्या - 5.42 के विश्लेषण से निम्न निष्कर्ष प्रस्तुत होते हैं कि -

(1) समाज सेवा कार्य प्रायोजना हेतु प्रस्तावित लोगों के चयन हेतु राजकीय रिपोर्ट्स को आधार नहीं बनाया जाता है।

(2) 54.54 प्रतिशत संस्था प्रधान संस्था स्वयं के स्तर पर तात्कालिक रूप से किये गये सर्वेक्षण को लाभार्थी लोगों के चयन का आधार मानते हैं।

(3) संगठन द्वारा पूर्व में किये गये सर्वेक्षण को इस हेतु आधार बनाये जाने को 18.18 प्रतिशत संस्था प्रधान ही स्वीकार करते हैं।

(4) 18.18 प्रतिशत संस्था प्रधानं राजकीय रिपोर्ट्स, तात्कालिक रूप से किये गये सर्वेक्षण तथा पूर्व में किये गये सर्वेक्षण में से किसी ढंग को लाभार्थी पक्ष के चयन हेतु अपना लेते हैं।

(5) अत्यल्प संस्था प्रधानों की ओर से इस बारे में कोई भी जानकारी प्रस्तुत नहीं की गयी है। इसका अभिप्राय है कि इस हेतु स्वयंसेवी संगठनों के प्रधानों ने कोई भी निश्चित तरीका नहीं अपनाया है।

इसका अभिप्राय है कि अधिकांशत् स्वयंसेवी संगठन अपने द्वारा लागू की जाने वाली कार्य-प्रायोजनाओं के लिए लाभार्थी लोगों का चयन भी स्वयं अपने ढंग से ही करते हैं।

5. कार्य प्रायोजना लाभार्थी पक्ष की आवश्यकता के अनुरूप उचित होने का आधार -

तालिका संख्या - 5.43

कार्यक्रम के उचित होने की जांच

क्र.सं.	कथन	सहमत उत्तरदाता	प्रतिशत
1.	क्षेत्र के लोगों से सलाह मशविरा करना	10	90.91
2.	सर्वेक्षण टीम की रिपोर्ट	1	9.09
3.	विशेषज्ञों की राय	-	-
4.	संस्था प्रधान का आत्मनिर्णय	-	-

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि -

(1) स्वयंसेवी संगठनों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के लिए लाभार्थी पक्ष की आवश्यकता के अनुरूप कार्यक्रम उचित होने की जांच हेतु 90.91 प्रतिशत संस्था प्रधान मतैक्य हैं कि संबंधित क्षेत्र के लोगों से सलाह-मशविरा करना स्वीकार करते हैं।

(2) 9.09 प्रतिशत संस्था प्रधान ही इस हेतु अपने संस्थान द्वारा सर्वेक्षण करवाया जाना स्वीकार करते हैं।

(3) कार्य-प्रायोजना की जांच हेतु विशेषज्ञों की राय अथवा आत्मनिर्णय की स्थिति को कोई भी संस्था प्रधान स्वीकार नहीं करता हैं।

इसका अभिप्राय है कि अधिकांश स्वयंसेवी संगठन क्षेत्र के लोगों से सलाह मशविरा करना तथा सर्वेक्षण टीम की रिपोर्ट को आधार बनाया जाना अधिक स्वीकार करते हैं।

6. शिक्षा संबंधी प्रायोजनाओं पर कार्य करने का कारण -

तालिका संख्या - 5.44

शिक्षा संबंधी प्रायोजनाओं पर कार्य करने का कारण

क्र.सं.	कथन	सहमत उत्तरदाता	प्रतिशत
1.	शिक्षा विकास का आधार है, इसे प्रचारित करना उचित ही है।	10	90.91
2.	इनमें बजट अधिक मात्रा में होता है।	-	-
3.	इसमें कार्यक्रम लागू करना आसान होता है।	1	9.09
4.	ये कार्यक्रम अधिक रूचिकर होते हैं।	-	-

स्वयंसेवी संगठनों द्वारा शिक्षा संबंधी कार्य प्रायोजनाओं को लागू करने के कारणों से संबंधित उक्त तालिका संख्या - 5.44 के विश्लेषण से निष्कर्ष प्राप्त होते हैं कि -

(1) अधिकांश संस्था - प्रधान (90.91 प्रतिशत) का मानना है कि शिक्षा ही विकास का प्रमुख आधार है, इस क्षेत्र में कार्य किया जाना श्रेयष्कर है।

(2) शिक्षा संबंधी कार्य-प्रायोजनाओं में बजट अधिक होने का कारण, किसी भी संस्था-प्रधान ने स्वीकार नहीं किया है।

(3) 9.09 प्रतिशत संस्था - प्रधानों का मत है कि शिक्षा से संबंधित कार्य-प्रायोजनाओं को लागू करना अपेक्षाकृत सरल होता है।

(4) शिक्षा संबधी कार्यों को रूचिकर होने के कारण चयनित किया जाना किसी भी उत्तरदाता ने स्वीकार नहीं किया है।

इसका आशय है कि शिक्षा के प्रति स्वयंसेवी संगठनों की उन्मुखता सकारात्मक तथा वास्तविक है। यद्यपि उनका मानना है कि इस तरह के कार्यक्रम लागू करना सरल है तथा शिक्षा को विकास का मुख्याधार माना जाने के संबंध में अधिक सहमति प्रकट की है।

7. संस्था-संचालन के वर्तमान पद पर संस्था-प्रधान की पद स्थिति

तालिका संख्या - 5.45

संस्था प्रधान पद की स्थिति

क्र.सं.	कथन	सहमत	प्रतिशत
1.	मनोनीत किये जाने की (निश्चित समय हेतु)	4	36.36
2.	चयनित किये जाने की (निश्चित समय हेतु)	6	54.54
3.	स्थायी रूप से मनोनयन	-	-
4.	अन्य (स्थायी चयन)	1	9.09

स्वयंसेवी संगठनों की प्रशासनिक स्थिति से संबंधित तालिका संख्या - 5.45 के विवेचन से निष्कर्ष प्राप्त होता है कि -

(1) संस्था प्रधान की वर्तमान पद पर निश्चित समय के लिए मनोनीत किये जाने की स्थिति को 36.36 प्रतिशत संस्था-प्रधान ही स्वीकार करते हैं। इनका मानना है कि संस्था प्रधान के पद पर 2 से 5 वर्ष के समय के लिए व्यक्ति का मनोनयन किया जाता है।

(2) 54.55 प्रतिशत संस्था प्रधानों का मानना पाया गया है कि इस पद पर एक निश्चित समय (लगभग 2 से 5 वर्ष) के लिए व्यक्ति का चयन किया जाता है।

(3) स्थायी मनोनयन को एक भी संस्था-प्रधान ने स्वीकार नहीं किया है।

(4) मात्र 9.09 प्रतिशत संस्था प्रधानों का मानना है कि संस्था सदस्यों द्वारा संस्था प्रधान को स्थायी चयन कर लिया जाता है।

इसका अभिप्राय है कि अधिकांश संस्थाओं में संस्था प्रधान की स्थिति प्रजातांत्रिक ढंग की है तथा निश्चित समय में परिवर्तन किये जाने की प्रक्रिया 'प्रबन्ध में लोचशीलता' के सिद्धान्त की द्योतक है।

8. संस्था प्रधान के संस्था से बाहर जाने पर संस्थान का यह पद भार संभालने की व्यवस्था –

तालिका संख्या – 5.46

संस्था प्रधानों के संस्था के बाहर जाने पर संस्थान का पदभार संभालने की व्यवस्था संबंधी

क्र.सं.	कथन	सहमत	प्रतिशत
1.	संस्था सचिव	4	36.36
2.	कार्यालय अधीक्षक	1	9.09
3.	मनोनीत प्रतिनिधि	6	54.55
4.	कोई व्यवस्था नहीं	–	–

उक्त तालिका के विवेचन से स्पष्ट है कि –

(1) 36.36 प्रतिशत संस्था प्रधानों का मत पाया गया है कि उनके संस्था से बाहर होने पर संस्था का कार्य 'संस्था सचिव' द्वारा संभाला जाता है।

(2) कार्यालय अधीक्षक द्वारा कार्यभार संभाले जाने की स्थिति को 9.09 प्रतिशत संस्था प्रधान ही स्वीकार करते हैं।

(3) संस्था प्रधान के संस्थान से बाहर जाने पर प्रधान द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि यह पद-भार संभालता है, इसको 54.55 प्रतिशत संस्था प्रधान स्वीकार करते हैं।

(4) संस्था प्रधान की गैर-मौजूदगी में संस्था का कार्यभार संभालने की कोई भी व्यवस्था नहीं होने की स्थिति किसी भी स्वयंसेवी संगठन में नहीं पायी गयी है।

इसका अभिप्राय हुआ कि प्रत्येक संस्था प्रधान अपनी गैर-मौजूदगी में संस्था के कार्यभार को संभालने की व्यवस्था करता है।

9. **संस्था प्रधान की अनुपस्थिति में कार्यकारी-अधिकारी के अधिकार -**

तालिका संख्या - 5.47

संस्था प्रधान की अनुपस्थिति में कार्यकारी-अधिकारी के अधिकार

क्र.सं.	कथन	सहमत उत्तरदाता	प्रतिशत
1.	प्रधान के समान ही अधिकार होते है।	-	-
2.	कार्यालय संबंधी निर्णय तक ही सीमित रहते हैं।	2	18.18
3.	निर्णय सीमा कार्यालय एवं क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की व्यवस्था तक ही निश्चित हैं।	8	72.73
4.	निश्चित निर्धारण नहीं है।	1	9.09

संस्था प्रधान की गैर-मौजूदगी में कार्यभार संभाल रहे कार्यकारी-अधिकारी के अधिकारों से संबंधित तालिका संख्या - 5.47 के विवेचन से निष्कर्ष प्राप्त होते हैं कि -

(1) कार्यकारी अधिकारी को संस्था प्रधान के समान ही अधिकार प्राप्त होने को किसी भी मतदाता से स्वीकार नहीं किया है।

(2) 18.18 प्रतिशत संस्था प्रधान कार्यकारी-अधिकारी को कार्यालय के आवश्यक कार्यों से संबंधित निर्णय लेने तक ही सीमित होना स्वीकार करते हैं।

(3) 72.73 प्रतिशत संस्था-प्रधान इससे सहमत पाए गए हैं कि कार्यकारी अधिकारी के निर्णय-अधिकार को कार्यालय की आवश्यक व्यवस्था तथा क्षेत्र-कार्यकर्ताओं की व्यवस्था किये जाने तक ही सीमित किया गया है।

(4) कार्यकारी अधिकारी के लिए निर्णय सीमा को निश्चित नहीं होने की स्थिति को 9.09 प्रतिशत संस्था प्रधान स्वीकार करते हैं।

इसका अभिप्राय है कि अधिकांश स्वयंसेवी संगठनों द्वारा कार्यकारी-अधिकारी की निर्णय सीमाओं का निर्धारण किया गया है। जिसके फलस्वरूप संस्था चलाना प्रभावी बना रहता है। कार्य सीमा को निर्धारण के बिना कार्य की जिम्मेदारी कोई नहीं लेता है।

10. **प्रायोजना कार्य के दौरान संस्था प्रधान द्वारा क्षेत्र-भ्रमण करने का उद्देश्य -**

तालिका संख्या - 5.48

संस्था प्रधान द्वारा क्षेत्र-भ्रमण करने का उद्देश्य

क्र.सं.	कथन	सहमत	प्रतिशत
1.	कार्य प्रगति की जांच करना	1	9.09
2.	कार्यकर्ताओं की कठिनाईयों का पता लगाना	4	36.36
3.	कार्यक्रम के संबंध में जन-प्रतिक्रिया जानना	8	72.73
4.	कार्यकर्ताओं पर नियन्त्रण रखना	-	-

उक्त तालिका के विवेचन से स्पष्ट है कि -

(1) क्षेत्र में कार्य-प्रायोजना लागू करने के समय संस्था प्रधान क्षेत्र भ्रमण के लिए भी जाते हैं। इस दौरान 9.09 प्रतिशत संस्था-प्रधानों का मानना है कि उनके द्वारा क्षेत्र-भ्रमण के समय कार्य-प्रगति की जांच की जाती है।

(2) 36.36 प्रतिशत संस्था प्रधानों का मानना पाया गया कि वे कार्यकर्ताओं की कठिनाईयों का पता लगाने के लिए ही क्षेत्र भ्रमण करते हैं।

(3) कार्यक्रम की सफलता के संबंध में जन-प्रतिक्रियाओं की जानकारी लेने के लिए संस्था-प्रधान द्वारा क्षेत्र भ्रमण किये जाने को 72.73 प्रतिशत संस्था प्रधान स्वीकार करते हैं।

(4) संस्था प्रधान द्वारा क्षेत्र भ्रमण पर जाने को कार्यकर्ताओं पर नियन्त्रण रखने की प्रक्रिया होना, किसी भी संस्था प्रधान ने स्वीकार नहीं किया है।

इससे स्पष्ट है कि अधिकांश संस्था प्रधान कार्यक्रम एवं कार्यकर्ताओं को अधिक महत्व देते हैं, जो कि संस्था की सफलता के मुख्य आधार हैं।

11. कार्य प्रायोजनाओं के उद्देश्य की पूर्ति निर्धारित समय से नहीं होने पर की जाने वाली व्यवस्था -

तालिका संख्या - 5.49

कार्य प्रायोजनाओं के उद्देश्यों की पूर्ति संबंधी व्यवस्था

क्र.सं.	कथन	सहमत	प्रतिशत
1.	कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ा देते हैं।	2	18.18
2.	सहायता एजेन्सी से समय सीमा बढ़ाने के लिए निवेदन करते हैं।	5	45.45
3.	प्राप्त किये गये उद्देश्यानुरूप रिपोर्ट प्रस्तुत कर कार्य बन्द कर दिया जाता है।	4	36.36
4.	इस ओर ध्यान ही नहीं देते हैं।	-	-

कार्य प्रायोजना रूपरेखा में कार्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति निर्धारित संगठनों द्वारा की जाने वाली व्यवस्था के लिए तालिका संख्या - 5.49 के विवेचन से स्पष्ट है कि -

(1) 18.18 प्रतिशत संस्था प्रधान कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ा दिये जाने को सहमति प्रदान करते हैं।

(2) कार्यक्रम के लिए वित्त व्यवस्था करने वाली संस्था से कार्यक्रम की अवधि बढ़वा लिये जाने को 45.45 प्रतिशत संस्था-प्रधान ही स्वीकार करते हैं।

(3) कार्यक्रम के लिए निर्धारित की गयी समय सीमा में प्राप्त किये गये उद्देश्यों के अनुरूप ही रिपोर्ट तैयार करके प्रस्तुत की जाती है। इससे 36.36 प्रतिशत संस्था प्रधान सहमत पाए गये हैं।

(4) उद्देश्यों की पूर्ति न होने की स्थिति को नजरन्दाज किये जाने के प्रति किसी भी संस्था-प्रधान ने मत प्रकट नहीं किया है।

इससे स्पष्ट है कि स्वयंसेवी संगठन निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अधिक सतर्क रहते हैं तथा समय-सीमा के अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति न होने पर प्रत्येक संगठन द्वारा स्थानापन्न व्यवस्था अवश्य ही की जाती है अथवा प्राप्त उद्देश्यानुरूप ही कार्य-प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है।

12. कार्य प्रायोजना समाप्ति पर अनुगामी कार्यक्रम लागू करने के लिए की गयी व्यवस्था -

तालिका संख्या - 5.50

अनुगामी कार्यक्रम लागू करने के लिए व्यवस्था

क्र.सं.	कथन	सहमत	प्रतिशत
1.	अनुगामी कार्यक्रम की जिम्मेदारी अन्य संस्था लेती है।	-	-
2.	स्वयंसेवी संस्था ही जिम्मेदारी लेती हैं।	-	-
3.	सहायता एजेन्सी से इस हेतु धनराशि मिलने पर जिम्मेदारी लेते हैं।	-	-
4.	लाभार्थी पक्ष में अनुगामी कार्यक्रम चलाने की क्षमता विकसित करते हैं।	8	72.73

उक्त तालिका के विवेचन से स्पष्ट है कि -

(1) एक भी संस्था अनुगामी कार्यक्रम स्वयं द्वारा चलाये जाने अथवा दूसरी संस्था द्वारा चलाये जाने के लिए सहमत नहीं हैं।

(2) अनुगामी कार्यक्रम के लिए सहायता एजेन्सी द्वारा धनराशि दिये जाने पर भी ये संगठन यह जिम्मेदारी नहीं लेते हैं।

(3) 72.73 प्रतिशत संस्था प्रधान इस पर मतैक्य है कि अनुगामी कार्यक्रम चलाए जाने की क्षमता लाभार्थी पक्ष में ही की जाती है अर्थात् वे प्रायोजना में उल्लेखित समय तथा उद्देश्यानुरूप कार्य करके ही लाभार्थी पक्ष को इस स्तर पर लाया जाता है कि वे लागू किये गये कार्यक्रम को आगे भी जारी रखने में सक्षम हो जाएँ।

किन्तु कुछ संस्था - प्रधान कोई भी मत प्रकट नहीं करते हैं इसका अभिप्राय हुआ कि ये संस्था प्रधान अनुगामी कार्यक्रमों के प्रति सचेत ही नहीं हैं।

13. कार्य प्रायोजना समाप्ति पर आवंटित धनराशि शेष रह जाने पर किया जाने वाला उपयोग -

तालिका संख्या - 5.51

आवंटित धनराशि के उपयोग संबंधी

क्र.सं.	कथन	सहमत	प्रतिशत
1.	यह धनराशि योजना के सुदृढ़ीकरण पर खर्च कर देते हैं।	6	54.55
2.	शेष धनराशि दूसरी योजना के लिए हस्तान्तरित कर देते हैं।	-	-
3.	कार्यालय के लिए स्थायी सम्पति क्रय कर लेते हैं।	-	-
4.	सहायता एजेन्सी को यह धनराशि लौटा देते हैं।	3	27.27
5.	आप अपनी स्वेच्छा की मद पर व्यय करके आवंटित योजना के व्यय में ही दर्शा देते हैं।	-	-

उक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि -

(1) कार्य प्रायोजना की समाप्ति पर सहायता एजेन्सी द्वारा आवंटित धनराशि, यदि पूरी खर्च नहीं हो पाती, तो ऐसी स्थिति के लिए 54.55 प्रतिशत संस्था प्रधान इस धनराशि को योजना के सुदृढ़ीकरण पर खर्च करने के प्रति सहमति प्रकट करते हैं।

(2) एक योजना के लिए आवंटित धनराशि को दूसरी योजना के लिए हस्तारिन्त कर दिया जाना अथवा संगठन के कार्यालय के लिए स्थायी सम्पति खरीद लिये जाने में यह धनराशि व्यय करने को कोई मत प्राप्त नहीं होता है।

(3) 27.27 संस्था प्रधान शेष धनराशि सहायता एजेन्सी को वापस लौटा देना स्वीकार करते हैं।

(4) योजना के लिए आवंटित धनराशि को स्वयंसेवी संगठन अपनी इच्छानुरूप व्यय करने के लिए कोई भी संस्था प्रधान मतैक्य नहीं हैं।

(5) कुछ स्वयंसेवी संगठन शेष धनराशि के लिए कोई भी निश्चित योजना नहीं रखते हैं। वे इसे योजना में दर्शायी गयी मद के अतिरिक्त मद में व्यय कर देते हैं। इसका अभिप्राय है कि अधिकांश स्वयंसेवी संगठन व्यय होने से शेष रह गयी धनराशि का उपयोग उचित ढंग से ही करते हैं।

14. समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान के कारण संस्था को पुरस्कार प्राप्त होने की स्थिति -

तालिका संख्या - 5.52

संस्था को पुरस्कार प्राप्त होने के संबंध में

क्र.सं.	पुरस्कार का स्तर	अंक	प्रतिशत
1.	जिला स्तर	8	72.72
2.	राज्य स्तर	5	45.45
3.	राष्ट्रीय स्तर	4	36.36
4.	अन्तर्राष्ट्रीय स्तर	4	27.27

स्वयंसेवी संगठनों को सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान करने के कारण विभिन्न स्तर पर सम्मानित भी किया जाता है। अध्ययन किये गये स्वयंसेवी संगठनों को प्राप्त पुरस्कारों को प्राप्त प्राप्तांक में तैयार की गयी। उक्त तालिका के विवेचन से स्पष्ट है कि -

(1) 72.72 प्रतिशत प्राप्तांक संस्थानों के जिला स्तर पर पुरस्कृत होने के संबंध में प्राप्त हुए हैं।

(2) राज्य स्तर पर पुरस्कृत होने वाली संस्थाओं का प्राप्तांक 45.45 प्रतिशत है।

(3) 36.36 प्रतिशत प्राप्तांक राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत होने के संबंध में हैं।

(4) 27.27 प्रतिशत संस्थाओं को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं।

इसका अभिप्राय है कि एक ही संस्थान एक से अधिक स्तर पर पुरस्कृत हो चुकी है।

15. कार्य प्रायोजनाओं हेतु धनापूर्ति के स्रोत -

तालिका संख्या - 5.53

कार्य प्रायोजना हेतु धनापूर्ति के स्रोत संबंधी

क्र.सं.	साधन	प्राप्तांक	प्रतिशत
1.	अनुदान	13	25.00
2.	सदस्यता शुल्क	16	30.77
3.	संस्था के स्थायी स्रोत	14	26.92
4.	लाभार्थी पक्ष का सहयोग	9	17.31

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि -

(1) 25 प्रतिशत संस्थाओं की कार्य-प्रायोजनाओं को अनुदान से धनापूर्ति होती है।

(2) सदस्यता शुल्क से 30.77 प्रतिशत धनापूर्ति होती है।

(3) संस्था के स्थायी स्रोत होने की स्थिति को 26.92 प्रतिशत संस्था प्रधान ही स्वीकार करते हैं।

(4) कार्य प्रायोजना को लाभार्थी पक्ष के सहयोग द्वारा चलाया जाने को 17.31 संस्था प्रधान ही मत प्रदान करते हैं।

इसका अभिप्राय है कि अधिकांश स्वयंसेवी संगठन सेवा कार्यों के लिए धनापूर्ति हेतु पराश्रित हैं। उन्हें इस हेतु दूसरी एजेन्सीज् का इन्तजार करना होता है। सहायता एजेन्सीज् से समय पर धनराशि प्राप्त नहीं होने पर अनेक समय कार्यक्रम बीच में ही बन्द करने पड़ते है। इससे कार्य के लिए निर्धारित उद्देश्यों की उचित पूर्ति में कठिनता रहती है। यहाँ तक कि वेतन वितरण भी इससे प्रभावित होता है।

16. समाज सेवा के जिस क्षेत्र को संस्था प्रधान अधिक पसन्द करते हैं -

तालिका संख्या - 5.54

समाज सेवा के क्षेत्रों के चयन संबंधी

क्र.सं.	सेवा क्षेत्र	प्राप्तांक (प्राथमिकता)	प्रतिशत
1.	शैक्षिक कार्यक्रम	13	19.40
2.	स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम	11	16.42
3.	जन (सामाजिक) जागृति संबंधी कार्यक्रम	8	11.94
4.	पर्यावरण चेतना संबंधी कार्यक्रम	21	31.34
5.	निर्माण कार्य	14	20.90

स्वयंसेवी संगठनों द्वारा समाज सेवा के क्षेत्र में कई प्रकार के कार्यक्रम लागू किये जाते हैं। संस्था प्रधान प्रायः किन्हीं विशिष्ट कार्यों को अधिक महत्व प्रदान करते हैं। इसी आधार पर प्राप्त आंकड़ों से तैयार की गयी उक्त तालिका संख्या - 5.54 के विवेचन से स्पष्ट है कि -

(1) 19.40 प्रतिशत संस्था प्रधान शैक्षिक कार्यक्रमों को पसन्द करने के लिए मतैक्य पाए गए हैं।

(2) स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम को पसन्द करने के लिए 16.42 प्रतिशत संस्था प्रधान ही मत प्रदान करते हैं।

(3) सामाजिक जन-जागृति हेतु कार्यक्रम चलाने के लिए 11.94 प्रतिशत उत्तरदाता ही मत प्रदान करते हैं।

(4) पर्यावरण चेतना संबंधी कार्यक्रमों को सर्वाधिक मत 31.34 प्रतिशत संस्था प्रधान प्रदान करते हैं।

(5) 20.90 प्रतिशत संस्था प्रधान निर्माण कार्यों यथा - एनिकट निर्माण, पाठशाला भवन निर्माण, सड़क निर्माण, कुओं का निर्माण, आदि को अधिक पसन्द करते हैं।

इसका अभिप्राय है कि विश्वजनीत समस्या 'पर्यावरण समस्या' के प्रति स्वयंसेवी संगठन अधिक जागरूक है तथा इस समस्या को अधिक गंभीर मानकर समाधानार्थ प्रयास कर रहे हैं।

उपसंहार -

प्रस्तुत परिच्छेद में अध्ययन के उद्देश्यों एवं परिकल्पनाओं के अनुसार संग्रहित दत्त विश्लेषित कर विविध आयाम से प्रस्तुत किये गये हैं। प्रत्येक बिन्दु के लिए अलग तालिका दी गयी है तथा संबंधित विवरण साथ ही प्रस्तुत किया गया है।

आगामी परिच्छेद में अध्ययन से संबंधित निष्कर्ष प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

5.5 सन्दर्भ साहित्य (Roforences) -

1. Best, J.W. : **Research in Education**, New Delhi, Prentice Hall of India, 1987.
2. Borge, W.R. : **Educational Research : An Introduction**, New Delhi, Congman Green Co. Ltd.
3. Garrett, H.E. : **Statistics in Psychology and Education**, Bombay, Vikils Febhar & Simsons Pvt. Ltd., 1987.
4. James, M. Black : **How to get results from interview ?**, New York McGraw Hill Book Co., 1970.
5. Maltida, White Riley : **Sociological Research : A case approach**, New York Harcourt, Brace & World Inc. 1963.

षष्ठम् परिच्छेद

शोध सारांश, सुझाव एवं भावी शोध संभावनाएं

6.1 प्रस्तावना -

प्रस्तुत अध्याय का उद्देश्य सम्पूर्ण अध्ययन का पुनरावलोकन करते हुए प्राप्त निष्कर्षों की व्याख्या करके उनके निहितार्थों की विवेचना करना तथा भावी शोध संभावनाओं की जानकारी प्रस्तुत करना है। वास्तव में किसी भी अनुसंधान के अंतिम अध्याय में सम्पूर्ण शोध कार्य के भूत व भविष्य के दर्शन एक साथ होते हैं।

इस अध्ययन कार्य में राजस्थान के ग्रामीण अंचल के उत्थान हेतु स्वयंसेवी संगठनों द्वारा किये जा रहे प्रयासों को उभारने का प्रयास किया गया है। इन संगठनों द्वारा लागू किये जा रहे कार्यक्रम, उनका प्रभाव मार्ग में आनेवाली कठिनाईयों एवं संसाधनों की पूर्ति की जानकारी प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

राजस्थान के दक्षिणी भाग में बसे लोगों में इन स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों से उत्पन्न चेतना के बारे में अध्ययन किया गया है।

6.2 समस्या कथन -

शोधकर्ता ने प्रस्तुत अध्ययन हेतु चयनित विषय को इस प्रकार प्रस्तुत किया है -

''राजस्थान में स्थित स्वयंसेवी संगठन तथा उनके द्वारा लागू किये गये कार्यक्रमों के प्रभाव का अध्ययन''

6.3 शोध उद्देश्य -

प्रस्तुत शोध कार्य में उद्देश्यों का निर्धारण निम्न प्रकार किया गया -

(1) स्वयंसेवी संगठनों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में लागू किये गये शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रभाव से निम्नांकित क्षेत्रों में उत्पन्न चेतना का अध्ययन करना -

अ. शैक्षिक चेतना

ब. सामाजिक चेतना

स. सांस्कृतिक चेतना

द. भौतिक चेतना

य. स्वास्थ्य के प्रति चेतना

(2) दक्षिणी राजस्थान में स्थित स्वयंसेवी संगठनों का निम्नांकित क्षेत्रों में अध्ययन करना -

अ. प्रशासनिक व्यवस्थापन

ब. शिक्षागत चलाए जा रहे प्रयास

स. आर्थिक विकास हेतु किये जा रहे प्रयास

द. भौतिक संसाधनों की आपूर्ति

(3) स्वयंसेवी संगठनों को शिक्षा के क्षेत्र में कार्यक्रम लागू करने के मार्ग में उत्पन्न होने वाली कठिनाईयों का अध्ययन करना।

(4) स्वयंसेवी संगठनों द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में योजनाएं लागू करने के मार्ग में उत्पन्न होने वाली कठिनाईयों को दूर करने के लिए सुझाव प्रेषित करना।

(5) प्रस्तुत शोध द्वारा अध्ययन क्षेत्र में शोध संभावनाएं बताना।

6.4 शोध प्राकल्पनाएँ -

(1) स्वयंसेवी संगठनों द्वारा शैक्षिक कार्यक्रम लागू करने से निम्नांकित क्षेत्रों में प्रभाव उत्पन्न हुआ है -

अ. शैक्षिक चेतना

ब. सामाजिक चेतना

स. सांस्कृतिक चेतना

द. भौतिक चेतना

य. स्वास्थ्य के प्रति चेतना

(2) स्वयंसेवी संगठनों द्वारा शैक्षिक कार्यक्रम लागू करने से निम्नांकित प्रत्येक क्षेत्र में उत्पन्न चेतना का परस्पर में सहसंबंध है -

अ. शैक्षिक चेतना

ब. सामाजिक चेतना

स. सांस्कृतिक चेतना

द. भौतिक चेतना

य. स्वास्थ्य के प्रति चेतना

6.5 न्यादर्श -

प्रस्तुत अध्ययन हेतु 'यादृच्छिक प्रतिचयन विधि' द्वारा न्यादर्श का चुनाव किया गया है जिसमें लाभार्थी पक्ष, संस्था संचालक, पर्यवेक्षक, क्षेत्र कार्यकर्त्ता सम्मिलित हैं। कुल न्यादर्श 511 लोगों का रहा है।

6.6 शोध विधि -

यह शोध कार्य ''सर्वेक्षण शोध विधि'' द्वारा पूर्ण किया गया।

6.7 प्रविधि -

विविध उपकरणों द्वारा संग्रहित दत्त विश्लेषित करने के लिए निम्नांकित सांख्यिकी प्रविधियां प्रयुक्त की गयी हैं -

अ. प्रतिशत ब. केन्द्रीय प्रवृत्ति के माप (माध्य)

स. सहसंबंध

6.8 उपकरण -

शोधकर्ता द्वारा निम्नांकित स्वनिर्मित शोध उपकरणों को प्रयुक्त किया गया है -

अ. शैक्षिक कार्यक्रम प्रभाव मापनी

ब. कार्यक्रम जांच प्रश्नावली

स.	कार्य स्थिति जांच प्रश्नावली

द.	निरीक्षण प्रपत्र

य.	साक्षाकार अनुसूची

6.9	शोध निष्कर्ष -

**(अ)	लाभार्थी पक्ष से प्राप्त दत्त से संबंधित -**

**I.	चेतना स्तर के संबंध में**

(1)	शैक्षिक क्षेत्र में जागृत चेतना का स्तर अधिक उत्कृष्ट पाया गया। 58.86 प्रतिशत (देखिए तालिका संख्या-5.1) लोगों ने श्रेष्ठ स्तर की चेतना दर्शाई।

(2)	सामाजिक चेतना का स्तर और भी अधिक उत्कृष्ट पाया गया। 62.95 प्रतिशत (देखिए तालिका संख्या-5.2) लोग श्रेष्ठ स्तर की चेतना प्रकट करते हैं।

(3)	सांस्कृतिक चेतना का स्तर भी उत्कृष्ट पाया गया है। इसके लिए 60.23 प्रतिशत (देखिए तालिका संख्या-5.3) लोगों ने श्रेष्ठ स्तर प्रदर्शित किया।

(4)	भौतिक चेतना का स्तर सामान्य से निम्न स्तर का पाया गया है। 43.86 प्रतिशत (देखिए तालिका संख्या-5.4) लोगों ने ही श्रेष्ठ स्तर की भौतिक चेतना प्रकट की है।

(5)	स्वास्थ्य के प्रति चेतना का स्तर अधिक श्रेष्ठ पाया गया है। 62.95 प्रतिशत (देखिए तालिका संख्या-5.5) लोगों ने श्रेष्ठ स्तर की चेतना प्रकट की।

**II.	चेतना के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य सहसंबंध -**

राजस्थान के ग्रामीण लोगों के लिए स्वयं सेवी संगठनों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों से उत्पन्न चेतना के मध्य सहसंबंध के लिए निष्कर्ष इस प्रकार प्राप्त हुए हैं -

(1)	राजस्थान के ग्रामीण लोगों में शैक्षिक एवं सामाजिक चेतना में उच्चतम स्तर का धनात्मक सहसंबंध +0.99 (देखिए तालिका संख्या-5.7) पाया गया है।

(2) शैक्षिक एवं सांस्कृतिक चेतना के मध्य उच्चतम स्तर का धनात्मक सहसंबंध +0.9986 (देखिए तालिका संख्या-5.8) पाया गया है।

(3) शैक्षिक एवं भौतिक चेतना के मध्य उच्चतम स्तर का धनात्मक सहसंबंध +0.98 (देखिए तालिका संख्या-5.9) पाया गया है।

(4) शैक्षिक एवं स्वास्थ्य के प्रति चेतना के मध्य सहसंबंध उच्चतम स्तर का धनात्मक सहसंबंध +0.9975 (देखिए तालिका संख्या-5.10) पाया गया है।

(5) सामाजिक एवं सांस्कृतिक चेतना के मध्य सहसंबंध उच्चतम स्तर का धनात्मक सहसंबंध +0.9981 (देखिए तालिका संख्या-5.11) पाया गया है।

(6) सामाजिक एवं भौतिक चेतना के मध्य सहसंबंध उच्चतम स्तर का धनात्मक सहसंबंध +0.9522 (देखिए तालिका संख्या-5.12) पाया गया।

(7) सामाजिक एवं स्वास्थ्य के प्रति चेतना के मध्य सहसंबंध उच्चतम स्तर का धनात्मक सहसंबंध +0.99915 (देखिए तालिका संख्या-5.13) पाया गया।

(8) सांस्कृतिक एवं भौतिक चेतना के मध्य सहसंबंध उच्चतम स्तर का धनात्मक सहसंबंध +0.97290 (देखिए तालिका संख्या-5.14) पाया गया है।

(9) सांस्कृतिक एवं स्वास्थ्य के प्रति चेतना के मध्य उच्चतम स्तर का धनात्मक सहसंबंध +0.99958 (देखिए तालिका संख्या-5.15) पाया गया है।

(10) भौतिक एवं स्वास्थ्य के प्रति चेतना के मध्य उच्चतम स्तर का धनात्मक सहसंबंध +0.968357 (देखिए तालिका संख्या-5.16) पाया गया है।

इससे स्पष्ट हुआ है कि सभी क्षेत्र में उत्पन्न चेतना, जो कि शिक्षा के प्रसार से प्रभावित हुई, उनमें सहसंबंध का और इस कारण से भी चेतना का स्तर प्रभावित हुआ।

(ब) **स्वंयसेवी संगठनों के कार्यकर्त्ताओं से प्राप्त दत्त से संबंधित –**

(1) वेतन भुगतान की स्थिति अधिक सुदृढ़ नहीं है। केवल 45 प्रतिशत (देखिए तालिका संख्या-5.17) कार्यकर्ता ही वेतन स्थिति के सुदृढ होने के पक्ष में सहमत पाये गये हैं।

(2) प्रायोजना निर्माण में कार्यकर्ताओं को सहभागी बनाए जाने के लिए 81.67 प्रतिशत (देखिए तालिका संख्या-5.19) कार्यकर्ता सहमत पाए गए।

(3) स्वयंसेवी संगठनों द्वारा कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाने की स्थिति के अच्छे होने से 75 प्रतिशत (देखिए तालिका संख्या-5.21) कार्यकर्ता सहमत पाए गए।

(4) संस्था के प्रधान कार्यालय अथवा उच्च पदस्थ अधिकारी द्वारा कार्यकर्ताओं को आदेश देने की प्रक्रिया को उचित मानने के संबंध में 75 प्रतिशत (देखिए तालिका संख्या-5.23) कार्यकर्ता सहमत पाए गए।

(5) स्वयंसेवी संगठनों द्वारा कार्यक्रम लागू करने के लिए लाभार्थी पक्ष के चयन की प्रक्रिया से 66.67 प्रतिशत (देखिए तालिका संख्या-5.25) कार्यकर्ता सहमत पाए गए हैं अर्थात् वें वर्तमान प्रक्रिया को उचित मानते हैं।

(6) लाभार्थी पक्ष के लिए आवश्यक सामग्री की पूर्ति किये जाने की व्यवस्था को 78.33 प्रतिशत (देखिए तालिका संख्या-5.27) कार्यकर्ता उचित मानने से सहमत पाए गए हैं।

(7) स्वयंसेवी संगठनों द्वारा लागू किये गये कार्यक्रम के संबंध में कार्य-प्रगति रिपोर्ट तैयार किये जाने के संबंध में 66.67 प्रतिशत (देखिए तालिका संख्या-5.29) कार्यकर्ता सहमत पाए गए हैं। इनका मानना है कि कार्य प्रगति रिपोर्ट उचित ढंग से तैयार की जाती हैं।

(8) कार्यकर्ताओं द्वारा लागू किये गये कार्य की जाँच के लिए उच्च पदस्थ अधिकारी भी क्षेत्र का भ्रमण करते है। इससे 66.33 प्रतिशत (देखिए तालिका संख्या-5.31) कार्यकर्ता सहमत पाए गए हैं।

(9) कार्य प्रायोजना के लिए निर्धारित किये गये उद्देश्यों की समयोचित पूर्ति के संबंध में 51.67 प्रतिशत (देखिए तालिका संख्या-5.33) कार्यकर्ता सहमत पाए गए हैं।

(10) 56.67 प्रतिशत (देखिए तालिका संख्या-5.35) कार्यकर्ताओं ने लाभार्थी क्षेत्र में कार्यक्रम लागू करने में कठिनाईयों यथा - लाभार्थी पक्ष की कम उपस्थिति रहना, कार्यक्रमों को लाभार्थी पक्ष द्वारा कम पसन्द किया जाना, सहभागियों के ठहराने में समस्या आना, यातायात की दुविधा आदि के उपस्थित होने के लिए सहमति प्रकट की है।

(11) स्वयंसेवी संगठनों की वर्तमान व्यवस्थाओं में 68.33 प्रतिशत (देखिए तालिका संख्या-5.37) कार्यकर्ता परिवर्तन चाहते हैं। वे इसके लिए सुझाव प्रेषित करते हैं।

(स) संस्था-प्रधानों से संग्रहित दत्त से संबंधित -

(1) सरकार द्वारा स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से विकास कार्यक्रम लागू करवाने का मुख्य कारण इन संगठनों द्वारा उद्देश्यों की पूर्ति प्रभावी ढंग से किया जाना है। 81.82 प्रतिशत (देखिए तालिका संख्या-5.39) संस्था प्रधान इससे सहमत पाए गए हैं।

(2) राजकीय वित एजेन्सीज् से धन प्राप्त करने में संस्था प्रधान को अत्यधिक औपचारिकताओं का होना मुख्य बाधा रहती है। 63.64 प्रतिशत (देखिए तालिका संख्या-5.40) इसके लिए सहमत पाए गए हैं।

(3) कार्य-प्रायोजना को लागू करने के लिए अपेक्षित लाभार्थी क्षेत्र का चयन किये जाने का आधार क्षेत्र के लोगों का शिक्षा-स्तर रहा है। 72.73 प्रतिशत (देखिए तालिका संख्या-5.41) संस्था प्रधान इससे सहमत पाए गए हैं।

(4) 54.55 प्रतिशत (देखिए तालिका संख्या-5.42) संस्था प्रधान कार्य-प्रायोजना हेतु लाभार्थी पक्ष के चयन हेतु संस्थान द्वारा किया गया तात्कालिक सर्वेक्षण ही उचित मानते हैं।

(5) स्वयंसेवी संगठनों द्वारा लागू की गयी कार्य प्रायोजना लाभार्थी पक्ष की आवश्कताओं के अनुरूप होने का निश्चय करने के लिए 90.91 प्रतिशत (देखिए तालिका संख्या-5.43) संस्था प्रधान क्षेत्र के लोगों से सलाह-मशविरा करने के लिए सहमत पाए गए हैं।

(6) स्वयंसेवी संगठनों द्वारा शिक्षा को विकास का आधार माने जाने के कारण इससे संबंधित कार्यक्रम अधिक लागू किये जाते है। 90•91 प्रतिशत (देखिए तालिका संख्या-5.44) संस्था प्रधान इससे सहमत पाए गए हैं।

(7) संस्था संचालन के वर्तमान पद पर पद-स्थिति के लिए 54.54 प्रतिशत (देखिए तालिका संख्या-5.45) संस्था प्रधान निश्चित समय के लिए चयनित किये जाने के लिए सहमत पाए गए हैं।

(8) संस्था प्रधान के संस्था से बाहर जाने पर संस्थान के प्रमुख का पदभार मनोनीत प्रतिनिधि द्वारा संभाला जाता है। इससे 54.55 प्रतिशत (देखिए तालिका संख्या-5.46) संस्था-प्रधान सहमत पाए गए हैं।

(9) संस्था प्रधान की अनुपस्थिति में संस्था के प्रमुख का पद भार संभालने वाले कार्यकारी अधिकारी की निर्णय सीमा कार्यालय एवं क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की व्यवस्था तक ही सीमित होने के बारे में 72.73 प्रतिशत (देखिए तालिका संख्या-5.47) संस्था प्रधान सहमत पाए गए हैं।

(10) प्रायोजना कार्य जारी रहने के दौरान संस्था प्रधान द्वारा क्षेत्र भ्रमण करने का प्रमुख उद्देश्य 72.73 प्रतिशत (देखिए तालिका संख्या-5.48) संस्था प्रधान कार्यक्रम के संबंध में जन-प्रतिक्रिया जानने के लिए सहमत पाए गए हैं।

(11) कार्य प्रायोजनाओं के उद्देश्यों की पूर्ति निर्धारित समय से नहीं होने पर सहायता एजेन्सी से समय-सीमा बढ़ाने के लिए निवेदन किए जाने के लिए 45.45 प्रतिशत (देखिए तालिका संख्या-5.49) संस्था प्रधान सहमत पाए गए है।

(12) 72.73 प्रतिशत (देखिए तालिका संख्या-5.50) संस्था प्रधान इससे सहमत पाए गए कि कार्य प्रायोजना की सहमति पर लाभार्थी पक्ष में ही अनुगामी कार्यक्रम चलाने की क्षमता विकसित कर दी जाती है।

(13) कार्य-प्रायोजना के लिए आवंटित धनराशि के प्रायोजना समाप्ति पर खर्च होने में बची रह जाने पर यह धनराशि योजना की सुदृढ़ीकरण पर ही खर्च कर दी जाती है। 54.55 प्रतिशत (देखिए तालिका संख्या-5.51) संस्था प्रधान इससे सहमत पाए गए हैं।

(14) समाज सेवा के क्षेत्र में सराहनीय योगदान के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं को विविध स्तर पर पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। सर्वाधिक अंक 72.72 प्रतिशत (देखिए तालिका संख्या-5.52) जिला स्तर पर पुरस्कृत होने के लिए प्राप्त हुए हैं।

(15) कार्य प्रायोजनाओं के लिए 25 प्रतिशत धनापूर्ति अनुदान से, 30.77 प्रतिशत धनापूर्ति सदस्यता शुल्क से, 26.92 प्रतिशत धनापूर्ति संस्था के स्थायी स्रोतों से व 17.37 धनापूर्ति लाभार्थी पक्ष के सहयोग से होना पाया गया है। (सभी आंकड़ों के लिए देखिए तालिका संख्या-5.53)

(16) संस्था प्रधान पर्यावरण चेतना संबंधी कार्यक्रमों से सर्वाधिक 31.34 प्रतिशत (देखिए तालिका संख्या-5.54) पसन्दगी अंक प्रदान करते हैं।

6.10 कठिनाईयों को दूर करने के लिये प्रमुख सुझाव -

स्वयंसेवी संगठनों द्वारा वर्तमान में अनेकानेक कार्यक्रम सफलता पूर्वक लागू किये जा रहे है परन्तु इन संगठनों की अपनी सीमाएं हैं, अपनी कमियां हैं। जिन्हें दूर किया जा सकता है और अनेक प्रकार के उपाय किये जा सकते हैं|ये सुझाव के रूप में निम्नांकित है -

(1) इन संगठनों को अधिकाधिक प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं को चयनित करना चाहिये।

(2) प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की उपलब्धता की समस्या का समाधान करने के लिये इन संगठनों को अपने स्तर पर प्रशिक्षित किया जाना चाहिये।

(3) स्वयंसेवी संगठनों को चाहिये कि वे अधिकाधिक नियमित स्टॉफ को चयनित करें।

(4) स्टॉफ सदस्यों के लिए प्रतिदिन के कार्य-घन्टे निर्धारित किये जायें जिससे कार्य को प्रभावी ढंग से पूरा किया जा सके।

(5) निर्धारित समय से अधिक अवधि तक कार्य करने वाले कर्मचारियों को पर्याप्त वेतन एंव भत्ते दिये जाने चाहिये।

(6) स्वयंसेवी संगठनों को आर्थिक मदद करने वाली एजेन्सीज् को चाहिये कि वे कार्य समाप्ति तक अपना एक प्रतिनिधि संस्था में रखें।

(7) सहायता एजेन्सीज् द्वारा धन के सदुपयोग किये जाने संबंधी जांच कार्य को तीव्र करना चाहिए।

(8) सहायता एजेन्सीज् द्वारा आवंटित धनराशि का पूरा ब्यौरा जनता (लाभार्थी पक्ष) के सामने प्रस्तुत करना चाहिए।

(9) कार्य-प्रायोजना का निर्माण क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं द्वारा ही किया जाना चाहिए।

(10) कार्यकर्ताओं की योग्यताओं को परिमार्जित करने के लिए अधिकाधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जायें, जिनमें प्रत्येक कार्यकर्ता को अनिवार्यत् उपस्थित होना चाहिए।

(11) लगभग प्रत्येक स्वयंसेवी संगठन को आर्थिक संसाधनों के लिए पराश्रित रहना पड़ रहा है। उन्हें चाहिए कि अपने स्थायी आय के स्रोत विकसित करें जैसे - कृषि को विकसित करना, उद्योग धन्धें विकसित करना, बागवानी, व्यापार आदि विकसित करना।

(12) स्वयंसेवी संस्थाओं को सहायता एजेन्सीज् द्वारा नकद सहायता प्रदान किये जाने की बजाए सामग्री के क्रय में सहायता प्रदान करनी चाहिए।

(13) क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को लाभार्थी क्षेत्र में सम्पर्क बढ़ाने के लिऐ समय-समय पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाए तथा अतिरिक्त साधन उपलब्ध करवाए जायें।

(14) क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं की शिकायतों एवं कठिनताओं पर उच्च पदस्थ अधिकारियों द्वारा शीघ्रता से ध्यान देकर समस्याओं का सकारात्मक निराकरण प्रस्तुत करना चाहिए।

(15) क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं पर उच्च पदस्थ अधिकारियों का नकारात्मक दबाव नहीं रहना चाहिए यथा - उद्देश्य प्राप्ति के स्तर आदि से संबंधित पत्र प्रस्तुत करने में प्रायः यह दबाव की स्थिति देखने को मिली है।

(16) प्रत्येक स्वयंसेवी संगठन को विषय-विशेषज्ञ समितियों का गठन करना चाहिए। इस हेतु विश्वविद्यालय अथवा राजकीय सेवा में संलग्न लोगों की सहायता ली जा सकती है।

(17) क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को कार्य - उपलब्धि के आधार पर पदोन्नति के पर्याप्त अवसर प्रदान करने चाहिए, जिससे वे अधिक अभिप्रेरित होकर कार्य करें।

(18) कार्यकर्ताओं की सेवा शर्तों को नियमित एवं स्थायी किया जाए। प्रायः इन संस्थाओं द्वारा एक नये कार्यकर्ता को अल्प धनराशि पर भर्ती किया जाता है। उसे कार्य-विशेषज्ञ बनने की स्थिति तक पहुंचाने में संस्था को काफी व्यय भार उठाना पड़ता है, और वह कार्यकर्ता तैयार होने पर अच्छी सेवा शर्तों वाले विभागों / संस्थाओं में पलायन कर जाता है। इन्हें रोकने के लिए पर्याप्त सुविधाएं वेतन व भत्ते प्रदान करने चाहिए।

(19) संस्था-कार्यकर्ताओं को समय से भुगतान किया जाना चाहिए।

(20) राजकीय महंगाई सूचंकाक के अनुसार कार्यकर्त्ताओं को वेतन वृद्धि प्रदान करना चाहिए।

(21) कार्यकर्त्ताओं में दबाव की नीति द्वारा अनुशासन प्रदान करने की बजाए, उन्हें विचार-अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता प्रदान कर स्वानुशासन की भावना जागृत करनी चाहिए।

(22) स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम प्रायः राजकीय नीति का अनुकरण करने वाले होते हैं जबकि कार्यक्रम इसके विपरीत क्षेत्र की जन-आवश्यकताओं के अनुकरण करने वाले होने चाहिए।

(23) कार्यक्रम में जन सहयोग लिया जाए तथा थोपे जाने की वृत्ति की बजाए लोक-भागीदारी द्वारा कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए।

(24) स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्यक्रमों में जनरुचि बनाने के लिए पत्र-पत्रिकाओं, समाचार-पत्रों द्वारा अधिक प्रचार-प्रसार करना चाहिए।

(25) स्वयंसेवी संस्थाओं की महत्ता के प्रति जन-मनोवृति जागृत करने के लिए विद्यालय स्तर के पाठ्यक्रम में भी इससे संबधित पाठ सम्मिलित किये जाने चाहिए।

(26) सहायता एजेन्सीज् द्वारा कार्य-प्रगति के समय के अनुसार मानक निर्धारित करने चाहिए तथा समय-समय पर मानकानुरूप प्रगति का मूल्यांकन करवाया जाना चाहिए।

(27) स्वयंसेवी संगठनों के मध्य सहयोग को बढ़ाने के लिए स्थानीय राज्य, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के संगठन गठित किए जाऐं तथा निर्धारित समयावधि से सभाएं आयोजित करनी चाहिए।

(28) स्वयंसेवी संगठनों के प्रबन्धकों का एक भारतीय स्तर पर तथा तत्पश्चात् राज्य व जिले स्तर पर एसोशियसनस् गठित किए जाएं।

(29) प्रबन्धक एसोशियशन् की नियमित बैठक पूर्णत औपचारिक ढंग से होनी चाहिए।

(30) प्रबन्ध क्षमता विकसित करने के लिए सीमित समयावधि के प्रबन्धक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए।

(31) स्वयंसेवी संगठनों के लिए विद्यालय स्तर पर सम्मिलित की जाने वाली विषय-वस्तु के लिए शोध कार्य (क्रियात्मक-अनुसंधान) करवाया जाना चाहिए।

6.11 भावी शोध संभावनाएं -

(1) स्वयंसेवी संगठनों द्वारा स्थायी आय स्रोत विकसित किए जाने की संभावनाओं का अध्ययन करना।

(2) स्वयंसेवी संगठनों की वर्तमान कार्यप्रणाली एवं प्रशासनिक स्वरुप का विस्तार से अध्ययन करना।

(3) स्वयंसेवी संगठनों की वर्तमान कार्यशैली, उद्देश्य प्राप्ति एवं प्रशासनिक स्वरूप में परिवर्तन की दिशा का अध्ययन करना।

(4) स्वयंसेवी संगठनों में कार्यरत् पूर्णकालिन कार्यकर्त्ताओं की समस्याओं का अध्ययन करना।

(5) स्वयंसेवी संगठनों में कार्यरत् अंशकालिन कार्यकर्त्ताओं की समस्याओं का अध्ययन करना।

(6) स्वयंसेवी संगठनों के अवैतनिक कार्यकर्ताओं की अभिप्रेरणा, कार्यशैली एवं समस्याओं का अध्ययन करना।

(7) स्वयंसेवी संगठनों के उद्दश्यों की पूर्ति में क्षेत्रीय कार्यकर्त्ताओं की भूमिका का अध्ययन करना।

(8) स्वयंसेवी संगठनों के प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका एवं समस्याओं का अध्ययन करना।

(9) राजस्थान में स्थित स्वयंसेवी संगठनों की आर्थिक संसाधनों की पूर्ति की समस्या का अध्ययन करना।

(10) भारतीय परिप्रेक्ष्य में स्वयंसेवी संगठनों के भविष्य का अध्ययन करना।

(11) जनोत्थान के राजकीय-प्रयासों एवं स्वयंसेवी-प्रयासों का तुलनात्मक अध्ययन करना।

(12) विभिन्न देशों के स्वयंसेवी संगठनों का भारतीय परिप्रेक्ष्य में स्थित स्वयंसेवी संगठनों से तुलनात्मक अध्ययन करना।

(13) स्वयंसेवी विद्यालय संगठनों की सफलताओं का अध्ययन करना।

(14) जनजाति बहुलता एवं अल्पता वाले क्षेत्रों में स्वयंसेवी संगठन के कार्यकर्त्ताओं की सफलता का तुलनात्मक अध्ययन करना।

(15) ग्रामीण एवं शहरी परिप्रेक्ष्य में स्वयंसेवी संगठनों द्वारा लागू किये गये कार्यक्रमों के प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन करना।

(16) स्वयंसेवी संगठनों की जनप्रियता बढ़ाने में जनसम्पर्क माध्यमों की भूमिका का अध्ययन करना।

(17) विविध स्वयंसेवी संगठनों में संगठित होकर कार्य करने की संभावनाओं का अध्ययन करना।

(18) स्वयंसेवी संगठनों की कार्य गुणवत्ता बढ़ाने में राजकीय भूमिका का अध्ययन करना।

(19) स्वयंसेवी संगठनों द्वारा राजस्थान राज्य में चलाए जा रहे कार्यक्रमों के प्रभाव का अन्य राज्यों में चलाए जा रहे कार्यक्रम के सन्दर्भ में तुलनात्मक अध्ययन करना।

(20) विद्यालय स्तर के पाठ्यक्रम में स्वयंसेवी संगठनों संबधी पाठ्यक्रम के निर्धारण हेतु अध्ययन करना।

(21) स्वयंसेवी संगठनों के कार्यक्रमों की राजनैतिक आबद्धता का अध्ययन करना।

6.12 उपसंहार -

प्रस्तुत शोध अध्ययन राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित क्षेत्र में सम्पन्न किया गया है। यह अध्ययन बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ तथा उदयपुर जिलों के ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित है। इसमें ग्रामीण लोगों के विकास हेतु स्वयंसेवी संगठनों (गैर-राजकीय संगठन) द्वारा लागू किये गये कार्यक्रमों के प्रभाव का अध्ययन किया गया है। इन संगठनों द्वारा लागू किये गये कार्यक्रमों में शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौतिक तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्पन्न चेतना का अध्ययन किया गया है। स्वयंसेवी संगठनों द्वारा कार्यक्रम लागू किये जाने वाले क्षेत्र के इनमें लाभान्वित जन-सामान्य, स्वयंसेवी, संगठनों के कार्यकर्त्ताओं तथा स्वयंसेवी संगठनों के संस्था प्रधानों में दत्त संग्रहित किये गये है। शोधकर्ता द्वारा निर्मित शोध उपकरणों द्वारा संग्रहित दत्त उचित सांख्यिकी प्रविधियों द्वारा विश्लेपित कर शोध-निष्कर्ष प्रस्तुत किये गये हैं। शोधकार्य से प्राप्त परिणामों के अनुरूप सुझाव प्रेषित कर भावी शोध सम्भावनाएं प्रस्तुत की गयी हैं।

शोध कार्य में प्रयुक्त उपकरण आदि से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए परिशिष्ट संलग्न किये गये हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

Bibliography

Books :

1. Adams, R.N. & Preiss, J.J. (Ed.) (1960) : **Human Organisation Research**. USA : Home wood Illinois, The Dorsey press INC.

2. Adval, S.B. (Ed.) (1968) : **Educational Research in India**. New Delhi : Third year book, NCERT.

3. Alfred de Grazia (Ed.) (1957) : **Gross roots private welfare**. New York : New York University press, Washinghton square.

4. Ambashat, N.K.E. (1970) : **A critical study of tribal with special reference of Ranchi district**. New Delhi : S. Chand & Co.

5. Apple, Scymore (1992) : **Recruiting and Retaining Volunteers from minority communitties : A case study**. Canada : Ed. D. University of Toronto.

6. Arnold, M. Rose (Ed.) (1958) : **The Institutions of Advanced Societies**. Minneapolis : University of Minnesota press.

7. Arnold, M. Rose (1967) : **The power structure (Political press in American Society)**. London : Oxford University Press.

8. Babble, E.R. (1973). **Survey Research methods**. USA : Belmort, CA Woodworth.

9. Bank, Olive (1972) : **Sociology of Education**. New York : Sclaeoken Books.

10. Basu, A.R. (1983) : **Tribal Development Programme and Administration in India**. New York : National Book Organisation.

11. Baveridge, L.W. & Wells, A.F. (Ed.) (1949) : **The evidence for voluntary Action**. London : Allen and Unwin.

12. Baveridge, L.W. (1949) : **Voluntary Action : A Report of methods of social advance**. London, Allen and Unwin.

13. Best, J.W. (1987) : **Research in Education**. New Delhi : Prentice Hall of India.

14. Bluint, E. (Ed.) (1938) : **Social service in India**. London : His Myjesty's Stationary office.

15. Bourdillon, A.F.C. (1945) : **Voluntary social services : Their place in the modern state**. London : Methuen & Co. Ltd.

16. Borge, W.R. (1963) : **Educational Research : An Introduction**. New Delhi : Longman Green Co. Ltd.

17. Chandra, V. (1962) : **The constitutional safe-guards and priveledges accorded to the tribal**. New Delhi : Bhartia Admjati Sevak Sangh.

18. Choudhary, D. Paul. (1971) : **Voluntary Social Welfare in India**. New Delhi, Sterling Publishers.

19. Choudhary, D. Paul. (1971) : **New Partnership in Rural Development**. New Delhi, M.N. Publishers.

20. Cnoan, Ram. A. (1994) : **Religious people, Religious congragations and volunteerism in Human Services : Is there link ?** Philadelphia : School of Social work, 4 pennsylovania

21. Colin, Pritchand, et al. (1978) : **Social welfare : Reform or revolution ?** London, Routledge and Kegun paul.

22. Dasgupta, Sujata (1973) : **Voluntary organisations in Rural Development– A Global model**. New Delhi : Society developing gramdan.

23. Deniss, P.F. & Stephen, Richer (Ed.) (1970) : **Stage of social research : Contemporary perspectives**. New Jersey : Engle Wood cliffs. NJ : Prentice Hall.

24. Derek, C.P. (1971) : **Knowledge from what ?** Chicago : Rand McNally and Company.

25. Ella, W. Reed. (Ed.) (1961) : **Social welfare administrative**. New Delhi : Columbia University Press.

26. Envis Centre (Compiled) (1989) : **Environmental NGO's in India : A Directory**. New Delhi environmental services group. world wide found for nature with the support of the department of environment forests and world life. Govt. of India.

27. Faser, Devek. (1973) : **The Evaluation of the British welfare state (A History of Social Policy, since the Industrial Revolution)**. London : McMillon Press Ltd.

28. Ferrands, Bechmanndan (1994) : **Voluntary Action and Active Citizenship**. France, Saint Denis.

29. Fox, D.J. (1973) : **The Reserach Process in Education**. New York : Holt Rinehert and winston.

30. Franda, Marcus (1979) : **Voluntary Action : Small in Politics**. New Delhi : Wiley Eastern Ltd.

31. Frosser, Allen, Macllen & Flemming (1986) : **Village Education in India**. New Delhi : Mittal Publications.

32. Gandhian Institute of Studies. (1969). **Voluntary Action for Adult literacy**. Jaipur.

33. Garrett, H.E. (1987) : **Statistics in Psychology and Education**, Bombay : Vikils Febhar & Simsons Pvt. Ltd.

34. Gokhle, S.D. (Ed.) (1974) : **Social Welfare Legacy and Legend**. Bombay : Popular prakashan.

35. Govindappa, K. & Murlidhrudi, P. (1993) : **Creating Social Awareness through Adult Education**. Anantpur (A.P.), S.K. University.

36. Gulhati, Ravi & Gulhati, Kawal (1995) : **Strengthening Voluntary Action in India**, New Delhi : Konark Publishers Pvt. Ltd.

37. Govt. of India (1955) : **Social Welfare in India.** New Delhi : The Publication Division, Ministry of Information and Broadcasting.

38. Govt. of India (1955) : **Jawahar Lal Nehru's Speeches.** New Delhi : The Publication Division, Ministry of Information and Broadcasting.

39. Govt. of India (1991) : **Constitution of India.** New Delhi : Publication Division, Ministry of Information and Broadcasting.

40. Henry, A. Mess (1947) : **Voluntary Social Service.** London : Broadway House.

41. Herbert, Hyman (1960) : **Survey Design and Analysis : Principles, Cases and Procedures.** Illinois : The free press publisher, Glencoe.

42. Hunter, Alburt (1994) : **National federations : The role of voluntary organisations in linking macro and micro orders in civil society.** Evaston : North-western University.

43. James, M. Black (1970) : **How to get results from interview ?** New York : Mc Graw Hill Book Company.

44. Jacob, A.D. (1967) : **Introduction to research in education.** New York : Halt Rine hart and winston, Inc.

45. Jimmy, Angle (1975) : **Social values, objectives and action – Social service management series.** London : Kogan Page Ltd.

46. Kish, L. (1965) : **Survey sampling.** New York : John-wiley & Sons.

47. Kohli, Madhu (1984) : **Voluntary Action in India some profiles.** New Delhi, National Institute of Public co-operation and child development.

48. Kokran, W.G. (1963) : **Sampling technieques**. New Delhi : Columbia-University press.

49. Kulkarni, V.M. (1969) : **Voluntary Action in a developing society**. New-Delhi : Indian Institute of public administration.

50. Lal, Premchand (1932) : **Reconstruction and education in India**. London, Museum street, George Allen and Unwin Ltd.

51. Lalitha, N.L. & Kohi, Madhu (1982) : **Status of voluntary effects in social welfare**. New Delhi, NIPCCD.

52. Lalitha, N.L. & Kohi, Madhu (1984) : **Financial Assistance to voluntary organisations for social development**. New Delhi, NIPCCD.

53. Leonard, S.A.Z., Strouss (1973) : **Field Research strategies for a Natural Sociology**. New Jersey : Englewood cliffs, Prentice Hall, Inc.

54. Linderman, et al. (1994) : **Participation in organised voluntary work The Relative efforts of Restrictions and personality characteristics**. Neatherlands : Deptt. of Sociology, University utrecht.

55. Margarret, B. Hodges (Ed.) (1949) : **Social work year Book (A description of organised activities in social work and in related fields)**. New York : Russel Sage foundation.

56. Maltida, White Riley (1963) : **Sociological Research : A case approach**. New York : Harcourt, Brace & World Inc.

57. Mckee, J. William (1930) : **Developing a project curriculum for village school in India**. Calcutta : The university of North Coroling press.

58. Mehta, P.C. (1993) : **Bharat ke Adivasi**. Udaipur : Shiva Publishers.

59. Mehta, P.C. (1994) : **Voluntary Organisations and Tribal Development**. Udaipur, Shiva Publishers.

60. Morris, Mary (1955) : **Voluntary Organisations and Social Progress.** London : Victor Gollancz.

61. Narayan, E.V. (1991) : **Managing Voluntary Organisations with limited finances and unskilled personal.** Andhra Pradesh : Nagarjuna University. Deptt. of Political Science & Public Administration.

62. Narain, V.A. (1972) : **Social History of Modern India.** New Delhi : Meenakshi Prakashan.

63. Natrazen, Lalita (1983) : **How make a questionaire.** New Delhi : Arya-Book Co.

64. Nun Mallu, J.C. (1975) : **Introduction to statistics for Psychology and Education.** New York : Mc Graw Hill.

65. O'Connor, Robbert Emnett (1994) : **Cause Driven leadership : A model for the effective management of volunteers.** Jr. Ed. D. Spalding University.

66. Patel, V.P. (1988) : **Voluntary Scence in Vadodara.** Baroda : Unite ways of Vadodara.

67. Peter, Archer (Ed.) (1951) : **Social Welfare and the Citizens.** Penguin Books.

68. Philip, J.M. Cortny & Federick, F. Stephen (1958) : **Sampling Opinions : An Analysis of survey procedures.** London : John Willey & Sons. Inc.

69. Rama Krishanan. K. (1981) : **National Adult Educational Programme : An Appraisal of the Role of Voluntary Agencies in Tamil Nadu.** Madras : Madras Institute of Development Studies.

70. Rao, S.V. (1985) : **Education and Rural Development.** New Delhi, Sage-Publication.

71. Rao, T.V. et al. (1980) : **Adult Education for social change.** New Delhi : Manohar publications.

72. Rathanayya, E.V. (1974) : **Structural constraints in Tribal Education : A Regional Study**. Udaipur : Ph.D. Sociology, Udaipur University.

73. Raymond, E. Miles (1975) : **Theories of managment, implications for organisational behaviour and development**. New York : McGraw Hill Inc.

74. Sachchidananda and Gulhati, P.K. (1983) : **Adult Education through Nehru Yuvak Kendra : An Appraisal.** Patna, ANS Institute of Social studies.

75. Sachdeva, D.R. (1992) : **Social Welfare Administration**. New Delhi : Kitab-Mahal.

76. Salvin, E.V. (1984) : **Research methods in education**. New Jersey (USA), Englewood clifts, Prentice Hall.

77. Sawal, B.R. & Sethi, A.D. (1981) : **All India Directory of Voluntary Agencies in Rural Development**. New Delhi : National Institute of public co-operation and child development.

78. Scott, Jacquelyn, Thayer (1992) : **Voluntary Sectors in Crisis : Canada's changing public philosophy of the state and its impact on voluntary charitable organisations**. Denver, Ph.D. University of Colorodo.

79. Scot, W.R. (1965) : **Field Methods in the study of Organisations**. Chicago : Rand Mc Nally.

80. Seetharamu, A.S. (1980) : **Education and Rural Development**. New Delhi, Ashish Publishing House.

81. Sen, Siddartha (1992) : **Non-profit organisations in India : Historical Development and common pattern**. Romal, California state polytechnic university.

82. Seth, D.L. and Sethi, Harsh (1991) : **The NGO sector in India : Historical context and current discourse**. New Delhi : Centre study developing societies.

83. Shah, A.T. (1979) : **A critical study of the programmes of Non-formal education in Barodacity and their impact on the community**. Baroda, Ph.D., Maharaja Siyaji Rao Gayakwar University.

84. Sharma, B.D. (1984) : **Planning for Tribal Development**. New Delhi, Prachi Prakashan.

85. Sharma, et al. (1972) : **Adult education programme in Gujarat : An appraisal**. New Delhi, Allied Publishers.

86. Singh, R.R. (1981) : **Adjustment problems of SC and ST students in Residential schools of Rajasthan**. New Delhi, NCERT.

87. Sree, Kumar (1990) : **Adult literacy in tribal area thro voluntary efforts**. Port Blair, Govt. College.

88. Srivastava, L.R.N. (1969) : **The problem of Integration of the Tribal people**. Bombay, Tata Institute of Social Sciences.

89. Srivastava, L.R.N. (1970) : **Developmental Needs of the Tribal People**. New Delhi, Tribal education unit.

90. Stuart, Rees (1978) : **Social works face to face**. London, 41 Bedford square, Edward Arnold (Pub.) Ltd.

91. Sundram, I.S. (1986) : **Voluntary Agencies and Rural Development**. New-Delhi, B.R. Publishing Corporation.

92. Vidyarathi, L.P. and Rai, B.K. (1965) : **The Tribal Culture in India**. New Delhi, Concept Publishing Co.

93. Wadia, A.R. (1968) : **History and Philosophy of Social Work in India**. Bombay, Allies Publishers Pvt. Ltd.

94. Walter, A. Fried Lander (1962) : **Individualism and Social welfare (An Analysis of the system of social security and social welfare in france).** New York, A division of the Growell Collier Publishing Co. the free press of Glen Coe Inc.

95. Walter, A. Fried Lander (1975) : **International Social Welfare.** New Jersey, Engle wood cliffs, Prentice Hall Inc.

96. Walter, V.D.B. & Bruce, V.M. (1959) : **How to Interview ?** New York, Harper & Brothers.

97. Wilson, F.B. (1974) : **Education for Rural Development.** London, Evan Bros. Ltd.

Journals & News-papers :

1. Chanyulu, U.V.N. (1980, May) : "Voluntary organisations and Rural Development". **KURUKSHETRA**, Vol. XXVIII, No. 5.

2. Chopra, Pran (1981, September 20). "Lanwe Afford our Poverty ?" In **Economic Times**.

3. Dave, P.C.C. (1966, October, 4) : "Voluntary Organisations and Welfare of Back-ward Classes". **VANYAJATI**, Vol. 14.

4. Deepti, Priya (1996, 13th Mar.) : "NGO's : Re-formulating identities, Re-building connections. **The Hindustan Times**. New Delhi.

5. Fernandes, Walter (1981, October–December) : "Nature of peoples participation Role of Voluntary organisations". **SOCIAL – ACTION**. Vol. 31, No. 4.

6. Heggadi, Odeyer, D. (1982, April 1-15) : "Role of voluntary organisations-in Tribal Development". **KURUKSHETRA**. Vol. XXX, No.3.

7. Hiremath, B.N. (1995) : Problems of Small Farmers. IRMA Network, Vol. 2 No. 2 & 3, July - December.

8. Jain, Devaki (1975, January 7–8) : "Role of Voluntary Agencies". **Times of India.**

9. Krishnamurthy, V. (1982, June 16) : "Voluntary Agencies and Rural Development". **KURUKSHETRA**. Vol. XXX, No. 18.

10. Mehta, P.C. (1989, January – 1991, December) : "Demographic of Tribals". **TRIBE** Vol. XXI XXIII, TRI, Udaipur.

11. Naik, J.P. (1979) : "A quick Appraisal of National Adult education programme in Gujarat." **Indian Journal of Adult Education** . Vol. 40, No. 2.

12. Ragariah, V. (1978, January) : "Role of Non-Official Organisations". **VANYAJATI**, Vol. 20(1).

13. Reddy & Kumar, Swamy (1985, June) : "Non - formal education in India". **UNIVERSITY NEWS**.

14. Rumunny, Murlcol. (1992, January) : "Attrocities on SC, ST and OBC and the Role of Voluntary Organisations". **VANYAJATI**. Vol. 40, No. 1.

15. Sharma, H.L. (1993, February) : "Lok Sahyog : Khersiya Lok Vidyalaya". **ANOPCHARIKA**. Anopcharik Shiksha Office, Jaipur.

16. Thomas, P. & Ballabh, V. (1995) : "Harneshing peoples power : Sahyog's experience in Rajasthan". **Wasteland News**. IRMA, Anand, Gujarat.

17. Verghese, B.G. (1979, January to October) : "Voluntary Action : A New Mission for the New Missioneries". **VOLUNTARY ACTION**. Vol. XXI.

18. Wakhare, M.M. (1988, October) : "Role of Voluntary Organisations particularly for development of tribal community". **VANYAJATI**. Vol. 34 No. 4.

Papers and Speeches :

1. Chaturvedi, H.R. (1982, February) : "Working with the Tribal, The VIAS Experiment". Paper presented at a National Seminar on Social Action with the poor organised by National Institute of Public Co-operation and child development, New Delhi.

2. Deshmukh, Dr. (Mrs.) Durga Bai (1964) : "Social Welfare and Economic Development". Lecture delivered at the Asian Institute for Economic DEvelopment and Planning, Bangkok.

3. NGO's : Re-formulating identities, Re-building connections (A report of NGO's Conferences, 11th Mar. at Delhi, 1996). **The Hindustan Times.**

4. Parikh, H.V. (1981, August 25-27) : "Experiences in voluntary Action on Rural Poverty". Paper presented at a seminar on role of voluntary agencies in rural development organised by National Institute of public co-operation and child development at New Delhi.

5. Prem, Bai (1981, August 25-27) : "Experiences in Voluntary Action : Agrindus Experiment". paper presented in rural development, organised by National Institute of public co-operation and child development at New Delhi.

6. Sen, A. (1967) : "Training in voluntary Action". Proceedings of workshop organised by AVARD Impex India, New Delhi.

Reports & Other References :

1. An Overview (1995) : Udaipur, Seva Mandir.

2. Annual Report – 1988-89 (1990) : Udaipur : Ubeshwar Vikas Mandal.

3. Annual Report – 1993-94 (1995) : Kapasan, Navachar Sansthan Chittorgarh.

4. Annual Report (1995) : Udaipur Iswal, Bhawna Sansthan.

5. Building on __________ (1995) : Banswara, Garhi – ASSEFA.

6. Directory of Voluntary Organisations (1987) : Bombay, Nariman point, 227, Vinay K. Shah Marg, Nariman Bhawan.

7. Dissertation Abstracts International (The Hummanities and social sciences), (1967 July to 1995 July); USA, Ann Arber Michigan 300, North Zeeb Road, Umi Dissertation Services (All vols.).

8. Edward, Blishen, (Ed.) (1969) : Blond's Encyclopaedia of Education. London, 56, Daughty street, Blond Educational Ltd.

9. Encyclopaedia of Social Work in India. (1968) : Planning commission, Govt. of India, New Delhi. Vol. Ist & IIIrd.

10. Govt. of India (1966) : Report of Education commission 1964-66. New Delhi, H.R.D.

11. Govt. of India (1971) : Encyclopaedia of Social Work in India. New Delhi, Planning Commission.

12. Govt. of India (1981) : Hand book of Social Welfare statistics, New Delhi, Ministry of Social Welfare.

13. Govt. of India (1986) : "National Policy on Education", New Delhi, Ministry of Human Resources Development.

14. Hari Bhari Dharti (1992) : Chittorgarh, Pratapgarh, Devgarh (Devlia), Prayash Sansthan

15. In RETROSPECT – 1993-94 (1994). Banswara Garhi, ASSEFA.

16. List of Para workers on 1.4.1995 (1995). Udaipur, Seva Mandir, Computer section.

17. List of villages of Blocks covered under various Activities of Seva Mandir till March, 1994. : Seva Mandir. Computer Section.

18. News Letters (1994 Oct. to 1995 March) : Udaipur Seva Mandir (All Vol.)

19. Panchayati Raj : Jan Chetna Our Mahilla Shakti (1995) : Mahilla & Bal Vikas Vibhag, Rajasthan.

20. Sathin Ro kagad (1994, Nov. to 1995, July) : District IDARA (Mahilla Vikas Karyakaram) Vagad Jan. Jagriti Sansthan, Dungarpur (All Vol.).

21. Sharma, H.L. (1993) : "Short Progress Report (1988-92)". Udaipur, Koon, Sahyog Sansthan.

22. Summary Report (1991, March) : Dungarpur, Mada, PEDO.

23. Summary Report – 1994-95 (1995) : Dungarpur, Vagad Jan Jagriti Sansthan.

24. The problem of Administration of Social Welfare Agencies (A Report of the Seminar on 13th Oct. 1962) (1964) : Indian conference of social work, New Delhi.

25. The role of voluntary organisations in the second five year plan (1970) : National Council of Y.W.C.A. & Y.M.C.A., New Delhi.

26. Towards Gram Swaraj – A Report by ASSEFA Garhi (A ASSEFA Silver Jubilee Publication, 1994). Banswara, Garhi, ASSEFA.

परिशिष्ट

परिशिष्ट संख्या - 8.1

मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर
(शिक्षा संकाय)

शैक्षिक कार्यक्रम प्रभाव - मापनी

महोदय,

आपके यहां विभिन्न संस्थाओं द्वारा जन-चेतना जागृत करने के लिए बहुत से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आपको भी ऐसे कुछ कार्यक्रम देखने या उनके बारे में सुनने का अवसर मिला होगा। हम जानना चाहते हैं कि ऐसे कार्यक्रमों का आपके दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है? इस हेतु एक प्रश्नावली बनाई गई है। जन चेतना के स्तर की जांच हेतु इस प्रश्नावली में संस्थितियों के माध्यम से प्रश्न पूछे गए हैं। ये संस्थितियां किसी भी स्थिति में किये जाने वाले दैनिक व्यवहारों एवं प्रतिक्रियाओं से संबंधित हैं। आपको पांच विकल्प (1, 2, 3, 4 व 5) में से एक उत्तर को सही (✔) के निशान से इंगित करना है, जो आपको अपनी दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ लगता है जैसे -

आपके खेत में फसल की कटाई का कार्य चल रहा है। आपका बच्चा विद्यालय जाने के लिए कहता है, जबकि आप उसे खेत पर काम करने को भेजना चाह रहे है; ऐसे में -

1. आप बच्चे को विद्यालय में उपस्थित नहीं होने से संबंधित सूचना विद्यालय में भेजकर उसे घर पर ही रोक लेते हैं।
2. विद्यालय में बच्चे की अनुपस्थिति संबंधी सूचना भेजे बिना ही उसे घर पर रोक लेते हैं।
3. आप बच्चे को घर पर रोक लेते हैं, क्योंकि खेत का काम ज्यादा महत्त्वपूर्ण है।

4. आप बच्चे को विद्यालय भेज देते हैं, किन्तु जल्दी लौट आने के लिए उसे कह देते हैं।

5. आप बच्चे को विद्यालय भेज देते हैं।

उक्त स्थिति में बच्चे का खेत में काम करने से अधिक महत्त्वपूर्ण उसका विद्यालय जाना मान रहे, अतः विकल्प (5) को सही (✔) से इंगित करते हैं।

यद्यपि इस प्रश्नावली के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, किन्तु जहां तक संभव हो, शीघ्रता से उत्तर दें। आपसे प्राप्त सूचनाओं को गोपनीय रखा जाएगा। शोध की सफलता आपसे प्राप्त निष्पक्ष उत्तरों पर ही निर्भर करती है।

भवदीय

(डी.पी. सिंह)
शोधकर्त्ता

शिक्षा के प्रति चेतना :

(1) मान लीजिए कि आपके गांव में विद्यालय भवन का उद्घाटन हो रहा है, आपको भी उस समारोह में आमंत्रित किया गया है; परन्तु -

1- आप समारोह में भाग नहीं लेना चाहते तथा दूसरों को भी जाने से मना करते हैं।

2- आप वहां नहीं जाते, क्योंकि आपकाँ कोई बच्चा अध्ययन नहीं कर रहा है, जिन्हें जाना है वे जाएं।

3- वहां सभी को जाना चाहिए और आप भी उपस्थित होते हैं क्योंकि आपके विचार में विद्यालय सार्वजनिक हित का भवन है।

4- आप व्यस्त होने का बहाना बनाकर उपस्थित नहीं होते हैं।

5- आप अपने परिवार के दूसरे सदस्य को उपस्थित होने के लिए कह देते हैं।

(2) आपका बालक गणित तथा अंग्रेजी विषय में कमजोर है। अतः वह इन विषयों में अतिरिक्त अध्ययन (ट्यूशन) करना चाहता है, इस हेतु वह आपसे स्वीकृति हेतु पूछता है; परन्तु -

1- आप उसे तत्काल ही स्वीकृति प्रदान कर देते हैं तथा दूसरों को भी इस बारे में बताते हैं।

2- आप उसके आग्रह को देखकर स्वीकृति दे देते हैं।

3- आप ट्यूशन के लिए मना कर देते हैं।

4- आप दूसरे लोगों को ट्यूशन की बुराईयों के बारे में बताते हैं तथा सभी से अतिरिक्त अध्ययन के लिए मना करते हैं।

5- आप इन विषयों के अध्यापक से लड़ने के लिए विद्यालय पहुंच जाते हैं; कि उसका बच्चा इन विषयों में कमजोर क्यों रहा ?

(3) विद्यालय से शिकायत आती है कि आपका पुत्र विद्यालय में समय से उपस्थित नहीं होता है, इस संबंध में -

1- आप तत्काल ही अपने पुत्र से इसका कारण जानने का प्रयास करते है।

2- आप अपने पुत्र को विद्यालय में समय से उपस्थित होने के लिए कहते हैं तथा शिकायतकर्त्ता को इस जानकारी के लिए धन्यवाद देते हैं।

3- आप इस बात पर ध्यान ही नहीं देते।

4- आप शिकायतकर्त्ता अध्यापक को उलटे कोसने चले जाते है कि उन्होंने छात्र पर नियंत्रण क्यों नहीं रखा?

5- आप इसे बेकार बताकर पुत्र को घर के कार्यों में लगाए रखना अधिक महत्वूपर्ण बताते हैं।

(4) अध्यापक आपसे अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए कहते हैं; इस संबंध में -

1- आप अपने परिवार में अध्ययन के योग्य सभी बालकों को अध्ययन के लिए भेज देते हैं तथा दूसरों को भी ऐसा ही करने के लिए कहते हैं।

2- आप अपनी घरेलू व्यस्तता होना बताकर बच्चों को विद्यालय भेजने से मना कर देते हैं।

3- आप शिक्षार्जन की बजाएं घर पर ही कार्य करते रहना उत्तम बताते हैं तथा दूसरों को भी विद्यालय में बच्चों को भेजने के लिए मना करते हैं।

4- आप अध्यापक की बात पर ध्यान ही नहीं देते हैं।

5- आप अपने बच्चों को अध्ययन के लिए भेज देते हैं।

(5) आपके गांव के विद्यालय के छात्रों का दल शिविर के लिए गांव से बाहर जा रहा है। विद्यालय प्रधान आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए आपको सहयोग के लिए कह रहे हैं। इस संबंध में -

1- आप सहयोग करने से मना कर देते हैं क्योंकि विद्यालय कार्यक्रमों की जिम्मेदारी विद्यालय प्रधान ही होती है।

2- आप सहयोग करते हैं क्योंकि आप प्रधानाध्यापकजी का कहना नहीं टालना चाहते हैं।

3- आप सहयोग करने के लिए तत्काल तैयार हो जाते हैं एवं दूसरों को भी सहयोग के लिए कहते हैं।

4- आप स्वयं का व्यस्त होना बताकर परिवार के दूसरे लोगों को सहयोग के लिए भेज देते हैं।

5- आप सहयोग करने के लिए तत्काल तैयार हो जाते हैं।

(6) आपके गांव में सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के क्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, आपको उसमें उपस्थित होने के लिए कहा जा रहा है ऐसे में -

1- आप उनकी बात पर ध्यान नहीं देते हैं।

2- आप इस तरह के कार्यक्रमों को निरर्थक बताकर अन्य लोगों को भी वहां जाने से रोकते हैं।

3- आप स्वयं का व्यस्त होना बताकर परिवार के दूसरे लोगों को सहयोग के लिए भेज देते हैं।

4- आप स्वयं उपस्थित होने के लिए चल देते हैं।

5- आप सभी से ऐसे कार्यक्रमों में चलने के लिए कहते हैं तथा तत्काल उपस्थिति दे देते हैं।

(7) आपने अपने लड़के को विद्यालय भेजना आरम्भ कर दिया है। यह देखकर आपकी लड़की भी विद्यालय जाने के लिए कहती है -

1- आप उसको दो-तीन कक्षा तक पढ़ाने के लिए कहकर विद्यालय भेज देते हैं।

2- आप उसकी बात पर ध्यान ही नहीं देते हैं।

3- लड़की को पराया-धन होना बताकर डांट देते हैं तथा उसे विद्यालय नहीं भेजते हैं।

4- आप अपने पास धन नहीं होना बताकर उसे विद्यालय जाने से रोकते हैं।

5- आप उसे पढ़ने के लिए सहर्ष विद्यालय भेज देते हैं क्योंकि आपके विचार में भेदभाव उचित नहीं है।

(8) आपके गांव में सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के दौरान अध्यापकों की टोली गांव में आयी हुई है। आपके परिवार के निरक्षर सदस्यों को साक्षर होने के लिए कहते हैं, तब -

1- आप उनकी बात को निरर्थक बताकर अपने परिवार के निरक्षर सदस्यों को साक्षर होने से मना कर देते हैं।

2- आप गांव के दूसरे लोगों को भी उनके कहने में नहीं आने के लिए कहते हैं तथा स्वयं भी भाग नहीं लेते हो।

3- आप परिवार में कुछ सदस्यों को साक्षर होने को ही पर्याप्त मानकर उनकी बात को अनसुना कर देगें।

4- आप परिवार के सभी निरक्षर सदस्यों में से कुछ सदस्यों को भेज देते हैं।

5- आप परिवार के सभी निरक्षर सदस्यों को साक्षर होने के लिए भेजते हैं तथा दूसरों को भी ऐसा करने के लिए कहते हैं।

(9) आपके बालक द्वारा विद्यालय में सर्वाधिक अंक अर्जित करने के कारण उसे सम्मानित किया जाना है। इस दिन आपको भी विद्यालय में बुलाया गया है। ऐसे में -

1- आप विद्यालय के आमंत्रण को टालना नहीं चाहते, अतः उपस्थित हो जाते हैं।

2- आप इसे अपने लिए गौरवपूर्ण मानकर बच्चे का मनोबल बढ़ाने के लिए उपस्थित हो जाते हैं।

3- आप स्वयं की व्यस्तता बताकर परिवार के किसी दूसरे व्यक्ति को भेज देते हैं।

4- आप इस तरह के कार्यक्रमों को व्यर्थ बताते हैं तथा जाने से मना कर देते हैं।

5- आप उनकी बात पर ध्यान नहीं देते हैं।

(10) आपने अपने गांव में सर्वप्रथम अपनी लड़की को अध्ययन करने के लिए भेजा है, आपके समाज वाले इसे ठीक नहीं बता रहे हैं; तब -

1- आप इसे ठीक नहीं बताने वालो को पिछड़ा हुआ बताकर उनकी भर्त्सना करते हैं।

2- आप अपनी लड़की का विद्यालय में जाना रोक देते हैं।

3- आप कुछ समय के लिए अपनी लड़की को विद्यालय से हटा लेते हैं तथा स्थिति सामान्य होने पर इसे पुनः विद्यालय भेज देते है।

4- गांव वालों की परवाह किए बिना अपनी लड़की को स्कूल भेजते हैं।

5- लड़की का अध्ययन करना अधिक महत्त्वपूर्ण होना गांव वालों को बताते हैं तथा उन्हें भी अपनी लड़कियों को विद्यालय भेजने के लिए कहते हैं।

(11) आप अपने बच्चों को विद्यालय से आते ही घर के कार्य में लगा देते हैं। वे विद्यालय कार्य पूरा करने के लिए आपसे समय देने के लिए कहते हैं। तब आप -

1- विद्यालय कार्य पूरा करना अधिक महत्त्वपूर्ण जानकर उन्हें पहले पूरा करने के लिए कहते हैं।

2- घर का कार्य पहले है। इसे पूरा करने के लिए कहते हैं तथा विद्यालय का कार्य विद्यालय में ही करने को कह देते हैं।

3- एक दिन तो इस हेतु समय प्रदान कर देते हैं तथा आगे से विद्यालय का कार्य विद्यालय में ही पूरा करने के लिए कह देते हैं।

4- उनकी बात पर ध्यान नहीं देते हैं।

5- विद्यालय कार्य जल्दी से पूरा करके घर का कार्य पूरा करवाने के लिए कह देते हैं।

(12) आपके गांव के विद्यालय में आयोजित होने वाली अभिभावक-सभा में आपको भी बुलाया है -

1- आप विद्यालय के निमंत्रण को टालना नहीं चाहते, अतः आप उपस्थित हो जाते हैं।

2- आप असमर्थता बताकर परिवार के किसी दूसरे सदस्य को भेजते हैं।

3- अभिभावक सभा में उपस्थित होना महत्त्वपूर्ण होना बताकर दूसरों को भी उपस्थित होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

4- इस तरह की सभाएं निरर्थक होना बताकर उपस्थित नहीं होते हैं।

5- आप बाद में कोई बहाना बनाकर प्रधानाध्यापक जी से क्षमा मांग लेगे यह पहले से ही सोचकर उपस्थित नहीं होते हैं।

(13) आपके बालक को विद्यालय से पुरस्कार स्वरूप 500/- रूपये मिले हैं। वह यह धनराशि आपको दे देता है। इस संबंध में आप -

1- उस धन राशि के साथ उतने ही रूपये और जोड़कर छात्र की आवश्यक शिक्षण तथा तत्संबंधी सामग्री खरीदने में व्यय करते हैं।

2- उसी धनराशि से बालक के लिए शिक्षण संबंधी सामग्री खरीद देते हैं।

3- बालक की रूचि के अनुरूप वस्तुंए खरीदने में धनराशि व्यय करते हैं।

4- परिवार के सभी अध्ययनरत् बालकों के लिए आवश्यक शिक्षण सामग्री खरीद लेते हैं।

5- अपनी मर्जी से घरेलू सामग्री खरीदने के उपयोग में लेते हैं।

(14) आपके पड़ौस में एक व्यक्ति अपनी 13 वर्षीया बालिका को विद्यालय से हटाकर उसकी शादी करना चाहता है। इसके संबंध में वह आपसे सलाह मांगता है। इस संबंध में -

1- आप तटस्थ रहते हैं। किसी और से पूछ लेने के लिए कह देते हैं।

2- आप उसे कुछ समय बाद शादी करने की सलाह देते हैं तथा विद्यालय में भेजते रहने के लिए कहते हैं।

3- आप उसे लड़की की इच्छानुसार अध्ययन करने देने तथा अभी शादी न करने देने की सलाह देते हैं।

4- कुछ समय पश्चात् विद्यालय से हटा कर शादी कर देने के लिए कहते हैं।

5- लड़की की शादी जितनी जल्दी हो सके कर लेना ठीक है, न जाने कल क्या हो ? यह कहकर सहमति प्रकट कर देते हैं।

(15) आपका बालक त्रुटिवश विद्यालय वेशभूषा में उपस्थित नहीं होता है। उसे इसके कारण वापस घर भेज दिया जाता है, ऐसे में -

1- आप बालक की ओर कोई ध्यान नहीं देते हैं।

2- आप बालक को उस दिन घर पर ही कार्य करने के लिए कह देते हैं तथा आगे से उचित वेशभूषा में जाने के लिए कह देते हैं।

3- आप स्वयं का व्यस्त होना बताकर परिवार के दूसरे सदस्य को बालक के साथ भेजकर विद्यालय में स्वीकृति तथा आश्वासन हेतु भेज देते हैं।

4- आपके बच्चे को विद्यालय से निकाल दिया, इसे अपना अपमान मानकर प्रधान से तत्काल झगड़ा करने पहुंच जाते हैं।

5- आप बालक के साथ तत्काल विद्यालय में जाते है तथा प्रधान से उस दिन कक्षा में उपस्थित होने देने का निवेदन करते है तथा आगे से ऐसा न होने देने का आश्वासन देते है।

सामाजिक चेतना -

(1) आपके गांव में शिविर लगा हुआ है, शिविरार्थी आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु आपको सहयोग देने के लिए कहते हैं तब आप -

1- सहायता के लिए तैयार हो जाते हैं।

2- तत्काल सहायता के लिए तैयार हो जाते हैं, तथा दूसरों को भी सहयोग करने के लिए कह देते हैं।

3- न तो सहयोग करना चाहते हैं और दूसरों को भी सहयोग न करने के लिए कह देते हैं।

4- कोई भी प्रत्युत्तर दिए बिना वहां से हट जाते हैं।

5- कोई बहाना बनाकर सहयोग करने के लिए मना कर देते हैं।

(2) आपके गांव के आम रास्तों पर विद्युत रोशनी का अभाव है। इस व्यवस्था हेतु कुछ लोग थोड़ा-थोड़ा धन एकत्रित कर रहे हैं। आपसे भी सहयोग देने के लिए कहा जाता है; ऐसे में -

1- आप धनराशि प्रदान कर देते हैं तथा दूसरों को भी सहयोग देने के लिए कहते हैं।

2- आप तत्काल सहयोग राशि प्रदान कर देते हैं।

3- यह जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की होनी बताकर दूसरों को भी धन नहीं देने के लिए कहेंगे।

4- यह जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की होना मानकर आप सहयोग नहीं देंगे।

5- आप तटस्थ रहते हैं, क्योंकि विद्युत रोशनी की व्यवस्था होने में आपकी रूचि नहीं है, जिसे धन देना है वह दें।

(3) आपके पड़ोस में शादी होने की वजह से आपके परिवार के सभी सदस्य वहां गए हुए हैं, घर का दैनिक कार्य भोजन बनाना आदि अधूरा पड़ा है, आप जो करते हैं -

1- आप इस ओर ध्यान नहीं देते हैं।

2- आप इसे परिवार की महिला सदस्याओं की गैर-जिम्मेदारी मानकर उनसे झगड़ा करने लगते हैं।

3- आप परिवार की महिला सदस्यताओं के आने पर उन्हें इस कार्य में सहयोग करते हैं।

4- आप स्वयं की जिम्मेदारी मानकर परिवार के सदस्यों के आने से पहले ही कार्य पूर्ण कर डालते हैं।

5- आप परिवार के सदस्यों के आने पर उन्हें जल्दी-जल्दी कार्य करने के लिए कहते हैं।

(4) आपके गांव में इस बार सूखा पड़ गया है। पशुओं के चारे तथा अनाज की विकट समस्या बनी हुई है। ऐसे में -

1- आप समस्या के समाधान के लिए सरकार से सहायता मांगते हैं।

2- आप इस समस्या की ओर ध्यान ही नहीं देते हैं चूंकि आपको व्यवस्था संबंधी जानकारी नहीं हैं।

3- आप अपने परिवार की व्यवस्था के लिए ही चिन्तित होगें।

4- आप गांव के कुछ दूसरे लोगों के साथ मिलकर समस्या के समाधान हेतु प्रयास करेंगे।

5- आप गांव वालों को गांव छोड़ देने की सलाह देगें।

(5) आपके पड़ौसी के यहां कुछ मेहमान आए हुए है, वह ठहरने, भोजन करने आदि की आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए आपसे सहयोग करने के लिए कहता है तब -

1- आप स्वयं का व्यस्त होना बताकर परिवार के एक अन्य सदस्य को इस हेतु कह देते हैं।

2- आप स्वयं सहयोग के लिए तैयार हो जाते हैं।

3- आप सहयोग के लिए तत्काल तैयार हो जाते हैं तथा परिवार के दूसरे सदस्यों को भी सहयोग के लिए कहते हैं।

4- मेहमानों की व्यवस्था करना उसकी स्वयं की जिम्मेदारी बताकर उसे झिड़क देते हैं।

5- आप कोई प्रत्युत्तर नहीं देते हैं।

(6) आपके गांव में किसी के घर में चोरी हो जाती है। उस घर के मुखिया द्वारा आपसे चोर की तलाश में सहयोग करने के लिए कहा जाता है। तब -

1- परिवार के अन्य सदस्य को भेज देते हैं।

2- आप सहयोग के लिए तैयार हो जाते हैं तथा दूसरों को भी सहयोग के लिए कहते हैं।

3- पड़ौसी के निवेदन के कारण आप सहयोग करने के लिए तैयार हो जाते हैं।

4- आप यह बताकर सहयोग नहीं करते हैं कि जिसके घर में चोरी हुई है, चोर को ढूंढने की जिम्मेदारी भी उसी की हैं।

5- आप स्वयं की व्यस्तता बताकर असमर्थता प्रकट कर देते हैं।

(7) आपके गांव में किसी के घर में आग लग गयी है उसे बुझाने के लिए उस ओर कुछ लोग दौड़कर जा रहे हैं, इस संबंध में -

1- आग के पास जाने से आपको अपनी हानि हो जाने की डर है और आप दूसरों को भी इस डर से अवगत करवा रहे हैं।

2- आप आग को दूर से देखते रहते हैं तथा इसे बुझाने का कोई प्रयास नहीं करते।

3- जो लोग आग को बुझाने के लिए जा रहे हैं आप भी उनका अनुकरण करते हैं।

4- जिसके घर में आग लगी है उसकी असावधानी का परिणाम होना बताकर दूसरों को भी सहयोग देने से मना कर देते हैं।

5- ऐसी दुर्घटना के समय सहयोग करना आप अपना दायित्व मानकर उसे बुझाने के लिए आप दौड़कर जाऐगें तथा दूसरों से भी ऐसा करने के लिए कहेगें।

(8) आपके पड़ौस में एक व्यक्ति बहुत अधिक बीमार है, लोग सहानुभूति स्वरूप मिलने जा रहे हैं, ऐसे में -

1- बीमारी की स्थिति में मिलने से बीमार व्यक्ति को अच्छा लगता है। अतः मिलने के लिए जाना जरूरी है। आप स्वयं मिलने जाते हैं तथा दूसरों को भी ऐसा करने के लिए कह रहे हैं।

2- आपके विचार में बीमार व्यक्ति मिलने से नहीं दवाईयों से ठीक होता है, अतः आप नहीं जा रहे हैं।

3- आप बीमार व्यक्ति से मिलने पर स्वयं के बीमार हो जाने का डर बताकर दूसरों को भी जाने से मना करते हैं।

4- आप तटस्थ रहते हैं।

5- अन्य लोग मिलने जा रहे हैं और आपके बीमार व्यक्ति से न मिलने पर लोग क्या कहेगें ? यह विचार करके आप भी मिलने जा रहे हैं।

(9) आपके गांव में दो व्यक्ति किसी बात को लेकर झगड़ा कर रहे हैं। उनमें से एक व्यक्ति आपका परिचित है, तब -

1- आप झगड़े को तत्काल रूकवाकर झगड़े का कारण खोजने का प्रयास करते हैं तथा दोनों में सुलह करवाते हैं।

2- आप उनकी ओर ध्यान नहीं देते हैं।

3- आप दूर खड़े रहकर उनके झगड़े के समाप्त होने का इंतजार करते हैं।

4- अधिक परिचित व्यक्ति का पक्ष लेकर दूसरे व्यक्ति पर आक्रमण कर देते हैं।

5- आप अन्य लोगों को झगड़ा समाप्त करवाने के लिए कहते हैं तथा स्वयं झगड़े से दूर हटते हैं।

(10) एक व्यक्ति अपने पुत्र के विवाह पर आयोजित होने वाले समूह भोज के लिए आपसे आर्थिक सहयोग मांगता है, इस संबंध में -

1- आप उसे इस तरह अधिक धन खर्च नहीं करने की सलाह देकर इस हेतु धन देने से मना कर देते हैं तथा अन्य आवश्यकता की पूर्ति के लिए धन देने का वायदा करते हैं।

2- आप उसे मांगा गया पूरा धन न देकर कुछ मात्रा में धन प्रदान कर सहयोग देते हैं।

3- आप इस तरह के उपयोग हेतु धन देने के लिए साफ मना कर देते हैं।

4- आप उसे पूर्व में दूसरे लोगों द्वारा किए गए खर्च से अधिक खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं तथा मांगा गया पूरा धन प्रदान कर देते हैं।

5- आप कोई बहाना बनाकर धन प्रदान नहीं करते हैं।

(11) आपके गांव में एक परिवार अत्यन्त ही गरीब है। उस परिवार की विवाह योग्य लड़की की शादी गांव वाले सामूहिक व्यय भार द्वारा करना चाहते हैं इस अवसर पर -

1- आप इस तरह शादी करना उचित नहीं मानते हैं।

2- आप सहयोग देना उचित मानते हैं।

3- आप तटस्थ रहते हैं।

4- आप सहयोग देते है तथा दूसरों को भी सहयोग के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

5- आप दूसरों को भी सहयोग देने से मना कर देते हैं, यह कहकर कि यह संबंधित परिवार की जिम्मेदारी है।

(12) आपके गांव के कुछ लोग पर्दा-प्रथा को समाप्त करना चाहते हैं। इस हेतु बुलायी गयी ग्राम-सभा में आपको भी विचार प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया है। तब आप -

1- इस तरह के प्रयास को परम्परागत प्रथाओं के विरूद्ध मानकर दूसरों को भी इस सभा में सम्मिलित होने से रोकते हैं।

2- आप तटस्थ रहते हैं, जिसे जाना है, वह जाएँ।

3- इसे परम्परागत प्रथाओं के विरूद्ध कार्य मानकर आप उपस्थित नहीं होते हैं।

4- आप सभा में उपस्थित होकर कोई विचार नहीं रखते हैं।

5- आप पर्दा प्रथा समाप्ति कार्य को उचित बताकर स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करने का वायदा करते हैं तथा दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

(13) आप बस में सफर कर रहे हैं। रास्ते में एक वृद्धा बस में चढ़ती है। भीड़ होने से उसे बैठने के लिए स्थान नहीं मिलता है। तब -

1- आप जानबूझ कर अपनी नजरों को वृद्धा से बचाने का प्रयास करेगें।

2- आप स्वयं को सीट मिलने की परवाह किए बिना उसे तत्काल ही अपनी सीट प्रदान कर देंगे।

3- सीट आपने पहले से रोकी है। तर्क देकर वृद्धा के आग्रह पर भी उसे सीट प्रदान नहीं करेगें।

4- आपको अन्य सीट मिलने की संभावना होने पर अपना स्थान उसे प्रदान कर देगें।

5- आप अन्य व्यक्ति को सीट खाली करने को कहेगें।

(14) आपके गांव में एक नवविवाहित युवती के पति की किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के लिए गांव वाले उस महिला को जिम्मेदार ठहराकर प्रताड़ित करते हैं तथा उसे घर से निकालने का प्रयास करते हैं। उस समय -

1- आप इस ओर ध्यान ही नहीं देते हैं।

2- आप इसे उस महिला से ज्यादती होना मानकर उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं तथा महिला की सहायता करते हैं।

3- आप इस तरह प्रताड़ित करना उचित नहीं बता रहे हैं।

4- आप अत्यन्त ही उत्सुकता से पूरी घटना को देखते हैं कि आगे क्या होता है ? तथा महिला को प्रताड़ना से बचाने का प्रयास करना व्यर्थ समझते हैं।

5- आप भी प्रताड़ित करने में उन्हें सहयोग करते हैं तथा महिला को ही मृत्यु के लिए जिम्मेदार मानते हैं।

(15) आपकी बहिन की सगाई किसी जगह कर रखी है। लड़का ज्यादा पढ़ा-लिखा भी नहीं है तथा संबंधी लोग शादी के लिए दहेज की शर्त रख रहे हैं। इस संबंध में-

1- आप पहले उन्हें समझाने का प्रयास करेगें और न मानने पर संबंध ही तोड़ देने के लिए परिवार के सदस्यों पर दबाव डालेगें।

2- आप तटस्थ रहते हैं आपके विचार में परिवार के बड़े सदस्यों को ही इस समस्या का हल ढूंढना चाहिए।

3- आप दहेज देना तथा लड़के को भी शैक्षिक रूप से अयोग्य होना, उचित नहीं मानकर संबंध तोड़ना अधिक उचित मानते हैं।

4- आप उन्हें शादी करने व दहेज कम लेने के लिए राजी करने हेतु दूसरे लोगों से कहलवाऐगें।

5- आप अपनी स्थायी सम्पति बेचकर दहेज जुटाने के लिए परिवार वालों से कहेंगे।

सांस्कृतिक चेतना -

(1) आपके गांव में स्थानीय कलाकारों द्वारा कथा का आयोजन किया जा रहा है। आपके साथी उसे देखने हेतु आपसे आग्रह कर रहे है; ऐसे में -

1- आप दूसरों को भी समय बर्बाद होने के बारे में बताकर जाने से रोकते हैं।

2- आप तत्काल चलने के लिए तैयार हो जाते तथा और परिवार सदस्यों को भी चलने के लिए कहते हैं, ताकि स्थानीय कलाकारों का मनोबल बढ़े।

3- इस तरह के कार्यक्रमों में भाग लेना समय की बर्बादी मानकर नहीं जाने के लिए कह देते हैं।

4- आप स्वयं ही आयोजन में जाने के लिए तत्पर होते हैं।

5- आप असमर्थता प्रकट कर देते हैं।

(2) आपके गांव में एक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जा रहा है। जिसके व्यवस्थापन हेतु आर्थिक सहयोग के लिए आपसे कहा जाता है, इस संबंध में -

1- चूंकि गांव वालों ने कह दिया है इसलिए आप धन प्रदान कर देते हैं।

2- इस प्रकार के आयोजनों पर धन खर्च करना, अपव्यय बताकर दूसरों का भी धन देने से मना करने के लिए कहते हैं।

3- आप स्वयं सहयोग प्रदान करते हैं तथा इसे अच्छा बताकर दूसरों को भी इसमें सहयोग देने के लिए कहते हैं।

4- आप इस बात को ही अनसुना कर देते हैं तथा कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं करते हैं।

5- आप इस प्रकार के आयोजनों के लिए धन देने से मना कर देते हैं।

(3) आपको गांव में होली पर्व के उपलक्ष्य में सामूहिक नृत्य का आयोजन किया जा रहा है। इसमें सम्मिलित होने के लिए आपसे भी कहा जाता है -

1- आपको साथियों ने कह दिया है तथा उनका कहना आप नहीं टालना चाहते, इसलिए आप नृत्य में सम्मिलित होने के लिए उनके साथ हो जाते हैं।

2- आप उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं देते हैं।

3- इस प्रकार के आयोजनों में शामिल होने से आपसी स्नेह बढ़ता है। यह बात आप दूसरों को भी बताते है तथा स्वयं भी शामिल हो जाते हैं।

4- आप इसमें समय लगाना निरर्थक बताते हुए अन्य लोगों को इसमें शामिल होने से रोकने का प्रयास करते हैं।

5- आप नृत्य कार्यक्रम में समय को लगाना निरर्थक मानकर नहीं जाने के लिए कोई बहाना बना लेते हैं।

(4) बाहर से आए हुए कुछ लोग स्थानीय लोक गीतों का संकलन करना चाहते हैं। उनके आग्रह पर आप जो करते है -

1- आप तटस्थ रहते हैं। जिसे जानकारी प्रदान करनी है करें।

2- आपको जिन गीतों की जानकारी है, उन गीतों की जानकारी प्रदान कर देते हैं।

3- आप स्वयं गीतों की जानकारी प्रदान नहीं करते हैं।

4- आपके गीत आपकी सम्पति हैं, इनकी जानकारी दूसरों को होना ठीक नहीं मानकर आप गीतों की जानकारी प्रदान नहीं करते हैं तथा दूसरों को भी मना कर देते हैं।

5- इससे गीतों का दूसरी जगह भी प्रसार होता है, जिसे आप अच्छा मानकर दूसरों को भी जानकारी प्रदान करने के लिए कहते हैं।

(5) आपके गांव में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के गाने गाए जाते हैं। आप जिस तरह के गानों को अधिक पसन्द करेगें -

1- अंग्रेजी फिल्मों के गानों को

2- हिन्दी फिल्मों के गानों को

3- ईश्वर के भजनों को

4- स्थानीय गानों को

5- कव्वाली को।

(6) आपके गांव में ग्रामीण खेलों का आयोजन किया जाना है इसकी व्यवस्था हेतु आपको सहयोग देने के लिए कहा जाता है। तब -

1- आप बात को अनसुना करके कोई प्रतिक्रिया प्रकट नहीं करते हैं।

2- आप असमर्थता प्रकट कर देते हैं।

3- आप अपनी व्यस्तता बताकर परिवार के अन्य लोगों को सहयोग देने के लिए कह देते हैं।

4- आप इसे व्यवस्थापकों को जिम्मेदारी बताकर दूसरों को भी मना कर देगें।

5- आप सहयोग के लिए तत्काल तैयार हो जाते है तथा दूसरों को भी इसके लिए कहते हैं।

(7) आपके गांव में एक मेला लगता है। आपके साथी आपसे मेले में सम्मिलित होने का आग्रह कर रहे हैं। ऐसे में -

1- आप मेले में जाना समय को बर्बाद करना मानते है अतः व्यस्त होने का बहाना बनाकर बात टाल देते हैं।

2- आप कोई भी प्रतिक्रिया प्रकट किए बिना मेले में चले जायेगें।

3- मेला आपसी स्नेह तथा सौहार्द्र भाव का प्रतीक हैं। आप सभी से यह बताऐगें एवं आप भी तत्काल ही चलने के लिए तैयार हो जाऐगें।

4- मेला प्राचीनता तथा रूढ़िवादिता का प्रतीक है। इसका वर्तमान में कोई उपयोग नहीं है तथा भाग लेना समय बर्बाद करना है। यह अन्य लोगों को बताकर उन्हें भी रोकते हैं।

5- चूंकि आपके साथियों ने कह दिया और उनका कहना आप टालना नहीं चाहते है अतः मेले में चलने को तैयार हो जाते हैं।

(8) आपके गांव में एक नट के द्वारा ''कलाबाजियां'' तथा ''करतब'' दिखाएं जा रहे हैं, उसे देखने के लिए जाने हेतु आपके परिवार वाले आपसे पूछ रहे हैं। आप जो करते हैं -

1- नट गांव वालों का समय बर्बाद कर रहा है तथा इससे कोई लाभ नहीं है, कह कर आप सभी लोगों को रोक देते हैं।

2- आप बात को अनसुना करके अपने दूसरे कार्य में व्यस्त हो जाएंगे।

3- आप परिवार के सदस्यों के बढ़ते आग्रह को देखकर उन्हें जाने के लिए कह देते हैं।

4- नट के खेल छोटे बच्चों के लिए होते हैं, अतः छोटे बच्चों को ही जाने देते हैं।

5- कलाकारों के प्रोत्साहन के लिए आप भी परिवार के साथ चलने को तत्पर हो जाते हैं।

(9) आपके गांव के कुछ लोगों ने पूरे गांव में एक निश्चित त्यौहार नहीं मनाने का निर्णय लिया जाता है। आप को भी इस निर्णय में शामिल होने के लिए कहा जाता है। इस स्थिति में -

1- आप इस तरह कुछ लोगों के निर्णय द्वारा त्यौहार को मनाना बन्द नहीं करते हैं।

2- आप निर्णय को मानने या नहीं मनाने के बारे में कोई स्थिति स्पष्ट नहीं करते हैं तथा दूसरे लोगों की प्रतिक्रियाओं का इन्तजार करते हैं।

3- आप उनका कहना टालना नहीं चाहते हैं, अतः उनका निर्णय स्वीकार कर लेते हैं।

4- आप लोगों से उस त्यौहार को नहीं मनाने के लिए निर्णय लेने के कारण के बारे में पूछेगें तथा अपनी स्वेच्छा से ही निर्णय लेगें।

5- आप उन्हें शक्तिशाली व्यक्ति समझकर उनके निर्णय को स्वीकार कर लेते हैं तथा दूसरों को भी वैसा ही करने को कहते हैं।

(10) आपके गांव की एक लड़की का चयन राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले खेलों के लिए किया गया है। इस बारे में आपका विचार है-

1- यह गौरव की बात है।

2- यह साधारण घटना है।

3- आप तटस्थ भाव रहते है।

4- आप इसे उचित नहीं मानते है।

5- आप इसे उचित नहीं मानते हैं तथा छात्रों को बाहर जाने से रोकने का प्रयास करते हैं।

(11) आपके गांव में सरकार ने ''सार्वजनिक टेलीविजन'' लगा रखा है। आपके बच्चे टेलीविजन के कार्यक्रम देखने जाना चाहते हैं। वे आपसे इसके लिए स्वीकृति चाहते हैं। आप -

1- टेलीविजन के कार्यक्रमों को उचित तथा ज्ञानवर्द्धक मानते हुए तत्काल स्वीकृति प्रदान कर देते हैं।

2- टेलीविजन पर दिखाए जाने वाले राष्ट्रीय समाचारों के लिए ही स्वीकृति प्रदान करते हो।

3- टेलीविजन पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों को आप अपने समाज के लिए ठीक नहीं मानते हैं। अतः स्वीकृति प्रदान नहीं करते हैं।

4- टेलीविजन के कार्यक्रमों स्थानीय कार्यक्रमों से मेल नहीं खाते हैं। अतः आप स्वीकृति प्रदान नहीं करते हैं।

5- आप पहले स्वयं कार्यक्रमों देखने जाते हैं तथा दूसरे लोगों से राय लेकर ही स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(12) आपके गांव में भजन कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। आपको भी आमंत्रित किया जा रहा है।

1- आप स्वयं ही उपस्थित हो जाते हैं।

2- आप इसे सद्कार्य बताकर उपस्थित होते हैं एवं दूसरों को भी सद्विचार सुनने का अवसर बताकर उपस्थित होने के लिए कहते हैं।

3- आप भजन कीर्तन को निरर्थक बताकर दूसरों को भी उपस्थित होने से मना करते हैं।

4- आप अन्य कहीं व्यस्त होने का बहाना बनाकर उपस्थित नहीं होते हैं।

5- आप भजन कीर्तन आदि में समय लगाना निरर्थक मानते हैं, तथा उपस्थित होने से मना कर देते हैं।

(13) आपके गांव में स्थित एक पीपल के वृक्ष की पूजा गांव की औरतों द्वारा की जाती है। वे आपके घर की औरतों से भी ऐसा करने के लिए कह रही हैं। आप उन्हें जो कहते हैं -

1- इसे एक परिपाटी मानकर स्वीकार कर लेते हैं तथा घर की औरतों को भेज देते हैं।

2- आप तटस्थ रहते हैं, जिन्हें जाना है, वे जाएं।

3- किसी जाति विशेष का यह कार्य होना बताकर आप घर की औरतों को वहां जाने से मना कर देगें।

4- आप घर में अधिक व्यस्तता होना बताकर औरतों को जाने से मना कर देते हैं।

5- पीपल के पेड़ से अधिक ऑक्सीजन मिलती है तथा स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभदायक है। वृक्षों की रक्षा का यह भी एक तरीका है। सभी को इसमें सहयोग करना चाहिए। यह बताकर औरतों को भेज देते हैं।

(14) आपके गांव में होली के कुछ दिन पूर्व से ही औरतों के सामूहिक गीतों का आयोजन रखा जाता है। गांव की कुछ औरतें आपके घर की औरतों को भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कहती हैं। ऐसे में -

1- आप इस कार्यक्रम को अनुपयोगी बताकर दूसरों को भी इसमें भाग लेने से मना कर देते हैं।

2- घर पर अधिक कार्य होना बताकर जाने से मना कर देते हैं।

3- आप तटस्थ रहते हैं, जिसे जाना है, वह जाए।

4- आप कार्यक्रम की प्रशंसा तो करते हैं किन्तु औरतों को वहां जाने से मना कर देते हैं।

5- इस तरह के कार्यक्रम से आपसी सहयोग बढ़ता है तथा कार्यक्रम बहुत अच्छा है, आप यह बताकर सभी को इसमें भाग लेने के लिए कहते हैं।

(15) आपके गांव में एक प्राचीन मंदिर बहुत जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। उसके जीर्णोद्धार के लिए गांव वाले परस्पर आर्थिक सहयोग का प्रस्ताव आपके सामने रखते हैं। इस संबंध में -

1- आप तटस्थ रहते है, जिन्हें ऐसा करना है, वे करें।

2- आप, इस तरह के पुराने भवनों को बचाने में कोई लाभ न होना, बताकर अन्य लोगों को भी सहयोग करने से रोक देते हैं।

3- आप इस तरह के ऐतिहासिक नमूनों का संरक्षण आवश्यक तथा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानकर यह जानकारी दूसरों को भी बताते हैं तथा आप स्वयं भी सहयोग करते हैं।

4- आप अपने हिस्से का धन उन्हें प्रदान करने के लिए कह देते हैं।

5- आप धन प्रदान नहीं करते हैं। क्योंकि जो ऐसा प्रस्ताव रख रहे हैं, उन्हें स्वयं के स्तर पर ही धन एकत्रित करना चाहिऐ।

भौतिकता के प्रति चेतना

(1) आपके गांव में विद्युत कनेक्शन हो रहे हैं। लोग आपसे भी अपने घर में कनेक्शन लेने के लिए कहते हैं। इस संबंध में -

1- आप विद्युत कनेक्शन लेने के लिए तत्काल तैयार हो जाते हैं।

2- आप इस और ध्यान ही नहीं देते हैं।

3- जिन लोगों ने कनेक्शन लिए हैं उनके परिणाम देखने के बाद ही तैयार होते हैं।

4- विद्युत से बहुत अधिक नुकसान होने का डर बताकर दूसरों को भी कनेक्शन लेने से मना करते हैं।

5- गांव में कुछ लोयों द्वारा कनेक्शन लेने के बाद तैयार होते हैं।

(2) आपको मकान बनाते समय उसमें पर्याप्त खिड़कियां रखने के लिए कहा जाता है, तब -

1- आप उनकी बात पर ध्यान ही नहीं देते हैं।

2- लोगों ने कहा है। उनका कहना आप टालना नहीं चाहते । इसलिए यह बात मान लेते हैं।

3- कहने वालों को बुरा न लगे इसलिए उनके सामने हां कर देते है तथा बात मानते नहीं हैं।

4- अच्छे मकान के लिए खिड़कियां होना जरूरी मानकर इनको रखने की बात मान लेते हैं।

5- आपके विचार में अधिक खिड़कियों से दीवार कमजोर हो जाती है। आप दीवार गिरने का डर बताकर उनकी बात नहीं मानते हैं।

(3) आपके खेत में पर्याप्त खाद के अभाव में फसल अच्छी नहीं होती है। आपसे इसमें रासायनिक खाद (यूरिया खाद) डालने के लिए कहा जाता है। तब आप -

1- कुछ पड़ोसियों द्वारा ऐसा करने का इंजतार करते हैं तथा उसके बाद आप भी खाद डाल देते हैं।

2- पड़ोसियों ने जो खाद डाली है उसके परिणाम देख कर आप भी खाद डालने का निश्चय करते हैं।

3- लोगों ने बताया है इसलिए आप खाद खेत में डाल देते हैं।

4- रासायनिक खाद डालने से खेत खराब हो जाते हैं, यह कह कर सभी से ऐसी खाद को नहीं डालने को कहते हैं।

5- आप इस खाद के बारे में जानते हैं तथा तत्काल ही खेत में डाल देते हैं।

(4) बहुत तेज गर्मी होने के कारण आपसे ''एयरकूलर'' लाने के लिए कहा जाता है। ऐसे में-

1- एयर कूलर पर लगने वाले धन से लाभ कम होता है। अतः आप इसे खरीदना निरर्थक बता देते हैं।

2- एयर कूलर से लाभ की बजाए हानि होने का डर बताकर मना कर देते हैं।

3- आप ''एयर कूलर'' के बारे में अच्छी तरह जानते है तथा तत्काल खरीद लेते हैं।

4- आप इस मशीन के बारे में नहीं जानते है, किन्तु आपको कहा गया है इसलिए खरीदने को तैयार हो जाते हैं।

5- आप किसी पड़ौसी के द्वारा एयर कूलर खरीदने का इंतजार करते हैं।

(5) सरकार ने आधुनिक उपकरणों - यथा ट्रैक्टर आदि खरीदने में छूट देने का प्रावधान कर रखा है। आपसे भी एक ट्रैक्टर लेने के लिए कहा जा रहा है। तब -

1- आप छूट का लाभ देखकर ट्रैक्टर खरीद लेते हैं।

2- ट्रैक्टर को थोड़े से समय के बाद पूरे पैसे में बेच देने के विचार से ट्रैक्टर खरीद लेते हैं।

3- आप ट्रेक्टर के लाभों से अवगत हैं तथा इससे दूसरों को भी अवगत करवाते हैं आप तत्काल एक ट्रैक्टर खरीद लेते हैं।

4- आप इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं।

5- ट्रेक्टर से लाभ की बजाए हानि अधिक होती है तथा इसका खरीदना अपने आप को जोखिम में डालना है, ऐसा कहकर आप ट्रैक्टर खरीदने से मना कर देते हैं।

(6) आपको अपने कुएं पर सिंचाई के लिए साधन लगाने के लिए सरकार सहायता दे रही है। सिंचाई के साधन का चयन आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। आप जिस साधन को अधिक पसन्द करेगें -

1- विद्युत मोटर

2- डीजल पम्प

3- केरोसीन से चलने वाला पम्प

4- लोहे का रहट

5- बैल और रस्सी एवं चड़स

(2) आपके सामने विभिन्न प्रकार की आवास व्यवस्थाओं को रखा जाता है, आप जिस प्रकार की व्यवस्था को पसन्द करेगें, वह है -

1- वातानुकूलित पक्का मकान

2- हवा रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था वाला पक्का मकान

3- पक्का मकान, जिसमें हवा रोशनी की व्यवस्था पर ध्यान नहीं देगें।

4- ईन्ट-गारे से बना मकान

5- घास-फूस की झोपड़ियां

(8) आपके गांव में भोजन पकाने के विभिन्न साधनों का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। आप अपने घर के लिए जिस साधन को लेना अधिक पसन्द करेगें। वह है-

1- सौर उर्जा से चलित चूल्हा

2- एल.पी.जी. गैस से चलित चूल्हा

3- केरोसिन तेल से चलित स्टोव

4- निर्धूम चूल्हा

5- लकड़ी जलाकर खाना पकाने का साधारण चूल्हा ।

(9) आपके गांव में रियायती दर पर नल का कनेक्शन दिया जा रहा है। आपसे भी कनेक्शन लेने के लिए कहा जाता है। ऐसे में -

1- आप भी नल का कनेक्शन ले लेते हैं, क्योंकि यह जरूरी व्यवस्था है।

2- आप नल कनेक्शन ले लेते हैं, चूंकि यह कम दर पर मिल रहा है।

3- आप नल कनेक्शन ले लेते हैं, चूंकि पड़ौसी ने भी ऐसा ही किया है।

4- आप नल कनेक्शन की बात को कुछ समय आगे के लिए रख देते हैं।

5- आप घर में नल कनेक्शन होने से नुकसान होना बताकर नल कनेक्शन नहीं लेते हैं।

(10) 'पेड़ों के पत्तों' तथा 'गोबर' से गैस बनाकर इसका उपयोग खाना पकाने में किया जा सकता है, इस संबंध में आपका मानना है-

1- आपके विचार में गोबर एवं पत्तों से बनी गैस से खाना पकाया जा सकता है कथन सत्य है तथा इससे बने खाने से स्वास्थ्य को कोई हानि नहीं होती है।

2- आप तटस्थ रहते हैं।

3- 'पत्तों' तथा 'गोबर' से गैस बन ही नहीं सकती है यह कथन असत्य है।

4- 'गोबर' से गैस बनती है। इसकी आपको जानकारी है 'पत्तों' के संबंध में आपको जानकारी नहीं है।

5- आप मानते है कि गोबर एवं पतों से गैस बनती तो है किन्तु इसका उपयोग खाना पकाने में नहीं करना चाहिए चूंकि स्वास्थ्य बिगड़ सकता है।

(11) आपका बालक जो कि 10वीं कक्षा में अध्ययन कर रहा है। जमीन पर बैठकर अध्ययन करने से उसे कठिनाई होती है। वह अपनी कठिनाई आपसे कहता है। ऐसे में-

1- आप अपनी आर्थिक तंगी होने का बहाना बनाकर उसे उसी तरह अध्ययन करने के लिए कह देते हैं।

2- आप तटस्थ रहते हैं।

3- आप उसे अध्ययन करने के लिए समय दे रहे हैं। यह कोई कम बात नहीं है। अधिक व्यवस्थाओं के लिए कहने पर आप उसे विद्यालय से हटा लेगें, ऐसा कहकर उसकी बात अस्वीकार कर देते हैं।

4- आप कुछ समय पश्चात् उसके लिए मेज कुर्सी की व्यवस्था करने का वादा करते हैं।

5- आप उसके लिए मेज कुर्सी की तत्काल व्यवस्था कर देते हैं।

(12) खेत में फसल की कटाई का कार्य जल्दी से पूरा कर लेने के लिए थ्रेसर मशीन खरीद लाने के लिए आपसे कहा जाता है, आप करते है-

1- मशीन के महत्व से आप परिचित हैं। आप तत्काल धन की व्यवस्था कर मशीन खरीद लेते हैं।

2- मशीन से कटाई करना अच्छा नहीं है। इससे नुकसान होता है। इसलिए आप मशीन खरीदने से मना कर देते हैं।

3- आप किसी पड़ोसी के द्वारा मशीन खरीदे जाने का इंतजार कर उसके परिणामों को देखने की बात कह देते हैं।

4- आप कटाई मशीन की महत्ता से अवगत हैं किन्तु आर्थिक तंगी के कारण थोड़े समय बाद खरीदने का विचार बनाते हैं।

5- आप तटस्थ रहते हैं। जिसे खरीदना है, खरीदे ।

(13) आपके गांव में घर-घर में निर्धूम चूल्हे बनाने का कार्यक्रम चल रहा है। अपने घर में एक निर्धूम चूल्हा बना लेने के लिए आपसे कहा जाता है। ऐसे में -

1- किसी पड़ौसी के यहां इस तरह का चूल्हा लगने के बाद आप ऐसा करने को तैयार होते हैं।

2- आप तटस्थ रहते हैं।

3- आप निर्धूम चूल्हे के नुकसान की बात सभी से कहते हैं तथा आप भी मना कर देते हैं।

4- आप भी कोई बहाना बनाकर बात को टाल देते हैं।

5- आप निर्धूम चूल्हों की महत्ता से अवगत हैं तथा तत्काल ऐसा करने को तैयार हो जाते हैं।

(14) आपके गांव में एक व्यक्ति मकान बनाना चाहता है। वह मकान मजबूत तथा टिकाऊ बनाना चाहता है। आपसे वह उसमें लगने वाली सामग्री के बारे में पूछ रहा है। आप जिस सामग्री के बारे में जानकारी देते है, वह है -

1- पक्की ईन्टें तथा चूना

2- चिकनी मिट्टी, ईन्टें तथा लकड़ी

3- पक्की ईन्टें, पत्थर, चूना, सीमेन्ट, लोहा, कंकरीट

4- घास-फूस तथा चिकनी मिट्टी

5- पक्की ईन्टें, पत्थर, चूना, सीमेन्ट

(15) आपके सामने स्थल यातायात के सभी साधनों के नाम रखे हुए हैं। आपको अपने लिए उनमें से कोई एक साधन चयनित करने के लिए कहा जाता है, तब जिस साधन को चयनित करेगें, वह है -

1- साईकिल 2- मोटर-साईकिल

3- जीप 4- कार

5- बैलगाड़ी

स्वास्थ्य संबंधी चेतना :

(1) आपके गांव के पास एक तालाब बना हुआ है, जिसमें कुछ लोग गन्दगी डालते रहते हैं, तब -

1- आप स्वयं भी गन्दगी नहीं डालते और अन्य लोगों को भी मना करते हैं एवं डाली जा चुकी गन्दगी को हटाने के लिए अभियान शुरू करते हैं।

2- आप स्वयं गन्दगी डालना शुरू कर देते हैं।

3- आप भी उसमें गन्दगी डालने लगते है तथा अपने परिचित लोगों से भी ऐसा ही करने के लिए कहते हैं।

4- आप स्वयं उस तालाब में गन्दगी नहीं डालते हैं।

5- आप इस बात की ओर ध्यान ही नहीं देते हैं।

(2) आपका पड़ौसी अपने घर की गन्दगी आपके घर के आगे डाल देता है। ऐसे में -

1- आप अपने घर की गन्दगी उसके घर के आगे डाल देते हैं तथा एक दो अच्छे परिचित लोगों से भी ऐसा करने के लिए कहते हैं।

2- आप इस पर ध्यान ही नहीं देते हैं।

3- आप स्वयं ही अपने पड़ौसी को बुलाकर उसे ऐसा नहीं करने के लिए समझा देते हैं।

4- आप दूसरे लोगों से पड़ौसी को ऐसा नहीं करने के लिए कहलवाते हैं।

5- आप पड़ौसी से झगड़ा करते हैं।

(3) आपके क्षेत्र में भंयकर छूत का रोग (प्लेग) फैला है। इस स्थिति में -

1- आप चिकित्सालय में सूचना भिजवाकर डॉक्टर्स के आने का इंतजार करने लगते हैं।

2- आप गांव के पीड़ित लोगों को चिकित्सालय में जाने के लिए कह देते हैं।

3- आप के घर में कोई बीमार नहीं हुआ है। अतः आप कुछ भी नहीं करते हैं।

4- आप इस रोग से ग्रस्त न हो जाए इसलिए कुछ समय के लिए गांव से पलायन कर जाते हैं।

5- आप क्षेत्र के निकटतम सामान्य चिकित्सालय में इसकी सूचना भेजते हैं तथा पीड़ितों की सहायता करने में जुट जाते हैं।

(4) आपके पड़ौस में शादी होने की वजह से आपके परिवार के सभी सदस्य वहां गए हुए हैं। घर में सफाई का कार्य अधूरा पड़ा है।

1- आप घर में सफाई नहीं होने को परिवार के अन्य सदस्यों की लापरवाही मानते हैं। इस हेतु उनसे झगड़ा करने लगते है।

2- सफाई कार्य को स्वयं की जिम्मेदारी मानकर परिवार के सदस्यों के आने से पहले ही इस कार्य को पूर्ण कर देते हैं।

3- परिवार के सदस्यों के घर लौटने पर उन्हें जल्दी-जल्दी कार्य करने के लिए कहते हैं।

4- परिवार के सदस्यों के लौटने पर उन्हें सफाई कार्य में सहयोग करते हैं।

5- आप इस ओर ध्यान ही नहीं देते हैं।

(5) आपके गांव में छोटे बच्चों के लिए टीकाकरण अभियान चल रहा है, टीकाकरण अभियान के संबंध में -

1- आप तटस्थ रहते हैं जिसे टीकाकरण करवाना है, करवाएं।

2- आप टीकाकरण को बच्चों के स्वास्थ्य के लिए अति-आवश्यक बताकर अन्य लोगों को भी अपने बच्चों के टीका लगवा लेने के लिए कहते हैं।

3- टीकाकरण को अनुचित बताकर अन्य लोगों को भी इसके लिए मना करते हैं।

4- आप अपने बच्चों को टीकाकरण के लिए नहीं ले जाते हैं।

5- आप अपने बच्चों को टीकाकरण करवाते हैं।

(6) आपके गांव में रास्तों की सफाई के लिए अभियान चल रहा है। आपको भी सहयोग देने के लिए कहा जाता है। इस संबंध में -

1- आप इसे अपना कार्य मानकर स्वयं भाग लेते हैं तथा अन्य लोगों को भी ऐसा करने के लिए कहते हैं।

2- रास्तों की सफाई करवाना, ग्राम पंचायत का कार्य है, ऐसा कहकर आप अन्य लोगों को भी सहयोग देने से मना करते हैं।

3- आप तटस्थ रहते हैं।

4- आप स्वयं इसमें सहयोग नहीं करते हैं। आपके विचार में यह पंचायत का कार्य है।

5- आप स्वयं के व्यस्त होने का बहाना बनाकर परिवार के दूसरे लोगों को सहयोग करने के लिए कह देते हैं।

(7) आपके गांव के पास में स्थित झील से गन्दगी हटाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। जिसमें आपसे भी सहयोग देने के लिए कहा जाता है, तब -

1- आप उसे अपना कार्य होना बताकर स्वयं इसमें भाग लेते है तथा दूसरे लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

2- आप तटस्थ रहते हैं।

3- आप स्वयं को व्यस्त होना बताकर परिवार के दूसरे लोगों को सहयोग देने के लिए कह देते हैं।

4- आप स्वयं इस कार्य में सहयोग नहीं करते हैं। यह कार्य ग्राम पंचायत का दायित्व होना बता देते हैं।

5- झील में से गन्दगी हटाना ग्राम पंचायत का कार्य है। यह कहकर आप दूसरे लोगों को भी इसमें सहयोग देने से मना कर देते हैं।

(8) आपको डॉक्टर्स द्वारा बताया गया है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए हरी सब्जियां खनी चाहिए। आप जो मानते हैं -

1- स्वास्थ्य भगवान की देन है। इसका अच्छा बुरा होना उसी की इच्छा पर निर्भर करता है।

2- आप डॉक्टर की सलाह के अनुसार प्रतिदिन हरी-सब्जी भोजन में प्रयुक्त करने लगते हैं।

3- स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वह स्वतः ही ठीक रहता है।

4- आप डॉक्टर की बात को सही मानते हैं किन्तु ऐसा करते नहीं हैं।

5- आप तटस्थ रहते हैं। अपना कोई विचार व्यक्त नहीं करते हैं।

(9) घर का कूड़ा-कचरा डालने के लिए आपके पास अधिक स्थान उपलब्ध नहीं है, आप -

1- कूड़े-कचरे की समस्या को अधिक महत्त्वपूर्ण न मानकर इस ओर ध्यान ही नहीं देते हैं।

2- .कूड़े कचरे को घर के ही एक कोने में इकट्ठा करके दूर डलवा देते हैं।

3- कूड़े कचरे को रास्ते के एक किनारे इकट्ठा कर देते हैं तथा अधिक मात्रा में इकट्ठा होने पर गाड़ी आदि से दूर डलवा देते हैं।

4- कूड़े कचरे के लिए अतिरिक्त जगह लेकर गड्ढ़ा बनाकर उसे डालते हैं।

5- कूडे कचरे को रास्ते में फैंक देते हैं।

(10) तालाब आदि का पानी पीने के लिए सीधे ही प्रयोग में नहीं लेना चाहिए। इस बारे में आपका जो मानना है -

1- खुले पानी से अनेक बीमारियों के फैलने की आशंका रहती है। अतः इसे उबालकर एवं छानकर पीना चाहिए।

2- आप इस बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं।

3- तालाब के पानी को छानकर पी लेना नुकसानदेह नहीं है।

4- तालाब आदि का खुला पानी पीना अधिक स्वास्थ्यकर होता है।

5- जल में कभी खराबी नहीं होती, वह चाहे जिसका भी हो।

(11) आपको बताया जाता है कि धूल एवं धूएं से वायु प्रदूषित होती है, इसका उपाय किया जाना चाहिए। आपका जो मानना है -

1- हवा प्रकृति की रचना है, यह धूल एवं धुएं से कभी खराब नहीं होती है।

2- यह तथ्य सही है तथा इसके लिए उपाय किए जाने चाहिए।

3- यह तथ्य सही है इसका उपाय संभव नहीं है।

4- इसका उपाय संभव नहीं है। अतः तथ्य की सत्यता पर बात करना निरर्थक है।

5- आप कोई राय प्रकट नहीं करते हैं।

(12) आपको तेज सर्दी लगकर बुखार आ रहा है। इस संबंध में आपका मानना है -

1- यह पता नहीं क्या है? किसी जड़ी-बूटी या पत्तों के सेवन से ठीक हो जाएगा।

2- यह कोई रोग है, इसका इलाज कैसे होगा? पता नहीं है।

3- यह मलेरिया रोग है तथा इसका इलाज डाक्टर द्वारा करवाना चाहिए।

4- स्थिति क्या है, समझ नहीं आ रही है।

5- यह भगवान का कोप है, पूजा से ठीक हो जाएगा।

(13) आपको एक शिविर में सदस्यों द्वारा बताया जाता है कि पीने के पानी के बर्तन को ढककर रखना चाहिए। आप जो करते हैं -

1- आप पीने के पानी के बरतनों को ढककर नहीं रखते हैं।

2- आप तटस्थ रहते हैं। जिसे जैसा करना है, करें।

3- यह उनका कहना निरर्थक है तथा ऐसा करने से कोई लाभ नहीं यह आप दूसरों को भी बताते हैं।

4- आप पीने के पानी के बरतनों को ढककर रखने के लाभों से अन्य लोगों को भी अवगत करवाते हैं तथा उन्हें ऐसा करने के लिए कहते हैं।

5- आप अपने पानी के बरतनों को ढककर रखने लगे हैं।

(14) आपके गांव में शिविरार्थियों ने गन्दे पानी के निकास हेतु नाली बनाने की बात की है तथा इसे आगे बढ़ाने के लिए आपसे कह रहे हैं। आप जो करते हैं -

1- बाहर से आए हुए लोगों ने कह दिया है। इसलिए आप तैयार हो जाते हैं।

2- बाहर से आए हुए लोगों ने यह बता दिया है तथा इसमें आपको कोई लाभ नहीं है ऐसा कहकर आप अन्य लोगों को भी इसमें शामिल होने से रोकते हैं।

3- आप इसे निरर्थक प्रयास समझकर मना कर देते हैं।

4- इसमें सभी लोगों का हित है तथा नाली के द्वारा पानी को दूर निकाल देना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। आप यह लोगों को बताकर उन्हें भी इसके लिए तैयार करते हैं।

5- आप इसे निरर्थक प्रयास समझकर सहयोग करने से मना कर देते हैं।

(15) आपके गांव के पास वृक्षारोपण कार्यक्रम, चल रहा है आप से भी इसमें सहयोग देने के लिए कहा जाता है। आप जो करते हैं -

1- वृक्षारोपण से पर्यावरण अच्छा रहता है जो कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। यह आप दूसरों को भी बताकर प्रोत्साहित करते हैं तथा स्वयं इस कार्य में सहयोग करने लगते हैं।

2- आप स्वयं ही कार्य में सहयोग करने के लिए संलग्न होते हैं।

3- आप इसे बेकार का कार्यक्रम बताकर दूसरों को भी इसमें भाग लेने से मना कर देते हैं।

4- आप कोई बहाना बनाकर वहां से हट जाते हैं तथा भाग नहीं लेते हैं।

5- आप तटस्थ रहते हैं।

परिशिष्ट संख्या - 2

कार्यक्रम जांच-प्रश्नावली

महोदय/महोदया,

आपके संस्थान ने जन-सेवा के क्षेत्र में अपार योगदान दिया है। समाज में आपके संस्थान की बहुत प्रतिष्ठा है। इसे जानकर आपके संस्थान द्वारा की गयी सेवाओं के प्रभाव की जानकारी लेने हेतु यह प्रश्नावली आपकी सेवामें प्रस्तुत कर रहा हूं।

कृपया आपसे संबंधित जानकारी इसमें अंकित करने का कष्ट कर अनुग्रहीत करें। आपसे प्राप्त जानकारी का उपयोग शोध कार्य में ही किया जाएगा तथा इन्हें पूर्णतया गोपनीय रखा जाएगा।

यद्यपि प्रश्नावली में सूचना देने के लिए कोई निश्चित समय नहीं है, पर निवेदन है कि संभवतया शीघ्रता से सूचना देने का कष्ट करें।

भवदीय

(डी.पी. सिंह)

शोधकर्त्ता

आपका नाम :

संस्था का नाम :

पद :

शैक्षिक योग्यता :

सेवानुभव (वर्षों में) :

विशेष रूचि :

निर्देश :-

1- प्रश्न संख्या 1 से 13 तक के लिए आपकी दृष्टि में सही उत्तर वाले विकल्प को कृपया (✓) सही के चिन्ह से इंगित कीजिए -

2- प्रश्न संख्या 14 से 16 तक के लिए प्राथमिकता क्रमांक 1, 2, 3, 4 दीजिए।

1- सरकार विकास कार्यक्रमों को स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से मुख्यतः जिस कारण से लागू करवाना चाहती है -

(अ) स्वयं सेवी संगठन कार्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति प्रभावी ढंग से करते हैं।

(ब) स्वयं सेवी संगठन बजट का सदुपयोग करते हैं।

(स) सरकारी कर्मचारी उत्तरदायी ढंग से कार्य नहीं करते हैं।

(द) स्वयं सेवी संगठन उद्देश्यों की प्राप्ति समय से कर लेते हैं।

2- राजकीय एजेन्सीज से धन प्राप्त करने में आपको मुख्यतः जिस कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

(अ) अत्यधिक औपचारिकताओं का होना।

(ब) अधिक लम्बी प्रक्रिया का होना।

(स) अधिकारियों की उदासीनता।

(द) राजनीतिक दखलन्दाजी।

3- समाज सेवा कार्य प्रयोजना (प्रोजेक्ट) को लागू करने के लिए अपेक्षित लाभार्थी क्षेत्र का चयन किए जाने का मुख्य आधार, जो आप अपनाते हैं।

(अ) सरकार की सिफारिश।

(ब) क्षेत्र के लोगों का शिक्षा स्तर।

(स) क्षेत्र के लोगों का आर्थिक स्तर।

(द) क्षेत्र के लोगों की पहुंच (अप्रोच)।

4- लाभार्थी क्षेत्र के चयन हेतु निम्नांकित में से आप किसे आधार बनाते हैं ?

(अ) राजकीय रिपोर्टस।

(ब) संस्थान द्वारा तात्कालिक रूप से किया गया सर्वेक्षण।

(स) संस्थान द्वारा पूर्व में किया गया सर्वेक्षण।

(द) उक्त सभी।

5- समाज सेवा हेतु आरम्भ किया प्रोजेक्ट, सम्बन्धित क्षेत्र के लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप है। इसकी जांच हेतु आप जिस आधार को सर्वाधिक अपनाते हैं -

(अ) क्षेत्र के लोगों से सलाह मशविरा करना।

(ब) सर्वेक्षण टीम की रिपोर्ट।

(स) विशेषज्ञों की राय।

(द) आपका आत्मनिर्णय।

6- आप किस कारण से शिक्षा से सम्बन्धित कार्य प्रयोजनाएं (प्रोजेक्टस) लेना पसन्द करते हैं:-

(अ) शिक्षा विकास का आधार है। इसका प्रचार करना अधिक जरूरी है।

(ब) शिक्षा सम्बन्धी प्रोजेक्टस का बजट अधिक रहता है।

(स) शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों को लागू करना आसान रहता है।

(द) शिक्षा सम्बन्धी प्रयोजनाएं अधिक रूचिकर होती हैं।

7- संस्था संचालन के वर्तमान पद पर आपकी स्थिति है :-

(अ) मनोनीत किए जाने की (निश्चित समय के लिए)

(ब) चयनित किये जाने की (निश्चित समय के लिए)

(स) स्थाई रूप से मनोनयन।

(द) अन्य (कृपया लिखिए) -

- -

8- आपके संस्थान से बाहर जाने पर संस्थान का कार्य कौन देखता है ?

(अ) संस्था सचिव

(ब) कार्यालय अधीक्षक

(स) मनोनीत प्रतिनिधि

(द) कोई व्यवस्था नहीं

9- आपके संस्थान में उपस्थित न होने पर कार्यकारी अधिकारी के अधिकार होते हैं -

(अ) आपके समान ही उसे अधिकार प्राप्त रहते हैं।

(ब) कार्यालय संबंधी निर्णय तक सीमित।

(स) निर्णय सीमा निश्चित है।

(द) निर्णय सीमा का कोई निर्धारण नहीं किया है।

10- आपके संस्थान द्वारा लागू की जाने वाली कार्य प्रयोजनाओं के उद्देश्यों की प्राप्ति समय से नहीं होने पर आप जो व्यवस्था करते हैं -

(अ) कार्य प्रगति की जांच करना।

(ब) कार्यकर्ताओं की कठिनाईयों का पता लगाना।

(स) कार्यक्रम के सम्बन्ध में जन प्रतिक्रिया जानना।

(द) कार्यकर्ताओं पर नियन्त्रण रखना।

11- आपके संस्थान द्वारा लागू की जाने वाली कार्य प्रयोजनाओं के उद्देश्यों की प्राप्ति समय से नहीं होने पर आप जो व्यवस्था करते हैं :-

(अ) आप कार्य समाप्ति के पूर्व ही कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ा देते हैं।

(ब) आप सहायता देने वाली एजेन्सी से समय सीमा बढ़ाने के लिए निवेदन करते हैं।

(स) आपने जितने उद्देश्य प्राप्त कर लिए हैं। तदानुरुप रिपोर्ट सहायता एजेन्सी को भिजवा देते हैं तथा कार्य बन्द कर देते हैं।

(द) आप इस ओर ध्यान ही नहीं देते हैं।

12- कार्य प्रयोजना की समाप्ति पर अनुगामी कार्यक्रम लागू किए जाने के सम्बन्ध में आप जो व्यवस्था करते हैं -

(अ) आप अनुगामी कार्यक्रमों की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेते हैं।

(ब) अनुगामी कार्यक्रमों को आवश्यक मानकर उनकी जिम्मेदारी आप ले लेते हैं।

(स) अनुगामी कार्यक्रमों की जिम्मेदारी सहायता एजेन्सी से सहायता मिलने पर ही लेते हैं।

(द) आप सम्बन्धित क्षेत्र के लोगों में अनुगामी कार्यक्रम चलाने की क्षमता विकसित करते हैं।

13- यदि किसी कार्य प्रयोजना की समाप्ति पर आवंटित धनराशि बच जाती है, तब आप उसका जो उपयोग करते हैं -

(1) उसी योजना के सुदृढ़ीकरण पर खर्च कर देते हैं।

(2) बची हुई धनराशि को दूसरी योजना में हस्तान्तरित कर देते हैं।

(3) कार्यालय के लिए स्थायी सम्पति खरीद लेते हैं।

(4) आप अपनी स्वेच्छा की मद पर व्यय करके उसी योजना व्यय में दर्शा देते हैं।

(5) धनराशि देने वाली एजेन्सी को वापस लौटा लेते हैं।

14- समाज सेवा के क्षेत्र में आपके संस्थान को अच्छी सेवा के लिए जिस स्तर पर अलंकृत किया गया है, कृपया उनके आगे (✓) सही से इंगित कीजिए -

(1) जिला स्तर - - - - - - - - - - -

(2) राज्य स्तर - - - - - - - - - - -

(3) राष्ट्रीय स्तर पर - - - - - - - - - - -

(4) अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर - - - - - - - - - - -

(5) कोई नहीं - - - - - - - - - - -

15- आप कार्य प्रयोजनाओं (प्रोजेक्टस) हेतु धन पूर्ति जिन साधनों से करते हैं, कृपया प्राथमिकता क्रमांक (1-2-3-4) दीजिए :-

	साधन	प्राथमिकता क्रमांक
(1)	अनुदान से	2
(2)	सदस्यता शुल्क से	
(3)	संस्था के स्थाई आय स्रोंतों से	1
(4)	लाभार्थी पक्ष से सहयोग के रूप में	3
(5)	अन्य (कृपया लिखें)	
	1-	
	2-	
	3-	

16- आप समाज-सेवा के क्षेत्र में जिन कार्यक्रमों को प्राथमिकता देना पसन्द करते हैं ? (प्राथमिकता क्रमांक 1-2-3-4 ....) दीजिए :-

क्र.सं.	सेवा क्षेत्र	प्राथमिकता क्रमांक
1-	शिक्षागत कार्यक्रम	
2-	स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम	
3-	जनजागृति सम्बन्धी कार्यक्रम	
4-	पर्यावरण चेतना संबंधी	
5-	निर्माण कार्य	
6-	अन्य (कृपया लिखिये)	

1- -

2- -

3- -

परिशिष्ट संख्या - 3

कार्य स्थिति जांच प्रश्नावली

महोदय / महोदया,

आपने स्वयं सेवी संगठन की अनेक योजनाओं को लागू करने में अपार योगदान दिया है। स्थानीय समुदाय में आपकी बहुत प्रतिष्ठा है। आपके अपार श्रम, अच्छी कार्य शैली से ही योजनाएं प्रभावी ढ़ंग से पूर्ण हुई है। आपसे संबंधित जानकारी लेने हेतु यह प्रश्नावली आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं।

कृपया आपसे संबंधित जानकारी इसमें अंकित करने का कष्ट कर अनुग्रहीत करें। आपसे प्राप्त जानकारी का उपयोग शोध कार्य में ही किया जाएगा तथा इन्हें पूर्णतया गोपनीय रखा जाएगा।

यद्यपि प्रश्नावली में सूचना देने के लिए कोई निश्चित समय नहीं है, पर निवेदन है कि संभवतया शीघ्रता से सूचनाएं देने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डी.पी. सिंह)

निर्देश :-

1- सभी प्रश्नों के उत्तर संलग्न उत्तरतालिका में देने हैं।

2- प्रश्न सं. ''ए'' से ''इ'' तक सही विकल्प वाले कालम में सही का चिन्ह (✓) लगाईये।

3- प्रश्न सं. (1) से (59) तक हां/नहीं/अनिश्चित में से आप जिस स्थिति को किसी कथन के संबंध में उचित माने उसको सही के चिन्ह (✓) से अंकित कीजिये।

भाग ''अ''

(अ) आपके द्वारा कार्य का यह क्षेत्र चुनने का प्रमुख कारण है :-

1- जन सेवा करना 2- नाम की प्रसिद्धि प्राप्त करना

3- आर्थिक समृद्धि प्राप्त करना 4- अन्य

(ब) आपको पदोन्नति का अवसर प्राप्त होता है -

1- कार्य योग्यता के आधार पर 2- शैक्षणिक योग्यता के आधार पर

3- नियोक्ता की ईच्छा से 4- अवसर प्राप्त नहीं होता है

(स) आपको अतिरिक्त कार्य घण्टों के लिए भुगतान करने में संस्थान जो प्रक्रिया अपनाती है वह है -

1- सामान्य वेतन के बराबर नकद भुगतान

2- सामान्य वेतन से दुगुना नकद भुगतान

3- अवकाश प्रदान करना

4- कोई व्यवस्था नहीं

(द) कार्य क्षेत्र में जाने के लिए आपको जो व्यवस्था मिलती है -

1- संस्था का वाहन 2- आपका स्वयं का वाहन

3- संस्था भत्ता देती है 4- अपने स्तर पर व्यवस्था करनी होती है

(य) कार्य क्षेत्र में आपके ठहरने की व्यवस्था होती है -

1- संस्था द्वारा 2- आप स्वयं द्वारा

3- संस्था नकद भुगतान करती है 4- अन्य

भाग ''ब''

प्रश्न संख्या	हां	नहीं	अनिश्चित
1- भुगतान निश्चित तिथि को प्राप्त होता है ---------			
2- प्राप्त भुगतान को आप पर्याप्त मानते हैं --------			
3- प्राप्त भुगतान से आप सभी सामान्य खर्च पूरे कर लेते हैं			
4- त्यौहार आदि पर बोनस आदि भी दिया जाता है			

5- जितनी राशि पर हस्ताक्षर होते हैं उतनी राशि आपको भुगतान की जाती है।

6- प्रायोजना निर्माण से पूर्व आपसे सलाह ली जाती है।

7- आपकी सलाह को अन्तिम निर्णय में महता प्रदान की जाती है।

8- प्रायोजना कार्य रूपरेखा लिखित में होती है।

9- प्रायोजना कार्य रूपरेखा में आपकी सलाह के अनुसार परिवर्तन भी संभव है।

10- कार्य रूपरेखा पूर्णरूपेण आप ही तय करते हैं।

11- संस्थान आपके विकास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती है।

12- प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक प्रायोजना को लागू करने से पूर्व आयोजित किया जाता है।

13- प्रायोजना में भाग लेने वाले सभी व्यक्तियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनिवार्यतः उपस्थित होना होता है।

14- प्रशिक्षण प्रायः क्षेत्र विशेषज्ञों द्वारा ही दिया जाता है।

15- कार्यालय द्वारा प्रेषित आदेश आपको समय से प्राप्त हो जाते हैं।

16- कार्यालय से आप तक आदेश उचित माध्यम द्वारा ही भिजवाये जाते हैं।

17- आदेश पालन में आप अपने तात्कालिक उच्च पदस्थ अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होते हैं।

18- आदेश पालन में कठिनाई आने पर सुपरवाईजर्स आपको सहयोग करते हैं।

19- आपकी समस्त सूचनाएं मुख्यालय तक समय से पहुंच जाती हैं।

20- लाभार्थी पक्ष का चयन आपकी सिफारिश पर ही होता है।

21- लाभार्थी पक्ष का चयन करने से पूर्व आप ग्राम सभा का आयोजन करते हैं।

22- लाभार्थी पक्ष के चयन में आपके उच्च अधिकारी भी हस्तक्षेप करते हैं।

23- प्रायः जरूरतमन्द व्यक्ति को ही सहायता प्रदान की जाती हैं।

24- गाँव के मुखिया की सिफारिश को भी लाभार्थी के चयन में ध्यान रखते हैं।

25- संस्था से प्राप्त सामग्री का आप लेखा-जोखा रखते हैं।

26- संस्था मुख्यालय से आपको सामग्री समय से प्राप्त हो जाती है।

27- सामग्री वितरण से पूर्व आप लाभार्थी पक्ष की सूची तैयार करते हैं।

28- आप वितरण के पश्चात् बची हुई सामग्री मुख्यालय को तुरन्त लौटा देते हैं।

29- प्रायः प्रधान कार्यालय की लापरवाही से सामग्री के पहुंचने से देरी होती है।

30- साधनों के अभाव में सामग्री आप तक पहुंचने में कठिनाई आती है।

31- प्रत्येक कार्य प्रायोजना में आप कार्य प्रगति रिपोर्ट तैयार करते है।

32- कार्य प्रगति रिपोर्ट उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार ही तैयार की जाती है।

33- कार्य प्रगति रिपोर्ट गोपनीय रखी जाती है।

34- कार्य प्रगति रिपोर्ट में अशुद्धता के लिए आपसे पूछताछ की जाती है।

35- उच्च अधिकारी क्षेत्र भ्रमण से पूर्व सूचित करते हैं।

36- उच्च अधिकारी भ्रमण के दौरान ग्राम सभाओं का आयोजन करते हैं।

37- उच्च अधिकारी कार्यकर्ताओं की शिकायतों को अनसुना कर देते हैं।

38- अधिकारी द्वारा तैयार किये जाने वाली रिपोर्ट से चिन्तित होकर आप उनकी जी-हुजुरी करते हैं।

39- अधिकारी भ्रमण रिपोर्ट को सीधे ही मुख्यालय में प्रस्तुत करता हैं।

40- अधिकारी द्वारा तैयार की गयी रिपोर्ट की एक प्रति आपको दी जाती हैं।

41- अधिकारी द्वारा तैयार की जाने वाली रिपोर्ट में आपके कार्य की गलतियां ही अधिक अंकित रहती हैं।

42- कार्यक्रम के लिए निर्धारित उद्देश्य समय से प्राप्त कर लिये जाते हैं।

43- उद्देश्यों की पूर्ति न होने पर प्रायः समय बढ़ा दिया जाता है।

44- कार्यक्रम के दौरान ही उद्देश्यों में परिवर्तन हो जाता है।

45- प्रायः उद्देश्यों की पूर्ति संस्था अधिकारियों की लापरवाही से नहीं हो पाती है।

46- उद्देश्यानुरूप लाभार्थी पक्ष को एकत्रित करने में कठिनाई आती है।

47- कृषि मौसम में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में स्थानीय लोगों की उपस्थिति कम रहती है।

48- इस क्षेत्र के लोग आप के द्वारा आयोजित कार्यक्रमों को निरर्थक मानते हैं।

49- कार्यक्रम सहभागियों के ठहराने की व्यवस्था में कठिनाई आती है।

50- सहभागियों को लाने ले जाने में कठिनाई रहती है।

51- कार्यक्रम समाप्ति के बाद भी लाभार्थी पक्ष उसे जारी रखता है।

52- आपको प्राप्त होने वाले वेतनभत्तों में बढ़ोतरी की जानी चाहिये।

53- कार्यक्षेत्र में आपको और अधिक स्वतंत्रता होनी चाहिये।

54- प्रबंध मण्डल की सभाओं में आपका प्रतिनिधित्व होना चाहिये।

55- इन संस्थाओं में कर्मचारी यूनियन होनी चाहिये।

56- निरक्षर व्यक्तियों को विवाह आदि से रोकने चाहिये।

57- आवंटित धनराशि की आपको जानकारी होनी चाहिये।

58- सहायता एजेन्सी का प्रतिनिधि कार्य क्षेत्र में उपस्थित रहें।

59- कार्य प्रायोजना स्थानीय स्तर पर तैयार की जाए।

परिशिष्ठ संख्या - 4

साक्षात्कार अनुसूची

(संस्था-प्रधान के लिए)

(1) आपको सेवा का यह क्षेत्र क्यों पसन्द है?

(2) समाज सेवा के क्षेत्र में स्वयंसेवी संगठनों की संख्या अधिक क्यों बढ़ रही है?

(3) दूसरे स्वयंसेवी संगठनों के साथ जुड़कर कार्य लेने में क्या कठिनाईयां आती है?

(4) गांवों में आपके संगठन के कार्यकर्त्ताओं को क्या-क्या कठिनाईयां आती है?

(5) भारत में स्वयंसेवी संगठनों के भविष्य के संबंध में आपकी क्या राय है?

(6) स्वयंसेवी संगठनों को अपने कार्यक्रमों में किसी तरह के परिवर्तन की आवश्यकता है?

(7) आपका अन्य कोई विशेष विचार, जो स्वयंसेवी संगठनों के विकास के लिए उचित मानते हैं?

परिशिष्ट संख्या - 5.

क्षेत्र निरीक्षण प्रपत्र

(अ) सामान्य जानकारी :

1) गांव का नाम-------------------------------मुखिया-------------
2) ग्राम पंचायत---------------------------- दूरी--------------
3) पंचायत समिति--------------------------- दूरी--------------
4) तहसील ---------------------------------- दूरी--------------
5) जिला ------------------------------------ दूरी--------------
6) निकटतम रेल्वे स्टेशन---------------------- दूरी--------------
7) निकटतम बस स्टेण्ड----------------------- दूरी--------------
8) पुलिस स्टेशन----------------------------- दूरी--------------
9) पटवारी कार्यालय-------------------------- दूरी--------------
10) बैंक व्यवस्था---------------------------- दूरी--------------
11) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र--------------------- दूरी--------------
12) पशु चिकित्सालय-------------------------- दूरी--------------
13) सहकारी समिति--------------------------- दूरी--------------
14) डाकघर ---------------------------------- दूरी--------------
15) कृषि उपज मण्डी-------------------------- दूरी--------------
16) निकटतम बाजार--------------------------- दूरी--------------
17) विद्युत आपूर्ति (हाँ/नहीं) ---------------

(ब) जनसंख्या विवरण :

1) आयु समूह एवं साक्षरता :

आयु समूह	कुल		साक्षर	
	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
1-15 वर्ष				
16-25 वर्ष				
26-35 वर्ष				
36-55 वर्ष				
56 अधिक वर्ष				
कुल योग				

2) शिक्षा का स्तर :

स्तर	पुरूष	महिला	कुल
प्राथमिक			
माध्यमिक			
स्नातक			
स्नातकोत्तर			
योग			

3) विभिन्न व्यवसाय :

स्तर	पुरूष	महिला	कुल
कृषि			
मजदूरी			
हस्त उद्योग			
व्यापार			
राजकीय सेवा			
योग			

4) रोजगार स्तर :

स्तर	पुरूष	महिला	कुल
बेरोजगार			
अर्द्ध बेरोजगार			
कृषि-मजदूर			
ग्रामीण उद्योग			
रोजगार हेतु अन्यत्र जाना			
योग			

(स) कृषि क्षेत्र :

1) विभिन्न फसलों का क्षेत्रफल :

फसल	क्षेत्रफल		
	सिंचित	असिंचित	कुल
खरीफ			
रबी			
जायद			
योग			

2) कृषि उपकरण एवं यंत्र :

यन्त्र / उपकरण	संख्या	व्यक्तिगत	सामूहिक
बैल-जोड़ी			
हल (परम्परागत)			
ट्रैक्टर			
बोने का यन्त्र			
थ्रेशर			
कल्टीवेटर			
बिजली की मोटर			
अन्य			
योग			

(द) सूचना माध्यम

माध्यम
समाचार पत्र-पत्रिकाएं
रेडियो
टेलीविजन

पत्र-व्यवहार

भ्रमण

प्रशिक्षण

प्रदर्शनियां

अन्य

योग

(य) स्वयं सेवी संगठनों द्वारा आपके गांव में चलाए जा रहे कार्यक्रमों से सम्बन्धित जानकारी :- (सही के निशान (✓) से इंगित कीजिए)

क्र.सं.	कार्यक्रम	स्थिति
1-	ग्रामीण सभा बैठक	
2-	महिला चेतना शिविर	
3-	प्रदर्शनियां	
4-	हस्तकला प्रशिक्षण	
5-	ऋण व्यवस्था	
6-	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र	
7-	महिला मण्डल	
8-	युवक मण्डल	
9-	सहकारी समिति	
10-	ग्रामीण खेल-कूद	
11-	सलाह सेवाएं	
12-	मेडिकल सुविधा	
13-	स्वच्छ पेयजल	
14-	सफाई व रोशनी	
15-	लघु सिंचाई कार्य	

16- भवन निर्माण

17- विद्यालय भवन निर्माण

18- पाठ्य सामग्री की आपूर्ति

19- छात्रावास व्यवस्था

20- कुआ निर्माण

21- नाली निर्माण

22- ग्रामीण शोचालय

23- सड़क मरम्मत/निर्माण

24- एनिकट निर्माण

25- अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र

26- आंगन-बाड़ी

27- बालवाड़ी

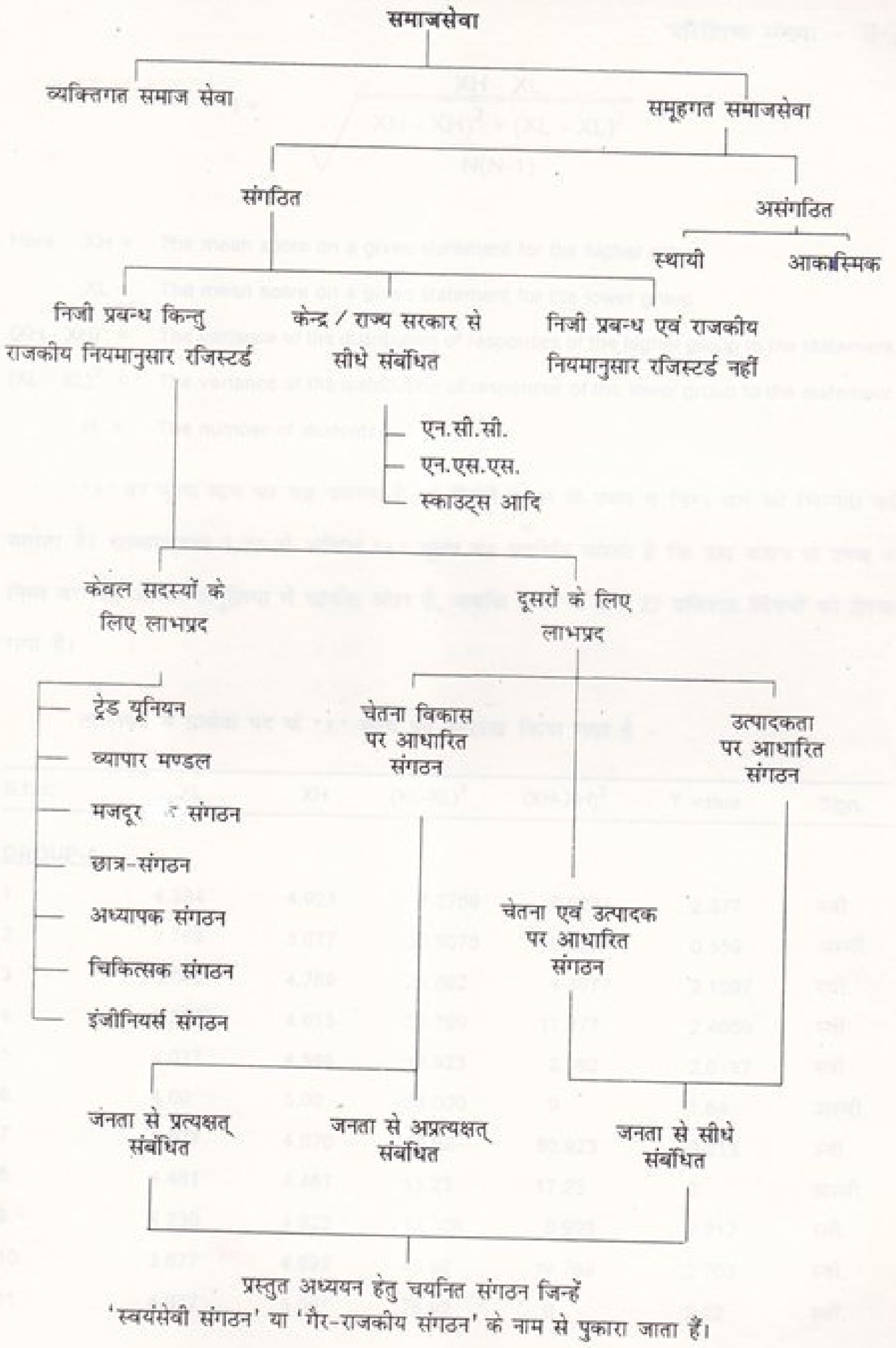
समाजसेवा
व्यक्तिगत समाज सेवा
समूहगत समाजसेवा
संगठित
असंगठित
स्थायी
आकस्मिक
निजी प्रबन्ध किन्तु राजकीय नियमानुसार रजिस्टर्ड
केन्द्र / राज्य सरकार से सीधे संबंधित
निजी प्रबन्ध एवं राजकीय नियमानुसार रजिस्टर्ड नहीं
एन.सी.सी.
एन.एस.एस.
स्काउट्स आदि
केवल सदस्यों के लिए लाभप्रद
दूसरों के लिए लाभप्रद
ट्रेड यूनियन
व्यापार मण्डल
मजदूर संगठन
छात्र-संगठन
अध्यापक संगठन
चिकित्सक संगठन
इंजीनियर्स संगठन
चेतना विकास पर आधारित संगठन
उत्पादकता पर आधारित संगठन
चेतना एवं उत्पादक पर आधारित संगठन
जनता से प्रत्यक्षत् संबंधित
जनता से अप्रत्यक्षत् संबंधित
जनता से सीधे संबंधित
प्रस्तुत अध्ययन हेतु चयनित संगठन जिन्हें 'स्वयंसेवी संगठन' या 'गैर-राजकीय संगठन' के नाम से पुकारा जाता हैं।

$$t = \frac{XH - XL}{\sqrt{\frac{XH - XH)^2 + (XL - XL)^2}{N(N-1)}}}$$

Here XH = The mean score on a given statement for the higher group

XL = The mean score on a given statement for the lower group.

$(XH - XH)^2$ = The variance of the distribution of responses of the higher group to the statement.

$(XL - XL)^2$ = The variance of the distribution of responses of the lower group to the statement.

N = The number of students.

" t " का मूल्य माप का वह प्रसरण है जो किसी कथन के उच्च व निम्न वर्ग की भिन्नता को बताता है। सामान्यतया 1.75 से अधिक " t " मूल्य यह प्रदर्शित करता है कि उस कथन के उच्च व निम्न वर्ग की औसत अनुक्रिया में सार्थक अंतर है, जबकि ऊपर व नीचे 27 प्रतिशत विषयों को लिया गया है।

तालिका में प्रत्येक पद के " t " मूल्य का उल्लेख किया गया है -

S.No.	XL	XH	$(XL-XL)^2$	$(XH-XH)^2$	't' value	Sign.
GROUP-A						
1.	4.384	4.923	7.0769	0.9231	2.377	स्वी.
2.	2.769	3.077	30.3076	16.923	0.559	अस्वी.
3.	3.846	4.769	25.692	4.3077	2.1097	स्वी.
4.	3.3077	4.615	32.769	11.077	2.4659	स्वी.
5.	4.077	4.846	18.923	3.692	2.0197	स्वी.
6.	4.00	5.00	58.000	0	1.64	अस्वी.
7.	3.077	4.070	10.92	80.923	2.213	स्वी.
8.	4.461	4.461	15.23	17.23	0	अस्वी.
9.	4.230	4.923	14.308	0.923	2.217	स्वी.
10.	3.677	4.692	40.92	14.769	2.703	स्वी.
11.	4.077	5.00	76.92	0	2.22	स्वी.

S.No.	XL	XH	$(XL-XL)^2$	$(XH-XH)^2$	'f' value	Sign.
12.	3.385	4.692	23.077	14.769	2.65	स्वी.
13.	4.385	4.769	11.077	8.3077	1.089	अस्वी.
14.	2.538	4.692	29.23	14.769	4.055	स्वी.
15.	4.385	5.00	19.077	0	1.7586	स्वी.
16.	4.3077	5.00	18.77	0	1.9958	स्वी.
17.	4.384	4.923	7.0769	0.9231	2.377	स्वी.
18.	3.846	4.769	25.692	4.3077	2.1097	स्वी.
GROUP-B						
1.	4.307	4.923	16.77	0.923	1.829	स्वी.
2.	2.923	3.846	30.923	26.692	1.480	अस्वी.
3.	3.077	4.461	16.923	17.23	2.957	स्वी.
4.	4.077	4.923	20.923	0.923	1.646	अस्वी.
5.	3.691	4.461	12.77	13.230	1.886	स्वी.
6.	4.077	4.846	16.923	1.692	2.226	स्वी.
7.	4.538	4.923	5.23	0.923	1.938	स्वी.
8.	2.23	4.769	24.307	8.307	5.55	स्वी.
9.	4.461	4.846	11.23	1.692	1.337	अस्वी.
10.	3.846	4.692	19.692	14.77	1.7999	स्वी.
11.	3.691	4.461	12.77	13.230	1.886	स्वी.
12.	4.077	4.846	16.923	1.692	2.226	स्वी.
13.	3.154	5.0	1.6923	0	1.772	स्वी.
14.	4.461	5.0	15.23	0	1.725	अस्वी.
15.	4.307	5.0	10.769	0	2.637	स्वी.
16.	3.923	4.923	10.923	0.923	3.628	स्वी.
17.	4.461	5.0	9.23	0	3.215	स्वी.
18.	4.077	5.0	16.923	0	2.801	स्वी.
GROUP-C						
1.	3.769	5.0	18.307	0	3.593	स्वी.
2.	2.538	4.692	29.23	16.769	4.055	स्वी.
3.	4.385	5.00	19.077	0	1.7586	स्वी.
4.	4.538	4.846	7.230	3.692	1.16	अस्वी.

S.No.	XL	XH	$(XL-XL)^2$	$(XH-XH)^2$	't' value	Sign.
5.	3.00	4.769	22.00	8.307	4.013	स्वी.
6.	3.3846	4.461	15.077	5.230	2.983	स्वी.
7.	4.230	4.923	16.30	0.923	2.085	स्वी.
8.	3.077	5.00	32.923	0	4.186	स्वी.
9.	3.307	4.538	30.769	0.230	2.431	स्वी.
10.	4.692	5.00	2.769	0	2.311	स्वी.
11.	2.769	2.15	30.307	35.69	Ve Value	अस्वी.
12.	3.677	4.692	40.92	14.769	2.703	स्वी.
13.	4.615	5.00	5.077	0	2.134	स्वी.
14.	4.307	4.538	14.769	11.230	0.566	अस्वी.
15.	3.230	4.615	32.307	15.077	2.513	स्वी.
16.	3.461	4.923	29.230	0.823	3.325	स्वी.
17.	3.307	5.00	22.799	0	4.428	स्वी.
18.	4.00	4.615	18.00	15.077	1.333	अस्वी.
GROUP-D						
1.	2.615	3.00	29.077	8.00	0.700	अस्वी.
2.	3.384	4.923	33.077	0.923	3.38	स्वी.
3.	3.230	4.615	32.307	15.077	2.513	स्वी.
4.	3.461	4.923	29.230	0.823	3.325	स्वी.
5.	2.923	4.00	8.923	16.00	3.85	स्वी.
6.	3.154	4.692	29.692	14.769	2.88	स्वी.
7.	3.4615	4.615	32.230	15.077	2.094	स्वी.
8.	4.3846	4.615	5.0769	7.077	0.8254	अस्वी.
9.	4.461	4.923	5.230	0.923	2.326	स्वी.
10.	3.769	4.538	24.307	15.230	1.527	अस्वी.
11.	4.077	5.00	12.923	0.00	3.206	स्वी.
12.	4.230	4.923	14.308	0.923	2.217	स्वी.
13.	3.385	4.692	23.077	14.769	2.65	स्वी.
14.	4.385	5.00	19.077	0	1.7586	स्वी.
15.	4.307	4.923	16.77	0.923	1.829	स्वी.
16.	3.3077	4.615	32.769	11.077	2.4659	स्वी.

S.No.	XL	XH	$(XL-XL)^2$	$(XH-XH)^2$	'f' value	Sign.
17.	2.923	3.846	30.923	26.692	1.480	अस्वी.
18.	3.077	4.461	16.923	17.23	2.957	स्वी.
GROUP-E						
1.	2.538	4.692	29.23	14.769	4.055	स्वी.
2.	4.384	4.923	7.0769	0.9231	2.377	स्वी.
3.	4.692	4.615	6.77	15.076	Ve value	अस्वी.
4.	3.00	4.769	22.00	8.307	4.613	स्वी.
5.	4.230	4.923	16.30	0.923	2.085	स्वी.
6.	3.769	5.0	18.307	0	3.593	स्वी.
7.	3.154	5.0	16.923	0	1.772	स्वी.
8.	3.923	4.923	10.923	0.923	3.628	स्वी.
9.	3.154	3.538	23.692	11.230	0.8116	अस्वी.
10.	4.077	5.00	12.923	0.00	3.206	स्वी.
11.	2.923	4.00	8.923	16.00	3.85	स्वी.
12.	2.615	3.00	29.077	8.00	0.700	अस्वी.
13.	2.769	2.2307	26.307	28.30	Ve Value	अस्वी.
14.	2.923	4.00	8.923	16.00	3.85	स्वी.
15.	4.385	5.00	19.077	0.00	1.7586	स्वी.
16.	3.077	4.461	16.923	17.23	2.957	स्वी.
17.	4.3077	5.00	18.77	0.00	1.9958	स्वी.
18.	4.077	5.00	76.92	0.00	2.22	स्वी.

प्रोडक्ट मुवमेन्ट सूत्र

$$r = \frac{\Sigma xy - \frac{\Sigma x \Sigma y}{N}}{N\sigma x - \sigma y}$$

Σx	=	Represents total scores of even items.		
Σy	=	Represents total scores of odd items.		
N	=	Total number of respondents.		
σx	=	Standard Deviation of X		
σY	=	Standard Deviation of Y		
n	=	50 (odd items)	n =	(50 even item)

स्पीयर मैन ब्राउन प्रोफेसी सूत्र =

$$R = \frac{2r}{r + 1}$$

R = पूरे परीक्षण की विश्वसनीयता

r = आधे परीक्षण की विश्वसनीयता

$$r = 0.6936$$

$$R = \frac{0.6936 \times 2}{1 + 0.6936} = 0.819$$

परिशिष्ट संख्या - 8.9

विषय - **विशेषज्ञ सूची**

1- प्रो. एन. के. अम्बष्ट, सदस्य (सचिव) एरिक, एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली।

2- डॉ. ए. बी. फाटक, प्राचार्य, शाह गोवर्द्धनलाल काबरा शिक्षक महाविद्यालय, जोधपुर।

3- डॉ. आर. आर. सिंह, प्राचार्य, ग्रामोत्थान विद्यापीठ शिक्षक-शिक्षा महाविद्यालय, संगरिया।

4- डॉ. डी. एल. शर्मा, प्राचार्य, गांधी विद्या मंदिर उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, सरदार शहर, चूरू।

5- डॉ. जे. पी. वर्मा, प्राचार्य, लोकमान्य तिलक शिक्षक महाविद्यालय, डबोक।

6- डॉ एम. एल. नागदा, प्राचार्य, मरूधर कन्या महाविद्यालय विद्यावाड़ी स्टेशन, रानी (पाली)

7- डॉ. वी. के. कोहली, पूर्व प्राचार्य, सोहनलाल डी.ए.वी. शिक्षा महाविद्यालय, अम्बाला सिटी।

8- डॉ. यू. एन. दीक्षित, पूर्व प्राचार्य, राजस्थान महिला विद्यालय शिक्षक महाविद्यालय, उदयपुर।

9- डॉ. (श्रीमती) हेमलता तलेसरा, प्रोफेसर, विद्या भवन उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, उदयपुर।

10- डॉ एम. पी. शर्मा, प्रोफेसर, विद्या भवन उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, उदयपुर।

11- डॉ. जे. पी. एस. मलिक प्रोफेसर, लोकमान्य तिलक शिक्षक महाविद्यालय, डबोक।

12- डॉ. एस. बी. सिंह, प्रोफेसर, क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, अजमेर।

13- डॉ. ओ. पी. शर्मा, प्रोफेसर, शाह गोवर्द्धनलाल काबरा शिक्षक महाविद्यालय, जोधपुर।

14- डॉ. जी. एल. जैन, पूर्व प्राध्यापक, विद्या भवन उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, उदयपुर।

15- डॉ. वीरेन्द्र सिंह, व्याख्याता, विद्या भवन उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, उदयपुर।

16- डॉ. जी. एल. मेनारिया, विद्या भवन उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, उदयपुर।

17- डॉ. (श्रीमती) ललिता काबरा, विद्या भवन उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, उदयपुर।

18- डॉ. अनिल पालीवाल, विद्या भवन उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, उदयपुर।

19- डॉ. प्रकाश मेहता, शोध अधिकारी, माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर।

20- श्री हीरालाल जी शर्मा, संस्थापक-संचालक सहयोग संस्थान, दूण (उदयपुर)

21- श्री भण्डारी, सचिव, सेवा मंदिर, उदयपुर।

22- श्री किशोर सन्त, संस्थापक-संचालक, उबेश्वर विकास मण्डल, उदयपुर।

23- श्री देवीलाल व्यास, संस्थापक-संचालक, पीडो - माडा (डूंगरपुर)।

परिशिष्ट संख्या - 8.10

महत्वपूर्ण संस्थान जहां अध्ययन सुविधा उपलब्ध हुई -

1-	राष्ट्रीय पुस्तकालय	:	कलकत्ता
2-	हंसा मेहता पुस्तकालय	:	महाराजा सियाजी राव गायकवाड़ विश्वविद्यालय, बड़ौदा (गुजरात)
3-	केन्द्रीय पुस्तकालय	:	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
4-	केन्द्रीय पुस्तकालय	:	मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर
5-	पुस्तकालय	:	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली।
6-	पुस्तकालय	:	राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर।
7-	सार्वजनिक पुस्तकालय	:	जगदीश चौक, उदयपुर (राजस्थान)
8-	सरस्वती पुस्तकालय	:	गुलाबबाग, उदयपुर (राजस्थान)
9-	पुस्तकालय	:	विद्या भवन उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, उदयपुर।
10-	पुस्तकालय	:	ग्रामोत्थान विद्यापीठ शिक्षक-शिक्षा महाविद्यालय, संगरिया (राजस्थान)।
11-	पुस्तकालय	:	माणिक्यलाल वर्मा, आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर (राजस्थान)।
12-	कुंजरू पुस्तकालय	:	सेवा मंदिर, उदयपुर।

अध्ययन क्षेत्र
की
वस्तुस्थिति : चित्रों में

बालिका शिक्षा में मुख्य बाधा छोटे बालकों को पालने का दायित्व

धर्मपाल

गरीबी की मार इतनी-की, तन पर वस्त्र भी पूरे नहीं फिर शिक्षा कहां .... ?

इनकी परवाह किसें .... ?
(असुरक्षित बालिका छात्रावास)

हम एक साथ रहें चाहे समय भोजन का ही हो
(जनजाति छात्रावासी बालिकाएं)

कुछ ही सही ..... कुछ को तो पढ़ायें

(जनजाति छात्राओं को अध्यापन करवाती अध्यापिका)

हम स्वयं ही पढ़ें ....

(अध्यापक रहित कक्षा में छात्राएं अपने अध्ययन कार्य में व्यस्त)

हम तीन ...... गरीबी की असली तस्वीर।

हमें इनकी चिन्ता है ...... पर करें क्या ?
(अल्प आय एवं भौतिक संसाधनों से त्रस्त एक जनजाति परिवार)

समय से स्नानादि करके सिर के बालों को सुव्यवस्थित करना भी जरूरी है।
(एक जनजाति वृद्धा अपनी चार वर्षीया पोती के सिर के बालों को बांधती हुई)

यहीं है हमारा परिवार ......

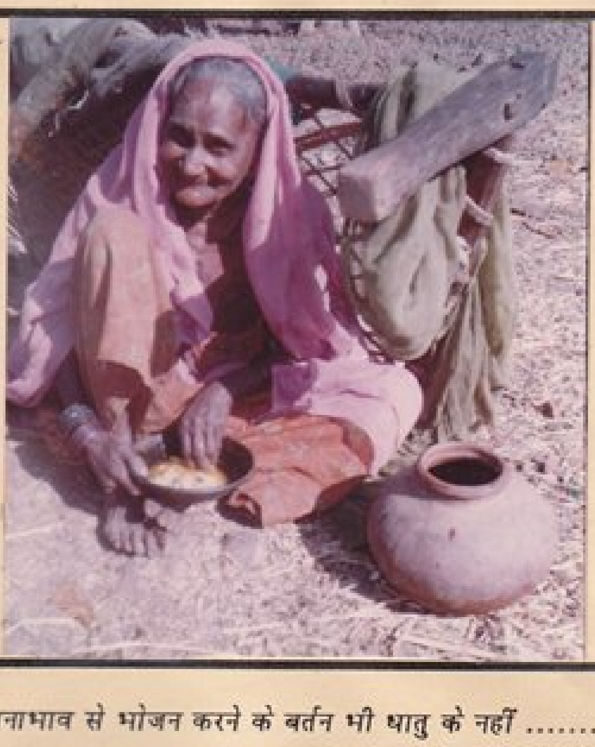

धनाभाव से भोजन करने के बर्तन भी धातु के नहीं ....
(मिट्टी के बर्तनों में भोजन करते आदिवासी)

यहीं है हमारा हाट बाजार ......
(एक आदिवासी ग्राम का दृश्य)

एक ही बस आती है यहां तक ....
(जनजाति ग्राम के बस-स्टैण्ड का एक दृश्य)

जनजाति घर की व्यवस्थाएं, जो अव्यवस्थता का स्पष्ट उदाहरण है।
(एक सम्पन्न आदिवासी का घर)

ग्रामीण लोगों से बातचीत करते हुए स्वयंसेवी संगठन 'नवाचार' कपासन का संयोजक

सामूहिक नृत्य कार्यक्रम - एक झलकी

जीवन में यह भी आवश्यक है।
(नृत्य में मस्त जनजाति महिलाएं)

समूह नृत्य का एक और दृश्य
(पुरुष एवं महिलाओं का डांडिया नृत्य)

हम किससे पीछे हैं ...... ?
(ढोल की थाप पर थिरकते पांव - जनजाति नवयुवक)

पशुओं के चारे का संग्रहण

बस इतना-सा बड़ा ही है इनका घर

(एक ही छप्पर में सिमटा पूरा घर)

मूंह बन्द ..... फिर भी कदम मंज़िल की ओर

(घुंघटा हटाणों तो म्हारा समाज रै खिलाफ़ पड़ै सा .... की भावना का पालन करती एक जनजाति महिला)

जीने के लिए बोझा तो ढोना ही पड़ेगा।

(पेट की भूख मिटाने के लिए जंगल से लकड़ी काट कर लाती जनजाति महिलाएं)

पथ चाहे पथरीला हों ..... पर ज़ीना तो है।
(पशुओं के लिए चारे के गट्ठर लाते जनजाति लोग)

आधुनिक चमक-दमक से दूर सिमटी-दुबकी-सी जनजाति महिलाएं

विद्यालय जाने की उम्र, गैंती व फावड़े के नाम
(बाल श्रम का एक नज़ारा - जनजाति बालक-बालिकाएं)

जनजाति लोगों की आय का आधार कृषि
(फ़सल की कटाई करते हुए जनजाति लोग)

जनजाति क्षेत्र के माध्यमिक विद्यालय की प्रधान के कार्यालय का एक दृश्य

'असेफा-गढ़ी प्रकल्प' के कार्यकर्ताओं के साथ शोधकर्ता